फर्रुखाबाद जनपद मे अपराधो का स्थानिक विश्लेषण

(SPATIAL ANALYSIS OF CRIMES IN FARRUKHABAD DISTRICT)

इलाहाबाद विश्वविद्यालय

की

डी फिल् (भूगोल) उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध-प्रबन्ध

निर्देशक

डॉ आर सी तिवारी

(आचार्य, भूगोल विभाग)

इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद

प्रस्तुतकर्ता

अनिता पाण्डेय

(भूगोल विभाग)

भूगोल विभाग

इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

2002

विषय सूची

प्राक्कथन

अपराधभूगोल व्यवहारिक भूगोल का अभिन्न अग है जो सामाजिक भूगोल के अन्तर्गत निहित है क्योकि समाज की समस्याएँ काल और क्षेत्र के सन्दर्भ मे भिन्न–भिन्न अनुभव की जाती है। किसी भी क्षेत्र मे मनुष्य और वातावरण के परिवर्तनशील सम्बन्धो को ध्यान मे रखकर परिवर्तित दशाओ मे जनसख्या और सम्बन्धित समस्याओ के निराकरण का प्रयास वर्तमान युग की महत्वपूर्ण आवश्यकता हैं। अपराध भूगोल मे मनुष्य के ऐसे आचरण का अध्ययन किया जाता है जो समाजविरोधी तो होता ही है साथ ही साथ असामान्य आचरण या विचलित व्यवहार माना गया है जिसमे मनुष्य समाज के नियमो से विचलित हो जाता है जिसका कारण प्रतिकूल परिस्थितियॉ एव परिस्थितियो के प्रतिकूल प्रभाव है।

आज समाज मे आर्थिक विकास एव क्षेत्रीय विकास के अथक प्रयास हो रहे हैं लेकिन शान्ति और सुरक्षा के अभाव मे यह विकास क्या अधिक उपयोगी सिद्ध होगा ? विकास के जितने प्रयास किये गये उन सबसे भ्रष्टाचार का जन्म उभरकर सामने आया। क्या आर्थिक विकास की सार्थकता समाज मे बढते अपराधो की पृष्ठभूमि मे सम्भव होगी ? सुरक्षा एव शान्ति समाज की अनिवार्य आवश्यकता है।

अपराध की समस्या के सामाजिक आर्थिक तथा सास्कृतिक पहलू पर शोध अध्ययन तथा साहित्य सृजन करने वाले विद्वानो का भी मत है कि समस्या का नियत्रण तथा अपराधियो के सुधार एव व्यवस्थापन के कार्यक्रमो की सफलता केवल उस ज्ञान पर निर्भर करेगी जिसके द्वारा अपराधी व्यवहार को प्रेरित करने वाली दशाओ एव कारको का वैज्ञानिक अध्ययन सभव हो सके। इसके लिये हमे सबसे पहले समाज के आर्थिक, सामाजिक राजनैतिक जीवन की व्यवस्था मे मूल भूत परिवर्तन की अवश्यकता है। क्योकि अपराधी बिगड़ी हुयी सामाजिक दशाओं का [illegible] है।

फर्रुखाबाद जनपद गगा–यमुना दोआब के भौगोलित क्षेत्र मे स्थित है। इस जनपद का कुल क्षेत्रफल 2288 00 वर्ग किमी है। जनपद की उत्तरी सीमा पर बदायूँ एव शाहजहॉपुर जनपद पूर्व मे हरदोई जनपद पु मे एटा तथा मैनपुरी जनपद द मे कन्नौज जनपद इसकी सीमा निर्धारित करते हैं। ये सभी जनपद उ प्र की क्राइमबेल्ट के अन्तर्गत आते है। इसके अतिरिक्त जनपद उन्नाव फतेहपुर झॉसी जालौन हमीरपुर एव बॉदा जनपद अपराध पट्टी को सम्पूर्णता प्रदान करते है। फर्रूखाबद जनपद अपनी अवस्थिति के कारण अपराधो से निरन्तर घनिष्ठ सम्बन्ध बनाये हुए हैं फर्रुखाबाद जनपद की भौतिक सरचना भी अपराधो की उर्वरता को बनाये हुए हैं।

जनपद का सामाजिक स्तर आर्थिक स्तरएव शैक्षिक स्तर भी अपराधो की पृष्ठभूमि तैयार करने मे सहायक सिद्ध हुआ है। अपराधियो को मिलने वाला राजनतिक सरक्षण एव श्वेतवस्त्रापराध जनपद मे अपराधो की सक्रियता को बनाये हुए हैं।

अत इस ज्वलन्त समस्या के निराकरण के लिए सुधारात्मक एव दण्डात्मक दोनो स्वरूपो को अपनाये जाने की आवश्यकता है जिससे अपराधिक प्रवृत्तियो का उन्मूलन एव उपशमन करके सामाजिक एव आर्थिक विकास तथा मानवीय मूल्यो की पुर्नस्थापना के मार्ग को प्रशस्त किया जा सके।

सविता पाण्डेय

आभार

परमेश्वर आदिशक्ति मॉ भवानी की असीम अनुकम्पा एव माता–पिता के आर्शीवाद से आज अपने शोध प्रबन्ध की सम्पूर्णता पर आभार व्यक्त करते हुये मुझे अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है। सर्वप्रथम प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के प्रेरणा स्रोत परम पूज्य गुरुवर आचार्य आर सी तिवारी भूगोल विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रति श्रद्धावनत आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके अनवरत प्रोत्साहन असीम स्नेहयुक्त निर्देशन मे यह शोध प्रबन्ध पूर्ण हुआ है। इसके साथ ही डॉ सविन्द्र सिह विभागाध्यक्ष भूगोल विभाग इलाहाबाद विश्वविद्याल के प्रति भी श्रद्धावनत एव आभारी हूँ जिन्होने समय–समय पर आर्शीवाद एव शुभसम्मति प्रदान कर शोध–कार्य के लिये निरन्तर मार्गदर्शन किया।

इस शोध कार्य मे डॉ सुधाकर त्रिपाठी प्रवक्ता भूगोल विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रति मैं आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होने कार्टोग्राफी एव साख्यिकीय गणना मे सहयोग प्रदान करते हुये मानचित्रो को पूरा करने मे सहयोग दिया। इसके साथही मैं अपने परम पूज्य फूफा जी डॉ मोहन अवस्थी (भू पू) विभागाध्यक्ष हिन्दी विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ जिनके स्नेहयुक्त सरक्षण एव मार्गदर्शन मे मैं अपना शोध कार्य पूरा कर सकी।

इस शोध कार्य मे सी ओ कायमगज श्री अरविन्द मौर्या जी का समय–समय पर मिले सहयोग एव प्रोत्साहन के प्रति मैं आपार आभार व्यक्त करती हूँ जिसके कारण मेरे शोध प्रबन्ध को आधार प्राप्त हुआ है।

ब्रदी विशाल डिग्री कालेज के श्री रामनिवास दुबे एव डॉ राधेश्याम मिश्रा जी के प्रति मैं आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होने शोध प्रबन्ध की पूर्णता हेतु अमूल्य सुझाव प्रदान किये।
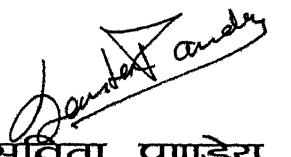
मै माननीया आशाभाभी का सहयोग पूर्ण एव आत्मीय व्यवहार के प्रति मै आभार प्रकट करती हूँ जिन्होने मेरी प्राथमिक आवश्यकताओ का निवारण कर शोध–कार्य पूर्ण होने मे सहयोग दिया।

इसके साथ ही मै अपने आदरणीय बडे भाई श्री राजेश श्री नवनीत पाण्डेय अनुज श्री लक्ष्मी भूषण की हृदय से आभारी हूँ जिन्होन शोध सामग्री सकलन सर्वेक्षण कार्य एव समय–समय पर उत्साहवर्द्धन सहयोग देकर मेरे शोध कार्य को सरल बनाया। अपने शोध प्रबन्ध की पूर्णता हेतु मै इनकी अनुग्रहीत हूँ।

मै अपनी मित्र सीमा के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ जिनके सहयोग से ही मेरे शोध कार्य का श्री गणेश हुआ। उस प्रारम्भिक काल मे दिया गया इनका प्रोत्साहन व शोध कार्य के अन्तिम समय मे दिया गया इनका सहयोग चिर स्मरणीय रहेगा।

इसके साथ ही वे समस्त भूगोलवेत्ता समाजशास्त्री अर्थशास्त्री अपराधाशास्त्री जनपद के अधिकारी वर्ग जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुझे अपने शोध–प्रबन्ध के पूर्ण करने मे सहयोग मिला। उनके प्रति मै अपनी कृतज्ञता एव आभार प्रकट करती हूँ।

इन सबके बाद मैं अपने परम पूज्य दादा जी (प शिव प्रकाश दुबे) की हृदय से आभारी हूँ। जिनके स्नेह प्रोत्साहन शुभआशीष एव सुझाव के कारण मै अपने शोध–कार्य को साकार रूप दे पायी इस कार्य–क्षेत्र के झझावात मे वे मेरे साथ सदैव दृढ–स्तम्भ की भाँति खडे रहे। अत पुन मैं उनके प्रति अपना सम्पूर्ण आभार व्यक्त करते हुये अपने इस लघु प्रयास को उनके श्री चरणो मे समर्पित करती हूँ।

Savita Pandey

सविता पाण्डेय

मानचित्र सूची

सारणी सूची

सारणी संख्या विवरण

अनुक्रमणिका

अध्याय—1

परिचय

INDIA
0 400
km
UP
UTTAR PRADESH
80 0 80
km
LUCKNOW
79°
15'
30'
45
DISTRICT FARRUKHABAD
10 0 10
km
45'
BUDAUN
SHAHJAHANPUR
ETAH
From Kasganj
Kaimganj
Ganga River
Ram Ganga
Shamsabad
30'
Rajepur
Nawabganj
FARRUKHABAD
HARDOI
Kali Nadi
Muhammadabad
MAINPURI
Kamalganj
Ganga River
To Kanpur
15'
27°
N
District Boundary
Tahsil
Block
District Headquarters
Tahsil
Block
River
79°E
15'
30'
45'

अध्याय—1

परिचय

अपराध की संकल्पना

मनुष्य द्वारा किये गये ऐसे कार्य एव आचरण जो समाज विरोधी हो जिनमे सामाजिक परम्पराओ समाज के नैतिक मूल्यो आदर्शो एव प्रतिमानो का उल्लघन होता हो अपराध के अन्तर्गत सम्मिलित किये जाते है। ऐसे कार्य समाज मे रहने वाले विभिन्न समुदाय के लोगो को शारीरिक आर्थिक एव मानसिक क्लेश पहॅचाते है। ऐसे कार्यो से समाज मे कलुषता फैलती है। इसीलिये ऐसे कार्य समाज द्वारा अस्वीकृत कर दिये जाते है। इसीलिये अपराध को विभिन्न समाजशास्त्रियो ने समाजिक घटना के रूप मे स्वीकार किया है। अत अपराध ऐसा मानव कृत्य है। जो समाज की व्यवस्था को छिन्न—भिन्न कर देता है। एव समाज के हितो के प्रतिकूल होता है।

मनुष्य जन्म से अपराधी पैदा नही होता वह आपराधी कृत्य समाज से ही सीखता है। अत स्पष्ट है कि अपराधो के लिये कुछ परिस्थितिया ही उत्तरदायी होती है। यह परिस्थितिया मनुष्य को असामान्य आचरण के लिये प्रेरित करती है। इन्ही असामान्य आचरणो के परिणाम स्वरूप अपराधो का जन्म होता है। मनुष्य के समान्य आचरण समाज मे सौहार्द एव विकास के लिये आवश्यक होते है। ऐसे कार्यो से समाज की उन्नति होती है और किसी प्रकार की क्षति नही पहॅचती है। इसी कारण समाज शास्त्रियो मनोवैज्ञानिको नृतत्वशास्त्रियो एव भूगोलवेत्ताओ सहित अन्य विद्वानो ने अपराध हो समान्य परिस्थितियो मे किया जाने वाला आचरण नही माना है। समाजिक प्राणी होने के कारण मनुष्य से यह अपेक्षा की जाति है कि वह जिस समाज मे जीवन—यापन करता है। उसके विकास के लिये विभिन्न कार्य करे। उस समाज की प्रचलित परम्पराओ निर्धारित मूल्यो एव सामाजिक मान्यताओ का अनुसरण करे। कभी—कभी मनुष्य इन

सभी की अवहेलना करता है। और समाज मनुष्य के इस व्यवहार से हनि उठाता है। ऐसे आचरण को ही अपराध की सज्ञा दी जा सकती है।

भारतीय दर्शन के अनुसार मनुष्य का जन्म परमानन्द की प्राप्ति हेतु हुआ है। मनुष्य मात्र भौतिक तत्वो क्षिति जल पावक गगन समीर का समूह ही नही बल्कि एक चेतनसत्ता भी है। इसीकारण मनुष्य के तीन शरीर माने जाते है। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनो शरीरो का सामाजस्य है। परमानन्द की प्राप्ति की और प्रेरित करता है। किन्तु इन तीनो के असामान्जस्य के कारण ही मनुष्य दुख प्राप्त करता है। वर्तमान के भौतिकता वादी समाज मे मनुष्य अपने स्थूल शरीर तक ही सीमित रह गया है। और इस स्थूल शरीर के भरण पोषण के लिये विभिन्न वस्तुओ का उपभोग करने लगा है। इस कारण उपभोक्ता वादी सस्कृति का विकास निरन्तर बड रहा है। चूकि मनुष्य के शरीर की समस्त इच्छाओ की पूर्ति सम्भव नही है। जबकि उपभोक्तावाद सस्कृति मे उपभोग से ही समस्त इच्छाओ की पूर्ति करना मनुष्य अपना आदर्श समझता है। इसीलिये व्यक्ति समाज द्वारा स्थापित की गये मूल्यो समाजिक परम्पराओ एव आदर्शो की उपेक्षा करके ऐसे आचारण करता है। जिससे उसे शारीरिक सुख प्राप्त हो कालान्तर मे मानव का यही आचारण अपराध का रूप धारण करता जाता है। मनुष्य अपने चहुओर एक ऐसे वातावरण का निर्माण कर लेता है। जिससे अर्न्तक्रिया कर वह अपराधी बन जाता है। विभिन्न सामाजशास्त्रियो ने अपराध को अपने ढग से परिभाषित किया है। हैक्रबॉल अपराध को एक ऐसा व्यवहार मानते है जो मानव समबन्धो की उस व्यवस्था मे व्यवधान डालता है। जिन समबन्धो को समाज शक्ति के रूप मे अपने अस्तित्व हेतु स्वीकार करता है।[1] (हैक्रबॉल 1996/पी 20) अपराध एक ऐसा कार्य है। जो उस समूह के स्थायित्व का विरोधी है। जिसे व्यक्ति अपना समझता है।[2] (थॉमस/1927) मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अपराध को करुणा सत्यता और न्यायिकता के मनोभावो का उल्लघन माना जाता है[3] (ओरोफेलो 1914/ पी 59) अपराध को समाज शास्त्रीय दृष्टि से केवल असमाजिक

व्यवहार माना जा सकता है।[4] (माउपेर 1954/ पी 468) अपराध सामूहिक व्यवस्था को सकटग्रस्त करने तथा उसके किसी भी तत्व को हानि पहुँचाने वाला व्यवहार माना जा सकता है।[5] (जीनॉनकी 1967/ वी 12/ पी 6)

अपराधों की सव[illegible]

अपराध कालातीत है। यह एक ऐसा सार्वजनीन सत्य है जो किसी क्षेत्र की सीमा को नही मानता। यह सर्वत्र व्याप्त है। यह शाश्वत है। आज कोई भी सामज क्षेत्र काल अपराध रहित नही है। उसमे अपराध का अश और रूप भिन्न हो सकता है। यह अवधारणा मानव के विचलित व्यवहार एव उसके प्रतिकूल सामाजिक राजनीतिक आर्थिक या भौगोलिक परिस्थितियो के प्रभावो के अर्न्तसम्बन्धो पर निर्भर करती है। अपराध की विचार धारा भिन्न–भिन्न समाज मे होने वाले मानवीय व्यवहारो के सदर्भ मे भिन्न–भिन्न होती है। क्योकि भिन्न–भिन्न समाजो की अपनी भौगोलिक परिस्थितियॉ होती है। जिनके आधार पर ही अपराध का स्वरूप स्पष्ट होता है। इसीलिये जब किसी समाज मे कोई अपराध मानवीकृत अपराध की श्रेणी मे आता है वही किसी दूसरे समाज मे उचित कार्य समझा जाता है। उदाहरणत एस्किमो समुदाय मे हत्या का बदला हत्या पुनीतकार्य है। किसी भी पत्नी का अपहरण अपराध नही माना जाता। अत मुस्लिम समाज मे बहुपत्नी प्रथा है। जिसे अपराध नही माना जाता जबकि हिन्दु समाज मे अपराध है। अत स्पष्ट है कि अपराध की अवधारणा मानव समुदाय की मान्यताओ पर निर्भर करती है।

अपराध की भौगोलिक अवधारणा

भारतीय मनीषियो ने आदिकाल से ही प्रकृति और मानव को एक ही ईश्वरी सत्ता की कृति और एक समग्र सगठन के रूप मे देखने पर बल दिया है।[6] (दीक्षित 2000/ पी 3)

मानव और प्रकृति के अर्न्तसमबन्ध पर सम–सामायिक दार्शिनिक मान्यताये भौगोलिक चिन्तन मे प्रतिबिम्बित होती रही है। किन्तु प्रत्येक काल मे भूगोल मूलत मानव और प्रकृति के अर्न्तसमबन्धो पर आधारित ज्ञान है। 70 के दशक मे मानव और उसके वातावरण के अर्न्तसम्बन्धो की विवेचना के लिये परिदृश्य की परिधि के स्वरूप व्यवहार भूगोल का जन्म हुआ। भौगोलिक व्याख्या मे प्रतिबोधन की भूमिका के महात्व पर लम्बे अरसे से समय–समय पर अनेक विद्वान बल देते रहे है। मानवभूगोल मे व्यवहार वादी चिन्तन को व्यापकता प्रदान करने मे जुहियन ओलपर्ट के डिसीजन पार्सेज इन ए स्पेशियल कन्टेक्सट शीर्षक की महात्वपूर्ण भूमिका है। जो एनाल्स ऑफ द एसोसियोशन जाग्राफर्स 1964 मे प्रकाशित हुयी।[7] (बोल्पर्ट 1964/ पी 337–358) इस लेख के बाद व्यवहारवादी चिन्तन शीघ्र ही मानव भूगोल के अध्ययन का अभिन्न अग बन गया। इस चिन्तन मे मानव व्यवहार सस्कृति एव समाज सापेक्ष माना जाने लगा। औार उसमे समबद्ध व्यक्तियो और गुटो के वातावरण प्रतिबोधन की भूमिका केन्द्रिय महात्व की हो गयी।[8] (दीक्षित 2000/ 57) व्योहारवाद का मुख्य उद्देश्य मानव और प्राकृतिक वातावरण के अर्न्तसमबन्धो की व्याख्या मे पूर्ववर्ति कार्य कारण सकल्पना पर केन्द्रित योगिक परिदृष्टि के बदले मानव प्रतिबोधन की प्रक्रिया पर केन्द्रित है।[9] (रमेशदत्त दीक्षित) इसमे मनुष्य को सवेदनशील और विवेकशील प्राणी माना गया है। अपने परिवेश के सम्बन्ध मे उसके निर्णय प्रत्यक्ष कार्य कारण प्रतिक्रिया का परिणाम न होकर वस्तु स्थिति के मानसिक प्रतिबोधन का परिणाम होते है। इस प्रकार मानव भूगोल के अध्ययन मे यह जानना नितात आवश्यक हो जाता है कि जिस क्षेत्रीय सामाजिक इकाई का अध्ययन किया जा रहा है। उसमे सदस्यो ने अपने वातावरण से किस प्रकार समायोजन किया है।[10] (दीक्षित 2000/ पी 155) व्यवहारिक भूगोल मे सामाजिक रोग विज्ञान का अध्ययन किया गया है। इसमे अपराध एव अपचार को व्याख्याश्रित करने के लिये समाज के नियमो को उत्तरदायी ठहराया गया है। इसमे अध्ययन करने

वाले लोग अपराध को मनुष्य एव उसके वातावरण की अर्न्तक्रिया का प्रतिफल मानते है।

क्वेटलैण्ड एव ग्लेरी को भौगोलिक अपराधिक विचारधारा का सस्थापक माना जाता है।[11] (अप्रकाशित शोध प्रबन्ध/ रूहेलखण्ड वि वि बरेली/ 2000 पृ 10) मनुष्य का निर्माण प्रकृति के विभिन्न तत्वो के समिश्रण से होता है। इसीलिए प्राकृतिक पर्यावरण उसके कार्यों उसके नैतिक मूल्यो एव परम्पराओ को निर्धारित करते है। समाज का सगठन इन्ही आदर्शो कार्यो एव नैतिक मूल्यो से सचालित होता है। समाज का निर्धारण समाज के प्राकृतिक वातावरण के द्वारा होता है।[12] (प्रशन कुमार 2000/ पृ 10) भौगोलिक कारको मे धरातल सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होता है समतल भूमि मे अपराधिक घटनाये कम होती है जबकि ऊबड–खाडब स्थान एव पहाडी धरातल एव खडडो मे अपराधो की सख्या अधिक पायी जाती है।[13] (प्रश्नकुमार 2000/ पृ 11) माटेस्क्यू जो कृषि भूगोल वेत्ता एव दाशर्निक के रूप मे जाने जाते है। ने अपराधो के लिये भौगोलिक परिस्थितियो को उत्तरदायी माना। उन्होने कहा कि गर्म जलवायु डकैती चोरी इत्यादि को प्रभावित करती है जबकि शीत जलवायु प्रजातत्र एव स्वतन्त्रता को प्रभावित करती है। उन्होने यह भी बताया कि भूमध्य रेखा से दूरी बडने के साथ–साथ अपराध मे हास्र होता है।[14] (Krıssel, K M / 1960/ Monteoquıeu) पारिस्थितिक की विचारधारा मे भी अपराधो का अध्ययन किया गया है। इसमे टारडे फोर बुराती बैटारिल्या लैफर थ्रेसर एव शाह व लैकेसर प्रमुख है। (प्रशन कुमार 2000)।

इस सकल्पना मे मनुष्य स्वय व्यापक प्राकृतिक व्यवस्था के अग के रूप मे देखा जाने लगा[16] (दीक्षित 2000/ पी 253) डेक्सटर महोदय ने अपराधो का अध्ययन पारिस्थितिकी की विचारधारा के अन्तर्गत करते हुये। यह बताया कि, अपराध पर्वतीय क्षेत्रो मे सर्वाधिक ऊबड–खाबड क्षेत्रो मे उससे कम एव समतल मैदानो मे सबसे कम होते है। बलात्कार पर्वतीय भागो मे अधिक व समतल मे कम होते हैं। गर्म देशो मे मारपीट एव शीत

प्रधान देशो मे चोरी डकैती घटनाये अधिक होती है। शीत ऋतु मे सम्पत्ति एव ग्रीष्म मे व्यक्ति सम्बन्धी अपराध अधिक देखे जा सकते है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मे बाल हत्या जुलाई मे आक्रमण एव मनुष्य की हत्या जनवरी एव अक्टूबर मे माता–पिता की हत्या मई एव जून मे बलात्कार की घटनाये अधिक होती है[17] (राधेश्याम मिश्रा 1985/ पी 6/ अप्रकाशित शोध प्रबन्ध)।

अपराध की सामाजिक अवधारणा

इस अवधारणा का श्री गणेश अमेरिका और यूरोप के समाज शास्त्रियो के अध्ययनो का परिणाम है 19वी सदी मे यह विचारधारा अपने अस्तित्व मे आयी। इसको जन्म देने का श्रेय सयुक्त राज्य अमेरिका के समाजशास्त्रियो को दिया जाता है। इस विचारधारा को विशेष प्रोत्साहन 1915 मे लोम्ब्रोसो के समाकालीन गैरिंग के अध्ययनो से मिला। कुछ लोग अपराध की सामाजिक अवधारणा के प्रणेता के रूप मे क्वेटलैड को स्वीकार करते है। जिसने 1850 मे अपराधी के समाजिक कारणो एव उनके भौगोलिक विस्तार का अध्ययन किया। विभिन्न मतभेदो के साथ यह निर्विवाद रूप से सत्य है कि यह अपराधो की सामाजिक विचारधारा अपराधो की उत्पत्ति के मूल मे सामाजिक परिवेश को प्रथम उत्तरदायी कारक ठहराती है। इस विचारधारा के मानने वालो का मत है कि सामाजिक जीवन के प्रभाव समाजिक दृष्टिकोण व्यवहारो के प्रतिमान व्यक्ति की सामाजिक स्थिति एव उसकी भूमिका उसके सामाजिक सम्बन्ध तथा सामाजिक परिस्थितियॉ अपराधो के लिय उत्तरदायी होती है। समाज शास्त्रियो मनोवैज्ञानिको एव जीवशास्त्रियो के विपरीत अपराधो को पर्यावरण मे परिपालन करने वाले समाजिक तत्वो की उपज के सदर्भ मे देखते है। वे अपराधियो को समाजिक सास्कृतिक पर्यावरण से पृथक असमान्य व्यक्तियो का समूह न मानकर समाज के सामाजिक सास्कृतिक एव विभिन्न तत्व के सगठन से प्रभावित मानते है। अपराधो के सम्बन्ध मे इस विचार धारा की शुरूआत

भौगोलिक एव सामाजिक विचारधारा के समन्वय से हुयी। इस विचारधारा का सर्वाधिक प्रचार एव प्रसार अमेरिकी समाज शास्त्रियो द्वारा किया गया। इस विचारधारा की मान्यता है कि अपराध सामाजिक पर्यावरण की उपज है। तथा यह सीखा हुआ व्यवहार है इसी उसी प्रकार सीखा जाता है जैसे व्यक्ति अन्य बातो को सीखता है।[18] (रूपसोन्ले सी/किमनोलॉजी वी 2) मावरर ने अपराधो को सामाजिक विघटन मानते हुये कहा कि यह उस प्रक्रिया का नाम है जिसमे व्यक्ति समाजिक प्रतिमानो को बिना ध्यान मे रखते हुये अपने प्राक्रतिक स्वभाव के आधार पर व्यवहार करने लगता है।[19] (अरनेस्ट आर मावरर) वैरन ने समाजिक अपराधो को उन इच्छाओ की पूर्ति बताया है जिन्हे व्यक्ति ऐसे व्यवहारो के द्वारा करने लगता है। जो समाजिक रूढियो एव कानूनो के विरूद्ध है।[20] (रोलैण्ड एल वैरने) इस विचारधारा के प्रमुख लैका साने का मानना है कि अपराधो मे प्रमुख तत्व समाजिक पर्यावरण है और यह पर्यावरण वह ऊष्मा है जो अपराधिकता को जन्म देती है। इस स्थिति मे लोग वैसा व्यवहार नही कर पाते जिसकी उनसे आशा की जाती है। विघटित समाज की इस दशा मे कथनी और करनी मे बडा अन्तर हो जाता है[21] (लियोनाई एस काट्रेल)।

अपराधी एक अणुजीव होता है और वह तब तक महात्वहीन होता है जब तक वह उस तरल पदार्थ से नही मिलता जो उसे उभरने योग्य बनाता है। जिस प्रकार अणुजीव जन्म के समय विषहीन होता है किन्तु बाद मे अत्यन्तविष की स्थिति होने पर व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन जाता है। इसी प्रकार जन्म से व्यक्ति अपराधी नही होता किन्तु समाजिक पर्यावरण मे धीरे—धीरे विभिन्न प्रकार के लोगो के सम्पर्क से अपराध सीख जाता है। इस प्रकार अपराध सामाजिक उद्वविकास की एक स्वभाविक एव अस्वभाविक घटना है[22] (आहूजा राम/ पृ 59/1999)।

आगवर्न सामाजशास्त्री मानते है कि भौतिक सस्कृति मे परिवर्तन अधिक तीव्र होते है किन्तु अभौतिक सस्कृति उस गति से नही परिवतित हो पाती यह स्थिति व्यक्ति विघटन का परिणाम होता है। अत कल्चरल

लैग की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और यह स्थिति स्वय मे विघटन की उत्पत्ति का एक कारण बन जाती है।[23] (विलियम एफ आगवर्न सोशल चेज)।

निष्कर्षरूप से समस्त समाजशास्त्री चाहे वह किसी भी मत के रहे हो अपराध को समाजिक विचारधारा के परिपेक्ष्य समाजिक पर्यावरण का प्रकार्य मानते है। इस विचारधारा के प्रमुख समर्थको मे कैन्टर (1939) टैफ्ट (1949) कार्ललोबेल (1950) मावेल एव मैरील (1950) काल्डबैल (1956) लैमर्ट (1958) ऐब्राटेमसन (1960) इक्लैस (1961) प्रमुख है। यद्यपि सभी समाजशास्त्री इस बात पर सहमत है कि अपराधो के लिये समाजिक अनुभवो द्वारा प्राप्त धारणाये महात्वपूर्ण है। परन्तु इस बात पर मतैक्य नही है कि कौन सा सामाजिक तत्व अपराध उत्पन्न करता है।[24] (इ दुर्खीम) अपराधशास्त्री अपराधो का मूल यदि आधिक मानता है तो मनोवैज्ञानिक मन को समाजशास्त्री यदि अपराधो का कारण सामाजिक मानता है तो भूगोलवेत्ता भौगोलिक।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

फर्रुखाबाद जनपद निसदेह एक पराकाल का स्थान है किवदन्ती के अनुसार राजा द्रुपद के किले के पास मोहम्मद खॉन का किला था[25] (कालीराय) और जब पाण्डव बनवास के समय अज्ञात वास मे थे तो उन्होने इसी के पास पाण्डवेश्वर शिव मन्दिर की स्थापना की जो आज फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन के समीप रेलवे रोड पर स्थित है। फर्रुखाबाद जनपद के घनी आबादी के क्षेत्र मे उत्तर पश्चिम दिशामे प्राचीन कुॅआ व भवनो के उत्खनन से इस बात की पुष्टि होती है कि मोहम्मद खान के मकबरे की नीव डालने के समय खुदाई मे एक पॉच मन लोहे की गदा प्राप्त हुआ है जिसके सम्बन्ध मे लोगो का सामान्य विश्वास है कि यह गदा पाण्डव भीमसेन का है। (Ibid , P 127) यह गदा आज भी मऊ–गेट के

समीप देखा जा सकता है। जिसकी लोग पूजा करते है। यद्यपि फर्रुखाबाद जनपद का इतिहास महाभारत तक चला जाता है किन्तु इस का मूल उत्पत्तिकर्त्ता और स्थापक मोहम्मद खॉ वगश या जो फतेहपुर जनपर के खजुहा ग्राम का रहने वाला था। (Dıstrıd Ga/dt C P Gt , P, 136) 1712 ई मे दिल्ली सम्राट फर्रूखियर ने मुगल साम्राज्य के सत्तासघर्ष मे अपने चचरे भाई जहॉदार के विरूद्ध सहयोग के लिये उसे बुलाया था। मोहम्मद खॉन बगश की सेवाओ के फलस्वरूप फरुर्रूखियर ने उसको फर्रुखाबाद व बुन्देलखण्ड के कुछ क्षेत्र प्रदान किये। फर्रुखाबाद जनपद मे उसने दो शहरो की स्थापना की एक अपने नाम पर मोहम्मदाबाद की दूसरे अपने पुत्र कायमखॉ के नाम पर कायमगज क्षेत्र की स्थापना की। (Dıstrıct Gazelter P 137) इन क्षेत्र के नामकरण मे फर्रूखियर का महात्व न देने पर चापलूसो ने सम्राट के कान भरे अत फर्रूखियर नाराज न हो इसलिये मोहम्मद खॉ बगश ने एक शहर को तुरन्त बसा कर उसका नाम फर्रुखाबाद रखा। इस जनपद के मऊदरबाजा क्षेत्र मे पास पढानो की बहुतायत थी। फतेहगढ कैण्ट क्षेत्र के पास कासिमबाग नामक स्थान पर जहॉ पहाडा के मोढ पर मोहम्मद खॉन बगश रहता था वही 52 गॉवो मे बमटेले नामक जाति रहती थी ये दोनो ही जातियॉ पठान व बमटेले उपद्रवी प्रकृति के थे। मोहम्मद खॉ बगश ने इस जनपद मे स्थित द्रुपद के किले का पुनुरूद्धार कराया। मोहम्मद खॉ बगरा ने नये किये की नीव 1226 हिजरी (तदनुसार 6 जनवरी 1714 से 27 दिसम्बर 1714) के मध्य रखी। फर्रुखाबाद के चौथे नवाब अहमद खॉ बगश न फर्रुखाबाद जनपद का नाम बदल कर अहमद नगर फर्रुखाबाद रखा। किन्तु इसे बाद के नवाबो स्वीकार नही किया और फर्रुखाबाद नाम को ही मान्यता प्रदान की। 1751 मे जब नवाब अहमद खॉन पर अवध मराठा और जाट की सम्मिलित सनाओ ने आक्रमण किया तो उसने एक किले म शरण ली। उसने इस किले का नाम फतेहगढ यानि फार्ट ऑफ विक्ट्री रखा। 1887 मे क्षेत्र हुसैनपुर के नाम से जाना जाता था (रायकाली फतेहगढनामा)। आज भी हुसैनपुर का परिवर्तित रूप

कैण्ट क्षेत्र मे स्थित है। फर्रुखाबाद जनपद बगश नवाबो की राजधानी रहा है। ईस्ट इण्डिया के विकास के साथ फतेहगढ का विकास हुआ और 1802 मे फतेहगए किले का महात्व बडा।

बगशकाल (1714-1777 ई) - ऐतिहासिक लेखो के अनुसार शहर फर्रुखाबाद भीकमपुर और द्वठान क्षेत्र पर विकसित हुआ है। जो किले बन्द दीवार के अन्दर थे। शहर के प्रारम्भिक विकास के समय मोहम्मद खॉ बगश को बमटेलो की जाति के साथ युद्ध करना पडा जो शहर पर रात्रि को आक्रमण करते थे। मोहम्मद खा बगश ने बमटेलो को निकटवर्ती गॉवो से न केवल निकाल बाहर किया बल्कि उसके सहयोगियो के साथ भी दुर्वयवहार किया अपने एक अभियान के तहत उसने 1000 बमटेलो की हत्या कर दी। (Rvine, op] sit, p 278) 1743 मे मोहम्मद खा बगश की मृत्यु तक फर्रुखाबाद एक समृद्ध और बडा क्षेत्र था उसके शासन काल मे फर्रुखाबाद के अन्तर्गत सम्पूर्ण काली और कोरा नदियो का दोआब क्षेत्र था। जिसमे सम्पूर्ण फर्रुखाबाद जिला सम्पूर्ण एटा जिला पश्चिमी कानपुर क्षेत्र का हिस्सा शहजहॉपुर जनपद का एक परगना छोड सम्पूर्ण शहजहॉपुर क्षेत्र बदॉयु जनपद के दो परगना को छोड सम्पूर्ण बदॉयु जनपद एव इटावा एव अलीगढ जिले के कुछ हिस्से सम्मिलित थे। 1720 मे उसके पुत्र कायमखा ने कन्नौज को जीता जो पहले हिन्दू राजाओ के नियन्त्रण मे था। (District Gazatteer op cit, p 138)

कायमखॉ बगश (1743-1748) - फर्रुखाबाद के द्वितीय नवाब कायम खा के समय जेस्वीर फादर टाइफेन थेटर ने शहर का भ्रमण किया। उनके द्वारा लिखित लेख कायमखा के समय फर्रुखाबाद की जानकारी देते है। उसने लिखा कि ये क्षेत्र चूना और मिटटी मे दीवार से घिरा था। उसके 12 दरबाजे थे जो आज भी विद्यमान है। ये दरबाजे शहर के मुख्य बिन्दु के सकेतक है। शेष घर मिटटी के थे जिनके छते खपरैलो की होती थी। यह क्षेत्र अनेक वस्तुओ का वाणिज्य केन्द्र था। जिसमे मुख्य दिल्ली बगाल काश्मीर सूरत का मुख्य स्थान था। नवाब का किला 1 मील के

क्षेत्र मे फैला था। जनपद की स्थित विकासोन्मुख थी। शहर चारदीवारी पर बनी सुरक्षा मीनारो तथा खाई से घिरा था। (Adkıngson, E T , op Cıt, P- 257-58)

नावाब इमाम खॉ बगश (1748-1750) - 27 नवम्बर 1748 को इमाम खॉ को उत्तराधिकारी घोषित किया गया। इसके शासन काल मे अनेक शासको के नवाब बनने की महात्वाकाक्षा थी। इस समय आय मे गिरावट आयी। उसके समय मे सफरदरजग जो अवध का नवाब एव दिल्ली का बजीर था फर्रुखाबाद को आधीन करने के उद्देश्य से यहॉ आया। इसी समय नवलराय ने शासक बनी मोहम्म खॉ बगश की विधवा से 50 लाख रूपये के बदले बगश राज्य इमाम खान को प्रस्ताव किया। भुगतान के बाद सफदरजग ने 15 लाख रूपयो की और माग की व साहब बीबी को उसने बधक बना लिया और फर्रुखाबाद की ओर कूच किया जो पहले ही अवध के डिप्टी गर्वनर नवलराय द्वारा जीत लिया गया था। नया विजित राज्य नवलराय के आधीन हुआ और उसन कन्नौज को अपना केन्द्र बनाया। नवलराय के आक्रमण के समय बगशो ने फर्रुखाबाद के किले को खाली छोड दिया जिस पर बाद मे बमटेलो ने अधिकार कर लिया (Adkıngson, E T , op Cıt, P- 163) । आगे चलकर नवलराय ने किले को जीता व वही कुछ समय तक रहा। उस समय के बारे मे इरबिन लिखता है कि इस जनपद मे मऊ क्षेत्र के निवासी अपनी सम्पत्ति के साथ नष्ट कर दिये गये। नवलराय ने शहर को जलाकर नष्ट कर देने की आज्ञा विद्रोह को दबाने हेतु मागी किन्तु पठानो की अधिक सख्या व ताकत के कारण बजीर ने यह आज्ञा नही दी (Abıd P 54)। इस स्थित मे फर्रुखाबाद व मऊ क्षेत्र के चारो ओर रहने वाले लोग शहर मे आतक मचाने लगे यद्यपि उनका कोई नेता नही था।

अहमद खॉ बगश (1750-1777) - मोहम्मद खॉ बगश का द्वितीय पुत्र अहमद खॉं विद्रोहियो का नेता बन कर उभरा। उसने नवलराय के पद और अधिकार पर कब्जा कर लिया। इस बात को सुन नवलराय ने

फर्रुखाबाद की ओर कूच कर दिया किन्तु वह युद्ध मे पराजित हुआ व मारा गया। सफादरजग जो इस समय दिल्ली मे था। इस समाचार को सुनकर एक सेना के साथ युद्ध की तैयारी कर फर्रुखाबाद की ओर बडा किन्तु वह भी (13 सि 1750) पराजित कर दिया गया।

अहम्मद खा के समय फर्रुखाबाद का सितारा फिर चमका और वह बगश नवाबो की राजधानी बना। पुन 1757 म सफदरजग ने फर्रुखाबाद पर अधिकार करने के उद्देश्य से जयप्पा सिंधिया मल्हारराव गायकवाड़ जाट सूरजमल व भरतपुर के राजा की सेनाओ के साथ फर्रुखाबाद पर आक्रमण किया यह खबर सुन अहमद शाह इलाहाबाद से वापस लाटा और फतेहगढ के किले मे अपने को सुरक्षित किया कुछ महीनो की घेराबदी के बाद अहमदशाह को वहॉ से भाग कर आवला (बरेली जनपद) के रोहिला जाति की शरण मे जाना पडा। इस खबर से फर्रुखाबाद जनपद की जनता के मध्य आतक फैल गया और लोग घोडो से गावो से शहर छोड कर चले गये शेष बचे झाडियो मे छिप गये। इस समय जब ताते और बजीर की सेना ने लूट के उद्देश्य से शहर मे प्रवेश किया तो शासक व जनता के द्वारा शहर छोड दिये जाने के कारण शहर मे नाखीबी वीरानगी घबराहट भूख प्यास ने उनकी उम्मीदो पर पानी फेर दिया (Rvine, op cit , 1879, p 89) उन्होने शहर गावो व कस्बो आदि मे आग लगा दी।

1752 मे एक समझौता हुआ जिसके तहत मराठा और सफदरजग के अभियान का खर्च अहमद खा पर डाल दिया गया फलस्वरूप अहमद खॉं को अपने राज्य का एक भाग मराठो को देना पडा। जो 1761 के पानीपत के युद्ध तक मराठो के अधिकार मे रहा। इस सन्धि से फर्रुखाबाद का सौभाग्य उदय हुआ अहमद खॉ शहर वापस आया और निवासियो को बसने हतु आमन्त्रित किया। इसी समय कासिम की विधवा साहब बीबी भी वापस लौट आयी और अमेठी के किले मे रहने लगी। मलिया बेगम बीबी साहब बुलन्द महल मे आ गयी जो पहले कायम खा के अधिकार मे था (Irvine, op cit 1879, p 89)।

फर्रुखाबाद जनपद मे अनेक पर्यटक भी समय—समय पर आते रहे। 23 अक्टूबर 1764 मे सुजाउद्दौला फर्रुखाबाद आया यहॉ से आकर्षित हो उसने फर्रुखाबाद पर आक्रमण किया ओर कन्नौज क्षेत्र तक आ पहुॅचा किन्तु अहमद खा की सशक्त सैन्य तैयारी के कारण उसे वापस लौटना पडा। दुबारा उसने फिर आक्रमण किया और फर्रुखाबाद जनपद के खुदागज क्षेत्र तक आ पहुॅचा तब उसे 6 लाख रुपये एव साथी नफजखॉ को 1 लाख रूपये देने पर वह वापस लौटने पर सहमत हुआ।

ब्रिटिश काल (1777-1947) - फर्रूखाबद जनपद से अग्रेजो के समबद्धता का सूत्रपात 1775 से पूर्व ही हो चुका था जब आशिफ उद्दौला द्वारा फैजाबाद की सन्धि पर हस्ताक्षर किया गया था। जनपद का हेड—क्वार्टर फतेहगढ है इसका अग्रेजो के आगमन से पूर्व कोई महात्व नही था। इस फैजाबाद की सन्धि के बाद ही बाजार और छावनी (कन्टोमेन्ट) क्षेत्र ने अपना रूप लिया। इस छावनी क्षेत्र मे 1777 मे बनी बिग्रेड को फतेहगढ कन्टोमेन्ट मे अस्थाई बिग्रेड क रूप मे समाविष्ट किया गया। (Ibid , P 174)

इस समय फर्रुखाबाद जनपद का नवाब कमजोर और अनुभवहीन था इस कारण सही शासन न कर पाने से फर्रुखाबाद शहर नष्ट हो कर बिखर गया वहॉ कई वर्षो तक कोई स्थाई सरकार नही थी। अत इसके मामलो मे दूसरो के हस्तक्षेप को बढावा मिला। 4 जून 1802 को फर्रुखाबाद के नवाब नासिरजग और हेनरी वेलेजली के मध्य बरेली मे एक सन्धि हुयी जिसके परिणाम स्वरूप नवाब ने अपने क्षेत्र को 108000 रू वार्षिक व्यक्तिगत भत्ता के बदले सत्तान्तरित कर दिया। इस समय शहर की दशा अत्यन्त बुरी थी। 1803 मे इसकी आन्तरिक व्यवस्था के बारे मे लार्ड वेलेन्टिया ने लिखा है कि यहॉ जिन्दगी बहुत असुरक्षित थी फर्रुखाबाद जनपद मे निर्बाध रूप से हत्याये होती थी। लोग सूरज छिपने के बाद बाहर जाने का साहस नही करते थे और जो काम करन बाहर जाते थे वे दिन रहते ही अपने घरो को वापस आ जाते थे। (Hamilton, W , "East

India Gazetter" London, 1815) नवम्बर 1804 मे होल्कर न फर्रुखाबाद पर आक्रमण किया। 1857 मे जनपद मे बिद्रोह फूट पडा (Wallace, C L op cit p 2)।

1857 का विद्रोह– मेरठ से विद्रोह का समाचार फर्रुखाबाद मे 4 मई 1857 का पहुँचा और जब जिला सीतापुर एव अलीगढ के विद्रोहियो ने जनपद फर्रुखाबाद मे प्रवेश किया तो कोलोनेल स्मिथ स्थिति को नियन्त्रण करने मे असमर्थ हो गये और किले से नाव द्वारा बचाये गये। इस प्रकार विद्रोह पूरे जनपद मे फैल गया। विद्रोहियो ने समस्त अग्रेजो के निवासो को जला दिया जिन अग्रेजो ने समर्पण कर दिया उन्हे 23 जुलाई को परेड ग्राउण्ट फतेहगढ क्षेत्र मे ले जाकर मार दिया गया। 18 जुलाई को फफाजुल हुसैन को नवाब के रूप मे कार्यभार सौपा गया किन्तु 2 जनवरी 1858 को सर कोलिन कैम्पबेल जो बिटिश सरकार का कमाण्डर इन चीफ था ने नवाबी सेनाओ को हराने मे सफलता प्राप्त की और पुन 3 जनवरी 1858 को जनपद फर्रुखाबाद मे बिटिश शासन स्थापित हो गया। फर्रुखाबाद के नवाबी किले के स्थान पर वर्तमान मे टाउनहाल और तहसील की बिल्डिगे उसके ढेर की ऊँचाई पर बनी है। फर्रुखाबाद मे भारत के अन्य शहरो और राजधानियो के सडको और रेलवे मार्ग से जुडने के कारण नदी परिवहन आपस मे बद ही गया। 1860 मे बाद के फर्रुखाबाद और फतेहगढ दो शहर एक मे जुड गये और म्युनिसपल्टी की स्थिति प्राप्ति हुयी। 1883 मे जिलाबोर्ड अस्तित्व मे आया। जहॉ तक शिक्षा का सम्बन्ध है। ए पी मिशन ने 1838 के समय से ही अपनी महात्वपूर्ण भूमिका निभाई। 19वी सदी के अन्तिम वर्षो मे फर्रुखाबाद जनपद का पतन प्रारम्भ हो गया। जिसका मुख्य कारण गगा नदी था जो जनपद से 3 1/2 मील पूर्व की ओर मुढ गयी अत जनपद का नदी पोर्ट के रूप की महत्ता का ह्रास हुआ। दूसरा कारण कानपुर जनपद जो इस जनपद के पूर्व मे है का विशेष महात्व बढ जाने के कारण यह जनपद पृष्ठ भूमि मे चला गया और इसे अपनी राजनैतिक स्थिति खो दी। साथ ही

कानपुर ने इस जनपद के दस्तकारो को आकर्षित कर इसने जनपद को आर्थिक धक्का भी दिया। सुतहटटी मदार वाडी अहातामगस खॉं सतवनलाल दबगरन इजातखॉ और दरीबॉ इस जनपद के कुटीर उद्योग के प्रमुख स्थान थे जो इस जनपद वासियो की जीविका के प्रमुख साधन थे किन्तु कानपुर मे खुली कपडा मिल के कारण इस उद्योग का दुखद अन्त हो गया। सूती–वस्त्र छपाई का प्रमुख केन्द्र होने पर भी यह जनपद विदेशी सस्ती छपाई के कारण पिछड गया। निसन्देह मशीनयुगने शहर की मध्यकालीन अर्थव्यवस्था का तीव्र विनाश कर दिया। जो कि उसके कुटीर उद्योग पर अवलम्बित था। इस जनपद मे अनेक सरकारी शैक्षणिक सस्थाये मिशनरी समितियॉ रामकृष्णमिशन आर्य समाज आदि उपस्थित थे। इसके साथ ही कुछ आधुनिक अस्पताल जलापूर्ति विद्युतापूर्ति जैसी उपयोगी सेवाऐ भी उपलब्ध थी जिसके प्रमाण लिखित रूप से हम पाते है। इस जनपद को सडके भारत के कई राज्यो की राजधानियो से जोडती थी (Furrukhabad ın Serve by N R and N E R)। फर्रुखाबाद उ रेलवे तथा पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा कलकत्ता दिल्ली कानपुर लखनऊ और आगरा से जुडा है।

शहरीविकास की प्रक्रिया – 1714 मे अपनी उत्पत्ति से लेकर अहमद खॉ के शासन (1771) तक फर्रुखाबाद का क्षैतिज विकास मुख्य रूप से किला तथा त्रिपल्लिया के चारो ओर हुआ था। जनपद के शहरी विकास की मुख्य प्रवृत्ति विकेन्द्रियकरण और घनी आबादी की थी किन्तु वर्तमान मे अव्यवस्थित फैलाव की मुख्य प्रवृत्ति विकेन्द्रीकरण विरलीकरण और विस्तारीकरण के रूप मे महत्वपूर्ण है। फर्रुखाबाद जनपद के विकास को तीन कालविधियो मे बॉट सकते है **(Sharma, G P Farrukhabad Ka Itıhash, 1929, p 26)**।

1 बगस पीरियड

2 बिटिश पीरियड

3 स्वातन्त्र्योत्तर काल

बगशकाल मे शहरी विकास

एक किवदन्ती के अनुसार राजा दुपद की पुत्री द्रोपदी का स्वयवर इसी जनपद मे हुआ था। यदि इसे माना जाये तो इस जनपद का उद्‌भव महाभारत काल (1500 ई पी) माना जा सकता है (Raı Kalı op cıt p 121)। किन्तु इसके प्रारम्भिक विकास के बारे मे कुछ भी ज्ञात नही है। और इस पर मिथको और किवदन्तियो का परदा पडा है। ऐतिहासिक दृष्टि से फर्रुखाबाद का उदय एव विकास 1714 ई से होता है। जब नवाब मोहम्मद खॉ बगश ने इसका विकास चाहरदीवारी से परे शहर के रूप मे किया। यह चाहरदीवारी दो गॉवो भीकमपुर और द्‌वठान को पूर्णत घेरती थी (Atkınson, E T op cıt, p 256)। भीकमपुर आज भी एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है जबकि द्‌वठान पाण्डवेश्वर मन्दिर के निकट था जिसका विकास मन्दिर के विकास के साथ तेजी से हुआ। मुहम्मद खॉ बगश ने 22 गढिया एव 48 मुहल्लो की स्थापना इस जनपद मे की। इसके द्वारा किया अन्तिम निर्माण उसका अपना मकबरा है। जो मऊ दरवजा के पश्चिम मे है (Khan, M A op cıt , p 29)। इसके बाद कामम खा का शासन रहा जो कि अपने शासनकाल मे कोई भी महात्वपूर्ण भूमिका नही निभा सका (Irvıne op cıt P 373)। बगश नवाबो मे सबसे शक्तिशाली अहमद खॉ बगश के समय फर्रुखाबाद अपने गौरव की सीमा पर जा पहुँचा। आज के नेहरु रोड पर स्थित त्रिपल्लिया से घुमना तक महात्वपूर्ण बाजार कटरा अहमदगज का निर्माण उसी के शासन काल मे हुआ था। इसके बाद नवाब नासिरजग के समय इमामबाडा का नक्कार खाना और नासिर जग बाजार शहर मे जोडे गये जो पैनबाग किले को पूर्णत बदल कर बनाये गये थे। उसने किले के अन्दर एक शाही महल का निर्माण भी कराया था (Sharma G P p 29)।

मोहम्मद खाँ बगश ने ही भोलेपुर हुसैनपुर तथा जमालपुर गॉवो का अधिग्रहण कर फतेहगढ क्षेत्र का छावनी एव सिविल लाइन्स क्षेत्र बसाया

था। बमटेला राजपूत जाति ने कासिम खा की जिस स्थान पर हत्या कर दी थी वही उसका मकबरा 1714 मोहम्मद खा बगश ने बनवा दिया और जमालपुर गॉव का नाम बदलकर कासिम बाग रख दिया (Irvine, op cit 1878, p 276)। 1720 मे चेला शेरदिल खा ने गगा के तट पर एक किले का निर्माण कराया और गगा तट का नाम किला घाट रखा (Wallace, C L op cit p 12)।

इतिहासकार काली राय के अनुसार फतेहगढ किले का निर्माता मोहम्मद खॉ था (Rai, Kali op cit P 128) जबकि डब्लू हेग का विचार है कि अहमद खॉ ने फतेहगढ किले का निर्माण कराया (Hage W, Cambriage, History of India Uviversity PRes, 1937, p 431)। वस्तुत दोनो ही मत गलत प्रतीत होते है। चेलो और इर्विन के लेखो के विस्तृत अध्ययन से पता चलता है कि विद्रोह के समय किला और उसके आस–पास की घनी आबादी बमबारी द्वारा ढाहा दी गयी। 1861 मे दौरान मिस्टर लिडसे के काल मे टाऊनहाल लिडसेगज ग्रानगज जनपद मे जोडे गये। 19वी शताब्दी के उत्तरार्द्ध मे जब जनपद के दक्षिणी भाग मे रेलवे स्टेशन व रेलवे कॉलोनी का विकास हुआ तो महात्वपूर्ण सास्कृतिक भू–क्षेत्र उभरा। 1777 मे जब अग्रेजी बिग्रेड फतेहगढ मे स्थापित हुयी तभी से इस जनपद का सार्वभौमिक महात्व बडा। (India office records, london, B W 1) इस समय के मानचित्र मे फतेहगढ का किला नही दिलाया गया है। 1802 मे फतेहगढ जिला मुख्यालय बना एव कचहरी की इमारते पूर्ण हुयी। 1835 का मानचित्र दर्शाता है। कि फतेहगढ का ज्यादातर म्युनिसपल एरिया सैन्य अधिकारियो एव जिलाधिकरण के बगलो तथा मकानो के लिये अधिगृहीत कर लिया गया (Fathgarh camp 1777, P-57)। सदर बाजार का छोटा सा क्षेत्र पश्चिम दिशा का देशी जनता के निवास के लिये छोडा गया। इस प्रकार यह जनपद 1930 तक अपना महात्वपूर्ण विकास कर चुका था।

स्वतान्त्र्योत्तरका०

इस समय जनपद मे के आर आर इण्टरमीडियट कालेज बनाया गया। इसी कालेज के पास 1950 के बाद एक कोल्डस्टोरेज का निर्याण किया गया। 1954 के दौरान जनपद की जलापूर्ति योजना तैयार की गयी। इस जनपद का विकास 1930 और 1960 के बीच हुआ। इस जनपद मे सर्वाधिक विकास लाल दरवाजा रोड पर हुआ। इस प्रकार इस युग मे अनेक इमारतो का निर्माण कम बल्कि स्थानान्तरण अधिक हुआ। उदाहरण स्वरूप के आर आर इण्टरकालेज एव क्रिश्चियन इण्टर कालेज की वर्तमान मे जो अवस्थिति है वह पूर्व मे कही और थी।

अपराध भूगोल का साहित्य एव सर्वेक्षण

यद्यपि अपराधो का अध्ययन अपराधशास्त्र का ही मुख्य विषय रहा है और यही कारण है कि अपराध से सम्बन्धित सम्पूर्ण साहित्य अपराधशास्त्र की परिधि मे आ जाता है। भारत मे भी वातावरण एव मानव के व्यवहार को लेकर सत्तर के दशक मे आचारपरक भूगोल का प्रारम्भ किया गया। अपराध भूगोल इसी आचारपरक भूगोल का अग है। जिसकी अवधारणा है कि मानव व्यवहार मानव और उसके वातावरण की दशाओ की अन्तक्रियाओ या प्रभावो का प्रतिफल है। मानव एव वातावरण के प्रभावो के परिपेक्ष्य मे 1748 ई मे माण्टेस्क्यू[26] ने एव 1749 ई मे बफन[27] ने अपराधो का भौगोलिक अध्ययन किया। इन दोनो भूगोल वेत्ताओ का मत था कि वातावरण मानव के व्यवहार के लिये उत्तरदायी होता है और यदि मानव अपराधी प्रवृत्तिया अपनाता है तो उसके पीछे उसके चारो ओर पायी जाने वाली भौगोलिक परिस्थितिया ही जिम्मेदार होती है। अपराध एक सार्वभौमिक स्थिति है। ऐसे कार्य जो समाज विरोधी हो और उन्हे दण्डनीय स्वीकार किया जाये अपराध की श्रेणी के अन्तर्गत आते है। इन आचरणो को नीतिशास्त्र अनैतिक कृत्य मानता है। समाजशास्त्र असमाजिक कृत्य मानता

है। कानून अवैधकृत्य मानता है। धर्मशास्त्र पाप मानता है दर्शनशास्त्र अशुभ मानता है। आदिम समाज मे इन कृत्यो को टार्ट (Tort) के नाम से जाना जाता है। अपराध की शाश्वतता पर विचार करते हुये फैक टेनेनवाम ने लिखा कि अपराध शाश्वत है। ये उसी प्रकार से शाश्वत है जिस प्रकार से समाज। इस तथ्य को स्वीकार करना ही होगा कि अपराध पूरी तरह से कभी समाप्त नही किये जा सकते। मानवीय ऋुटियो क्रोध लोभ मोह आसक्ति ईर्ष्या जिगुप्सा हर व्यक्ति मे पायी जाती है। इन्ही त्रुटियो का विकराल रूप अपराधो के रूप मे समाज के समक्ष आता है।[28] (फैक टेटमवाम/ 1943/पी 5)

अपराध साहित्य मे अपराधो को अलकारिक भाषा मे दपर्ण की उपमा प्रदान की गयी है। अत लेखक का कथन है कि– अपराध वह दपर्ण है जिसमे लोगो का चरित्र प्रतिबिबित होता है। यह एक दुखद वास्तविकता है जिसका हम सामना नही करना चाहते। [29]

अपराध की समस्या पर विश्व एव भारतीय स्तर पर अनेक अध्ययन किये गये जिसके लिखित प्रमाण अपराध साहित्य को व्याख्या मे आज भी सक्रिय है।

- एच एल आदम दि इडियन क्रिमिनल मे भारतीय अपराधियो की प्रमुख प्रवृत्तियो का वर्णन किया गया है। उनके द्वारा किस प्रकार के अपराध अधिक किये जा रहे है। इसका वर्णन सर एच एल आदम ने इसमे किया है।[30]
- एस एम इडवड्र्स द्वारा लिखी क्राइम इन इण्डिया मे अपराधो की परिस्थितियो का जो अपराधिक घटनाओ का प्रोत्साहित करती है का वर्णन मिलता है।[31]
- इण्डियन विलेज क्राइम्स एव क्राइम इन इण्डिया जो कि सर सिसिल वाल्श द्वारा लिखी गयी है मे ग्रामीण परिवेश को वे परिस्थितियाँ जो अपराधो के लिये ग्रामीण जनता का प्रेरित करती है का विश्लेषण किया गया है।[32]

आगस्त सोमरवाइल ने अपराध विषय पर क्राइम ऐण्ड रिलीजन विलीफ इन इण्डिया नामक पुस्तक मे बताया[33] कि अन्ध धार्मिकता जातिउन्माद एव सामप्रदायिकता की भावना मनुष्य को किस प्रकार से अपराध करने के लिये प्रेरित करती है। एच हार्वे की कैमियोज आफ इडियन क्राइम भी अपराध साहित्य की महात्वपूर्ण पुस्तक है। जिसमे अपराध व अपराधी दोनो को पृथक–पृथक रूप से परिभाषित किया गया है।[34] सोशल ऐड इकोनामिक आसपेक्ट ऑफ क्राइम इन इण्डिया मे लेखक हैकरवाल ने असम्मत सामाजिक एव आर्थिक तत्वो का विश्लेषण अपराधो के परिपेक्ष्य मे किया है।[35] इसी अपराध साहित्य क्रम मे विलियम हीली[36] तथा सिरिल वर्ट[37] के अध्ययनो से स्पष्ट होता है अपराधी व्यवहार की विशेषकारणीय व्याख्याये सही नही है। यह अनेक कारको तथा दशाओ का प्रतिफल है। अपराधो के सदर्भ मे भूगोलवेत्ताओ की तुलना मे समाज शास्त्रियो द्वारा विशेष उल्लेखनीय काम किये गये। समस्त पाश्चात्य देशो मे विशेषकर सयुक्त राज्य अमेरिका मे विस्तृत कार्य सम्पादित किये गये। अपराधो का वर्गीकरण प्रकार कारण एव निवारण आदि समस्त पक्षो पर विचार प्रकट किये गये। जैसे–जैसे समाज मे अपराध बढते गये। वैसे–वैसे अपराधो का गभीर चिन्तन मनन प्रारम्भ होता गया। इस प्रकार अपराधशास्त्र एक स्वतन्त्र विषय के रूप मे सामने आया। जिसके विकास मे टाफ्ट मानहीम बोगर टेलर बघेल आदि विद्वानो ने अपना सहयोग प्रदान किया। अपराध शास्त्र की विकास प्रक्रिया मे एक नवीन क्रान्ति का जन्म तब हुआ जब अनेक अपराध शास्त्रियो ने हत्या डकैती चोरी आदि अपराधो पर अपने शोध प्रस्तुत किये एव क्षेत्रीय आधार पर उनका विश्लेषण किया। जिससे इस सम–सामायिक विद्या की ओर विद्वानो का ध्यान आकृष्ट हुआ और उन्होने इसे समाजशास्त्रीय आधार से भौगोलिक आधार प्रदान किया। जिसमे प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता माटेस्क्यू ने अपनी पुस्तक दि स्प्रिट ऑफ लॉफ मे कहा कि भूमध्य रेखा के जितना ही निकट पहुँचेगे उतना ही ज्यादा वहाँ के स्थानो पर अपराध पाया जायेगा। जिन अन्य

विद्वानो ने अपराधो का भौगोलिक सदर्भ मे अध्ययन किया है। उनमे जोजेफ कोहेन[38] इउविन जे डेस्सटर[39] एव जरहार्ड जे फाक है।[40]

अपराधो के सदर्भ मे वार्नफील्ड ने वोस्टन शहर मे अपराधो का अध्ययन किया और स्पष्ट किया कि शहर मे उन क्षेत्रो मे जहाँ निम्न स्तर की सस्कृति मिलती है वहाँ अपराध घटित होते है।[41] इसी के समान विचार **वैलेन्टा न** ने दिये जिसने सामाजिक स्तर को अपराधो का कारण माना है।[42] मैनुअल **फास्टिल** ने सम्पत्ति के असमान वितरण को अपराधो का कारण माना।[43] **न्यूमैन** ने इमारतो की बनावट एव ऊँचाई को अपराधो से समबन्ध स्थापित किया और स्पष्ट किया कि अधिक ऊँची इमारतो एव खुली निर्माण व न दिखाई देनी वाली अवस्थित मे अपराध अधिक होते है।[44] **जैन मिलर** ने दगो का विस्तार से अध्ययन किया और इसके कारण के पीछे हताशा गरीबी एव असुरक्षा की भावना को कारण माना।[45] **डैक्सटरम ोदय** ने अपराधो पर भौगोलिकता के प्रभाव को अधिक स्पष्ट करते हुये लिखा कि– अपराध पर भौगोलिक अवस्थाओ एव मौसम का बडा प्रभाव पडता है। जैसे मारपीट जैसे अपराध पर्वतीय क्षेत्रो मे सबसे अधिक ऊबड–खाबड क्षेत्रो मे उससे कम समतल मैदानो मे सबसे कम होते है। बलात्कार पहाडी इलाको मे और समतल मैदानो मे अधिक होते है। गर्म देशो मे मारपीट और शीत प्रधान देशो मे चोरी डकैती घटनाये अधिक होती है। शीत ऋतु मे सम्पत्ति एव ग्रीष्म ऋतु मे व्यक्ति समबन्धी अपराध अधिक देखे जाते है। अपराधो पर भौगोलिक तथ्यो का अध्ययन करने वाले अन्य विद्वानो मे मिल्स[46] डिफ्लूर[47] हैरीज[48] टेलर[49] आदि है जिन्होने व्यापक अनुसधानो से सिद्ध किया कि अपराध और अपराधियो पर वातावरण के तत्वो का निश्चित रूप से प्रभाव पडता है। इस प्रकार शनै शनै अपराधशास्त्र भूगोल के अध्ययन का विषय होता गया जिसमे विदेशी विद्धानो का सर्वाधिक योगदान है।

अपराध भूगोल पर अपने शोध–पत्र विचार व्याख्यान जरनल्स गोष्ठियो आदि के माध्यम से इसके साहित्य को समृद्ध करने वाले भूगोल

वेत्ताओ मे कोहेन[50] ल्वी[51] फिलिप[52] हैरिज[53] पिचेस्टर[54] पीट[55] हरवर्ट[56] फिलिप्स[57] आदि प्रमुख है। अपराध भूगोल का प्रारम्भ होने के बाद अनेक विद्वानो ने इस समस्या का क्षेत्रीय अध्ययन किया जिनमे कोर्सी[58] हार्वे क्लीनार्ड[59] हाउन्स[60] हैसिल एण्ड ट्रेथान[61] हेनर[62] सैन्सपरी[63] स्काट[64] का योगदान सराहनीय है।

विश्व के अन्य देशो मे अपराध को भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा गया उस पर पडने वाले सास्कृतिक प्रभाव पर्यावरण प्रभाव आदि का विश्लेषण भौगोलिक दृष्टिकोण द्वारा किया गया। किन्तु भारत मे इस अपराधशास्त्र को भौगोलिकता के क्षेत्र मे लाने मे पूर्ण उपेक्षा की गयी बाद मे अनेक तर्क–वितर्क एव विरोधो के बाद अपराध को भूगोल–विषय के अन्तर्गत लाया गया है और अपराधो का अध्ययन भौगोलिक परिपेक्ष्य मे प्रारम्भ किया गया। जिसमे मि सेघना[65] पेरीन सी केरावाला[66] एव मि वीनू गोपालराव[67] है।

ऑकड़ो का सकलन

प्रस्तुत शोध–प्रबन्ध के आकडो के सकलन मे प्रायमिक एव द्वितीयक दोनो ही स्रोतो का उपयोग किया गया है। प्राथमिक स्रोतो के अन्तर्गत शोधकर्त्ता ने क्षेत्रीय कार्य एव क्षेत्रीय सर्वेक्षण का सहारा लिया है। जनपद के विभिन्न स्थानो पर जाकर जनपद के भौतिक स्वरूप का भलीभॉति निरीक्षण किया है। थानावार एव प्रतिदर्शी गावो के अपराधो के ऑकडो तथ्यो एव सूचनाओ हेतु प्रश्नावली तैयार कर आकडे एकत्र किये है। जनपद के अपराधो के गहन विश्लेषण हेतु क्षेत्रीय अधिकारी थाना अधीक्षक चौकी इचार्ज जेल अधीक्षक नेता जनपद न्यायाधीष विधायक जनगणना अधिकारी सरव्याधिकारी एव शहर के अन्य प्रसिद्ध वर्ग तथा ग्रामीण क्षेत्रो के ग्राम प्रधानो का साक्षात्कार लिया गया है। जिससे नये–नये तथ्य उदघाटित हुये है। जिससे शोध प्रबन्ध के अध्ययन मे

सहायता मिली है। जनपद कारागार के विभिन्न स्तर के कैदियो से भी साक्षात्कार कर उनकी जाति धर्म एव शिक्षा व्यवसाय स्वभाव मे आकडे एकत्रित किये गये है। और उन आकडो की सहायता से अपराधो का क्षेत्रीय विश्लेषण किया गया है।

द्वितीयक स्रोत

इसमे जनपद के प्रकाशित एव अप्रकाशित सरकारी एव व्यक्तिगत स्रोतो की सहायता ली गयी है। इन स्रोतो मे जनपद का गजेटियर विभिन्न दशको की जिला जनगणना पत्रिकाये जनपद की साख्यिकीय पत्रिकाये आर्थिक योजना अग्रणी बैक वार्षिक प्रतिवेदन जनपद की उद्योग निर्देशिका पुलिस विभाग की पत्रिकाये पुलिस अधीक्षक कार्यलय से उपलब्ध अपराधो का थानावार ऑकडे आदि। इसके अतरिक्त अन्य कार्यालयो जैसे शिक्षा स्वास्थ्य जलापूर्ति विद्युत विभाग नगरपालिका नगर–निगम आदि विभागो से सूचनाये एकत्रित की गयी है। अपराध साहिता के अध्ययन हेतु देश के विभिन्न विश्वविद्यालयो के पुस्तकालयो एव अन्य पुस्तकालयो से भी पढनीय सामग्री एकत्र की गयी है। आकडो के सकलन हेतु स्थलाकृतिमानचित्रो का भी आध्ययन किया गया है।

ऑकडो का विश्लेषण

प्रस्तुत अध्ययन मे एकत्रित किये गये आकडो के विश्लेषण हेतु अपनायी गयी विधियो को मुख्यत दो वर्गो मे विभाजित किया जा सकता है।

1 साख्यिकीय विधि।

2 मानचित्रीय विधि।

सारिख्यकी॰ विधि

इस विधि मे आकडो का मापन स्तर ज्ञात करके उनसे समबन्धित सख्यिकी विधियो जैसे माध्य प्रामाणिक विचलन स्कोर विधि सह सम्बन्ध गुणाक काई वर्ग परीक्षण स्टूडेन्ट टी टेस्ट कम्पोजिट स्कोर विधि एव समाश्रेयण रेखाओ का विश्लेषण आदि एव अन्य साख्यिकीय विधियो का उपयोग किया गया है। मानचित्रीय विधि इसमे मे आकडो का परिष्करण एव सामान्यीकरण करके उनका वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है। और पुन विभिन्न मानचित्रीय। विधि जैसे– समानुपातिक वृत्त कोरोप्लेथ आइसोप्लेथ बिन्दुविधि एव बहुलघटक बाले आकडो के लिये विभाजित वृत्तो एव कम्पोजिट स्कोर के आधार पर मानचित्र तैयार किया गया है।

अध्ययनविधि

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध मे दोनो अध्ययन विधियो – आगमनात्मक एव निगमनात्मक का उपयोग किया गया है। आगमनात्मक विधि मे अव्यवस्थित ऑकडो को परिभाषित वर्गीकृत एव मापन निर्धारण कर व्यवस्थित तथ्यो को सामान्यकृत कर नियमो एव सिद्धान्तो को निर्धारित कर अपराधो के समबन्ध मे निष्कर्ष निकाले गये है वही पर निगमनात्मक विधि का प्रयोग करते हुये कुछ सकल्पनाओ का निर्धारण किया गया है। सकल्पनाओ की पुष्टि हेतु ऑकडो का एकत्रीकरण वर्गीकरण एव मापन निर्धारण कर ऑकडो से विभिन्न साख्यिकीय परीक्षणो का प्रयोग कर नियमो व सिद्धान्तो को पुष्टि कर अपराधो को व्याख्यायित करने का प्रयास किया गया है। इस प्रकार दोनो विधियो का प्रयोग होने से शोध प्रबन्ध अत्यधिक सारगर्भित है।

सकल्पनाये

फर्रुखाबाद जनपद की अवस्थिति तराई क्षेत्र एव महानगरो (आगरा एव कानपुर) के मध्य होने के कारण अपराध अधिक मिलते है। क्योकि यहॉ पर शहरी एव तराई क्षेत्रो से भाग कर अपराधी शरण लेते है। और यहॉ पर भी अपराध करते है। यहॉ के धरातलीय सरचना का प्रभाव भी अपराध पर पडा है। क्योकि यहॉ पर कटरी क्षेत्र जो ऊबड–खाबड व अत्यधिक विषम है। अपराधियो की शरणस्थली बने हुये है। क्योकि ऊबड–खाबड धरातल होने से ये अविकसित क्षेत्र है। यहॉ यातायात भी अविकासित है। अत प्रशासन की पहुँच कम होने से यहॉ अपराधिक प्रवृत्ति सदैव से पनपती रही है। जनपद फर्रुखाबाद के उत्तर मे तराई क्षेत्र है जहॉ सदैव से अपराधो का वर्चस्व रहा है। अत तराई से समीपता के कारण इन ठडे प्रदेशो की अपराधिक प्रवृत्तियो का भी यहॉ के अपराधो पर स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। फर्रुखाबाद जनपद के जल मे अनेक ऐसे रसायन प्राप्त हुये है जो मानव की मानसिक स्थिति को अशान्त एव उत्तेजना प्रदान करते है अत यहॉ छोटी सी घटना भी अपराध को जन्म दे सकने मे सक्षम है क्योकि मनुष्य का उत्तेजित व्यवहार शीघ्र ही प्रकट हो जाता है। जनपद फर्रुखाबाद मे कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। कृषि क्षेत्रो पर पुराने जमीदारो का वर्चस्व है किन्तु ये शिक्षित हो जाने के कारण कृषि व्यवसाय को अपनाना नही चाहते और अन्य रोजगार भी प्राप्त न होने से बेरोजगार है दूसरे इनके क्षेत्रो पर श्रमिक मजदूर काम करते है उनसे खाद्यान्न अथवा नगद रुपया अधिक लिया जाता है और प्रतिवर्ष उन्हे बदल भी दिया जाता है अत वे भी बेरोजगार है। इस प्रकार इस बेरोजगारी के कारण यहॉ अपराधो की वृद्धि हुयी है। अशिक्षित क्षेत्रो मे अपराधो की अधिकता पायी जाती है। फर्रुखाबाद जनपद मे भी शिक्षा का सूचकाक उच्च स्तर का नही है अत अशिक्षा का प्रभाव अपराधो पर पडा है। जनपद मे तम्बाकू का उत्पादन के कारण इस क्षेत्र के अधिकाश व्यक्ति तम्बाकू का अनेक रूपो मे सेवन करते है। जिससे निकोटीन का उच्च स्तर प्राप्त कर नशाखोरी जैसे सामाजिक

अपराध होते रहते है। जनपद के कायमगज क्षेत्र मे पठान जाति अत्यन्त समृद्ध है जो फलो एव कृषि कार्य के व्यवसाय मे लगी है। इनकी समृद्ध के कारण इस क्षेत्र मे उनकी दबगई है। इस समृद्धि के कारण भी अपराधो ने वृद्धि हुयी है। इस प्रकार जनपद मे निर्धनता एव समृद्धि दोनो ने ही अपराधो की वृद्धि मे योगदान किया है। जनपद की जातीय सरचना का प्रभाव भी अपराधो पर पडा है। नट जोगिया एव अहीर जातियो मे अपराधो की अधिकता पायी जाती है।

उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य मानव कल्याण है फर्रुखाबाद जनपद मे अपराधो का स्थानिक विश्लेषण कर उसके समाधान हेतु आयोजन प्रस्तुत करना प्रस्तुत शोध प्रबन्ध का मूल उद्देश्य है। भूगोल मे कल्याणपरक उपागम के अन्तर्गत मनुष्य का अधिकाधिक कल्याण करना ही उद्देश्य बनता है। इसकारण हमने फर्रुखाबाद जनपद के अपराधो के कारण एव उसके नियन्त्रण के सुभाव प्रस्तुत किये है ताकि फर्रुखाबाद जनपद के लोग तनावमुक्त होकर शन्तिपूर्ण जीवन व्यतीत कर सके। एव जीवन मे अत्यधिक आनन्द प्राप्त करे। प्रस्तुत शोध प्रबन्ध मे मानव कल्याण के लिये जनपद फर्रुखाबाद के अपराधो का भौगोलिक विश्लेषण प्रस्तुत कर उसके नियन्त्रण हेतु सुझाव प्रस्तुत करने के साथ–साथ ही अन्य उद्देश्य भी सम्मिलित है जो निम्नवत है।

1. फर्रुखाबाद जनपद मे अपराध एव अपराध भूगोल की सकल्पना प्रस्तुत करना एव अपराध का भौगोलिक पर्यावरण के साथ अर्न्तसम्बन्ध स्पष्ट करना।
2. फर्रुखाबाद जनपद के भौगोलिक (भौतिक एव सास्कृतिक) स्वरूप को स्पष्ट करना एव उसका अपराध के साथ अर्न्तसम्बन्ध स्पष्ट करना।

3 फर्रुखाबाद जनपद अपने मण्डल का एक विशिष्ट जनपद है जहाँ अपराधो की सख्या एव स्वरूप तुलनात्मक दृष्टि से मण्डल के अन्य जनपदो से भिन्न है। अन्त इस जनपद के अपराधो का वर्गीकरण एव उनका क्षेत्रीय वितरण प्रस्तुत करना है।

4 अपराधो के सामाजिक वर्ग एव अर्थिक वर्ग दोनो वर्गो का अध्ययन किया गया है। सामाजिक अपराधो मे हत्या बलात्कार गुण्डागर्दी दगा बलवा एव आर्थिक अपराधो मे चोरी डकैती लूट अपहरण एव सम्पत्ति कब्जा जैसे– अपराधो का क्षेत्रीय वितरण प्रस्तुत करना उद्देश्य है।

5 भिन्न–भिन्न अपराधो के लिये भिन्न–भिन्न कारण उत्तरदायी होते है। भौगोलिक कारको एव अपराधो के मध्य कार्य–कारण सम्बन्ध की व्याख्या करना भी प्रस्तुत शोध प्रबन्ध का उद्देश्य है।

6 अपराधो के फलस्वरूप क्षेत्रीय लोगो के सामाजिक आर्थिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पडता है। अत इस जनपद के विभिन्न समुदाय के सामाजिक आर्थिक जीवन पर अपराधो के कुप्रभावो का विश्लेषण करना भी प्रस्तुत शोध प्रबन्ध का एक उद्देश्य है।

7 इस शोध प्रबन्ध का एक महात्वपूर्ण उद्देश्य फर्रुखाबाद जनपद के लिये एक ऐसा नियोजन प्रस्तुत करना है। जिससे अपराधो को रोका जा सके।

सन्दर्भ

1 हैकर बॉल – अपराध शास्त्र एव दण्डशास्त्र प्रकाश बुक डिपो बरेली 1996 पृ 20

2 थॉमस डब्ल्यू आई – दि पोलिस इन यूरोप एण्ड अमेरिका नौक न्यूयार्क 1927

3 गोरोफेलो आर – क्रिमिनोलॉजी लिटिल ब्राउन बोस्टन 1914 पृ 59

4 माउवरे इर्नेस्ट आर – अमेरिकन सोसियोलॉजिकल रिविवि अगस्त 1954 पृ 468 (एव दिस आर्गेनाइजेशन पर्सनल एण्ड सोशल लिपिकाट कम्प फिटनार्डौल 1942

5 फ्लोरियन जिनानिकी – दि सोसल क्रान्ध 1967 वी 12 पृ 6

6 रमेश दत्त दीक्षित – भौगोलिक चिन्तन का विकास प्रेन्टिस–हाल ऑफ इण्डिया प्रा लि नयी दिल्ली 2000 पृ 3

7 जुलियन बोलपर्ट – दि उसीजन पार्सेज इन ए स्पेशियल कन्टेन 1964 पृ 337–358

8 रमेश दत्त दीक्षित – वही पृ 6

9 रमेश दत्त – प्रेन्टिग हाल ऑफ इण्डिया प्रा लि नयी दिल्ली 2000 एक नयी अध्ययन पद्धति

10 वही पृ 155

11 प्रश्न कुमार – अप्रकाशित शोध प्रबन्ध रूहेलखण्ड वि वि बरेली 2000 पृ 10

12 वही

13 वही

14 के एम क्रेसी एण्ड माटेस्क्यू – पासीपिलिस्ट ऑफ पालिटिकल ज्योगाफर्स एशोसियेशन एण्ड अमेरिकन ज्योजग्राफर्स 58 पृ 357–574

15 प्रश्न कुमार – वही 13 पृष्ठ 158

16 रमेश दत्त दीक्षित – वही 6 पृ 253

17 डॉ राधेश्याम मिश्र – अप्रकाशित शोध प्रबध 1985 पृ 6

18 सीरूथसोन्ले – निमिनोलॉजी वी–2 थीमस क्रोवेल क न्यूयार्क 1955

19 अरनेस्ट आर मावरर – पूर्वोलिखित पृ 24

20 रोलैण्ड एल वैरेन – पूर्वोलिखित पृ 84

21 लियोनाई एस काट्रेल – दि एडजेस्टमेट ऑफ दि इनडिवीजुअल टु हिज ऐज एण्ड सेम्सरोल्स अमेरिका सोशियोलॉजिकल रिव्यू, पृ 618 अक्टूबर 1942

22 राम आहूजा – पृ 59 1999

23 एफ विलिय आगवर्न – सोशल चेज न्यूयार्क 1922 पृ 199–280

24 इ दुर्खीम – स्यूसाइड अनु जे ए स्पैम्डिग एव जार्ज सिम्पसन दि फ्री प्रेस ग्लेकोइलीनायस 1951 पृ 111

25 काली राय – फतेहगढ नाथ 1843 पृ 121

26 मान्टेस्क्यू – दि स्प्रिट ऑफ लॉज 1748

27 बफन – नैचुरल हिस्ट्री ऑफ मैन 1749

28 फैक टेटमवाम – टु न्यू होराइजेस इन क्रिमिलोलॉजी (इगिल वुड क्लिफ) न्यूजर्सी 1943 पृ 5

29 रमले क्लार्क – क्राइम इन अमेरिका न्यूयार्क 1970 पृ 3

30 एच एल आदम – दि इडियन क्रिमिनल लदन 1909

31 एस एम इडवडर्स – क्राइम इन इण्डिया लदन 1924

32 सर सिसिल बल्स – वही 1929

33 आगस्त सोमरवाइल – क्राइम एण्ड रिलीजिस विलीफ इन इण्डिया कलकत्ता 1931

34 एच हार्वे – केमियोज ऑफ इण्डिया क्राइम 1939

35 वी एस हैकरवॉल – सोशल एण्ड इकोनॉमिक आसपेक्टस ऑफ क्राइम इन इण्डिया लदन 1934

36 विलियम हीली – दि इनडिवीजुअल डेलिक्वेट बोस्टन 1915

37 शिरिल वर्ट – दि यग डेलिक्वेट न्यूयार्क 1925

38 जोसेफ कोहेन – दि ज्योग्राफी आफ क्राइम इन दि अनाल्स ऑफ दि अकेडेमी ऑफ पोलिटिकल एण्ड सोशल साइस सितम्बर 1941

39 इडविन जी डेक्सटर – वेदर इफ्ल्यूसेज न्यूयार्क 1904

40 जरहार्ड जे फाक – वेदर इफ्ल्यूसेज ऑफ सीजन आन क्राइम रेट दि जरनल ऑफ क्रिमिनल लॉ क्रिमिनालॉजी एण्ड पुलिस साइस जु अ 1952

41 वार्नफील्ड एडवर्ड – दि अनविनिली सिटी रीविजिटेड वोस्टन लिटिल ब्राउन 1974

42 वेलेन्टाइन वेटीलाऊ – हसलिग एण्ड अदर हार्ट वर्क न्यूयार्क फ्री प्रेस 1977

43 फास्टिल्स मैनुअल – दि अरबन कुवस्चन कैम्ब्रिज मास एमाइटी प्रेस 1977

44 न्यूमैन आस्कर – डिफेन्सबुल स्पेस न्ययार्क मैकलियन 1972

45 मिलर जैन एल – दि ब्लैक एक्सपरियेन्स इन द मार्डन अमेरिकन सिटी इन एफ ए मोल एण्ड जे एफ रिचर्डसन

(सटीटेड) द अरबन एम्सपिरेयेन्स वैलयोन्ट

46 सी ए मिल्स – क्लाइमेट मेक्स द मैन न्यूयार्क 1942

47 एल बी डी फ्लूर – फोलोजीकल वेरियेवल्स इन द क्रॉस कल्चर स्टडी ऑफ डेलन्क्यूरेसी सोशल फॉर केश 1967 45 556–70

48 के डी हैरीज – क्राइम एण्ड द इनवायरमेन्ट चार्लेस सी थॉमस स्प्रीगफील्ड 1980

49 टेलर – द मेकिग ऑफ इनवायरमेन्ट अध्याय–2 पृ 54–63 इन सी वार्ड (ऑडिट) लदन 1973

50 मिकोहेन – द ज्योग्राफी ऑफ क्राइम एण्ड सोशल साइस 1941

51 वाई ली एण्ड एफ जे ईगन – द ज्योग्राफी अरबन क्राइम एशोसिएशन ऑफ अमेरिकन ज्योग्राफर्स 4 1972 पृ 86–91

52 पी डी फिलिप – ए पेरोलॉजी टु द जोग्राफी ऑफ क्राइम ऐशोएिकशन ऑफ अमेरिकन ज्योग्राफर्स 4 1972

53 के डी हैरिस – द ज्योग्राफी ऑफ क्राइम एण्ड जास्टिस मी ग्रो हील न्यूयार्क 1974

54 एस डब्ल्यू विचेस्टर – टु सजेशन्स फार डेवेलेपिग द ज्योग्राफिकल स्टडी ऑफ क्राइम एरिया 1978 10 116–20

55 आर पीट – द ज्योग्राफी ऑफ क्राइम ए पॉलिटीकल क्राइम 1975 27 277–80

56 डी टी हरवर्ट – अरबन क्राइम ए ज्योग्राफीकल प्रॉस्पेक्टीव अध्याय इन हरबर्ट एण्ड स्मीथ, पृ 117–38 1979

57 पी डी फिलिप्स — ए प्रोलूग्य टु द ज्योग्राफी ऑफ क्राइम प्रोसिडिग ऑफ द ऐशोसिएशन ऑफ अमेरिकन ज्योग्राफर्स 1972 4 59—69

58 टी डब्ल्यू क्रोसी एण्ड हार्वे — द सोशिओ—इकोनॉमिक डेटरमिनेटस ऑफ क्राइम इन द सिटी ऑफ कैल्विलैण्ड सोशाइडर ज्योग्राफिक 66 323—36

59 एम बी क्लानाई — क्लाइस वीदआउट क्राइम द केश स्वीटजरलैण्ड कैम्ब्रीज विश्वविद्यालय प्रेस 1978

60 डी एम डाउन्स — द डेलीक्यून्ट सोल्युसन रोटलिस्ट एण्ड किगेन्स पॉल लदन 1966

61 सी हैलिस एण्ड डब्ल्यू एच टैथान — सुसाइड इन बरमिघम ब्रिटिश मेडिकल जर्नल 1 1972 717—18

62 एन एस हेनर — क्रिमनोलिक जोन्स इन मैक्सिको सिटी अमेरिकन सोशोलॉजिकल रिव्यू, 1946 वा 11 428—38

63 पी सैन्सवरी — सुसाइड इन लदन एन इकालॉजिकल स्टडी लदन 1955

64 पी स्काट — डेलीक्यून्ट सिटी माबीलिटी एण्ड ब्रोपेन होम्स इन हरब्रर्ट ओस्टेरेन्ट जर्नल ऑफ सोशीएल इस्यू, 1965 2 10—22

65 एम जे सेथना — सोसायिटी एण्ड क्रिमिनल बम्बई 1952

66 पेरीन सी करोवाला — ए स्टडी न इण्डियन क्राइम बम्बई 1959

67 बीनू गोपाल राव — फेसेट्स ऑफ क्राइम इन इण्डिया दिल्ली 1961

अध्याय—2

क्षेत्रीय आयाम

क्षेत्रीय आयाम

किसी क्षेत्र के भौगोलिक अध्ययन मे भौतिक पक्षो का सम्यक् ज्ञान विशेष आवश्यक है। प्रस्तुत अध्याय मे जनपद फर्रुखाबाद की स्थिति से विस्तार सरचना उच्चावच अपवाह प्राकृतिक भाग जलवायु मिटटी आदि के भौगोलिक पृष्ठभूमि की सक्षेप मे विवेचना की गयी है। मानव जीवन का प्रत्येक पक्ष भौगोलिक पक्षो से बिना प्रभावित हुये नही रह सकता अत इस अध्याय के माध्यम से जनपद के अपराधो का विश्लेषण करने मे पर्याप्त सहायता प्राप्त होगी।

स्थिति तथा विस्तार

जनपद फर्रुखाबाद उ प्र राज्य के अन्तर्गत गगा—यमुना दोआब के मध्य अपराधी जनपदो मे से एक है। इसका अक्षाशीय विस्तार 26^0—46 उ से 27^0—44 उ तक तथा देशान्तरीय विस्तार 79^0—07 पू से 80^0—0 पू तक है।[1] उत्तर पश्चिम से दक्षिण 120 किमी की अधिकतम लम्बाई एव पूर्व से पश्चिम तक 70 किमी की अधिकतम चौडाई मे विस्तृत इस जनपद का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 2288 3 वर्ग किमी है।[2]

जनपद फर्रुखाबाद के उत्तर मे बदायूँ, शाहजहॉपुर पूर्व मे हरदोई पश्चिम मे एटा तथा मैनपुरी दक्षिण मे कन्नौज इसकी सीमा निर्धारित करते है। जनपद मे गगा नदियॉ अपने प्रवाह मार्ग द्वारा उत्तर पश्चिम की प्राकृतिक सीमा निर्धारित करती है।

प्रस्तुत जनपद प्रशासकीय दृष्टि से तीन तहसीलो — 1 कायमगज 2 फर्रुखाबाद 3 अमृतपुर एव सात विकासखण्डो — 1 कायमगज

N
RELIEF & PHYSICAL UNITS
147
120
149
123
118
140
1C
1B
115
(1)
1A
113
162
167
161
111
168
108
140
164
110
112
160
112
108
105
106
107
(1) KHADAR LOW LAND
(1A) GANGA KATRI
(1B) RAM GANGA KATRI
(1C) TARAI
10
0
10
km
N
DISTRICT FARRUKHABAD
RELIEF REGIONS
160 & Above
153 - 160
146 - 152
118 - 145
117 & Below
10
0
10
km

2 शम्शाबाद 3 राजेपुर 4 नवाबगज 5 मोहम्मदाबाद 6 कमालगज 7 बढपुर मे विभक्त है। जनपद मे 87 न्याय पचायत 511 ग्राम सभाये 2 नगरपालिकाये – कायमगज फर्रुखाबाद कम फतेहगढ है।[3]

2001 की जनगणना के अनुसार जनपद फर्रुखाबाद की कुल जनसख्या के अनुसार जनपद फर्रुखाबाद की कुल जनसख्या 1577237 है। जिसमे 848088 पुरुष एव 729149 महिलाये है। दशकीय परिवर्तन 292818 एव दशकीय वृद्धि 18 56 प्रतिशत है। जनपद मे जनसख्या घनत्व 689 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी है।[4] जनपद फर्रुखाबाद मे उ प क्षेत्र की ओर 1 छवनी क्षेत्र है। कृषि दृष्टिकोण से जनपद मे कुल शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 153178 है एव कुल प्रतिवेदित भूमि 218979 है। सिचाई के साधनो मे सर्वाधिक निजी नलकूपो का उपयोग 89 4 प्रतिशत हुआ है। वर्षा सामान्य 810 मि मी एव वास्तविक वर्षा 796 मि मी है।[5]

सरचना

जनपद फर्रुखाबाद का निर्माण अभिनूतन एव अभिनव युग मे नदियो द्वारा लाये गये निक्षेप से हुआ है। इस मैदान की उत्पत्ति के समय सब कारक मे कोई निश्चित मत नही मिलता। स्वेस इसे हिमालय की नदियो के निक्षेप का प्रतिफल मानता है।[6] तो सर बर्नाड इसे गहरे बिभ्रश का कारण मानता है[7] इस प्रकार जनपद फर्रुखाबाद पूर्णत मैदानी समतल भाग है। जो गगा युमना के दोआब मे स्थित है। इसकी तलीय सरचना भी समतल नही है। इस मैदान की मोटाई के सम्बन्ध मे भिन्न–भिन्न विचार मिलते है। इस मैदान के उत्तर भाग के अवसाद की मोटाई 4000 से 6000 मीटर परिक्षलित की गयी[8] जबकि 1000 से 2000 मीटर के मध्य आवसाद की मोटाई भू–कम्पीय लहरो के परीक्षणो के आधार पर नापी गयी है। जनपद की धरातलीय सरचना नूतन एव पुरातन जलोढो के माध्यम से हुयी है किन्तु इन दोनो के मध्य कोई स्पष्ट विभाक रेखा खीचना कठिन है।

उच्चावचन

फर्रूखाबाद जनपद की भूमि का सामान्य—ढाल उत्तर—पश्चिमी से दक्षिण—पूर्व की ओर है। इस क्षेत्र की ढाल प्रवणता के सम्बन्ध मे अनेक परिवर्तन दिखाई देते है (उत्तर मे बहबलपुर से अमृतपुर मध्य मे नीम करोरी से घटियाघाट एव दक्षिण मे विशुनगढ से कुसुम सौर स्थानो मे हुये परिवर्तन से स्पष्ट है कि फर्रूखाबाद जनपद की औसत ढाल—प्रवणता 69 सेमी प्रति किमी है। ऊपरी गगा के मैदान का वह भाग जो फर्रूखाबाद जनपद के अन्तर्गत आता है। उसकी औसत—ढाल—प्रवणता 24 सेमी प्रति किमी है। जो औसत ढाल प्रवणता का लगभग तीन गुना है। फर्रूखाबाद जनपद मे गगा के दाहिने किनारे का क्षेत्र उच्च भूमि का क्षेत्र है। इस क्षेत्र को यहॉ की स्थानीय भाषा मे पहाडा कहते है। इस क्षेत्र का जल—तल भी नीचा है जो मानचित्र द्वारा स्पष्ट है। फर्रुखाबाद जनपद का मध्यवर्ती पश्चिमी भाग इस जिले का सर्वाधिक ऊॅचा भाग है। इसमे नीव करोरी 168 मी व मोहम्मदाबाद 167 मी ऊॅचाई का क्षेत्र है। इस जनपद का दक्षिण—पूर्व भाग निम्नतम ऊॅचाई का क्षेत्र है जिसके अन्तर्गत घटियाघाट 137 मीटर एव कुसुमऐ 133 मीटर ऊॅचे स्थान है। इस जनपद का समस्त क्षेत्र सामान्यतया एक समतल मैदान है। किन्तु गगा—रामगगा काली व ईसन नदी का बागर की उच्च भूमि का क्षेत्र विविधता लिये हुये है यह विविधता इसकी मूढ रेतीले टीले एव गर्तो के रूप मे है। इसका प्रमुख कारण भू—क्षरण है। इस क्षेत्र की विकृतियो के कारण यहॉ का परिवहन एव कृषि क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित हुये है। वही दूसरी ओर ये क्षेत्र अपराधियो के छिपने के अस्थायी स्थान बन गये है।

1 यह जनपद के 117 मीटर से नीचे का क्षेत्र है। जहॉ से काली गगा नदी कन्नौज जनपद मे प्रवेश करती है। यह जनपद के दक्षिण से द पूर्वी क्षेत्र मे विस्तृत है। फर्रुखाबाद जनपद को उच्चावचन के आधार पर पॉच विभागो मे बॉटा जा सकता है

जिसे चित्र सख्या 2 1 मे प्रदर्शित किया गया है।

2 145 मीटर से कम ऊँचाई वाले क्षेत्र ये क्षेत्र गगा व राम गगा के मध्य व निकट के क्षेत्र है। जो उत्तर–पश्चिमी से दक्षिण–पूर्व तक गगा घाटी के सहारे–सहारे विकसित है। यही जनपद की खादर–भूमि भी है। इसे दो उपविभागो मे बाटा जा सकता है।

1 कटरी 2 तराई भाग

2—1 कटरी

इस क्षेत्र मे कटरी क्षेत्र स्थानी नाम है इस क्षेत्र मे परिवहन विकास नगण्य है अत मानव आवागमन कम हो पाता है। इस कारण यह पिछडा हुआ क्षेत्र है इसकी स्थित फर्रुखाबाद जनपद मे गगा के दाये किनारे की ओर है। यह एक वीरान क्षेत्र है। किन्तु यहॉ घनी झाडियो कटीली वनस्पतियो एव गडडेदार जमीन की प्रचुरता है। इस प्रकार अपनी इन्ही भौगोलिक विशेषताओ के कारण यह क्षेत्र अपराधियो की शरण स्थली बना हुआ है। यह क्षेत्र अत्यन्त दुर्गम क्षेत्र है जो गगा के तराई क्षेत्र से जुडा हुआ है। इस क्षेत्र ने प्रारम्भ से स्थानीय अपराधिक तत्वो को प्रभावित किया है।

2—2. तराई

यह क्षेत्र अपनी आर्द्रता हेतु प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र मे भूमि उपजाऊ है यह नदियो का निम्न क्षेत्र है जो गगा रामगगा नदियो मे मध्य स्थित है। इस क्षेत्र से अनेक अपराधिक तत्व इसकी भौगोलिक विशेषता के कारण जुडे हुये है। इस क्षेत्र से अनेक जनपदो का मार्ग जुडा होने के कारण अपराधियो को भागकर अपने को बचाने मे सुविधा रहती है। यह क्षेत्र राष्ट्रीय एव अन्तर्राष्ट्रीय अपराधिक तत्वो को आकर्षित करता रहा है। यह

DISTRICT FARRUKHABAD
DRAINAGE
N
Nadi
Ganga River
Ram
Ganga
Kali Nadi
10
0
10
km

क्षेत्र गगा के दाये एव कटरी के पूर्व उत्तर से दक्षिण पट्टी के रूप मे 136 से 145 मीटर ऊँचाई के मध्य स्थित है।

3 146 से 152 मीटर की ऊँचाई का क्षेत्र यह क्षेत्र कायमगज तहसील के दक्षिण–पश्चिम स्थित है।

4 153 से 160 मीटर की ऊँचाई तक का क्षेत्र इसका विस्तार 160 मीटर से अधिक ऊँचाई के क्षेत्र के समीप है जो उसके उत्तर दिशा मे स्थित यह भूमि उपजाऊ है।

5 160 मीटर से अधिक ऊँचाई के क्षेत्र यह मध्य पश्चिम मे स्थित है। जो मैनपुरी जनपद की सीमा से लगा है। फर्रुखाबाद जनपद का लगभग 10 प्रतिशत भाग इसी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है।

अपवाह

फर्रुखाबाद जनपद गगा–प्रवाहतत्र के अन्तर्गत आता है। इस क्षेत्र मे गगा की मुख्य सहायक नदी काली–नदी इसी जनपद मे कन्नौज के पास गगा नदी से मिल जाती है। गगा नदी की दूसरी मुख्य सहायक नदी राम गगा गगा का सामान्तर अनुसरण करती है। और इस जिले को पार करने के बाद गगा मे मिलती है। इन नदी क्षेत्रो मे ढाल–प्रवणता सामान्य है अत नदिया धीरे–धीरे चलकर धनुषाकार–मोढ बनाती हुयी बहती है।

गगा व रामगगा नदी की धाराये ढाल–क्षेत्रो मे कई विभागो मे वितरित होकर बहने लगती है। इनके मध्य अस्थायी रेत के टीले व द्वीपाकार आकृतिया बनती रहती है। जो अस्थायी मानव–बसाव के कारण बने है। गगा और रामगगा का उद्गम हिमालय से होने के कारण इनमे वर्ष पर्यन्त जल–प्रवाहित होता है।

इस क्षेत्र की अन्य पॉच नदियॉ – काली अरिन्द ईसन बूढी गगा पाण्डु नदी बागर क्षेत्र मे स्थित जलाशयो से निकलती है। अत ये ग्रीमष्म

काल मे जल विहीन हो जाती है। इन नदियो की सम्पूर्ण प्रवाह व्यवस्था पदपाकार प्रणाली का लघु–रूप है। (जल प्रवाह का वितरण प्रतिरूप चित्र मे प्रदर्शित किया गया है।

फर्रुखाबाद जनपद की अपवाह प्रणाली की प्रमुख नदियो का विवरण निम्नलिखित है –

गगा – यह नदी एटा जनपद से होती हुयी उत्तर–पश्चिम मे बहती है जो उत्तर व उत्तर–पूर्व सीमा का निर्धारण करती है। जनपद मे इसके प्रवाह मार्ग की कुल लम्बाई 100 किमी० है। गगा का दाया किनारा अपेक्षाकृत खडे–ढाल वाला है। तथा बाया किनारा सपाट मैदान रूप मे है। अत बाढ के समय भूक्षरण से प्रभावित रहता है। अत पिछडापन व आर्थिक विपन्नता से युक्त है परिणामत अपराधिक प्रवृत्तियो का जन्म व शरणदाता क्षेत्र बना हुआ है।

रामगगा यह नदी शाहजहॉपुर जनपद से होकर फर्रुखाबाद मे प्रवेश करती है। फर्रुखाबाद जनपद मे इस नदी के प्रवाह मार्ग की लम्बाई कुल 33 किमी० है। किन्तु यह बाढ ग्रस्त रहने से अपने आस–पास के क्षेत्रो मे धन–जन की क्षति करती रहती है। गगा नदी के समीपवर्ती क्षेत्रो के समान यह नदी भी अपराधिक तत्वो को बढावा देती है।

यह नदी तीन अपराधिक जनपदो की सीमा निर्धारित करती है। अत ये क्षेत्र अपराधो की शरण–स्थली बने हुये है।

काली नदी यह गगा–यमुना के ऊपरी दोआब क्षेत्र से निकल कर मैनपुरी जनपद से होती हुयी फर्रुखाबाद जनपद मे प्रवेश करती है। यह वि[illegible] मोड बनाती है। यह कन्नौज जिले मे गगा नदी से मिल जाती है। इस नदी मे जल वर्ष पर्यन्त बना रहता है।

ईसन नदी जनपद के उत्तर पूर्व भाग मे शहजहॉपुर जनपद की सीमा बनाती हुई यह नदी प्रवाहित होती है। इसमे दोनो जनपदो के

अपराधी तत्वो का मिलना–जुलना लगा रहता है क्योकि यह क्षेत्र कटरी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। जो अपनी विषम धरातलीय सरचना हेतु प्रसिद्ध है।

चम्बल घाटी के समान इस नदी की घाटी मे भी राज्य स्तर के दस्यु–गिरोहो की स्थिति बनी रहती है। इस जनपद की अन्य नदियो मे बूढी गगा अरिन्द व पाण्डु नदी भी प्रवाहित होती थी किन्तु फर्रुखाबाद से कन्नौज पृथक जनपद बन जाने के कारण इन नदियो का अधिकाश प्रवाह क्षेत्र दूसरे जनपद मे चला गया है। फर्रुखाबाद जनपद मे अपवाह क्षेत्रो मे नदियो के अतिरिक्त अनेक ताल झील नाला आदि का भी स्थान है। इनमे मुख्य है। बहोसी झील सकरावा झील पुठिला झील (अमृतपुर निकट) नालाबघार सम्बाद झील (सकलपुर के समीप)।

ये झीले व नाले प्राय मौसमी है वर्षा का पर्याप्त जल सचय होने के कारण इसका सिचाई कार्य मे उपयोग होता है।

प्राकृतिक विभाग

जनपद फर्रुखाबाद को सरचना उच्चावचन जल–प्रवाह वनस्पति और मिटटी जैसे प्राकृतिक तथ्यो के आधार पर निम्नलिखित प्राकृतिक भागो मे बॉटा जा सकता।

1 गगा रामगगा दोआब

2 उत्तरी पश्चिमी उच्च भूमि

3 काली–ईसन दोआब

4 ईसन नदी के दक्षिण का भाग।

1 गगा – रामगगा दोआब यह क्षेत्र जनपद के उत्तर–पूर्व भाग मे स्थित है। इस सकीर्ण क्षेत्र की औसत ऊचाई समुद्र–तल से 140 मीटर है। यह बाढ ग्रस्त क्षेत्र है। यहॉ ऊपजाऊ मिट्टी प्राप्त होती है।

2 उत्तरी पश्चिमी उच्च–भूमि इस क्षेत्र के अन्तर्गत इस जनपद की लगभग 40 प्रतिशत भूमि आती है। यह क्षेत्र एटा व मैनपुरी जनपद के सीमावर्ती भाग से पूर्व मे गगा तक विस्तृत है। इस क्षेत्र मे मुख्यत बलुई एव दोमट मिटटी पाई जाती है।

3 काली–ईसन दोआब जनपद के दक्षिणी मध्यवर्ती भाग मे पूर्व से दक्षिण–पूर्व यह क्षेत्र विस्तृत है। इस जनपद के उत्तर मे ईसान नदी एव दक्षिण मे ईसान नदी है। इस क्षेत्र का सामान्य ढाल उत्तर से दक्षिण पूर्व का है। इस क्षेत्र मे नदी कटाव के कारण विषमता उत्पन्न हो चुकी है। इस क्षेत्र के अधिकाश भाग बजर भूमि एव नदी के समीपवर्ती खादर क्षेत्र है। इस क्षेत्र मे सिचाई के आधुनिकतम साधनो के साथ–साथ तालाबो की सख्या भी पर्याप्त है। जिसस ये क्षेत्र हरा–भरा बना हुआ है।

ईसन नदी के दक्षिणी भाग

फर्रुखाबाद जनपद के दक्षिण व दक्षिण–पूर्वी भाग के सीमावर्ती भाग मे विस्तृत इस मैदान का सामान्य ढाल उत्तर से दक्षिण–पूर्व है।

इस क्षेत्र की औसत ऊँचाई 145 से 150 मीटर के मध्य है। इसका ढाल मद है। अत नदिया अनेक मोढ बनाती हुयी बहती है। इस क्षेत्र की मिटटी पर्याप्त उपजाऊ है। यह क्षेत्र गगा–नहर द्वारा सिचित है। किन्तु जल–प्रवाह ठीक न होने से तालाब व झीले अधिक है। इसी क्षेत्र मे दो अन्य नदियॉ अरिन्द एव पाण्डु नदीयो है। नदियो के निकटवर्ती भागो मे बलुई एव अन्य क्षेत्रो मे दोमट मिटटी की प्रधानता है।

फर्रुखाबाद जनपद के उपर्युक्त प्राकृतिक विभागो मे जिस प्रकार विभिन्नता है उसी के अनुसार उन भिन्न–भिन्न क्षेत्रो मे मानव व्यवहार एव प्रवृत्तियो मे भी पर्याप्त विभिन्नता पायी जाती है। यहॉ दोआब के क्षेत्रो मे प्रतिवर्ष बाढ आती है एव जीवन अस्त व्यस्त होता रहता है। अत अस्थाई

जीवन के कारण आर्थिक विपन्नता पायी जाती है। जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ अपराध हो रहे है। वही इस क्षेत्र का उत्तरी भाग सम्पन्न है। किन्तु वहाँ भी अपराध हो रहे है जो आर्थिक विपन्नता वाले अपराधो से भिन्न–प्रकृति के है। जिसका कारण मुख्य रूप से भौगोलिक सरचना है।

जलवायु

जलवायु एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो मनुष्य के आचार विचार धर्म राजनीति तथा उसके आर्थिक क्रिया कलापो को अत्यधिक प्रभावित करती है। फ्रास के क्वेटलेट और श्वेरी ने Thermic Law of Crime की परिकल्पना प्रस्तुत की और सिद्ध किया कि **गर्मियो के मौसम मे अपराध व्यक्ति के विरूद्ध अधिक होते है और सर्दियो मे सम्पत्ति के विरूद्ध अपराध अधिक होते है।**[13]

इस प्रकार फर्रुखाबाद मे मुख्यत तीन ऋतुये पायी जाती है।

1 शीत ऋतु

2 ग्रीष्म ऋतु

3 वर्षा ऋतु

शीत ऋतु सामान्यत यह ऋतु नवम्बर से फरवरी तक रहती है। जन्नवरी सर्वाधिक शीत माह होता है। जनवरी मे औसत न्यूनतम तापमान 76 सेमी हो जाता है। और फरवरी माह मे पुन तापमान मे वृद्धि होने लगती है। फरवरी मे औसत तापमान बढकर 178 सेमी हो जाता है। स्वच्छ आकाश निम्नताप औसत आर्द्रता सुखद मौसम एव मद हवाये इस क्षेत्र की शीत ऋतु की विशेषताये है

ग्रीष्म ऋतु यहाँ उष्ण एव शुष्क ग्रीष्म ऋतु होती है। जिसका समय मार्च के मध्य जून तक माना जाता है। मार्च से मई तक तापमान मे

निरन्तर वृद्धि होती जाती है। मई मे तापमान उच्चतम होता है। इस माह का औसत तापमान 34°सेग्रे0 हो जाता है। जबकि औसत उच्चतम तापमान 41 2° सेग्रे0 एव कभी–कभी दिन का अधिकतम तापमान 46° सेग्रे तक हो जाता है। इस ऋतु मे यह क्षेत्र निम्न दाब के अन्तर्गत आ जाता है। इस समय यह क्षेत्र स्पष्ट रूप से गर्म एव शुष्क मौसम से मुक्त रहता है। कमजोर हवाये एव शुष्कता इस मौसम की विशेषता होती है। दिन के समय पछुआ हवाये तीव्र गति से चलती है। ये अत्यन्त उष्ण एव शुष्क होती है। इन हवाओ को स्थानीय भाषा मे लू कहते है। जब इन गर्म व शुष्क हवाओ मे आर्द्र हवाये मिलती है तो भीषण तूफान तथा आधियॉ आती है। इनका वेग कभी–कभी 100 से 125 किमी0 प्रति घण्टा तक होता है। वर्षा भी हो जाती है। जिसका औसत 9 8 सेमी है। जो निम्न सारणी से स्पष्ट है।

सारणी 2 2

फर्रुखाबाद का ऋतुवत औसत तापमान एव वर्षा

क्रमाक	ऋतुए	औसत तापमान	औसत वर्षा	कुल वर्षा का
1	ग्रीष्म	30 2	9 8	12 7
2	वर्षा	28 4	63 9	82 6
3	शीत	17 1	3 6	04 7
			77 33	100 00

स्रोत सेतुवेधशाला मैनपुरी (उ0प्र0)

सारणी 2 1

फर्रुखाबाद का मासिक औसत तापमान एव वर्षा

(तापमान अश से मे)

माह	अधिकतम	न्यूनतम	औसत	वर्षा सेमी0 मे
जनवरी	22 2	7 7	14 9	1 23
फरवरी	25 0	10 7	17 8	1 29
मार्च	31 9	15 6	23 7	1 07
अप्रैल	37 4	21 4	29 4	0 61
मई	41 2	26 9	34 1	0 75
जून	39 2	38 3	33 7	7 39
जुलाई	33 6	26 6	30 1	24 41
अगस्त	32 2	25 9	29 0	21 59
सितम्बर	32 7	24 6	28 6	16 02
अक्टूबर	32 9	18 9	25 9	01 88
नवम्बर	28 2	12 2	20 2	00 41
दिसम्बर	23 3	8 1	15 7	00 68
औसत वार्षिक	31 6	18 9	25 2	77 33

स्रोत सेतुवेधशाला मैनपुरी उ0प्र0

वर्षा ऋतु फर्रुखाबाद जनपद मे वर्षा ऋतु का प्रारम्भ जून के अन्तिम सप्ताह से होता है। इस समय समस्त जनपद मे वर्षा अधिक नही होती है। मानसून मे अनियमितता पायी जाती है। किन्तु दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ मौसम पूरी तरह परिवर्तित हो जाता है। और इस जनपद मे मानसून हवाये सक्रिय हो जाती है। ये हवाये इस जनपद मे बगाल की खाडी की ओर से आती है। इन्हे पूरवी हवाये भी कहते है। जनपद मे वार्षिक वर्षा का औसत 77 3 सेमी0 है। जिसमे से 63 9 सेमी0 या 82 6 प्रतिशत वर्षा इसी ऋतु मे होती है। जुलाई—अगस्त के महीनो मे सापेक्षिक

आर्द्रता बढकर 80 प्रतिशत तक हो जाती है। सितम्बर माह मे वर्षा अपेक्षाकृत कम हो जाती है। इस जनपद मे प्रतिवर्ष वर्षा के मे परिवर्तनशीलता पायी जाती है। इस प्रकार यह अनिश्चितता वर्षा समय एव वर्षा की मात्रा मे पाया जाता है। कभी वर्षा समय से पहले एव अधिक मात्रा मे होती है। अत परिणाम स्वरूप बाढ का माहौल उपस्थित हो जाता है। जिसका नकारात्मक प्रभाव धन–जन एव कृषि पर पडता है। उदाहरण स्वरूप 1985 मे 119 सेमी वर्षा अकित की गयी जिस समय फर्रुखाबाद जनपद सामान्यत बाढ का वर्ष घोषित किया गया। इस जनपद मे वर्षा ऋतु मे अनिश्चितता का दूसरा स्वरूप तब उपस्थित होता है जब आर्द्र हवाये काफी समय तक जनपद मे प्रवेश नही करती और आने पर भी मात्र 34 सेमी 35 सेमी तक ही वर्षा करती है। उस समय जनपद मे सूखा पड जाता है। उदाहरणस्वरूप सन् 1929 एव 1987 मे मात्र 32 सेमी0 से 34 सेमी0 के मध्य ही वर्षा हुयी अत यह वर्ष सूखे का वर्ष घोषित किया गया।

अत जलवायु के तथ्यो की विवेचना से स्पष्ट है कि फर्रुखाबाद जनपद मे जलवायु का प्रभाव अपराध–भूगोल पर पडा है।

1 इस जनपद का शीत ऋतु का न्यूनतम औसत तापमान 7 7 से0 तथा ग्रीष्म ऋतु मे अधिकतम औसत तापमान 41 2^0 से0 के मध्य रहता है। इस प्रकार 33 5^0 से तापान्तर क्षेत्रीय निवासियो के शारीरिक एव मानसिक कार्यो पर विपरीत प्रभाव डालता है। तापक्रम की न्यूनतम मे निर्धन व्यक्ति शीत–रक्षा के उत्तम प्रबध न कर पाने के कारण अपराध के लिये प्रेरित होते है। तापक्रम की अधिकता के कारण आलस्य से व्यक्ति प्रभावित रहते हैं। और उनका तन और मन परिश्रम के अयोग्य रहता है। जिससे अपराधियो के मनोबल मे वृद्धि होती है।

2 जनपद मे वार्षिक वर्षा के आकडो मे 119 सेमी0 से 32 सेमी0 वर्षा जैसी परिस्थितिया भी यह स्पष्ट करती है कि कभी बाढ और

JANUARY
29
FEBRUARY
27
MARCH
11
APRIL
12
MAY
8
JUNE
14
JULY
21
AUGUST
19
SEPTEMBER
15
OCTOBER
45
NC EMBER
55
DECEMBER
43
N
NE
E
SE
S
SW
W
NW
10 5 0 10 20
Percentage number of days wind from
Number within the circle indicates percentage of calm days

कभी सूखा की भयानकता का प्रभाव मकानो पर कृषि पर जमीन पर सम्पर्क मार्गो पर नकारात्मक रूप से पडता है। अत मानव आर्थिक तत्वो से प्रभावित हो अपराधिक प्रवृत्तियो को अपना लेता है।

वायु दिशा व गति

फर्रुखाबाद जनपद की वायु प्रवाह एव गति के सम्बन्ध मे सारणी न 2 द्वारा स्पष्ट है कि सर्वाधिक वायु की गति मई एव जून माह मे पाया जाता है और अक्टूबर नवम्बर दिसम्बर माह मे वायु गति मे ह्रास पाया जाता है। अन्य महीनो मे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जुलाई अगस्त एव सितम्बर माह मे वायु की गति लगभग समान पायी जाती है।
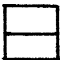
वायु की दिशा एव गति

माह	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	CALM	Mean wind speed in Km Per hr
जनवरी	2	1	2	1	1	2	5	4	13	23
फरवरी	1	1	2	2	1	2	6	4	9	27
मार्च	1	1	2	2	1	4	7	6	7	39
अप्रैल	2	1	2	2	2	4	6	6	5	37
मई	1	1	3	5	2	2	6	4	7	43
जून	1	1	6	5	2	2	6	3	4	45
जुलाई	2	2	6	4	1	2	6	2	6	35
अगस्त	1	2	7	4	1	2	6	3	5	31
सितम्बर	2	1	4	3	1	2	6	5	6	27
अक्टूबर	2	1	2	2	1	2	5	4	12	18
नवम्बर	2	1	1	1	1	2	4	4	14	14
दिसम्बर	2	1	1	1	1	2	6	3	14	18
वार्षिक	19	14	38	32	15	28	69	48	102	

स्रोत सतुवेधशाला – मैनपुरी (उ०प्र०) सारणी क्रमाक 2

DISTRICT FARRUKHABAD
SOILS
N
SANDY SOIL
SANDY LOAM
CLAY LOAM
LOAMY CLAY
10
0
10
km
DISTRICT FARRUKHABAD
SOIL FERTILITY STATUS
N
High
Medium
Low
10
0
10
km
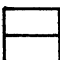
मिट्टी

फर्रुखाबाद नगर मे स्थित मृदा परीक्षणशाला' जनपद की मिटिटयो का वैज्ञानिक अध्ययन मे लगा हुआ है। भू–आकृतिक स्थिति के कारण इस जनपद मे मिट्टी की सरचना मे स्थानिक अन्तर मिलता है। इस क्षेत्र के उच्च–भागो मे दोमट बलुई व चीका मिट्टियो की प्रधानता है। जबकि निचले क्षेत्रो मे बलुई मिटटी पायी जाती है। कही–कही पर ऊसर मिटटी या भूड मिटटी भी पायी जाती है। इस क्षेत्र मे उच्च क्षेत्र की मिटिटयॉ बागर कही जाती है एव निम्नभागो की मिटिटया खादर कहलाती है।

स्थानीय वितरण इस जनपद की मिट्टियो को प्रमुख चार भागो मे बाटा जा सकता है।

1 दोमट मिटटी 2 बलुई 3 भूड 4 क्षारीय मिटटी

1 दोमट यह मिटटी बागर क्षेत्र की मिट्टी है। यह उन भागो मे पाई जाती है जहॉ वर्षा के पानी का भराव हो जाता है। मटियार दोमट वहॉ पायी जाती है। जहॉ रबी खरीफ जायद तीनो फसले उगायी जाती है। किन्तु यह गेहूॅ, आलू, मक्का गन्ना के लिये अधिक उपयुक्त है।

2 बलुई मिट्टी यह मिट्टी जनपद की गगा रामगगा नदियो के कछारी क्षेत्रो मे पायी जाती है। गगा क्षेत्र मे इस मिट्टी का रग सफेद है जबकि रामगगा क्षेत्र मे यह मिटटी हल्का पीला पन लिये हुये है। यह मिट्टी दोमट की अपेक्षा कम उपजाऊ है। इसकी प्रमुख उपज मूॅगफली चना अरहर आदि है।

3 मूड मिट्टी - इस मिट्टी का क्षेत्र नदियो के क्षेत्र से हटकर है। प्रमुखत गगा रामगगा के बीहड क्षेत्रो मे उसका विस्तार है। यह मिट्टी बलुई एव दोमट का प्राय मिश्रण है। इसकी प्रमुख फसल मूॅगफली ज्वार व बाजरा है।

4 क्षारीय फर्रुखाबाद जनपद के पश्चिमी भागो मे उत्तर से दक्षिण तक नवाबगज मोहम्मदाबाद के पश्चिम–उत्तर यह एक सकीर्ण पटटी के रूप मे विस्तृत क्षेत्र है।

स्थानीय भाषा मे इस मिटटी को रेगुर या रेह कहते है। इस मिट्टी मे उर्वरक तत्वो एव नमी की विशेष कमी है।

उ·र्वरता स्तर

मिटटियो की उर्वरता का सम्बन्ध उत्पादन क्षमता से आका जाता है।

जनपद की भूमि परीक्षण प्रयोगशाला से प्राप्त आकडो के आधार पर स्पष्ट है कि 98 प्रतिशत मिटटिया सामान्य स्तर की है। तथा मात्र दो प्रतिशत मिट्टियॉ अम्लीय व क्षारीय है।

शमशाबाद राजेपुर कमालगज जहानगज मोहम्दाबाद कायमगज की मिट्टियो मे उच्च उर्वरता स्तर पाया जाता है। जबकि कम्पिल व क्षेत्रो की मिट्टियॉ मध्यम स्तर की है।

जनपद की मिटटियो का उर्वरता स्तर नाइट्रोजन मे मध्यम तथा फास्फोरस एव पोटाश मे निम्न है

खनिज पदार्थ

फर्रुखाबा। जनपद मे खनिज पदार्थो का अभाव पाया जाता है। कुछ स्थानीय स्तर के खनिज यहॉ प्राप्त होते है जिनमे भूरा ककड कच्चा शोरा आदि प्रमुख है।

नीला ककड – इस जनपद मे कायमगज थाना के मझोला पैथान और मेई मे नीला ककड मिलता है।

कच्चा शोरा — नवाबगज एव मोहम्दाबाद मे कच्चा शोरा प्राप्त होता है।

भूराककड — नवाबगज थाने के नरौरा मऊदरवाजा के करनपुर मोहम्दाबाद के कराधिया ग्राम मे मिलता है।

इन खनिजो का उत्पादन व्यावसायिक ढग से नही किया जाता अत इनका कोई विशेष आर्थिक महत्व नही है।

वनस्पति

फर्रुखाबाद जनपद मे उपजाऊ मिट्टी के क्षेत्रो मे कृषि कार्यो की प्रधानता है। अत यहॉ प्राय वन—क्षेत्रो का अभाव है।

जनपद मे कुल वन भूमि 8800 हेक्टेयर है यानि जनपद के कुल क्षेत्रफल का 2 प्रतिशत है। जिसमे झाडियॉ एव ऐसी कटीली वनस्पतियॉ उगती है जिनको पानी की अधिक आवश्यकता नही होती है। इसमे मुख्य रूप से मझोले कद के पौधे बेले एव नागफनी जाति के पौधे पाये जाते है।

थाना मऊदरवाजा नवाबगज मोहम्दाबाद कमालगज आदि ऐसे थाना क्षेत्र है जहॉ वनो का लगभग अभाव है।

जगली फलो के छोटे छोटे क्षेत्र व बिखरी हुयी वनस्पति यहॉ मिलती है। इन बिखरी वनस्पति मे आम बबूल महुआ जामुन शीशम ढाक इमली नीम व कृषि क्षेत्र की मेढो एव लघु क्षेत्रो पर यूकेलिप्टस के वृक्ष पाये जाते है। इन यूकेपिप्टस के पौधो ने जमीनी—जल को बहुत सोखा है अत भूमि की नमी का ह्रास हुआ है जससे जनपद की वनस्पतियो मे कमी आयी है।

इस जनपद मे गगा रामगगा आदि नदियो के बलुई मिटटी के किनारे के क्षेत्रो मे प्राय कटीली झाडिया एव लम्बे रेशे की घासे पायी जाती है। जिनसे डलिया डोल्ची मजूषा चटाई आसन बेग आदि घरेलू उपयोग की वस्तुये बनायी जाती है।

इस जनपद के तराई क्षेत्रो मे अनेक प्रकार की जडी बूटियो का प्राचुर्य है। जिनमे धमरा काला–धमरा मकोई अडूसा गूलर लटजीरा गरमपत्ता बेशर्मबेल अमरबेल सर्वगधा अर्शपौध आदि प्रमुख है। इसका उपयोग ग्रामीण जनता कर रही है एव जनपद के अनयुर्वेद अस्पताल मे इन औषधीय पौधो से अर्क निकालने की व्यवस्था की गयी है। इस प्रकार जनपद मे वनस्पति झाडियो औषधिय पौधो एव बिखरे जगली पौधो के रूप मे पायी जाती है। अन्य वनस्पति प्रकारो की दृष्टि से जनपद समृद्ध नही है।

संदर्भ

1 ट्रोपोग्राफिक्ल शीट न 54 एम एन सर्वे ऑफ इण्डिया देहरादून 1977

2 साख्यिकीय पत्रिका जनपद फर्रुखाबाद 1996—97

3 तहसील कार्यालय जनपद फर्रुखाबाद एव साख्यिकीय पत्रिका जनपद फर्रुखाबाद

4 सेन्सस ऑफ इण्डिया 2001

5 उपर्युक्त 2

6 एडवर्ड स्वेश — लैण्ड यूटीलाइजेशन इन वैस्टर्न उत्तर प्रदेश अलीगढ 1960 पृ 1

7 एस जी बर्नाड — ऑन दि ओरीजन ऑफ हिमालय माउन्टेन ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इण्डिया प्रोफेशनल पेपर न 12 1912 कलकत्ता पृ0 11

8 बी डी ओल्डहेम — दि स्टेक्चर ऑफ हिमालय एण्ड गगेटिक प्लेयस पार्ट — 2 1917 पृ 82

9 मोहम्मद शफी — लैण्ड यूटीलाइजेशन इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश अलीगढ 1960 पृ 1

10 डॉ हरी हरन — एअर वार्न मैगनेटिक सर्वे 1965 पृ 119

11 आर एल सिह — इण्डिया ए रीजनल ज्येग्राफी एन जी एस आई वाराणसी 1971 पृ 131

12 आर पी अग्रवाल — प्रासेज ऑफ प्रजेन्ट रिसर्च इन द एक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल कैमिस्ट्री कानपुर 1953 पृ 131

13 गुप्ता एण्ड शर्मा — समाजशास्त्र कानपुर 1988 पृ 181

अध्याय—3

मानव संसाधन

मानव संसाधन

जनसख्या वह सदर्भ बिन्दु है। जहाँ से सभी अन्य तत्वो का आवलोकन किया जाता है जिससे वे (तत्व) एकाकी या सामूहिक रूप से सार्थकता तथा अर्थवत्ता प्राप्त करते है।[1] किसी क्षेत्र की जनसख्या मे एक निश्चित अवधि मे होने वाले नकारात्मक एव सकारात्मक परिवर्तन को जनसख्या वृद्धि कहते है। किसी क्षेत्र की जनसख्या वृद्धि उस क्षेत्र के आर्थिक—विकास सामाजिक जागरूकता सास्कृतिक आधार एतिहासिक घटनाओ एव राजनैतिक विचारधाराओ की सूचक होती है।[2] जनसख्या वर्तमान वातावरण के सदर्भ मे जनाकिकी तथ्यो का वर्णन करता है तथा इसके कारणो मूलभूत विशेषताओ तथा सम्भाव्य परिणामो की व्याख्या करता है।[3] किसी क्षेत्र की जनसख्या की जानकारी हेतु जनगणनाये महत्वपूर्ण स्रोत है। जिसमे आकडो के सकलन से गुणात्मक सुधार आता है। तथा उसकी विश्वसनीयता मे वृद्धि होती है।[4] अत किसी क्षेत्र के भौगोलिक अध्ययन मे वहाँ की जनसख्या सम्बन्धी वि[illegible]ताओ का ज्ञान आवश्यक है। इस अध्याय मे जनपद की जनसख्या का विकास घनत्व आयु—वर्ग सरचना साक्षरता लिगानुपात व्यवसायिक सरचना जाति एव धर्म आदि तथ्यो का विस्तार से विवेचन किया गया है।

वृद्धि एवं विकास

फर्रुखाबाद जनपद की 1901 से 2001 बीच मे जनसख्या वृद्धि का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि 1901 से 1921 के मध्य जनसख्या परिवर्तन मे समरूपता आयी है। इन बीस वर्षो मे इस जनपद

मे दशकीय वृद्धि—दर अत्यन्त निम्न रही है। यह दशकीय—वृद्धि दर 1901 से 1911 के बीच 2 75 प्रतिशत रही। जो 1911—21 के मध्य बढकर 4 82 प्रतिशत हो गयी। 1921—31 के बीच जनपद की जनसख्या वृद्धि 4 50 रही।[5] सारणी क्रमाक—3 1 एव रेखाचित्र 3 1 को देखने पर स्पष्ट होता है कि इस जनपद की जनसख्या वृद्धि—दर 1931 से 1981 तक अत्यन्त तीव्र—गति से बढी है। यह वृद्धि दर 1931 से 1941 के मध्य 8 80 प्रतिशत रही जो क्रमश 1941—51 के बीच बढकर 14 34 प्रतिशत हो गयी। 1951—61 के मध्य यह पुन बढकर 18 54 प्रतिशत हुयी जो 1961—71 मध्य बढकर 20 18 प्रतिशत हो गयी। यह वृद्धि दर 1871—81 के मध्य 25 0 प्रतिशत रही। 1981 से 91 के मध्य जनपद की जनसख्या वृद्धि मे ह्रास हुआ जिससे यहॉ की जनसख्या वृद्धि—34 10 प्रतिशत रह गयी है। जनसख्या मे यह गिरावट जनपद के विभाजन के कारण अकित की गयी। 1991—2001 मे पुन जनसख्या मे पुन वृद्धि देखी गयी जो 18 56 प्रतिशत रही है।

सारणी क्रमाक 3 1

जनपद फरुखाबा। की जनसख्या का विकास एव [illegible]—परिवर्तन

वर्ष	कुलजनसख्या	दशकीय परिवर्तन	दशकीय वृद्धि प्रतिशत मे	पु—स्त्री
1901	908143	—	—	491269—41687
1911	882965	—25178	—2 75	484390—39857
1921	840410	—42555	—4 82	460088—38032
1931	878205	+37795	+4 50	480622—39758
1941	955505	+77300	+8 80	511345—444160
1951	1092563	+137058	+14 34	594499—498064
1961	1295071	+202508	+18 54	704587—590684
1971	1556930	+261859	+20 18	856075—700205
1981	1949137	+392207	+25 0	107996—881141
1991	1284419	—664718	—34 10	701102—583317
2001	1577237	+292818	18 56	848088—729149

स्रोत *साख्यिकीय पत्रिका फर्रुखाबाद*

POPULATION GROWTH

1991

विवरण

फर्रुखाबाद जनपद मे नगरीय एव ग्रामीण दोनो प्रकार की जनसख्या मिलती है। इस जनपद मे 1991 की जनगणना के अनुसार कुल 1284419 जनसख्या मिलती है। जिसमे 1011583 जनसख्या ग्राम मे निवास करती है जो कि कुल जनसख्या का 78 प्रतिशत है। जबकि 272836 जनसख्या शहरी है जो कुल जनसख्या का 21 प्रतिशत है। सारणी 3–2 देखने से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसख्या मोहम्दाबाद विकासखण्ड मे पाया जाता है। सबसे कम ग्रामीण जनसख्या बढपुर विकासखण्ड मे रहती है। अन्य क्षेत्रो मे ग्रामीण जनसख्या का वितरण क्रमश अवरोही क्रम मे कमालगज कायमगज शम्शाबाद राजेपुर नवाबगज विकासखण्डो मे पाया जाता है। जनपद मे पुरुष एव महिला वितरण की दृष्टि से (सारणी 3 2) से स्पष्ट है कि सर्वाधिक महिलाये– मोहम्दाबागद फिर क्रमश कमालगज कायमगज शम्शाबाद राजेपुर नवाबगज एव सबसे कम बढपुर विकासखण्ड मे मिलती है। जनपद मे पुरुषो का वितरण भी इसी क्रम मे पाया जाता है। ग्रामीण जनसख्या मे शत दशक मे सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि 26 60 कायमगज क्षेत्र मे सबसे कम बढपुर क्षेत्र मे हुयी।

जनपद मे क्षेत्रफल की दृष्टि से कायमगज सबसे बडा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से मोहम्दाबाद शम्शाबाद कमालगज राजेपुर, नवाबगज तथा बढपुर विकासखण्ड का स्थान है।

N
DISTRICT FARRUKHABAD
RURAL DENSITY OF POPULATION
1991
Persons Per Sq Kilometre
592 - 712
473 - 592
352 - 473
233 - 352
10
0
10
km

सारणी—क्रमाक 3 2

जनपद फर्रुखाबाद की जनसख्या का वितरण

क्र	विकासखण्ड	कुल जनसख्या	कुल पुरुष	कुल स्त्री	क्षेत्रफल (वर्ग किमी)	गत दशक मे प्रति वृद्धि
1	कायमगज	152459	84185	68274	502 6	26 60
2	नवाबगज	112099	61354	50745	229 8	24 90
3	शम्शाबाद	135414	74725	60689	349 7	20 30
4	राजेपुर	121090	67637	53453	320 0	19 10
5	बढपुर	95337	52709	42628	137 9	17 00
6	मोहम्दाबाद	204424	111135	93283	404 2	23 80
7	कमालगज	190760	103145	87615	344 1	26 00
	कुल जनसख्या	**1011583**	**554890**	**4566 93**	**2208 3**	**22 53**

स्रोत *साख्यिकीय पत्रिका फर्रुखाबाद*

जनपद का जनसंख्या घनत्व

जनपद फर्रुखाबाद मे कुल ग्रामीण क्षेत्रफल 2208 3 वर्ग मी है और कुल ग्रामीण जनसख्या 10115 83 है।

जनपद के जनसख्या घनत्व (देखिये सारणी 3 3) एव चित्र सख्या तीन के स्थानिक वितरण को देखने से स्पष्ट होता है कि इसमे जनसख्या घनत्व का परास (479 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी) अधिक है। जनसख्या घनत्व के विश्लेषण हेतु जनपद के सातो विकासखण्डो का औसत जनसख्या घनत्व एव प्रमाणिक विचलन निकाला गया है और इसके आधार पर चार वर्ग बनाये गये है। प्रथम न्यून जनसख्या घनत्व वाले क्षेत्र (233 से 352 प्रतिवर्ग किमी) इसमे जनपद कायमगज विकासखण्ड सम्मिलित है। यहॉ जनसख्या घनत्व 303 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी है। यहॉ की जमीन कम

N
DISTRICT FARRUKHABAD
RURAL AND URBAN POPULATION
1991 - 2000
Kaimganj
Shamsabad
Rajepur
Nawabganj
FARRUKHABAD
Muhammadabad
Kamalganj
• Represent 500 Rural Person
Urban Persons
150000
60000
20000
10
0
10
km

उपजाऊ है। अत जनसख्या का बसाव कम है। द्वितीय–मध्यम घनत्व के क्षेत्र यहाँ का जनसख्या (352 से 473 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी) इसमे शम्शाबाद और राजेपुर विकासखण्ड सम्मिलित है। जिनका जनसख्या घनत्व क्रमश 388 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी एव 378 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी है। यहाँ की भूमि फसलोत्पादन हेतु उपजाऊ है किन्तु कछारी क्षेत्र होने के कारण बाढग्रसित रहती है इसकारण ग्रामीण अधिवास दूर–दूर बसे मिलते है। तृतीय उच्च घनत्व के क्षेत्र (473 से 592 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी) इसमे नवाबगज मोहम्दाबाद एव कमालगज क्षेत्र सम्मिलित है। इनका जनघनत्व क्रमश 488 506 554 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी है। इस वर्ग मे सबसे अधिक घनत्व वाला क्षेत्र कमालगज विकासखण्ड है। इसमे नगरीय जनसख्या का प्रतिशत अधिक मिलता है। कमालगज क्षेत्र मे दुग्ध उत्पाद का व्यवसाय एव चॉदी गुढ इत्यादि का व्यवसाय होने से जनसख्या का भरण–पोषण आसानी से होता है। अत यहाँ जनघनत्व अधिक है।

उच्च घनत्व का क्षेत्र (592–712 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी) इसमे बढपुर विकासखण्ड सम्मिलित है। इस जिले का सर्वाधिक जनघनत्व यही मिलता है। यहाँ पर प्रतिवर्ग किमी 691 व्यक्ति निवास करते है। इस क्षेत्र मे जनसख्या घनत्व के अधिक होने का मुख्य कारण रोजगार के अवसरो का आसानी से प्राप्त हो जाना है। यहाँ पर अनेक लघु उद्योग कपडो की छपाई सिल्क डुप्लीकेट साडियॉ ईट भट्टा आदि मिलते है। यहाँ की भूमि भी उपजाऊ है। यहाँ पर सिचाई की पर्याप्त सुविधा है जिनमे निजी नलकूपो की अधिकता है।

जनपद फर्रुखाबाद मे विकाखण्डवार जनसख्या घनत्त्व (सारणी 3 3) को देखने से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक घनत्व जनपद के बढपुर विकासखण्ड मे 691 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी है कायमगज विकासखण्ड मे घनत्व सबसे कम 303 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी है। इसका कारण बढपुर विकासखण्ड फर्रुखाबाद जनपद का नगरीय आबादी का क्षेत्र है। अत

इसके लघु क्षेत्र पर ही ग्रामीण जनसख्या निवास करती है। अत घनत्व अधिक पाया जाता है जबकि इसका ग्रामीण क्षेत्रफल सबसे कम है। जनपद मे कायमगज विकासखण्ड का ग्रामीण क्षेत्रफल सर्वाधिक होते हुये भी उसमे ग्रामीण जनसख्या का घनत्व सर्वाधिक कम ही है इसका कारण उसकी ऊसर और बजर भूमि है। जनपद मे सर्वाधिक घनत्व बढपुर एव सबसे कम घनत्व कायमगज विकासखण्ड मे पाया जाता है जिसके बाद क्रमश अन्य विकासखण्ड का घनत्व अवरोही क्रम मे कमालगज मोहम्दाबाद नवाबगज शम्शाबाद राजेपुर विकासखण्डो का है। *(स्रोत साख्यिकीय पत्रिका एव जनगणना कार्यालय)* फर्रुखाबाद जनपद मे मानचित्र सख्या 3 2 से स्पष्ट होता है कि मध्यम जनसख्या घनत्व के क्षेत्र नवाबगज मोहम्दाबाद एव कमालगज विकासखण्ड है। जहॉ 473 प्रतिवर्ग किलोमीटर से 592 प्रतिवर्ग किलोमीटर के मध्य सख्या है। न्यून जनसख्या घनत्व के क्षेत्र शम्शाबाद व राजेपुर क्षेत्र है जहॉ 352 से 473 प्रतिवर्ग किलोमीटर के मध्य जनसख्या घनत्व पाया जाता है। फर्रुखाबाद जनपद मे नगरीय जनसख्या कुल 272836 है। और इसके नगरीय क्षेत्रो का जनसख्या घनत्व 31004 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है।

सारणी क्रमाक 3 3

जनपद फर्रुखाबाद का जनसख्या घनत्व

क्र	विकासखण्ड	घनत्व	क्षेत्रफल	जनसख्या
1	कायमगज	303	502 6	152459
2	नवाबगज	488	229 8	112099
3	शम्शाबाद	388	349 7	135414
4	राजेपुर	378	320 0	121090
5	बढपुर	691	137 9	95337
6	मोहम्दाबाद	506	404 2	204424
7	कमालगज	554	344 1	90760
	कुल	**330 8**	**2208 3**	**1011583**

स्रोत *साख्यिकीय पत्रिका फर्रुखाबाद जनपद*

DISTRICT FARRUKHABAD
SEX RATIO
1991
N
Female Per Thousand Male
838 – 856
819 – 838
800 – 819
781 – 800
10
0
10
km

लिगानुपात

फर्रुखाबाद जनपद मे 1991 मे कुल 1000 पुरुषो पर महिलाओ की सख्या 832 है। सारणी क्रमाक 3 4 को देखने से स्पष्ट होता है कि जनपद मे विकासखण्डो के अनुसार लिगानुपात मोहम्दाबाद एव कमालगज क्षेत्रो के अतिरिक्त समस्त क्षेत्रो मे जनपद के लिगानुपात से कम रही है। जनपद मे सबसे अधिक लिगानुपात कमालगज विकासखण्ड का 849 है उसके बाद क्रमश मोहम्दाबाद नवाबगज शम्शाबाद कायमगज बढपुर एव राजेपुर विकासखण्ड का है। जनपद मे विकासखण्ड के अनुसार सर्वाधिक पुरुष जनसख्या का प्रतिशत 56 85 राजेपुर क्षेत्र मे है जबकि सबसे कम 54 07 प्रतिशत कमालगज क्षेत्र मे है। जनपद मे महिलाओ का सर्वाधिक प्रतिशत 46 92 कमालगज क्षेत्र मे है। फिर क्रमश प्रतिशत मोहम्दाबाद नवाबगज शम्शाबाद कायमगज बढपुर एव राजेपुर विकासखण्डो मे निहित है। *(स्रोत साख्यिकीय पत्रिका फर्रुखाबाद।)*

सारणी क्रमाक 3.4
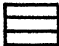
जनपद मे लिगानुपात व महिला/पुरुष प्रतिशत मे

क्रमाक	विकासखण्ड	लिगानुपात (1000 पु पर)	पुरुष जनसख्या प्रतिशत मे	महिला जनसख्या (प्रति में)
1	कायमगज	810	55 21	44 78
2	नवाबगज	827	54 75	45 26
3	शम्शाबाद	812	55 18	44 81
4	राजेपुर	790	56 85	44 00
5	बढपुर	808	55 28	44 7
6	मोहम्दाबाद	839	54 36	45 63
7	कमालगज	849	54 07	46 92

स्रोत *साख्यिकीय पत्रिका फर्रुखाबाद जनपद*

N
DISTRICT FARRUKHABAD
LITERACY
1991
Male
Female
10
0
10
km

फर्रुखाबद जनपद मे महिला–पुरुष अनुपात हेतु मानचित्र सख्या 3 3 देखने पर स्पष्ट होता है जनपद मे लिगानुपात के चार वर्ग प्राप्त होते है। प्रथम वर्ग मे सबसे कम लिगानुपात है जिसमे राजेपुर विकासखण्ड आता है जिसमे क्रमश 781 से 800 तक का लिगानुपात पाया जाता है। दूसरे वर्ग मे कायमगज शम्शाबाद एव बढपुर विकासखण्ड निहित है जिनका लिगानुपात क्रमश 800 से 819 पाया जाता है। जो औसत लिगानुपात से कम है। तृतीय वर्ग मे मोहम्मदाबाद एव नवाबगज विकासखण्ड आते है जिसमे क्रमश 819 से 838 लिगानुपात पाया जाता है जो औसत से अधिक है। चतुर्थ वर्ग मे जनपद का कमालगज विकासखण्ड आता है जिसमे 838 से 856 लिगानुपात मिलता है। जनपद के लिगानुपात का उपरोक्त विश्लेषण द्वारा स्पष्ट होता है कि राजेपुर कायमगज शम्शाबाद एव बढपुर विकासखण्डो मे लिगानुपात औसत से कम है। सबसे कम लिगानुपात का क्षेत्र राजेपुर है एव सबसे अधिक लिगानुपात कमालगज विकासखण्ड मे पाया जाता है।

साक्षरता

फर्रुखाबाद जनपद मे साक्षरता दर का विकास मध्यम गति से हुआ है। सन् 1971 मे यहॉ साक्षरता दर 25 1 प्रतिशत था जो 1981 मे बढकर 32 0 प्रतिशत हो गयी वर्ष 1991 मे साक्षरता दर 45 9 प्रतिशत हो गया सन 2001 मे साक्षरता दर 62 27 प्रतिशत रही है। यहॉ पर नगरीय जनसख्या अधिक साक्षर है जबकि ग्रामीण जनसख्या की साक्षरता दर कम है। 1991 की नगरीय जनसख्या की साक्षरता दर 58 7 प्रतिशत है। इसमे पुरुषो की साक्षरता दर 66 4 प्रतिशत एव महिला की साक्षरता दर 49 8 प्रतिशत है। ग्रामीण जनसख्या की कुल साक्षरता दर 1991 मे 42 5 प्रतिशत है। जिसमे पुरुषो की साक्षरता दर 55 9 प्रतिशत है। और महिलाओ की 25 8 प्रतिशत है। इस प्रकार स्पष्ट है कि यहॉ पर ग्रामीण

और नगरीय दोनो स्थानो मे महिलाओ की साक्षरता दर पुरुषो से कम है। इसका मुख्य कारण समाज मे स्त्रियो की दशा शोचनीय एव पुरुषो का वर्चस्व है। महिलाओ की शिक्षा अनुपयोगी मानी जाती है। समाज मे उनको द्वितीय श्रेणी का ही नागरिक माना जाता है। अत उसकी शिक्षा पर किया गया खर्च अनुत्पादक है।

जनपद मे साक्षरता दर की क्षेत्रीय स्थिति सारणी न 3 5 से स्पष्ट है कि सर्वाधिक साक्षर व्यक्ति मोहम्दाबाद क्षेत्र मे स्थित है जबकि अन्य साक्षर व्यक्तियो का स्थान क्रमश अवरोही क्रम से कमालगज शम्शाबाद कायमगज राजेपुर नवाबगज एव सर्वाधिक कम साक्षर व्यक्ति बढपुर विकास खण्ड मे है। जनपद मे पुरुष साक्षरता सर्वाधिक मोहम्दाबाद क्षेत्र मे पायी जाती है। और सबसे कम पुरुष साक्षर बढपुर विकासखण्ड मे है। महिला साक्षरता सर्वाधिक मोहम्दाबाद क्षेत्र मे है। जबकि सबसे कम महिला साक्षरता राजेपुर क्षेत्र मे है।

सारणी क्रमाक 3 5

जनपद मे विकास खण्डवार साक्षर व्यक्ति

क्रमाक	विकासखण्ड	कुल साक्षर	पुरुष साक्षर	महिला साक्षर
1	कायमगज	39724	30158	9566
2	नवाबगज	36716	27612	9104
3	शम्शाबाद	44457	32359	12098
4	राजेपुर	37370	28832	8538
5	बढपुर	33175	23581	9594
6	मोहम्दाबाद	85633	60527	25106
7	कमालगज	65255	46868	18387

स्रोत साख्यिकीय पत्रिका फर्रुखाबाद जनपद

N
DISTRICT FARRUKHABAD
MALE LITERACY
1991
Percent of Total
Male Population
61 58 – 68 16
55 00 – 61 58
48 42 – 55 00
41 84 – 48 42
10
0
10
km

N
DISTRICT FARRUKHABAD
MALE LITERACY
1991
Percent of Total
Male Population
61 58 – 68 16
55 00 – 61 58
48 42 – 55 00
41 84 – 48 42
10 0 10
km
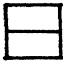
जनपद मे साक्षरता के स्थानिक वितरण के अध्ययन हेतु हम पुरुषो महिलाओ एव कुल का पृथक–पृथक विश्लेषण कर सकते है
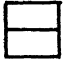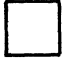
पुरुष साक्षरता

(सारणी न 3 6) मे देखने से स्पष्ट होता है कि पुरुषो की साक्षरता दर मे 1971 से 2001 तक निरन्तर वृद्धि हुयी है। 1971 मे साक्षरता दर 34 3 1981 से 42 7 1991 मे 58 एव 2001 मे 63 17 प्रतिशत रही है। ग्रामीण साक्षरता दर 55 8 प्रतिशत और नगरीय साक्षरता दर 66 4 प्रतिशत रही है। पुरुषो की साक्षरता दर के स्थानिक विश्लेषण (मानचित्र सख्या 3 4 एव सारणी सख्या 3 6) हेतु साक्षरता प्रतिशत के दर का माध्य एव प्रामाणिक विचलन का सगठन करके उसके आधार पर विश्लेषण किया गया है। और इस क्षेत्र मे साक्षरता दर का माध्य 55 एव प्रमाणिक विचलन 6 5 प्रतिशत है। पूरे मानचित्र सख्या 3 4 को चार भागो मे विभक्त किया गया है। प्रथम वर्ग मे 41 84 से लेकर 48 4 प्रतिशत के मध्य की साक्षरता दर को लिया गया है। इस वर्ग मे साक्षरता दर की निम्न माध्य दी प्रमाणिक से माध्य–2 प्रमाणिक विचलन है। इस वर्ग मे जिले का कायमगज विकासखण्ड आता है। पुरुषो की साक्षरता के दूसरे वर्ग मे 48 42 से 55 प्रतिशत साक्षरता–दर रखी गयी है इसमे दो विकासखण्ड शम्शाबाद एव राजेपुर सम्मिलित है। इस प्रकार कायमगज शम्शाबाद एव राजेपुर की साक्षरता दर क्षेत्रीय औसत से कम है। पुरुषो की साक्षरता के वर्ग तीन मे नवाबगज कमालगज बढपुर विकासखण्ड सम्मिलित है। यहाँ साक्षरता दर 55 से 61 58 प्रतिशत के मध्य है। मोहम्मदाबाद विका[illegible] मे पुरुषो की साक्षरता दर 68 1 प्रतिशत है जो मानचित्र मे सबसे अधिक साक्षरता–दर को प्रदर्शित करता है। जिले के चार विकासखण्ड नवाबगज कमालगज बढपुर एव मोहम्दाबाद मे पुरुषो की साक्षरता–दर औसत से अधिक है। पुरुषो की नगरीय साक्षरता–दर

N
DISTRICT FARRUKHABAD
FEMALE LITERACY
1991
Percent of Total
Female Population
30 7 – 35 9
25 8 – 30 7
20 9 – 25 8
16 0 – 20 9
10
0
10
km

664 प्रतिशत है। जो ग्रामीण साक्षरता–दर की औसत से लगभग 11 प्रतिशत अधिक है। जनपद के ग्रामीण एव नगरीय पुरुषो की साक्षरता दर 58 प्रतिशत से अधिक है।

महिला साक्षरता दर

जनपद मे महिला साक्षरता दर पुरुषो की अपेक्षा कम है किन्तु साक्षरता दर मे कालिक–वृद्धि अधिक हुयी है। जो 13 1 (1971) मे 19 1 प्रतिशत (1981) मे 31 1 प्रतिशत (1991) मे एव (2001) मे है। इन 40 वर्षो मे साक्षरता दर के प्रतिशत मे 40 अको की वृद्धि दर्ज की गयी है। जिले के विभिन्न विकासखण्डो मे 1991 की साक्षरता–दर का विश्लेषण करने के लिये सभी खण्डो की साक्षरता विकासखण्डो की साक्षरता दर के प्रतिशत का माध्य एव प्रामाणिक विचलन निकाला गया है। महिलाओ की ग्रामीण साक्षरता–दर का औसत 25 8 प्रतिशत है एव प्रमाणिक विचलन 4 9 प्रतिशत है। औसत एव प्रामाणिक विचलन के आधार पर सम्पूर्ण जिले की महिला साक्षरता दर को चार वर्गो मे विभाजित किया गया है। वर्ग की सीमाये माध्य–2विचलन माध्य–1विचलन माध्य+1विचलन एव माध्य+2विचलन रखी गयी है। प्रथम–वर्ग मे क्षेत्र कायमगज एव राजेपुर विकासखण्ड सम्मिलित है जिनकी साक्षरता–दर 16 0 से 20 9 प्रतिशत के मध्य है। दूसरे वर्ग मे नवाबगज एव शम्शाबाद विकासखण्ड आते है जिनकी साक्षरता दर क्रमश 20 9 से 25 8 प्रतिशत के मध्य है जो औसत महिला साक्षरता दर से कम है। अत स्पष्ट है कि कायमगज राजेपुर नवाबगज एव शम्शाबाद विकासखण्डो मे महिला साक्षरता औसत से कम पायी जाती है। महिला साक्षरता के तृतीय वर्ग मे कमालगज एव बढपुर विकासखण्ड आते है जिनमे सारक्षता दर 25 8 से 30 7 प्रतिशत के मध्य है। जो औसत महिला साक्षरता से अधिक है। महिला साक्षरता के चतुर्थ वर्ग मे मोहम्मदाबाद विकासखण्ड आता है जिसकी साक्षरता दर 30 7 से

N
DISTRICT FARRUKHABAD
GROWTH IN LITERACY
1991
Percent of Total Population
48 13 - 53 76
42 5 - 48 13
36 87 - 42 5
31 24 - 36 87
10
0
10
km

35 9 प्रतिशत के मध्य है जो जनपद मे सर्वाधिक है। अत मानचित्र सख्या 3 5 के द्वारा स्पष्ट है कि मोहम्मदाबाद विकासखण्ड मे सर्वाधिक महिला साक्षरता पायी जाती है।

सारणी क्रमाक 3 6

जनपद फर्रुखाबाद मे साक्षरता व साक्षरता प्रतिशत 1971 से 2001

			कुल साक्षरता का प्रतिशत	
वर्ष	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
1971	293972	96994	34 3	13 0
1981	456005	168130	42 7	19 1
1991	328907	143299	58 0	31 1
2001	509831	301631		

विकासखण्ड	साक्षर व्यक्ति		साक्षरता का प्रतिशत	
1996—97	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
1 कायमगज	30158	9566	44 3	18 0
2 नबाबगज	27612	9104	55 9	22 8
3 शम्शाबाद	32359	12099	53 3	25 3
4 राजेपुर	28832	8538	52 2	20 2
5 बढपुर	23581	9594	55 3	28 9
6 मोहम्दाबाद	60527	25106	68 1	34 2
7 कमालगज	468	18387	56 5	36 8
योग ग्रामीण	46868	18387	56 5	36 8
योग नगरीय	78970	50906	66 4	49 8
योग जनपद	328907	143299	58 0	31 1

स्रोत जनगणना कार्यालय फर्रुखाबाद जनपद

DISTRICT FARRUKHABAD

AGE AND SEX STRUCTURE OF TOTAL POPULATION

जनपद की कुल साक्षरता दर

जनपद की कुल साक्षरता दर के प्रतिशत का अवलोकन द्वारा मानचित्र सख्या 3 6 से स्पष्ट होता है कि से कि ग्रामणी साक्षरता दर के क्षेत्रीय विश्लेषण हेतु जनपद को चार वर्गो मे विभाजित किया गया है। प्रथम वर्ग मे कायमगज विकासखण्ड सम्मिलित है। इसकी ग्रामीण साक्षरता दर औसत से कम है जो कि 32 84 है। दूसरे वर्ग मे नबाबगज एव शम्शाबाद सम्मिलित है जिनके ग्रामीण साक्षरता दर क्रमश 36 87 से 42 50 के मध्य है जो औसत से कम है। तृतीय–वर्ग मे बढपुर एव कमालगज क्षेत्र शामिल है जिनकी साक्षरता दर क्रमश 42 5 से 48 13 प्रतिशत के मध्य है के औसत से अधिक है। चतुर्थ वर्ग मे मोहम्मदाबाद विकासखण्ड आता है जिसकी साक्षरता 48 13 से 53 76 प्रतिशत है जो औसत से अधिक है। नगरीय साक्षरता दर 58 7 प्रतिशत है। यहाँ की कुल साक्षरता दर का औसत भारत की साक्षरता–दर से औसत से कम है। इससे स्पष्ट होता है कि यह क्षेत्र कम विकसित है यह भारत के मध्यम साक्षरता के क्षेत्र के अन्तर्गत आता है।

आयुवर्ग संरचना

जनपद की आयु सम्बन्धी आकडो के विश्लेषण हेतु आयु–पिरामिड की रचना की गयी है (मानचित्र सख्या 3 7 3 8 एव 3 9) इसमे ग्रामीण नगरीय एव कुल आयु वर्ग सरचना का विश्लेषण किया गया है।

ग्रामीण आयु वर्ग संरचना

मानचित्र सख्या 3 7 से स्पष्ट होता है कि 0 से 9 एव 10 से 19 आयु वर्ग के बीच पुरुषो की सख्या क्रमश 27 38 एव 23 02 प्रतिशत है।

DISTRICT FARRUKHABAD

AGE AND SEX STRUCTURE OF RURAL POPULATION

DISTRICT FARRUKHABAD

AGE AND SEX STRUCTURE OF URBAN POPULATION

अर्थात पूरी जनसख्या का आधा 0—19 वर्ग के मध्य मिलते है। जो अनुत्पादक आयु वर्ग के माने जाते है। 20 से 29 एव 30—39 आयु वर्ग के बीच 15 76 एव 11 62 प्रतिशत जनसख्या मिलती है। जो कुल मिलाकर लगभग 27 प्रतिशत होती है। जनसख्या का यह आयु—वर्ग विभिन्न कार्यो द्वारा उत्पादन करता है। 40 से 49 एव 50—55 के आयु वर्ग मे पुरुषो की 15 प्रतिशत जनसख्या मिलती है। यह उत्पादक जनसख्या के रूप मे है 60 से ऊपर की जनसख्या मे पुरुषो का प्रतिशत 7 06 मिलता है। यह भी अनुत्पादक आयुवर्ग है। इस प्रकार पुरुषो की अनुत्पादक जनसख्या मे 57 प्रतिशत अनुत्पादक जनसख्या का है।

ग्रामीण महिला जनसख्या का 0 9 प्रतिशत के मध्य 16 66 प्रतिशत जनसख्या पायी जाती है जबकि 10—19 के मध्य 25 54 प्रतिशत जनसख्या निवास करती है। इस प्रकार लगभग 38 प्रतिशत महिला जनसख्या 0 से 19 प्रतिशत के मध्य मिलती है। यह जनसख्या अनुत्पादक जनसख्या के रूप मे है। 20 से 29 के मध्य 16 28 30—39 के बीच 12 06 40—49 के बीच मे 9 प्रतिशत 50—59 के मध्य 6—13 प्रतिशत ग्रामीण महिला जनसख्या निवास करती है। इस प्रकार 30 से 59 के आयु—वर्ग के बीच मे कुल लगभग 27 19 प्रतिशत महिला जनसख्या मिलती है। 60 वर्ष से ऊपर के आयु—वर्ग के केवल 6 29 प्रतिशत जनसख्या मिलती है। इस प्रकार कुल अकार्यशील महिला जनसख्या का 43 43 प्रतिशत है। ग्रामीण जनसख्या के आयु—वर्ग पिरामिड के उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि पुरुष एव स्त्री जनसख्या मे अकार्यशील जनसख्या का प्रतिशत अधिक है। इससे स्पष्ट है कि यहाँ की अर्थव्यवस्था अल्प—विकसित है।

नगरीय आयु वर्ग संरचना

मानचित्र सख्या 3 8 से स्पष्ट होता है कि 0 से 19 एव 10 से 19 आयु वर्ग के बीच पुरुषो की जनसख्या क्रमश 27 41 एव 22 35 प्रतिशत

है। अर्थात पूरी जनसख्या का आधा 0 से 19 वर्ग के मध्य मिलते है। जो अनुत्पादक आयु–वर्ग के माने जाते है। 20 से 29 एव 30–39 आयु–वर्ग के बीच 15 0 एव 13 45 जनसख्या मिलती है। जो कुल मिलाकर लगभग 28 प्रतिशत होती है। जनसख्या का यह आयु–वर्ग विभिन्न कार्यो द्वारा उत्पादन करता है 40 से 49 एव 50 से 59 के आयु–वर्ग मे पुरुषो की 14 प्रतिशत जनसख्या मिलती है। यह उत्पादक जनसख्या के रूप मे है 60 से ऊपर की जनसख्या मे पुरुषो का प्रतिशत 6 18 मिलता है। यह भी अनुत्पादक आयु वर्ग है। इस प्रकार पुरुषो की अनुत्पादक जनसख्या मे 55 प्रतिशत अनुत्पादक जनसख्या है। नगरीय महिला जनसख्या मे 0 से 9 प्रतिशत के मध्य 28 49 प्रतिशत जनसख्या निवास करती है। जबकि 10 से 19 आयु–वर्ग के मध्य 22 97 प्रतिशत जनसख्या निवास करती है। इस प्रकार महिलाओ की लगभग 51 प्रतिशत जनसख्या 0 से 19 प्रति के मध्य निवास करती है। यह जनसख्या अनुत्पादक जनसख्या के रूप मे है। 20 से 29 के मध्य 15 92 प्रतिशत 30–39 के मध्य 12 91 प्रतिशत महिला जनसख्या निवास करती है। 40 से 49 आयु–वर्ग के बीच 8 4 प्रतिशत महिला जनसख्या निवास करती है। 50 से 59 के बीच 5 1 प्रतिशत महिला जनसख्या निवास करती है। इस प्रकार 30 से 50 आयु वर्ग के बीच मे कुल 26 41 प्रतिशत नगरीय महिला जनसख्या मिलती है। 60 वर्ष से ऊपर के आयु–वर्ग मे भाग 60 प्रतिशत जनसख्या निवास करती है। इस प्रकार कुल अकार्यशील नगरीय महिला जनसख्या का 50 प्रतिशत नगरीय जनसख्या के आयु वर्ग पिरामिड के उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि पुरुष एव महिला दोनो की जनसख्या मे अकार्यशील जनसख्या का प्रतिशत अधिक है। जबकि कार्यशील जनसख्या का प्रतिशत कम। अत स्पष्ट होता है कि फर्रुखाबाद जनपद की आर्थिक व्यवस्था अभी विकसित नही है।

फर्रुखाबद जनपद मे आयु–वर्ग सरचना सम्बन्धी समस्त ऑकडो की सम्मिलित रूप से विश्लेषण कर आयु–पिरामिड की रचना की गयी है।

(मानचित्र सख्या 3) जिसमे ग्रामीण एव नगरीय दोनो क्षेत्रो की आयु वर्ग सरचना का अकन किया गया है।

जनपद की समस्त आयु वर्ग सरचना

(मानचित्र सख्या 3 9) से स्पष्ट होता है कि 0 से 9 एव 10 से 19 आयु वर्ग के बीच पुरुषो की सख्या क्रमश 27 39 एव 22 90 प्रतिशत अर्थात पूरी जनसख्या का आधा भाग है जो अनुत्पादक आयु–वर्ग के माने जाते है। 20 से 29 एव 30 से 39 आयु वर्ग के बीच क्रमश 15 77 एव 11 96 प्रतिशत पुरुष जनसख्या मिलती है। जो कुल मिलकार लगभग 27 प्रतिशत होती है। जनसख्या का यह आयु वर्ग विभिन्न कार्यों द्वारा उत्पादन करता है। 40 से 49 एव 50 से 59 के आयु वर्ग मे पुरुषो की 15 प्रतिशत जनसख्या मिलती है। यह जनसख्या उत्पादक वर्ग के रूप मे है। 60 आयु वर्ग से ऊपर की पुरुष जनसख्या मे 6 90 प्रतिशत जनसख्या यह भी अनुत्पादक आयुवर्ग है। इस प्रकार जनपद मे पुरुषो की कुल जनसख्या मे 72 प्रतिशत अनुत्पादक जनसख्या है। जनपद मे महिला जनसख्या का 0 से 9 प्रतिशत के मध्य 29 52 जनसख्या पायी जाती है। जबकि 10 से 19 के मध्य 20 92 जनसख्या पायी जाती है। इस प्रकार लगभग 0 से 19 आयु वर्ग के मध्य महिला जनसख्या का 50 प्रतिशत पाया जाता है। यह जनसख्या अनुत्पादक जनसख्या के रूप मे है। 20 से 29 आयुवर्ग के मध्य 16 21 प्रतिशत महिला जनसख्या एव 30 से 39 आयु वर्ग के अन्तर्गत 12 22 प्रतिशत महिला जनसख्या पायी जाती है।

40 से 49 आयु–वर्ग के मध्य 8 90 प्रतिशत 50 से 59 आयु वर्ग के मध्य 5 94 प्रतिशत जनसख्या निवास करती है। इस प्रकार 30 से 59 आयु–वर्ग के बीच मे लगभग 27 प्रतिशत महिला जनसख्या पायी जाती है। 60 वर्ष के ऊपर के आयु वर्ग मे मात्र 6 26 प्रतिशत महिलाये पायी जाती है। इस प्रकार जनपद मे कुल अकार्यशील महिला जनसख्या का

N
DISTRICT FARRUKHABAD
OCCUPATIONAL STRUCTURE
1991
Cultivators
Agricultural Labourers
Others
Household Industry
10
0
10
km

56 7 प्रतिशत है। जनपद के आयु—वर्ग पिरामिड के अनुसार उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि पुरुष एव महिला जनसख्या दोनो ही वर्गो मे अकार्यशील जनसख्या का प्रतिशत अधिक है। इस विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि जनपद फर्रुखाबाद का विकास स्तर सूचकाक निम्न स्तर का है। अत अर्थव्यवस्था भी अल्पविकसित है।

सारणी क्रमाक 3 7

जनपद की आयु वर्गानुसार स्त्री/पुरुष जनसख्या प्रतिशत

आयु—वर्ग	पुरुष	महिला
0—9	27 39	29 52
10—19	22 90	20 92
20—29	15 77	16 21
30—39	11 96	12 22
40—49	8 78	8 90
50—59	6 27	5 94
60 से ऊपर	6 90	6 26

स्रोत - साख्यिकीय पत्रिका जनपद फर्रुखाबाद

व्यवसायिक संरचना

किसी क्षेत्र की व्यवसायिक सरचना ससाधनो का उपयोग करने वाली कार्यशील जनशक्ति का प्रतीक समझी जाती है।[11] किसी क्षेत्र की जनसख्या का कार्मिक प्रतिरूपो का विश्लेषण उस क्षेत्र के विभिन्न आर्थिक जनाकिकी तथा सास्कृतिक गुणो को स्पष्ट करता है तथा भविष्य मे उस क्षेत्र के लिये सामाजिक आर्थिक योजना के निर्माण हेतु पृष्ठभूमि तैयार करता है। आर्थिक कार्यो मे सलग्न मानवशक्ति व जनसख्या है जो वास्तव

मे उत्पादन कार्यो या सेवाओ मे सलग्न है। तथा जिसमे व्यक्तियो के दोनो लिग सम्मिलित है– आर्थिक कार्यो मे सलग्न जनसख्या को श्रम–शक्ति या कार्यशील जनसख्या कहा जाता है।[12] किसी भी क्षेत्र मे जनसख्या का व्यावसायिक स्वरूप ही आर्थिक विकास पर प्रभाव डालता है। जब कोई क्षेत्र आर्थिक रूप से विकास की ओर अग्रसर होता है तो उस क्षेत्र की क्रियाशील जनसख्या की सफलता द्वितीयक एव तृतीयक क्रियाओ मे बदलने लगती है। कार्यशील जनसख्या के तात्पर्य ऐसी जनसख्या से होता है जो आर्थिक वस्तुओ के उत्पादन और सेवाओ की सहभागिता प्रदर्शित करती है।[13] (मल्टी लेम्गुअल डेमोग्राजिक डिक्शनरी) जनपद फर्रुखाबाद मे 1991 की जनगणना के अनुसार कार्यशील जनसख्या का प्रतिशत 29 प्रतिशत है। जनपद की कुल जनसख्या 1284419 है जिनमे कुल कार्य मे लगे व्यक्तियो की सख्या 373568 है। शेष 910851 व्यक्ति अर्थात कुल जनसख्या का 70 91 प्रतिशत भाग अकार्यशील है। सारणी क्रम 3 8 एव मानचित्र सख्या 3 10 जनपद मे विकासखण्डवार ग्रामीण जनसख्या के आर्थिक वर्गीकरण द्वारा स्पष्ट होता है कि जनपद मे कार्यशील जनसख्या मे सर्वाधिक प्रतिशत कृषक वर्ग का है। इसका प्रमुख कारण फर्रुखाबाद जनपद की अर्थव्यवस्था का कृषि आधारित होना है। इसके बाद कृषक श्रमिको का स्थान है। पारिवारिक उद्योग मे लगी जनसख्या अन्य कार्यो मे लगी जनसख्या से कम है। जनपद मे विकासखण्डवार व्यवसायिक सरचना को देखने से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक कृषि कार्य मे लगी जनसख्या मोहम्दाबाद क्षेत्र मे है जबकि क्रमश ज्यादा से कम मात्रा मे कमालगज शम्शाबाद कायमगज राजेपुर नवाबगज बढपुर क्षेत्रो मे कृषि कार्य मे जनसख्या लगी है। बढपुर विकास खण्ड मे कृषि कार्य मे सबसे कम जनसख्या लगी होने का प्रमुख कारण इसका नगरीय क्षेत्रो के समीप होना व जनसख्या का नगरीय कार्यो मे लगे होना है।

जनपद मे सर्वाधिक कृषि श्रमिक कमालगज क्षेत्र हैं। यहाँ जमीनदारो की जमीन अधिक है साथ ही जमीन वाले लोग शहरो की ओर आ चुके है अत अपनी कृषि श्रमिको द्वारा करवाते है अन्य क्षेत्रो मे कृषक श्रमिक का क्रमश स्थान अवरोही क्रम मे कायमगज शम्शाबाद बढपुर मोहम्दाबाद राजेपुर नवाबगज क्षेत्रो मे है– जनपद मे पारिवारिक उद्योग मे लगी जनसख्या सर्वाधिक कमालगज क्षेत्र मे है इसके बाद क्रमश बढपुर कायमगज शमशाबाद मोहम्दाबाद नवाबगज एव सबसे कम राजेपुर क्षेत्र मे पारिवारिक उद्योग मे जनसख्या लगी हुयी है। जनपद मे कार्यशील जनसख्या का एक बडा वर्ग अन्य कार्यो मे लगा हुआ है। जिसमे प्रमुख रूप से पशुपालन वृक्षारोपण खनन कार्य निर्माण कार्य व्यापार एव वाणिज्य यातायात सग्रहण एव सचार कार्य है। इन अन्य कार्यो मे लगी जनसख्या को सारणी क्रमाक 3 8 से देखने से ज्ञात होता है कि क्षेत्रीय कार्मिक वर्गीकरण मे अन्य उद्योग एव कार्यो मे लगी जनसख्या सर्वाधिक मोहम्दाबाद क्षेत्र मे है क्रमश अन्य क्षेत्रो का स्थान अवरोही क्रम मे कमालगज कायमगज बढपुर शम्शाबाद राजेपुर एव नवाबगज क्षेत्रो का है। (*स्रोत - साख्यिकीय पत्रिका फर्रुखाबाद जनपद।*) जनपद मे नगरीय एव ग्रामीण क्षेत्रो मे कुल कार्यशील जनसख्या का प्रतिशत नगरीय एव ग्रामीण जनसख्या के सदर्भ मे क्रमश 27 74 एव 26 26 प्रतिशत है। जनपद के नगरीय क्षेत्रो की कुल जनसख्या 272836 मे कुल 75711 व्यक्ति कार्यशील है एव 197125 व्यक्ति अकार्यशील है। इस प्रकार नगरीय जनसख्या का 27 74 प्रतिशत भाग कार्यशील है। शेष 72 25 प्रतिशत भाग अकार्यशील है। ग्रामीण क्षेत्रो की कुल जनसख्या 1011583 व्यक्ति है जिसमे कुल 265670 व्यक्ति कार्यशील है एव 74 5913 व्यक्ति अकार्यशील है। इस प्रकार ग्रामीण जनसख्या का 26 26 प्रतिशत भाग कार्यशील है। शेष 73 73 प्रतिशत भाग अकार्यशील है। (*स्रोत साख्यिकीय पत्रिका एव जनगणना कार्यालय।*)

सारणी क्रमाक 3 8

जनसख्या का आर्थिक वर्गीरण

क्र	विकासखण्ड	कृषक	कृषक श्रमिक	पारिवारिक उद्योग	अन्य
1	कायमगज	31219	18431	286	6011
2	नवाबगज	25531	3448	152	2530
3	शम्शाबाद	31585	6574	226	3327
4	राजेपुर	29982	4570	73	2823
5	बढपुर	16327	6563	449	5356
6	मोहम्दाबाद	43647	5879	181	6920
7	कमालगज	38795	9272	652	6309

स्रोत *जनगणना कार्यालय जनपद फर्रुखाबाद साख्यिकीय पत्रिका*

जाति एवं धर्म

फर्रुखाबाद जनपद मे विभिन्न जाति एव धर्मो के लोग निवास करते है। सवर्णो मे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एव कायस्थ आदि जातिया जनपद मे निवास करती है पिछडे वर्गो मे अहीर कुर्मी लोधी गडरिया कहार काछी नाई लुहार बढई आदि जातिया निवास करती है। अनुसूचित जातियो मे चमार धानुक धोबी बाल्मीकि आदि जातिया इस जनपद मे निवास करती है। सारणी क्रमाक 3 9 से स्पष्ट होता है कि जनपद मे हिन्दू धर्म को मानने वाली जाति सर्वाधिक है। जनपद की कुल जनसख्या का 85 55 प्रतिशत भाग हिन्दू धर्म मे विश्वास करता है। जबकि मुस्लिम कुल आबादी के 14 17 प्रतिशत है। यहॉ बौद्ध और जैन धर्मो के मानने वाले भी रहते है। इनके मन्दिरो का क्षेत्र जनपद मे कम्पिल एव सकिसा क्षेत्र है। जहॉ ये तीर्थ यात्रियो के रूप मे सदैव आते रहते है। किन्तु इनमे निवास

करने वालो मे कुल जनसख्या मे बौद्धो का 08 प्रतिशत एव जैनो 04 प्रतिशत भाग ही निवास करता है। इस प्रकार जनपद मे जातियो का अध्ययन करने के पश्चात इनका अपराधो पर इनका प्रभाव भी सामने आता है।

सारणी क्रमाक 3 9

जनपद मे धर्मानुसार जनसख्या

क्रमाक	धर्म	कुल जनसख्या	कुल जनसख्या (प्रतिशत मे)
1	हिन्दू	109882	85 55
2	मुस्लिम	182002	14 17
3	ईसाई	771	06
4	सिख	11515	09
5	बौद्ध	1028	08
6	जैन	513	04
7	अन्य	129	01
		1284419	**100 00**

स्रोत *साख्यिकीय पत्रिका जनपद फर्रुखाबाद*

संदर्भ

1 जी टी टिवार्था – द केस फॉर पापुलेशन ज्योग्राफी 1953 वॉलूम–43 पृ 71–97

2 हीरालाल – जनसख्या भूगोल 1985 पृ 128

3 मदाम गर्नियर – 1870 सस्करण वाराणसी पृ 128

4 वी पी पडा – जनसख्या भूगोल 1991 पृ 13

5 साख्यिकीय पत्रिका जनपद फर्रुखाबाद 1996–97

6 सेन्सस ऑफ इण्डिया 2001 भारत सरकार गृहमत्रालय जनगणना प्रभाग

7 जनगणना कार्यालय जनपद फर्रुखाबाद

8 अर्थ एव सख्याधिकारी जनपद फर्रुखाबाद

9 एस चन्द्रशेखर – भारत की जनसख्या मेरठ 1968 पृ 3

10 स्टेटिकल बुलेटन ऑफ फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक 1991 पृ 30

11 जे बाल्डनिब एण्ड बॉटम – दि अरबन क्रमिनल 1976 पृ 28

12 यूनाइटेड नेशन्स 1968 पृ 3

13 मल्टी लेम्गुअल डेमोग्राफिक डिक्शनरी

अध्याय—4

कृषि एवं पशु संसाधन

अध्याय—4

कृषि एवं पशु संसाधन

कृषि भूदृश्यावली

भारत की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। कृषि के अन्तर्गत भूमि से जुडे सभी मानवीय कार्य—खेत निर्माण जुताई बुआई फसल उगाना सिचाई करना पशु पालन मत्स्य—पालन व अन्य जीवो का पालन आदि सम्मिलित है।[1]

कृषि मृदा—कर्षण एव खेतीबारी का विज्ञान है। इसमे विभिन्न क्रियाये जैसे सग्रहण पशुपालन जुताई आदि सम्मिलित की जाती है।[2]

इस प्रकार कृषि का अर्थ व्यापक है। इसके अन्तर्गत मानव की समस्त क्रियाओ को सम्मिलित किया जाता है। जिनकी सहायता से खाद्य और कच्चे माल की प्राप्ति के लिये मिट्टी का उपयोग होता है।[3]

जनपद फर्रुखाबाद कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहॉ कुल कार्यशैल जनसख्या का भाग 80 प्रतिशत सीधे कृषक एव कृषक—मजदूरो के रूप मे कृषि से जुडा है। विगत वर्षो मे जनपद के कृषि क्षेत्र मे विभिन्न मदो मे महत्वपूर्ण परिवर्तन घटित हुये हैं। इन परिवर्तनो के लिये जनपद के कृषको द्वारा कृषि मे मशीनीकरण के प्रयोग खादे अधिक उत्पादन देने वाले बीजो कीटनाश दवाइयो के प्रयोग के साथ—साथ सिचाई की सुविधाओ का अधिकतम उपयोग किया जाना रहा है। उपरोक्त घटक जहॉ जनपद के कृषि विकास मे सहायक सिद्ध हुये है वही उन्होने मानव समाज के परिवर्तन मे भी महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। कृषि से सम्बन्धित नवीन विचार जो समय और क्षेत्र मे घटित होते है के प्रयोग एक ऐसी प्रक्रिया है जो कृषि विकास के साथ—साथ मानवीय समाज को सुनिश्चित करती है।[4]

DISTRICT FARRUKHABAD
LAND-USE PATTERN
1991
N
Net Sown Area
Non Agricultural Use
Cultivable Waste Land
Fallow Land
Forest, Pasture & Other Grazing Land
10
0
10
km

सामान्य भूमि उपयोग

भूमि उपयोग एक ऐसा आर्थिक प्रक्रम है जिसके द्वारा भूमि को यथाशक्ति रूप मे तथाभूमि की प्रकृति के अनुरूप दशाओ का अनुगमन करते हुये विभिन्न प्रकार के उत्पादनो के लिये प्रयुक्त किया जाता है। भूमि उपयोग का सम्बन्ध ससाधनो के अध्ययन मात्र से नही है। इसका अर्थ व्यापक है। क्योकि यात्रिक क्रान्ति के कारण भूमि एक त्रिआयामीय प्रत्यय के रूप मे विकसित हो गयी है।[5] भूमि उपयोग भूमि के स्वभाविक लक्षणे के अनुसार भू धरातल का यथार्थ तथा विशिष्ट उपयोग है।[6] उपयोग का अध्ययन मूलत वनस्पति आच्छादन या उसकी कमी से सम्बन्धित है। भूगोल के क्षेत्र मे यह एक औपचारिक सकल्पना है।[7] पुष्टि करते है कि– भूमि उपयोग प्राकृतिक व सास्कृतिक दोनो ही उपादानो के सयोग का प्रतिफल है।

सारणी क्रमाक 4 1

जनपद फरुखाबा। मे सामान्य भूमि–उपयोग

क्रमाक	विवरण	क्षेत्रफल हेक्टेयर मे	क्षेत्रफल प्रतिशत मे
1	कुल प्रति वेदित भूमि	218979	100 00
2	वन	483	0 22
3	कृषि योग्य बजर भूमि	6969	3 18
4	वर्तमान मे परती–भूमि	9062	4 13
5	अन्य परती–भूमि	12889	5 88
6	ऊसर व कृषि अयोग्य भूमि	9008	4 11
7	कृषि अतिरिक्त अन्य उपयोग की भूमि	23476	10 72
8	चारागाह	563	0 25
9	उद्यान वृक्ष व झाडियो का क्षेत्र	3351	1 53
10	शुद्ध बोया गया क्षेत्र	153178	69 98

स्रोत* *साख्यिकीय पत्रिका जनपद फर्रुखाबाद

सामान्य भूमि–उपयोग सारणी 4 1 से स्पष्ट है कि कोई भी कृषि जन्य विकास यकायक परिवर्तित नही होता बल्कि धीरे–धीरे कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल के आन्तरिक उपवर्गो मे परिवर्तन से होता रहता है। कृषि नियोजन मे भूमि–उपयोग के अध्ययन का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि जनपद फर्रुखाबाद मे भूमि–उपयोग का विश्लेषण करे तो स्पष्ट होता है कि 1996–97 के आकडो के अनुसार जनपद फर्रुखाबाद मे कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल का 69 98 प्रतिशत भाग कृषि के अन्तर्गत शुद्ध रूप से बोया गया है। कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग मे लायी गयी भूमि 10 72 प्रतिशत है। जनपद मे चारागाह का क्षेत्रफल भूमि उपयोग के दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण नही है क्योकि यहॉ कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल का मात्र 0 25 प्रतिशत भाग ही चारागाह के रूप मे उपयोग किया जाता है। कुल क्षेत्र का 0 22 प्रतिशत वनो के अन्तर्गत है जो राष्ट्र के औसत से कम है। कुल क्षेत्र मे 3 18 प्रतिशत बजर भूमि तथा 4 13 प्रतिशत वर्तमान परती तथा 5 88 प्रतिशत अन्य परती भूमि अन्तर्गत है। कुल क्षेत्रफल का 4 11 प्रतिशत भाग ऊसर व कृषि अयोग्य भूमि के अन्तर्गत निहित है जबकि उद्यान वृक्ष व झाडियो के अन्तर्गत 1 53 प्रतिशत क्षेत्रफल सम्मिलित है। जनपद के भूमि उपयोग को तालिका 4 1 मे दर्शाया गया है। *(स्रोत साख्यिकीय पत्रिका फर्रुखाबाद 1996–97)*

जनपद मे ग्रामीण एव नगरीय स्तर पर भूमि उपयोग के विभिन्न वर्गो मे अन्तर देखने को मिलता है। नगरीय क्षेत्रो मे वनो एव चारागाहो का पूर्णरूपेण अभाव पाया गया है। नगरीय क्षेत्र मे कुल प्रतिवेदित क्षेत्र की 294 हेक्टेयर भूमि शुद्ध रूप से बोयी जाती है जबकि 583 हेक्टेयर भूमि का उपयोग आवासीय कार्यो के लिये किया जाता है।

सारणी क्रमाक 4 2

फर्रुखाबाद जनपद का भूमि उपयोग (प्रतिशत मे)

क्र	विकासखण्ड	वन+उद्यान चारागाह	बजर + ऊसर	कुल परती	कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग	शुद्ध बोया गया क्षेत्र
1	मोहम्दाबाद	2 65	8 2	12 89	6 05	70 17
2	कायमगज	1 14	5 31	12 45	13 24	67 84
3	राजेपुर	0 81	10 95	10 9	12 79	64 16
4	शम्शाबाद	2 18	7 67	6 62	15 68	66 68
5	कमालगज	3 18	2 69	7 72	5 75	79 03
6	नवाबगज	2 11	7 72	10 6	5 70	73 8
7	बढपुर	3 14	4 21	7 78	12 83	72 02

स्रोत *साख्यिकीय पत्रिका फर्रुखाबाद 1996–97*

जनपद फर्रुखाबाद मे विकासखण्डवार प्रतिवेदित भूमि का मोहम्दाबाद मे 18 72 प्रतिशत क्षेत्र है कायमगज म 16 65 प्रतिशत क्षेत्र है। राजेपुर मे 16 14 प्रतिशत क्षेत्र आता है। शम्शाबाद मे कुल भूमि का 16 00 प्रतिशत क्षेत्र है। कमालगज मे कुल प्रतिवेदित भूमि का 15 04 प्रतिशत नवाबगत मे कुल प्रतिवदित भूमि का 10 54 प्रतिशत एव बढपुर मे 6 47 प्रतिशत कुल प्रतिवेदित भूमि पायी जाती है। *(स्रोत – साख्यिकी पत्रिका)* इस प्रकार उपरोक्त आकडो से स्पष्ट होता है कि फर्रुखाबाद जनपद मे कुल प्रतिवेदित भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत मोहम्दाबाद विकासखण्ड के क्षेत्र मे है जबकि सबसे न्यून–प्रतिशत भूमि का बढपुर विकासखण्ड के क्षेत्र मे है। जनपद मे वन क्षेत्र का सर्वाधिक 1 12 प्रतिशत बढपुर विकासखण्ड मे है जबकि राजेपुर व शम्शाबाद विकासखण्ड मे वनो का प्रतिशत शून्य है। जनपद मे भूमि उपयोग तालिका 4 2 से स्पष्ट होता है कि जनपद मे वन उद्यान एव चारागाह की सम्मिलित भूमि का प्रतिशत सर्वाधिक बढपुर विकासखण्ड मे 3 14 प्रतिशत है। जबकि सर्वाधिक न्यून प्रतिशत राजेपुर क्षेत्र मे

0 81 प्रतिशत है जनपद मे कुल प्रतिवेदित क्षेत्र मे बजर एव ऊसर भूमि का सर्वाधिक भाग 10 95 प्रतिशत राजेपुर विकासखण्ड मे है। जबकि सर्वाधिक न्यून प्रतिशत 2 69 कमालगज विकासखण्ड मे है। इस प्रकार विदित होता है कि राजेपुर क्षेत्र मे कृषि योग्य भूमि के विकास की सम्भावनाये निहित है। जनपद फर्रुखाबाद मे कुल परती भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत 12 89 मोहम्दाबाद मे है। जबकि सर्वाधिक न्यून प्रतिशत 6 62 शम्शाबाद मे है। जनपद मे कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग की भूमि का सर्वाधिक 15 68 प्रतिशत भाग शम्शाबाद मे है जबकि सर्वाधिक न्यून प्रतिशत 5 75 कमालगज क्षेत्र मे है। विकासखण्ड के अनुसार कुल प्रतिवेदित भूमि के शुद्ध बोय गये क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत 79 03 कमालगज क्षेत्र मे है। जबकि सबसे कम 64 16 प्रतिशत राजेपुर मे निहित है। तालिका क्रमाक 4—2 से स्पष्ट है कि कुल प्रतिवेदित भूमि का कमालगज मे पाचवा स्थान होने पर भी शुद्ध बोये गये क्षेत्र का सर्वाधिक भाग कमालगज मे है। जबकि राजेपुर मे कुल प्रतिवेदित भूमि का तीसरा स्थान होने पर भी शुद्ध बोय गये क्षेत्र का सर्वाधिक न्यून भाग है। अत राजेपुर क्षेत्र मे ऊसर एव बजर क्षेत्रो को कृषि के योग्य बनाये जाने की सम्भावनाये उपस्थित है।

सारणी क्रमाक 4 3

जनपद मे बोये गये क्षेत्र का ÉCERU

	फसल	क्षेत्र बोया गया (हेक्टेयर मे)	बोया गया क्षेत्र प्रतिशत मे
1	रवी के अन्तर्गत	127465	56 78
2	खरीफ के अन्तर्गत	83920	37 38
3	जायद के अन्तर्गत	13087	5 83
	कुल बोया गया क्षेत्र	**224472**	**100 00**

स्रोत *- साख्यिकीय पत्रिका 1996—97*

यदि जनपद मे सकल बोये गये क्षेत्रफल की व्याख्या करे तो तालिका क्रमाक – 4 3 से स्पष्ट है कि जनपद मे सकल बोया गया क्षेत्रफल 224472 हेक्टेयर है जिसमे रबी खरीफ जायद मे क्रमश 127465 83920 एव 13087 हेक्टेयर क्षेत्रफल सम्मिलित है। जनपद मे गन्ने के लिये तैयार की गयी भूमि का ह्रास हुआ है। जो पहले 169 हेक्टेयर थी किन्तु बाद मे मिलो मे घाटा सग्रहण क्षमता का ह्रास यात्रिक अभियात्रिकी मे कुशलता की कमी आदि के कारण अब फर्रुखाबाद जनपद मे गन्ने की कृषि समाप्त प्राय हो चुकी है इससे फर्रुखाबाद जनपद मे स्थित चीनी उद्योग को सर्वाधिक हानि हुयी है।

इस जनपद म सकल बोये गये क्षेत्रफल रबी खरीफ और जायद फसलो के अतिरिक्त गन्ने के लिये अलग से कोई भूमि निहित नही है। जनपद मे रबी फसल के अन्तर्गत सकल बोयी गयी भूमि का 56 78 प्रतिशत क्षेत्र निहित है। खरीफ फसल के अन्तर्गत 37 38 प्रतिशत भूमि और जायद फसल के अनतर्गत सकल बोयी गयी भूमि का 5 83 प्रतिशत भूमि निहित है।

विकासखण्ड स्तर पर सकल बोयी गयी भूमि का सर्वाधिक हेक्टेयर मोहम्मदाबाद क्षेत्र विकासखण्ड मे पाया जाता है। जो सम्पूर्ण जनपद मे सकल बोयी गयी भूमि का 18 50 प्रतिशत तथा न्यूनतम हेक्टेयर 15461 बढपुर विकास खण्ड मे है जो सम्पूर्ण जनपद की सकल बोयी गयी भूमि का 6 88 प्रतिशत है। *(स्रोत साख्यिकीय पत्रिका 1996–97)*

कृषि भूमि उपयोग

सामान्य भूमि उपयोग एव कृषि–भूमि उपयोग मे अत्यन्त सूक्ष्म अन्तर है। सामान्य–भूमि उपयोग क अन्तर्गत जहॉ प्रकृति द्वारा प्रदत्त भूमि की स्थितियॉ सम्मिलित है वही कृषि भूमि उपयोग के अन्तर्गत मानवीय प्रयासो द्वारा कृषि के अन्तर्गत भूमि के उपयोग मे सम्मिलित किया जाता है।

जनपद फर्रुखाबाद मे वर्ष 1996—97 मे कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल का 69 95 प्रतिशत भाग कृषि के अन्तर्गत शुद्ध रूप से बोया गया है। जनपद मे सकल बोया गया क्षेत्रफल 224472 हेक्टेयर है। जनपद मे कृषि योग्य बजर भूमि व कुल परतीभूमि प्रतिवेदित भूमि का 13 20 प्रतिशत है। जो एकदम बेकार पडी हुयी है इसे कृषि कार्य मे उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार जनपद मे बोयी गयी भूमि मे पर्याप्त वृद्धि की जा सकती है। बढती जनसख्या की आवश्यकताओ हेतु अत्यन्त आवश्यक है कृषि योग्य भूमि का विस्तार किया जाये।

जनपद मे उद्यान व वृक्षो का प्रतिशत 1 53 है जो अत्यन्त कम है। अत परिस्थितिक सतुलन बनाये रखने के लिये वन और उद्यानो की अत्यधिक आवश्यकता है। अत उद्यान भूमि को बढाने की आवश्यकता है।

सारणी क्रमाक 4 4ए

फसल प्रारूप

क्रम	फसल	क्षेत्रफल हेक्टेयर मे	क्षेत्रफल प्रतिशत मे
1	गेहूँ	74318	30 20
2	चावल	9246	4 11
3	मक्का	42432	18 92

स्रोत *साख्यिकीय पत्रिका जनपद फर्रुखाबाद*

फसल प्रारूप

फर्रुखाबाद क्षेत्र मे सकल बोये गये क्षेत्रफल के सन्दर्भ मे विभिन्न फसलो के अन्तर्गत बोये गये क्षेत्र का विश्लेषण करे तो सारणी 4 4ए से स्पष्ट होता है कि जनपद फर्रुखाबाद मे रवी की फसल सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल है। जिसमे मुख्य रूप से गेहूँ व चावल की उपज होती है। गेहूँ के अन्तर्गत सकल बोये जाने वाले क्षेत्रफल का का 30 20 प्रतिशत भाग प्रयोग

मे लाया जाता है। जिसके अन्तर्गत कुल 74318 हेक्टेयर क्षेत्र बोया जाता है। चावल के अन्तर्गत कुल क्षेत्रफल का 9246 हेक्टेयर क्षेत्र बोया जाता है जा सकल बोये गये क्षेत्र का 4 11 प्रतिशत क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। जनपद मे कुल मक्का 42432 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर यानि कुल बोयी गयी भूमि का 18 92 प्रतिशत भाग है। इस प्रकार सारणी क्रमाक 4 4बी से स्पष्ट है कि फर्रुखाबाद जनपद मे कुल खाद्यान्न के अन्तर्गत 149208 हेक्टेयर क्षेत्रफल निहित है जो बोयी गयी कुल भूमि का 65 46 प्रतिशत है जबकि तिलहन के अन्तर्गत 2072 5 हेक्टेयर क्षेत्रफल है जो बोयी गयी कुल भूमि का 9 21 प्रतिशत है। जबकि दलहन कुल बोये क्षेत्र का 11151 हेक्टेयर मे बोया जाता है जो सकल बोयी भूमि का 4 94 भाग मे उपजाया जाता है।

फर्रुखाबाद जनपद मे अन्य फसलो के रूप मे आलू महत्त्वपूर्ण फसल है। जो सकल बोयी गयी भूमि का 12 17 प्रतिशत भाग पर बोयी जाती है। जबकि तम्बाकू 2 25 प्रतिशत भाग पर और गन्ना कुल बोयी गयी भूमि के 3 76 प्रतिशत भाग पर बोया जाता है। और कुल शेष 2 30 प्रतिशत पर चारा बोया जाता है।

क्रमाक सारणी 4 4बी

फर्रुखाबाद जनपद मे फसल प्रारूप (प्रतिशत मे)

	मुख्य फसले	बोया गया क्षेत्र प्रतिशत मे
1	खाद्यान्न	65 46
2	तिलहन	9 21
3	दलहन	4 94
अन्य	**फसले**	
1	आलू	12 17
2	गन्ना	3 76
3	चारा	2 30
4	तम्बाकू	2 25
	कुल	**100 00**

स्रोत *साख्यिकीय पत्रिका जनपद फर्रुखाबाद*

उत्पादन प्रारूप

सारणी क्रमाक 4 5 से स्पष्ट है कि जनपद फर्रुखाबाद मे 1996—97 के नवीन आकडो के अनुसार कुल खाद्यान्न उत्पादन 365923 00 मीट्रिक टन रहा जिसमे गेहूँ कुल 237743 00 मी ट एव चावल 19333 मीट्रिक टन रहा। सारणी न 4 6 से स्पष्ट है कि कुल दलहन उत्पादन 11390 00 मीट्रिक टन रहा जिसमे क्रमश चना 3889 00 मीट्रिक टन मटर 2528 00 मीट्रिक टन एव अरहर 2418 मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ। सारणी क्रमाक 4 7 से स्पष्ट है कि जनपद मे तिलहन उत्पादन कुल 25982 00 मीट्रिक टन हुआ जिसमे प्रमुख उत्पादन सरसो 13674 00 मीट्रिक टन एव दूसरे स्थान पर उत्पादन सूरजमुखी 11302 00 मीट्रिक टन हुआ। गन्ने का उत्पादन 494230 00 मीट्रिक टन हुआ आलू का उत्पादन 761285 00 मीट्रिक टन हुआ तम्बाकू का उत्पादन 31174 00 मीट्रिक टन हुआ।

जनपद फर्रुखाबाद मे प्रतिहेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक 583 92 कुन्तल प्रति हेक्टेयर गन्ने का रहा। आलू का दूसरे स्थान पर 279 40 कुन्तल प्रति हेक्टेयर रहा। धान्य फसलो मे सर्वाधिक उत्पादन गेहूँ का 31 99 कुन्तल प्रति हेक्टेयर रहा। जबकि चावल का 20 91 कुन्तल प्रति हेक्टेयर व मक्का का 21 72 कुन्तल प्रति हेक्टेयर रहा। इस प्रकार औसत उपज खाद्यान्न की कुन्तल प्रति हेक्टेयर 24 85 रही। *(स्रोत साख्यिकीय पत्रिका)*

सारणी क्रमाक 4 6 से स्पष्ट है कि जनपद मे दालो की औसत उपज प्रति हेक्टेयर 10 29 कुन्तल रहा जिसमे सर्वाधिक मटर 20 06 कुन्तल प्रति हेक्टर व 11 23 कुन्तल प्रति हेक्टेयर चना व 9 07 कुन्तल प्रतिहेक्टेयर औसत उपज अरहर की रही। जनपद मे तिलहन की औसत उपज कुन्तल प्रति हेक्टेयर 11 90 रही जिसमे 16 01 कुन्तल प्र हे सूरजमुखी व 12 45 कुन्तल प्रति हे औसत उपज सरसो की रही है जो निम्न तालिका 4 7 से स्पष्ट है।

क्रमाक सारणी 4 5

खाद्यान्न उत्पादन प्रारूप

प्रमुख खाद्यान्न

क्र स	फसले	उत्पादन मीट्रिक टन मे	औसत उत्पादन
1	गेहूँ	237743 00	31 99
2	चावल	19333 00	20 91
3	मक्का	92133 00	21 72
4	बाजरा	8196 00	12 96
5	ज्वार	3034 00	8 82
6	जौ	5483 00	23 88

स्रोत साख्यिकीय पत्रिका जनपद फर्रुखाबाद 1996—97

सारणी क्रमाक 4 6

दलहन उत्पादन प्रारूप

प्रमुख दलहन

क्र स	फसले	उत्पादन मीट्रिक टन मे	औसत उत्पादन प्रति हेक्टेयर (कुन्तल मे)
1	उर्द	1323 00	6 10
2	मूँग	600 00	7 17
3	मसूर	633 00	8 11
4	अरहर	2410 00	9 07
5	चना	3889 00	11 23
6	मटर	2529 00	20 06

स्रोत *पत्रिका जनपद फर्रुखाबाद*

क्रमाक सारणी 4 7

तिलहन उत्पादन प्रारूप व अन्य फसले

तिलहन

क्र स	फसल	उत्पादन मीट्रिक टन मे	औसत उत्पादन प्रति हेक्टेयर (कुन्तल मे)
1	सरसो	13674 00	12 45
2	तिल	201 00	1 11
3	मूगफली	805 00	9 22
4	सूरजमुखी	1 302 00	16 01

अन्य फसले

क्र स	फसल	उत्पादन मीट्रिक टन मे	औसत उत्पादन प्रति हेक्टेयर (कुन्तल मे)
1	गन्ना	494230 00	583 92
2	आलू	761285 00	278 40
3	तम्बाकू	31174 00	61 50

स्रोत साख्यिकीय पत्रिका जनपद फर्रुखाबाद

सारणी क्रमाक 4 8

[illegible] के अन्तर्गत [illegible] (हेक्टेयर मे)

क्र	विकासखण्ड	खाद्यान्न	दलहन	तिलहन	आलू	तम्बाकू	गन्ना
1	कायमगज	21571	1433	2585	1103	2098	2945
2	नवाबगज	17509	1319	1732	2321	989	1576
3	शम्शाबाद	21384	1323	2119	2784	1548	2813
4	राजेपुर	240671	1508	3257	1976	17	770
5	बढपुर	8676	620	1501	3543	171	151
6	मोहम्दाबाद	30029	2786	4136	6316	136	197
7	कमालगज	25469	2146	5392	9208	93	12

स्रोत - [illegible] पत्रिका फर्रुखाबाद

सारणी क्रमाक 48 के अनुसार जनपद फर्रुखाबाद मे फसलो के अन्तर्गत पाये जाने वाले क्षेत्रफल को दर्शाया गया है। इस सारणी से स्पष्ट है कि जनपद मे खाद्यान्न के अन्तर्गत अधिक क्षेत्रफल है। जबकि अन्य फसलो का खाद्यान्न के बाद स्थान आता है। क्षेत्रीय वितरण के अनुसार मोहम्दाबाद मे खाद्यान्न के अन्तर्गत अधिक एव बढपुर मे कम क्षेत्रफल है। दलहन का सर्वाधिक क्षेत्रफल मोहम्दाबाद मे एव सबसे कम क्षेत्रफल बढपुर क्षेत्र मे है। तिलहन का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला विकासखण्ड कमालगज है व सबसे कम क्षेत्रफल बढपुर मे है। नकदी फसलो मे आलू के अन्तर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल मोहम्दाबाद क्षेत्र मे 6316 हेक्टेयर है। और कायमगज मे सबसे कम क्षेत्रफल 1103 हेक्टेयर मे बोया जाता है। तम्बाकू का सर्वाधिक बोया गया क्षेत्र कायमगज मे है। जबकि राजेपुर ब्लाक मे सबसे कम मात्र 17 हेक्टेयर क्षेत्रफल मे ही तम्बाबू उगाया जाता है। गन्ना का सर्वाधिक बोया गया क्षेत्रफल 2945 कायमगज मे है और सबसे कम 12 हेक्टेयर कमालगज क्षेत्र मे है। इस प्रकार फर्रुखाबाद जनपद के मोहम्दाबाद क्षेत्र मे खाद्यान्न दलहन एव आलू सर्वाधिक क्षेत्रफल मे बोया जाता है। कायमगज क्षेत्र मे तम्बाकू और गन्ना सर्वाधिक क्षेत्रफल मे बोया जाता है। फर्रुखाबाद जनपद मे सर्वाधिक क्षेत्रफल खाद्यान्न के अन्तर्गत है जबकि इसके बाद क्रमश आलू, तिलहन दलहन गन्ना तम्बाकू का स्थान आता है।

सारणी क्रमाक 49
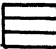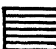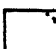
जनपद मे फसलो के अन्तर्गत क्षेत्रफल (प्रतिशत मे)

क्र	विकासखण्ड	खाद्यान्न	दलहन	तिलहन	आलू	तम्बाकू	गन्ना
1	कायमगज	14 45	12 85	12 77	4 03	41 38	34 79
2	नवाबगज	11 73	11 82	8 35	8 98	19 51	18 62
3	शम्शाबाद	14 33	11 86	10 22	10 18	30 53	33 23
4	राजेपुर	16 12	13 52	15 71	7 22	0 33	9 09
5	बढपुर	5 81	5 56	7 24	12 96	3 37	1 78
6	मोहम्दाबाद	20 12	24 98	19 95	23 09	2 68	2 32
7	कमालगज	17 06	19 24	26 01	33 67	1 83	0 14

स्रोत *साख्यकीय पत्रिका 1998 जनपद फर्रुखाबाद*

N
DISTRICT FARRUKHABAD
IRRIGATED AREA BY
DEFFERENT SOURCES
1991
SOURCES
Private Tube well
Govt Tube well
Well
Pond
Canal
10
0
10
km

सिचाई

सारणी क्रमाक 4 10 से स्पष्ट है कि जनपद फर्रुखाबाद मे कुल प्रतिवेदन भूमि का 55 6 प्रतिशत भाग सिचित है। लेकिन सिचित क्षेत्र को वितरण असमान मिलता है। जनपद के मध्यवर्ती भाग मे 80 0 प्रतिशत से अधिक भाग सिचित है। जनपद मे कुल सिचित क्षेत्रफल 121847 हेक्टेयर है। जो नहरो राजकीय एव निजी नलकूपो तालाब झील पोखर और अन्य साधनो द्वारा सिचित है। जनपद मे कुल सिचित क्षेत्रफल का 3 0 प्रतिशत नहरो द्वारा सीचा जाता है। राजकीय नहरो द्वारा सोचा जाता है। निजी नलकूपो द्वारा 89 4 प्रतिशत भाग की सिचाई होती है। कुये द्वारा 2 00 प्रतिशत क्षेत्र की सिचाई होती है जबकि तालाबो द्वारा 0 30 प्रतिशत क्षेत्र को सीचा जाता है। अन्य साधनो के द्वारा मात्र 0 31 प्रतिशत क्षेत्र ही सिचित है।

सारणी क्रमाक 4 10

विभिन्न साधनो द्वारा सिचित [illegible] हेक्टेयर व प्रतिशत मे

क्र स	सिचित साधन	वास्तविक सिचित क्षेत्रफल (हेक्टेयर मे)	वास्तविक सिचित क्षेत्रफल (प्रतिशत मे)
1	नहरे	3776	3 0
2	नलकूप राजकीय	5901	4 8
3	नलकूप निजी	108979	89 4
4	कुये	2437	2 0
5	तालाब	366	0 30
6	अन्य	388	0 31
	कुल सिचित क्षेत्रफल	**121847**	**100.00**

स्रोत *साख्यिकीय पत्रिका फर्रुखाबाद / व सिचाई विभाग*

सिचाई के साधन

जनपद मे सिचाई का प्रमुख साधन निजी नलकूप है जो आकडे द्वारा स्पष्ट है। जनपद मे सर्वाधिक सिचाई निजी नलकूपो द्वारा होती है। जबकि सबसे कम तालाब व अन्य साधनो द्वारा सिचाई होती है। जनपद के नहरो द्वारा सिचाई सर्वाधिक कायमगज विकास खण्ड मे होती है। राजकीय नलकूपो द्वारा सिचाई सर्वाधिक मोहम्दाबाद विकासखण्ड मे जबकि निजी नलकूपो का सिचाई मे उपयोग सर्वाधिक कमालगज मे एव तालाबो द्वारा भी सर्वाधिक सिचाई कमालगज विकासखण्ड मे ही होती है। कुओ द्वारा सिचित क्षेत्र सर्वाधिक राजेपुर विकास खण्ड मे है। जनपद मे सबसे कम सिचित भूमि बढपुर विकासखण्ड मे कुल प्रतिवेदन भूमि का 4 16 प्रतिशत सिचित है। एव सबसे अधिक सिचित भूमि कुल मोहम्मदाबाद विकासखण्ड भूमि की 10 8 प्रतिशत कुल प्रतिवेदित भूमि का पाया जाती है। *(स्रोत साख्यिकीय पत्रिका)*

विभिन्न फसलों का सिचित क्षेत्रफल प्रतिशत में

फर्रुखाबाद जनपद मे कुल बोये गये खाद्यान्न के क्षेत्रफल का 62 5 प्रतिशत हेक्टेयर क्षेत्रफल सिचित है। जिसमे गेहूँ कुल के क्षेत्रफल का 97 2 प्रतिशत भाग सिचित है। जबकि चावल का सिचित क्षेत्रफल कुल बोये गये चावल के क्षेत्रफल का 53 3 प्रतिशत है। दलहन का कुल सिचित क्षेत्रफल 38 04 प्रतिशत हेक्टेयर है। जबकि तिलहन का 78 9 प्रतिशत हेक्टेयर क्षेत्रफल सिचित है। आलू का 99 9 प्रतिशत हेक्टेयर क्षेत्रफल सिचित है। तम्बाकू का 100 प्रतिशत हेक्टेयर क्षेत्रफल सिचित है। गन्ना का 93 9 प्रतिशत हेक्टेयर क्षेत्रफल सिचित है। *(स्रोत साख्यिकीय पत्रिका)*

सारणी क्रमाक 4 11

जनपद मे फसलो के अन्तर्गत सिचित [illegible]

	फसल	सिचित क्षेत्रफल (प्रतिशत मे)
1	खाद्यान्न	62 5
2	तिलहन	78 9
3	दलहन	38 04
4	आलू	99 9
5	तम्बाकू	100
6	गन्ना	93 9

स्रोत *साख्यिकीय पत्रिका जनपद फर्रुखाबाद*

सारणी क्रमाक 4 12 से स्पष्ट है कि खाद्यान्न का सर्वाधिक सिचित क्षेत्रफल 74 4 प्रतिशत कुल हेक्टेयर क्षेत्रफल का शम्शाबाद विकास खण्ड मे पाया जाता है। तिलहन का सर्वाधिक सिचित क्षेत्र 85 4 प्रतिशत कमालगज विकासखण्ड है। दलह न का सर्वाधिक सिचित क्षेत्र मोहम्मदाबाद मे कुल बोये गये क्षेत्रफल 33 0 प्रतिशत पाया जाता है। गन्ने की फसल की सर्वाधिक सिचाई का क्षेत्र कायमगज विकासखण्ड 93 6 प्रतिशत पाया जाता है। आलू का सर्वाधिक सिचित क्षेत्र 100 प्रतिशत कमालगज विकासखण्ड मे पाया जाता है। जबकि तम्बाकू का सर्वाधिक सिचित 100 प्रतिशत क्षेत्र कायमगज विकासखण्ड मे है।

DISTRICT FARRUKHABAD

CROPS IRRIGATED AREA (in Hec.

1991

N

Wheat

Paddy

Maize

Bajra

Pulses

Mustard Seeds

Cash Crops

0 10 20 km

सारणी क्रमाक 4 13

विकासखण्डवा फसलो के अन्तर्गत क्षेत्रफल

क्र स	फसल	विकासखण्ड	सिचित क्षेत्रफल (प्रतिशत मे)
1	खाद्यान्न	शम्शाबाद	74 4
2	तिलहन	कमालगज	85 4
3	दलहन	मोहम्मदाबाद	33 0
4	आलू	कमालगज	100
5	तम्बाकू	कायमगज	100
6	गन्ना	कायमगज	93 6

स्रोत साख्यिकीय पत्रिका जनपद फर्रुखाबाद

सारणी क्रमाक 4 13

सिचित [illegible] प्रमुख खाद्यान्न दलहन तिलहन एव नगदी फसल का (हेक्टेयर मे)

क्र	विकासखण्ड	गेहूँ	चावल	मक्का	बाजरा	दलहन	तिलहन	नगदी फसले
1	कायमगज	11233	1317	4514	2288	685	1742	5958
2	नवाबगज	9009	1527	4836	407	607	1549	4886
3	शम्शाबाद	11523	1258	5443	1013	515	1471	7054
4	राजेपुर	14153	2025	4674	289	324	2043	2572
5	बढपुर	4178	472	3100	238	375	1336	3850
6	मोहम्दाबाद	12507	1619	10738	1041	921	3623	5632
7	कमालगज	11617	1022	8942	1048	804	4606	9319

स्रोत अर्थ एव सख्याधिकारी फर्रुखाबाद

'›सल। के अनुसार सिचित क्षेत्रफल

उपरोक्त सारणी क्रमाक 4 13 से स्पष्ट होता है कि जनपद फर्रुखाबाद के कायमगज क्षेत्र मे गेहूँ के अन्तर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल सिचित है जबकि क्रमश स्थान नगदीफसलो मक्का बाजरा तिलहन चावल और दलहन का आता है। नवाबगज क्षेत्र मे सर्वाधिक सिचित क्षेत्रफल गेहूँ का है जबकि क्रमश स्थान नगदी फसलो मक्का तिलहन चावल दलहन एव बाजरा का है। शम्शाबाद क्षेत्र मे सर्वाधिक सिचित क्षेत्रफल गेहूँ का है और क्रमश नगदी फसलो मक्का तिलहन चावल बाजरा एव दलहन का है। राजेपुर विकासखण्ड मे सर्वाधिक सिचित क्षेत्रफल गेहूँ का है जबकि क्रमश स्थान मक्का नकदी फसलो तिलहन चावल दलहन एव बाजरा का है। बढपुर विकासखण्ड मे सर्वाधिक सिचित क्षेत्रफल गेहूँ का है जबकि क्रमश स्थान नगदीफसल मक्का तिलहन चावल दलहन एव बाजरा का है। मोहम्दाबाद क्षेत्र मे सर्वाधिक सिचित क्षेत्रफल गेहूँ का है और क्रमश स्थान मक्का नगदीफसले तिलहन चावल बाजरा एव दलहन का है कमालगज क्षेत्र मे सर्वाधिक सिचित क्षेत्रफल गेहूँ का है जबकि अन्य फसलो का क्रमश स्थान नकदीफसल मक्का तिलहन बाजरा चावल एव दलहन का है।

सारणी क्रमाक 4 14

जनपद मे विका॰खण्डवार उर्वरक वितरक (मीटरी टन मे)

क्रमाक	विकासखण्ड	नाइट्रोजन	फास्फोरस	पोटास
1	कायमगज	2742	580	185
2	नवाबगज	1740	485	90
3	शम्शाबाद	2740	565	120
4	राजेपुर	1693	490	50
5	बढपुर	3564	1870	295
6	मोहम्दाबाद	3280	650	300
7	कमालगज	3185	505	1490

स्रोत *साख्यिकीय पत्रिका जनपद फर्रुखाबाद एव कृषि एव पशुपालन विभाग*

उर्वरक वितरण

जनपद फर्रुखाबाद मे सारणी क्रमाक 4 14 देखने से स्पष्ट होता है कि जनपद मे तीनो प्रकार के उर्वरको का उपयोग होता है। जिसमे सर्वाधिक उपयोग नाइट्रोजन प्रधान उर्वरको का है द्वितीय फास्फोरस युक्त उर्वरक एव सबसे कम पोटाश युक्त उर्वरक प्रयुक्त किये जाते है। यदि जनपद मे उर्वकर वितरण का विकासखण्ड के अनुसार विश्लेषण करे तो स्पष्ट होता है कि नाइट्रोजनयुक्त उर्वरको का सर्वाधिक उपयोग बढपुर क्षेत्र मे होता है। इसके पश्चात क्रमश मोहम्दाबाद कमालगज कायमगज शम्शाबाद नवाबगज एव सर्वाधिक कम नाइट्रोजनयुक्त उर्वरको का उपयोग राजेपुर क्षेत्र मे होता है। इस प्रकार सारणी क्रमाक 4 14 से स्पष्ट है कि फास्फोरस युक्त उर्वरको का सर्वाधिक उपयोग बढपुर क्षेत्र मे एव क्रमश मोहम्मदाबाद कायमगज शम्शाबाद कमालगज राजेपुर एव सबसे कम नवाबगज क्षेत्र मे हुआ है। पोटास युक्त उर्वरक का सर्वाधिक उपयोग मोहम्दाबाद क्षेत्र मे फिर क्रमश अवरोही क्रम मे बढपुर कमालगज कायमगज शम्शाबाद नवाबगज एव राजेपुर क्षेत्रो मे हुआ है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि जिन क्षेत्रो मे शुद्ध बोया गया क्षेत्र 70 प्रतिशत से 80 प्रतिशत के मध्य है उनमे नाइट्रोजन एव फास्फोरस युक्त उर्वरको का उपयोग सर्वाधिक किया जाता है। अत स्पष्ट है कि यहॉ कि मिटटी मे जीवाश्म उर्वरक एव नाइट्रोजन की कमी पायी जाती है।

पशुपालन

फर्रुखाबाद जनपद एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। अत यहॉ कृषि के साथ–साथ पशुपालन का आर्थिक दृष्टि से महत्त्व है। रायल–कमीशन[6] के अनुसार ससार के अधिकतर हिस्सो मे पशुओ का उपयोग भोजन एव दूध के लिये होता है। पशु हमारी दैनिक आवश्यकताओ की पूर्ति मे सहायक है। इस जिले मे पशु आधारित कृषि व्यवस्था के कारण पशु चोरी एक आम

अपराध है। अत पशुधन भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराधो के वृद्धि मे योगदान देता आया है। पशुधन की गुणवत्ता एव सख्या कृषको के सामाजिक आर्थिक स्तर को निर्धारित करती है वही कृषको को सुदृढ आर्थिक आधार प्रदान करती है। जनपद फर्रुखाबाद कृषि प्रधान जनपद है इसलिए जनपद की अर्थव्यवस्था मे पशु सहयोगी बनकर व्यवसायिक रूप से अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखते है। जनपद की जलवायु भी पशुपालन के लिये अनुकूल है। इस जनपद मे पशु आज भी अनेक निर्धन परिवारो की आय का मुख्य साधन है। जनपद मे प्रमुख रूप से पशुपालन ग्रामीण क्षेत्रो मे किया जाता है। जनपद मे मुख्यत दुधारू पशुओ मे गाय भेस बकरी बोझा ढोने मे घोडा बैल गधा खच्चर भैसा एव गोश्त प्राप्ति के उद्देश्य से बकरी बकरा मुर्गा सुअर आदि पाले जाते है। जनपद मे दुधारू एव बोझा ढोने वाले जानवरो के वृद्ध हो जाने पर उनसे मास एव मृत्यु के पश्चात खाल चर्बी सीग हड्डिया आदि अगो का उपयोग विभिन्न सामग्री बनाने मे प्रयुक्त किया जा रहा है।

जनपद फर्रुखाबाद मे कुल पशुओ का 97 59 प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रो मे एव 2 40 प्रतिशत भाग नगरीय क्षेत्रो मे मिलता है। जनपद के कुल पशुधन मे 35 70 प्रतिशत महिषवशीय 24 12 प्रतिशत गोवशीय 22 22 प्रतिशत बकरा/बकरी जाति 5 16 प्रतिशत सुअर 0 32 प्रतिशत घोडे एव ट्टटू जाति के पशु 2 74 प्रतिशत भेडे शेष अन्य पशुओ का प्रतिशत 9 73 है। जनपद मे सबसे अधिक पशु राजेपुर विकासखण्ड मे 20 32 प्रतिशत पाये जाते है। सबसे कम पशुओ का प्रतिशत 7 88 प्रतिशत बढपुर ब्लाक मे है।

DISTRICT FARRUKHABAD
CATTLE
1991
TYPES OF CATTLE
Buffalos
Cows
Goat
Sheeps
Pig
Horses
Other Cattle
10
0
10
km

सारणी क्रमाक 4 15

विकासखण्डवार पशु वितरण

	[illegible]	कुल पशु	प्रतिशत पशु
1	कायमगज	72015	10 14
2	नवाबगज	82341	11 59
3	शम्शाबाद	81165	11 42
4	राजेपुर	144365	20 32
5	बढपुर	55981	7 88
6	मोहम्मदाबाद	139935	19 70
7	कमालगज	134318	18 91
	कुल	**710125**	**100 00**

स्रोत *साख्यिकीय पत्रिका जनपद फर्रुखाबाद*

सारणी क्रमाक 4 16

जनपद मे पशुधन प्रतिशत मे

विकासखण्ड	महिषवश	गोपेश	बकरा/बकरी	भेड	सुअर	घोडा	अन्य
कायमगज	39 54	29 86	10 70	3 56	3 37	0 30	12 63
नवाबगज	34 90	31 03	22 82	1 97	3 99	0 00	5 19
शम्शाबाद	36 79	19 98	17 90	2 94	10 36	0 25	11 75
राजेपुर	28 72	33 77	21 37	1 55	5 44	0 77	9 35
बढपुर	35 32	21 35	25 76	1 58	6 82	0 09	9 06
मोहम्दाबाद	33 33	27 27	22 18	3 59	4 02	0 25	9 31
कमालगज	44 99	8 71	28 33	3 71	3 78	0 10	10 34

स्रोत *साख्यिकीय पत्रिका जनपद फर्रुखाबाद जनपद पशु ससाधन विश्लेषण पत्रिका*

पशु वितरण

जनपद मे विकासखण्डवार पशु महिषवशीय सर्वाधिक कमालगज क्षेत्र मे 44 99 प्रतिशत जबकि सबसे कम राजेपुर विकासखण्ड मे 28 72 प्रतिशत है। जनपद मे कुल गोवश जातीय पशुओ की सख्या राजेपुर विकासखण्ड मे 33 77 प्रतिशत मिलती है। जनपद मे बकरा/बकरी समुदाय सर्वाधिक कमालगज विकासखण्ड मे जबकि सबसे कम कायमगज मे 10 70 प्रतिशत मिलती है। भेडो की सर्वाधिक सख्या कमालगज विकासखण्ड मे 3 71 प्रतिशत मिलती है। जबकि सबसे कम भेडो की सख्या राजेपुर मे 1 55 प्रतिशत पायी जाती है। जनपद मे सुअरो का सर्वाधिक प्रतिशत शम्शाबाद विकासखण्ड मे है और सर्वाधिक न्यून प्रतिशत कायमगज विकासखण्ड मे पाया जाता है। घोडे एव टटटू प्रजाति के पशुओ का सर्वाधिक प्रतिशत राजेपुर विकासखण्ड मे पाया जाता है। जबकि नवाबगज विकासखण्ड मे इसका 0 प्रतिशत है। जनपद फर्रुखाबाद मे कुक्कुट किस्म की प्रजाति की सर्वाधिक सख्या 21847 कमालगज विकासखण्ड मे है जबकि सबसे कम सख्या मात्र 9277 नवाबगज क्षेत्र मे पायी जाती है। फर्रुखाबाद जनपद के शहरी क्षेत्रो को छोडकर कही भी पशु–पालन को उद्योग के रूप नही लिया गया है अत पशु पालन को ग्रामीण क्षेत्रो मे भी उद्योग के रूप मे विकसित करने का प्रयास किया जाना आवश्यक है। इस फर्रुखाबाद जनपद मे कुम्कुट पालन की भी पर्याप्त सभावनाये उपलब्ध है। जनपद फर्रुखाबाद मे कुल प्रतिवेदन भूमि का मात्र 0 25 प्रतिशत भाग ही चारागाहो मे प्रयुक्त हुआ है। अत चारागाहो की कमी होने के कारण जनपद मे पशुओ की सख्या सतोषप्रद नही है। साथ ही कम पशु होने के पश्चात भी पशु चोरी के आकडे थानो मे प्राप्त हुये हैं। प्राप्त आकडो के आधार पर निकाले गये निष्कर्ष के अनुसार यह तथ्य स्पष्ट होता है कि इस जनपद मे पशुधन चारागाहो के समानुपाती नही है। सर्वाधिक चारागाह हेतु भूमि का उपयोग मोहम्दाबाद विकासखण्ड मे होता है और पशुओ की

सर्वाधिक सख्या राजेपुर विकासखण्डो मे पायी जाती है। इस प्रकार प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर कहा जा सकता है कि जनपद मे पशु ससाधन को विकसित करने की पर्याप्त सभावनाये उपलब्ध है।

अधिवास

विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक परिस्थितियो मे मानव अधिवास भी विभिन्न प्रकार के होते है। इसी आधार पर जनपद फर्रुखाबाद के अधिवासो को दो वर्गो मे विभाजित किया गया है। जिसका विवेचन निम्नवत है।

ग्राम्य अधिवास:

जनपद फर्रुखाबाद कृषि–प्रधान जनपद होने के कारण यहॉ पर ग्राम्य अधिवासो की अधिकता पायी जाती है। सारणी 4–17 से स्पष्ट होता है कि 1991 के आकडो के आधार पर जनपद मे कुल ग्राम्य बस्तियॉ बस्तियॉ 1146 है। जिनके आकार के अनुसार चार भागो मे बॉटा गया है।

सारणी क्रमाक 4 17

ग्राम्य अधिवास

गॉव का आकार	आबाद ग्रामो की सख्या	कुल ग्रामो की सख्या
लघु आकार	616	53 75
मध्यम लघु आकार	400	34 90
मध्यम वृहत आकार	116	10 12
वृहत आकार	14	1 22
योग	1146	100 00

स्रोत साख्यिकीय पत्रिका जनपद फर्रुखाबाद

N
DISTRICT FARRUKHABAD
RAIL AND ROAD NETWORK
To Kasganj
Kampil
To Kasganj
Kaimganj
Shamsabad
To Bareilly
Rajepur
Nawabganj
FATEHGARH
Muhammadabad
To Mainpuri
Kamalganj
From Etawah
To Kanpur
Railway Line Broad Gauge
Railway Line Metre Gauge
Road Metalled
Road Unmetalled
Thana Headquarters
10
0
10
km

वृहत आकार के अधिवासो मे उन ग्रामो का सम्मिलित किया गया है। जिनकी जनसख्या 5000 से अधिक है। जनपद मे इस वर्ग के अन्तर्गत 4 ग्राम्य अधिवास आते है।

मध्यम वृहत आकार मे उन ग्राम्य अधिवासो को सम्मिलित किया गया है जिनकी जनसख्या 2000 से 4999 के मध्य है। जनपद मे ऐसे ग्रामो की सख्या 116 है। वृहत एव मध्यम आकार के ग्राम्य आन्तरिक भागो मे उच्च भूमि क्षेत्र पर मिलते है। बाढ से जो क्षेत्र प्रभावित है उनमे ये इस प्रकार के ग्राम्य अधिवास नही पाये जाते। मध्यम लघु आकार मे वे ग्राम्य अधिवास सम्मिलित किये गये है जिनकी जनसख्या 500 से 1999 के मध्य है। इस वर्ग के अन्तर्गत 400 ग्राम्य—अधिवास आते है।

जनपद मे लघु आकर के ग्राम्य अधिवासो मे 500 से कम जनसख्या वाले ग्राम्य अधिवास सम्मिलित किये गये है। जनपद मे इनकी सख्या 616 है। अर्थात कुल अधिवास का 53 75 प्रतिशत इसी वर्ग के अन्तर्गत आता है।

नगरीय अधिवास

जनपद फर्रुखाबाद मे 1991 की जनगणना क अनुसार कुल जनसख्या का 21 प्रतिशत भाग नगरीय है। इस प्रकार जनपद फर्रुखाबाद मे सर्वाधिक नगरीय अधिवासो का घनत्व बढपुर विकास खण्ड मे मिलता है। इसके बाद क्रमश स्थान कमालगज मोहम्दाबाद नवाबगज शम्शाबाद राजेपुर एव सर्वाधिक न्यून नगरीय घनत्व कायमगज विकास खण्ड मे पाया जाता है। *(स्रोत जनगणना कार्यालय साख्यिकीय पत्रिका जनपद फर्रुखाबाद)*

परिवहन एव सचार

परिवहन के विकसित साधन किसी भी क्षेत्र के आर्थिक एव सास्कृतिक विकास के सूचक है। यातायात एव सचार सुविधाये किसी क्षेत्र के सामाजिक विकास के न केवल सूचक होते है बल्कि आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण

निर्धारक तत्व भी होते है। इन दोनो ही सुविधाओ के बिना आधारभूत आर्थिक एव सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति नही की जा सकती।[9] जनपद फर्रुखाबाद कृषि अर्थव्यवस्था वाला क्षेत्र है। अत इस क्षेत्र का सम्पूर्ण विकास यातायात एव सचार व्यवस्था से जुडा हुआ है। लेकिन आज भी क्षेत्र की माग के अनुसार इन सुविधाओ की पूर्ति यहॉ नही हो पायी है। यातायात एव सचार सुविधाओ को अलग–अलग वर्गो मे रखा गया है।

सडक यातायात सुविधायें

जनपद मे जहॉ रेलमार्ग नही है वहॉ सडके ही परिवहन का प्रमुख साधन है। स्पष्ट होता है कि

1 जनपद मे पक्की सडको की कुल लम्बाई 832 किलोमीटर है। जिसमे ग्रामीण क्षेत्र मे 721 किमी सडके नगरीय क्षेत्र मे मिलती है एव 111 किमी सडके इन सडको का लोक निर्माण विभाग द्वारा बनायी गयी कुल सडक की लम्बाई 6 99 किमी है जिसमे से ग्रामीण क्षेत्रो मे 676 किमी सडके बिछी एव नगरीय क्षेत्रो मे 18 किमी सडके है।

सारणी क्रमाक 4 18

जनपद मे पक्की सडको की लम्बाई (किमी) मे

[illegible] खण्ड	पक्की सडको की	लो नि वि द्वारा निर्मित
कायमगज	127	113
नबावगज	79	75
शम्शाबाद	83	80
राजेपुर	86	79
बढपुर	84	74
मोहम्दाबाद	143	140
कमालगज	119	115
योग	721	676
योग नगरीय	111	18
योग जनपद	832	694

स्रोत *साख्यिकीय पत्रिका जनपद फर्रुखाबाद लो नि विभाग जनपद फर्रुखाबाद*

मुख्य सडके

इस जनपद मे जी टी रोड जो एक राष्ट्रीय–राजमार्ग है। के पश्चिम से एक सडक मैनपुरी जनपद से मोहम्दाबाद होती हुयी फतेहगढ एव फर्रुखाबाद क्षेत्रो को मिलाती है। आगे यह सडक उत्तर मे बरेली एव शाहजहॉपुर के ओर चली जाती है।

जी टी रोड से एक सडक मीटर–गेज रेलवे लाइन के किनारे कमालगज फतेहगढ फर्रुखाबाद कायमगज एव कम्पिल होती हुयी उत्तर–पश्चिम दिशा मे एटा जनपद मे प्रवेश कर जाती है। इन मुख्य सडको के अतिरिक्त कुछ जनपद स्तर की भी सडके है जिनमे राजेपुर– अमृतपुर मार्ग फतेहगढ– फर्रुखाबाद मार्ग मोहम्दाबाद– शम्शाबाद मार्ग फर्रुखाबाद – कम्पिलमार्ग प्रमुख है। इस प्रकार इस जनपद की मुख्य एव गौड सडको के द्वारा प्रत्येक थाना केन्द्र जिला मुख्यालय से जुडा हुआ है। जिससे अपराधियो की धड–पकड मे सुविधा बनी रहती है। अन्य अनेक कच्ची सडको के द्वारा अनेक गाव पक्की सडको से जुडे है। जिन पर टैक्टर बैलगाडी एव तागा घोडा गाडी इक्को द्वारा यातायात सम्पन्न होता है।

रेल–यातायात

जनपद मे रेल लाइनो की कुल लम्बाई 102 किमी है। जिसमे 27 किमी ब्राडगेज रेल लाइन है तथा 75 किमी मीटर गेज रेल लाइन है। यह रेल सुविधा जनपद के एक सीमित क्षेत्र मे ही है। मानचित्र सख्या से स्पष्ट होता है कि ब्राडगेज रेल लाइन फर्रुखाबाद जक्शन से प्रारम्भ होकर शिकोहाबाद जक्शन को जोडती है। यह उत्तर रेलवे लाइन की है जो दिल्ली हाबडा प्रमुख लाइन से मिल जाती है। इस रेल लाइन पर जनपद के ऊगरपुर नीमकरोरी एव पखना स्टेशन स्थित है। मीटर रेल लाइन जो पूर्वोत्तर रेलवे के अधिकार क्षेत्र मे आती है। कानपुर से फर्रुखाबाद होती हुयी कासगज को जाती है। इस लाइन से फर्रुखाबाद का सीधा सम्बन्ध है।

जनपद के आर्थिक विकास मे इस रेल लाइन का महत्वपूर्ण येागदान है। इस लाइन पर कमालगज फतेहगढ फर्रुखाबाद शम्शाबाद कायमगज एव कम्पिल आदि प्रमुख रेलवे स्टेशन है।

सचार के साधन

क्षेत्रीय अध्ययन मे सचार के साधन के रूप मे डाकघर तारघर एव पी सी ओ एव टेलीफोन सख्या को ही सम्मिलित किया गया है।

सारणी 4 19 से स्पष्ट है कि जनपद मे कुल 151 डाकघर है। जिसमे से ग्रामीण क्षेत्रो मे 118 है एव 33 डाकघर नगरीय क्षेत्रो मे है। तारघरो की कुल सख्या 3 है जो तीनो ही नगरीय क्षेत्र मे है। गामीण क्षेत्र मे तारघर की सुविधा अभी तक नही पहुँची है। जनपद मे पी सी ओ सुविधा मे सर्वाधिक वृद्धि देखने को मिलती है। यहॉ कुल 717 पी सी ओ है जिनमे से 478 पी सी ओ गामीण क्षेत्रो मे है। एव 239 पी सी ओ नगरीय क्षेत्रो मे है। जनपद मे टेलीफोन सुविधा सख्या की दृष्टि से 11465 है जिसमे से 1505 टेलीफोन ग्रामीण क्षेत्रो मे है एव 9960 टेलीफोन नगरीय क्षेत्रो मे लगे है। सारणी न 4 19 से स्पष्ट होता है कि फर्रुखाबाद जनपद मे सचार–सविधाओ की दृष्टि से डाकघर सुविधा सर्वाधिक मोहम्मदाबाद एव कमालगज विकासखण्ड मे है जबकि पी सी ओ की सुविधाओ मे कायमगज क्षेत्र का प्रमुख स्थान है। जनपद मे टेलीफोन सुविधा सर्वाधिक कायमगज क्षेत्र मे है। परिवहन एव सचार के साधनो का अपराधो पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पडता है। जनपद मे किये गये सर्वेक्षण से यह ज्ञात हुआ है कि जो थाना क्षेत्र आन्तरिक भागो मे है एव जहॉ सचार एव यातायात साधनो की कमी है। वहॉ अपराधी तत्व निडरता से अपनी गतिविधियो को चलाने का प्रयास करते है। अत इस प्रकार इन सचार एव यातायात मार्गो का प्रभावी न होना अथवा उनकी कमी होना भी अपराधियो मे भय को समाप्त कर अपराधो की वृद्धि मे सहायक सिद्ध होता है।

सारणी क्रमाक 4 19

जनपद मे सचार सुविधाये

क्र स	[illegible]	डाकघर	तारघर	पी सी ओ	टेलीफोन
1	कायमगज	14	—	152	564
2	नवाबगज	15	—	55	92
3	शम्शाबाद	17	—	65	74
4	राजेपुर	16	—	9	164
5	बढपुर	10	—	98	80
6	मोहम्दाबद	23	—	53	187
7	कमालगज	23	—	46	344
	योग गामीण	118	—	478	1505
	योग नगरीय	33	3	239	9960
	योग जनपद	151	3	717	11465

***स्रोत** — साख्यिकीय पत्रिका जनपद फर्रुखाबाद*

कृषि का अपराधों पर प्रभाव

फर्रुखाबाद जनपद मे अपराधो का प्रभाव कृषि पर एव कृषि का प्रभाव अपराधो पर पडा स्पष्ट रूप से लक्षित होता है। जनपद के कमालगज नवाबगज एव बढपुर क्षेत्रो मे सर्वाधिक क्षेत्र बोया गया है। किन्तु अपराधो की सर्वाधिकता इन क्षेत्रो मे नही पायी जाती है। जनपद मे नगदी फसलो की अधिकता क्रमश कायमगज शम्शाबाद नवाबगज मे पायी जाती है किन्तु अपराधो का बाहुल्य इन क्षेत्रो मे नही है। अत इन तथ्यो से स्पष्ट होता है कि फर्रुखाबाद जनपद के जिन क्षेत्रो मे कृषि सम्पन्न अवस्था मे है वहॉ अपराधो का बाहुल्य प्राय नही पाया जाता है। किन्तु कुछ क्षेत्र ऐसे है जहॉ कृषि की समपन्नता के साथ—साथ अपराधो के स्तर मे भी वृद्धि

देखने को मिलती है। इन क्षेत्रो मे प्रमुख रूप से कायमगज क्षेत्र का स्थान है जहॉ पठान जाति की बहुतायत है। ये सभी खाद्यान्न नकदी फसल एव फलो की कृषि से जुडे हुये है और अति समृद्धिशाली व्यक्ति है। अपनी इसी सम्पन्नता के कारण इन क्षेत्रो मे इस जाति का वर्चस्व है एव अन्य लोग इनकी दबगई से प्रभावित रहते है। जबकि कुछ क्षेत्र ऐसे है जहॉ कृषि स्तर निम्न है अत आर्थिक विपन्नता के कारण भी अपराधो मे वृद्धि इन क्षेत्रो मे देखी जा सकी है। जैसे मोहम्मदाबाद क्षेत्र मे अपराधो की चरम सीमा पायी जाती है। और इसी क्षेत्र मे ऊसर–बजर भूमि की भी अधिकता पायी जाती है। *(स्रोत – साख्यिकीय पत्रिका फर्रुखाबद जनपद एव पुलिस कार्यालय रिकार्ड)*

इस प्रकार अति सम्पन्नता एव अति निर्धनता दोनो ही क्षेत्रो मे अपराधो का वर्चस्व पाया जाता है। इन सम्पन्नता एव निर्धनता दोनो का ही समाज पर नकारात्मक प्रभाव फर्रुखाबाद जनपद मे दिखाई देता है।

सन्दर्भ

1 ई डब्ल्यू जिम्मर मैन – वर्ल्ड रिसोर्सेज एण्ड इण्डस्ट्रीज

2 आर सी तिवारी एव बी एन सिह – कृषि भूगोल 2001 प्रयग पुस्तक भवन पृ 3

3 वही 2 पृ 1

4 आर पी मिश्रा – डिफ्यूज ऑफ एग्रीकल्चर इन्नोवेशन्स ए थ्योरिटिकल एण्ड इम्पीरियल स्टडी यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर 1968 पृ 3

5 प्रो आर सी तिवारी एव डॉ बी एन सिह – कृषि भूगोल 2001 प्रयाग पुस्तक भवन पृ 75

6 जे फाक्समैन – सेन्टर ऑफ लैण्डयूज 1962 पृ 76

7 सी बैनजेटी – ज्योग्राफी जनरल्स 1972 पृ 134

8 रॉयल कमीशन – एनीमल लाइफ 1982 पृ 17

9 वी पी ए भदौरिया एव ए सी दुआ – रूरल डबलपमेट स्ट्रेटेजी एण्डपर्सपैक्टिव अनमोल पब्लिकेशन दिल्ली 1986 पृ 184–85

10 पुलिस कार्यालय रिकार्ड

11 फर्रुखाबाद गजेटियर

12 अर्थ एव साख्याधिकारी जिला फर्रुखाबाद

13 फतेहगढ कैम्प हिन्दी अनुवाद डॉ हाटा एण्ड सोनी

14 साख्यिकीय पत्रिका जनपद फर्रुखाबाद

15 जनगणना कार्यालय जनपद फर्रुखाबाद

अध्याय—5

अपराधों का सामान्य अध्ययन

अपराधों का सामान्य अध्ययन

प्रस्तुत अध्याय अपराधो का सामान्य अध्ययन के अन्तर्गत अपराधो से जुडे उने सभी मूलतथ्यो का विश्लेषण एव विवेचन किया गया है जिनसे अपराध के प्रत्यक्ष क्षेत्र पर प्रकाश पडता है। अपराध से आशय एव अपराधी से तात्पर्य अपराधशास्त्र का आधार है अत इसमे अपराधिक प्रवृत्तियो अपराधी व्यक्तियो एव अपराध सम्बन्धी प्रचलित व गैर–प्रचलित सिद्धात अपराध का भौगोलिक सिद्धात का विवेचन किया गयाहै जिसमे बताया गया है कि इन सिद्धातो की कसौटी पर अपराध व अपराधी कितने सही उतरे है। सदैव से अपराधो के पनपने के लिए आवश्यक दशाये रही है अत जनपद फर्रुखाबाद मे कौन से सामान्य कारण है जो अपराधो की वृद्धि मे सहायक सिद्ध हुये है। जिसके अन्तर्गत भौतिक पक्ष एव सस्कृतिक पक्षो का विशद विवेचन किया गया है। इसके साथ ही अपराधो का समाज पर पडने वाला प्रभाव किस सीमा तक नकारात्मक हो सकता है इसका विवेचन करने का प्रयास किया गया है। जिससे जनपद मे अपराधो का उपशमन एव उन्मूलन यथा सभव हो सके।

5.1 अपराध व अपराधी

सामाजिक नियमो के विरूद्ध एक व्यक्ति या व्यक्तियो के समूह द्वारा असामान्य व्यवहार अपराध कहा जाता है। समाजशास्त्र मे अपराधो का अध्ययन व्यवहार के नियमो के परिपेक्ष्य मे करते है।

जब व्यक्ति अपनी शारीरिक विषमताओ मानसिक असमानताओ तथा सामाजिक–आर्थिक परिस्थितियो मे फसकर कुछ ऐसे कार्य करते है जिन्हे समाज अनैतिक असमाजिक या अवैधानिक मानता है और जिसके करने वालो के लिये दण्ड की अपेक्षा करता हो। इस प्रकार सामाजिक परिपेक्ष्य मे

अपराध से आशय ऐसे कार्य जिससे समाज के व्यवहार नियामक आदर्शों एव आदेशो का उल्लघन होता है और जिससे सामाजिक सगठन तथा व्यवस्थ को क्षति पहुँचती है अपराध कहे जाते है।[1] समाजशास्त्र मे अपराध का आशय असमाजिक कृत्यो से है। मनोविज्ञान मे अपराध का तात्पर्य असामान्य कृत्यो से है नीतिशास्त्र मे अपराध का तात्पर्य अनैतिक कृत्यो से है धर्मशास्त्र मे अपराध का तात्पर्य पाप से है एव विधि शास्त्र मे अपराध का तात्पर्य अवैध—कृत्यो से है।

इस प्रकार स्पष्ट होता है कि अपराध से आशय उन व्यवहारो की व्याख्या से है जो समाज को क्षति पहुँचाते है।[2] किन्तु सामाजिक दृष्टि के अपराध कानूनी दृष्टि से भिन्न हो सकते है। कानूनी दृष्टि से वे सारे कार्य जो किसी समय विशेष मे विशेष क्षेत्र एव राज्य मे सविधान या अपराध सहिता के नियमो के विपरीत हो अपराध कहलायेगे अपराध वह अवैध कार्य है जिसे सरकार जनता के लिये अहितकर मानती है[3] और उसके लिये राज्य ने यथोचित न्यायिक कार्यवाही तथा दण्ड की व्यवस्था की है।[4] इस प्रकार दोष निर्धारण की वैधानिक प्रक्रिया ही अपराध के अर्थ को स्पष्ट करती है।[5] शोध कार्यों मे अपराध की वैधानिक व्याख्या ही स्वीकार की गयी है।

मानव व्यवहार विज्ञानो के अनुसार अपराध को अपराधी से अलग रखकर देखा जा सकता है। इस प्रकार अपराध की परिभाषा के अन्तर्गत आने वाले समस्त कृत्यो मे से किसी एक या एक से अधिक कृत्यो को सम्पादित करने वाला व्यक्ति अपराधी वर्ग के अन्तर्गत आताहै। जिसे कानून दण्ड देने का अधिकार रखता है। ये अपराधी राजनैतिक स्वाभाविक या व्यवसायिक किसी भी प्रकार के हो सकते है।[6]

5.2 अपराध सम्बन्धी सिद्धांत

जिन सिद्धातो के आधार पर अपराधात्मक व्यवहार की व्याख्या की जाती है उनका इतिहास पुराना है। आदिकाल से ही अनैतिक असामाजिक

तथा अवैधानिक व्यवहार की व्याख्या अपराधशास्त्र विशेषज्ञ उस युग के सामाजिक एव सास्कृतिक सदर्भ एव उस युग के उपलब्ध ज्ञान के आधार पर करने आये है अपराध के कारणो के विवचेन से पूर्व ऐसे कुछ सिद्धातो पर विचार करना आवश्यक है जो अपराध के कारणो को जानने के लिये अपराधशास्त्रियो द्वारा प्रतिपादित किये गये। इन सिद्धातो मे प्रेतवादी सिद्धात मे यह मान्यता है कि व्यक्ति शैतान के भडकाने पर अपराध करता है। वर्तमान मे अवैज्ञानिक होने के कारण इस सिद्धात की मान्यता समाप्त हो चुकी है।

शास्त्रीय सिद्धात — इसके अन्तर्गत अपराध का मुख्य कारण मनुष्य की स्वतत्र इच्छा को माना गया है। इसमे मनुष्य अपने कृत्यो के लिये स्वय उत्तरदायी है। वह सिद्धात तार्किकता पर आधारित है।[7]

सुखवाद का सिद्धात — इस सिद्धात के अन्तर्गत मानव व्यवहार को सुख एव दुख की अनुभूति के आधार पर ऑका गया है। इस सिद्धात को मानने वाले विद्वानो का मत है कि कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने से पहले यह सोचता है कि उस कार्य से होने वाला सुख उस कार्य से होने वाले दुख से कम है या अधिक यदि सुख प्राप्ति की सभावना अधिक है तो वह व्यक्ति उस कार्य को करेगा चाहे वह कार्य असामाजिक या अवैधानिक हो।[8]

सकारात्मक सिद्धात — अपराध के कारणो की व्याख्या का यह सम्प्रदाय अपराध के कारणो की खोज अपराधी मे निहित अच्छाई तथा बुराई चुनने की बौद्धिक क्षमता से हटकर उन शक्तियो पर है जो मानव नियत्रण से परे है और उनकी व्याख्या की पद्धति वैज्ञानिक है।

न्यू क्लासिकल सिद्धात — इसके अनुसार तीन तथ्यो को महात्व दिया जाता है —

1 व्यक्ति की इच्छा उसकी आयु, बुद्धि शारीरिक एव मानसिक अवस्था पर्यावरण द्वारा प्रभावित हो सकता है।

2 अपराधी को दण्ड देने से पूर्व न्यायालय को अपराधी की मानसिक अवस्था जानना आवश्यक हो जाता है।

3 सही और गलत मे विभेद न कर पाने वाले अपराधियो से उदार व्यवहार करना चाहये।

जैविकीय सिद्धात — यह प्रमाणवाद पर आधारित है। जिसमे सामाजिक घटना के लिये अध्ययन मे प्राकृतिक विज्ञान की कार्य पद्धति अपनाने पर बल दिया जाता है। लोमब्रासो ने इस बात पर बल दिया कि सभी अपराधो मे अपराध का कारण प्रतिकूल वातावरण न होकर व्यक्तियो की अपराधिक जैविक प्रवृत्ति होती है। जो उसके शरीरिक दोषो द्वारा बाह्यरूपो से प्रकट होती है।[9]

हूटटन के अनुसर अपराध की प्रेरण सामाजिक परिस्थितियो से नही बल्कि अनुवाशिक गुण से होती है।[10] शेल्डन ने अपराधी व्यावहार शीररिक गठन पर आधारित माना है। उन्होने स्पष्ट किया लम्बे शारीरिक सरचना वालो मे अपराध की भावना अधिक मिलती है।[11] अन्य सिद्धातो मे मनोवैज्ञानिक सिद्धात जिसमे मानसिक दुर्बलता को अपराधो का प्रमुख कारण माना गया है। हीले ने मनोविकार—विश्लेषण सम्बन्धी सिद्धात का वश्लेषण करते हुये बताया कि अपराध के कारणो मे शारीरिक एव मानसिक लक्षणो के स्थान पर सवेगात्मक व्याकुलता को महत्वपूर्ण है। वह निराशा को मनुष्य मे सवेगात्मक व्याकुलता उत्पन्न करने का कारण मानता है। उनके अनुसार अपराध एक प्रक्रिया है। जिसमे निराशा → सवेगात्तमक व्याकुलता → पीडा को दूर करना → प्रतिस्थापन व्यावहार → अपराध की कडियॉ होती हैं।

मनोविश्लेषणात्मक सिद्धात — मे फ्रायड का नाम सर्वोपरि है। उन्होने बताया कि जैसे—जैसे व्यक्ति का बाह्य सासारिक समाज से व्यवहार बढता जाता है। वैसे—वैसे उसको इगो' का विकास होता जता है। और फिर इगो से सुपर इगो' विकसित होता जाता है। इस प्रकार जब इगो और सुपरइगो' के मध्य सघर्ष होता है तब सुपर+इगो सहज—प्रेरणात्मक पशुवत प्रवृत्ति (इड) को नियत्रित नही कर पाता और तभी व्यक्ति अपराधी व्यावहार करने लगता है।

समाजशास्त्रीय सिद्धात — इस सिद्धात के अन्तर्गत मुक्त इच्छा सिद्धात का खण्डन किया गया। इसमे अपराधी व अपराध की व्याख्या व्यक्ति के शारीरिक गठन मनोवैज्ञानिक रूप आर्थिक व सामाजिक पर्यावरण के आधार पर की गयी है। ये शक्तियाँ उसके सम्पूर्ण व्यवहार को न केवल प्रभावित करती है। वरन् उनका निर्धारण करती है।

विभेदक सहचर्य का सिद्धात — अपराध क्षेत्र मे समाज शास्त्रीय सिद्धात की लोकप्रियता घटने के बाद अपराध की व्याख्या हेतु विभदेक सहचर्य का सिद्धात प्रतिपादित किया गया। इस सिद्धात के अन्तर्गत बताया गया कि अपराधी व्यवहार व्यक्तियो के मध्य होने वाली उस अत क्रिया का फल है जिसे वे एक दूसरे के प्रभाव मे आकर सीखते है। इस सिद्धात के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपराधी तब बनता है जब उसमे कानून के उल्लघन की प्रवृत्तिया कानून के पालन की प्रवृत्तियो से अधिक बढ जाती है। इस प्रकार इस सिद्धात की मान्यतानुसार अपराधी व्यवहार एक सीखा हुआ व्यवहार है। जो अत प्रक्रिया के माध्यम से घनिष्ठ सबधो के निजी समूहो से सीखा जाता है।[12]

सामूहिक सघर्ष का सिद्धात — इस सिद्धात के अन्तर्गत व्यक्ति एक विशिष्ट प्रकार की भूमिका निभाते हैं जिसमे उनकी क्रियाये सामूहिक हितो की प्राप्ति के विपरीत निजी हितो की प्राप्ति के लक्ष्य से निर्धारित होती है। इस प्रतिस्पर्धा की प्रक्रिया के फलस्वरूप समाज मे ऐसे समूह विकसित हो जाते है जो अपने लक्ष्यो की पूर्ति हेतु एक सघर्ष की स्थिति मे आ जाते है। ये अपना हित पूरा करने के लिये दूसरे का अहित करने मे थोडा भी हिचकते नही है।[13]

सामूहिक क्रिया का सिद्धात — इस सिद्धात के अन्तर्गत व्यक्ति का व्यक्तिगत हित सामूहिक हित मे निहित होता है। उनके समस्त कृत्य दूसरे के हितो मे सहयोगी एव पूरक होते है।

बहुकारकीय सिद्धात — अपराधी व्यावहार की जटिलता एव अन्य समस्त सिद्धातो मे त्रुटियो के कारण वर्तमान अपराधशास्त्री अपराधी व्यवहार की व्याख्या बहुकारकीय उपागम द्वारा ही सभव मानते है। इस सिद्धात के

अन्तर्गत अपराध ऐसे अनेक कारणो का परिणाम है। जो एक दूसरे से सबद्ध होते है। जिन्हे वैज्ञानिक अध्ययन के द्वारा ही जाना जा सकता है।[14] इस सिद्धात की पर्याप्ता के बारे मे शेल्डन एण्ड ग्लुका ने टिप्पणी की कि हमारे उपलब्ध ज्ञान को ध्यान मे रखते हुये अपराध का विभिन्न दर्शनग्राही या बहुकारकीय सिद्धात ही सही प्रतीत होता है।[15]

अपराध वर्तमान युग की एक जटिलतम समस्या है। इस समस्या की जटिलता और गभीरता के कारण ससार के अनेक राष्ट्र व्यथित है। विश्व मे आर्थिक विकास के साथ–साथ अपराधो की मात्रा एव जटिलता मे विस्तार हो रहा है। आज का सभ्य समाज इस निरकुश दानव से जुझने मे असमर्थ है। यह अपराध ससार की सामाजिक आर्थिक राजनैतिक एव धार्मिक व्यवस्था को छिन्न–भिन्न कर देता है। अपराध मानव आचरण है। किन्तु सभी मानवीय आचरण अपराध की श्रेणी मे नही रखे जा सकते। जो मानव आचरण समाज को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं वही अपराध माने जाते है। समाज के सही सचालन हेतु कुछ नियम बनाये जाते हैं जिससे समाज का समग्र विकास सभव होता है। जब कोई व्यक्ति किसी कारण से इन समाज स्वीकृत नियमो का उल्लघन करता है तो उसे अपराध की सज्ञा दी जाती है। भारतीय धर्मशास्त्र इसे पाप की सज्ञा देता है। अपराध को अग्रेजी मे क्राइम कहते है। अग्रेजी का क्राइम शब्द लैटिन भाषा के क्रीमेन्स' शब्द से बना है। जिसका अर्थ है अलगाव' अत सामान्य व्यवहार मे अपराध एक ऐसा कार्य है। जो व्यक्ति को समाज से अलग कर देता है। अपराध एक सर्वजनीन शब्द है किन्तु इसकी व्याख्या मे समानता नही मिलती क्योकि अपराध देश काल एव परिस्थितियो के अनुरूप परिभाषित होते हैं। जैसे मद्यपान भारत मे अपराध है। जबकि पाश्चात्य देशो मे यह उच्च जीवन स्तर का प्रतीत है। भारत मे सती–प्रथा गौरव के रूप मे व्यापत थी जो अब अपराध की श्रेणी मे आती है। प्राचीन काल मे बहु[illegible] प्रथा थी किन्तु वर्तमान मे हिन्दु अधिनियम के अनुसार यह अपराध है किन्तु मुस्लिम शरीयत के अनुसार चार पत्नियॉ जायज है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि अपराध की अवधारणा परिवर्तनशाल है। अपराधिक घटनाये [illegible]

नियम एव मूल्यो के द्वारा तय की जाती है। मानवीय मूल्य एव नियम समय सापेक्ष होते है। इसी कारण आज की वैज्ञानिक प्रगति मे कुछ प्राचीन मान्यताये जो अपराध मानी जाती थी – अब रूढियॉ बन कर रह गयी है।

कोई सार्वजनिक कानून जो किसी व्यावहार के करने पर प्रतिबन्ध लगाता है। इसके उल्लघन स्वरूप किया गया व्यावहार अपराध है।[16] अपराध वह क्रिया है कि जिसे राज्य ने सामूहिक कल्याण के लिये हानिकर घोषित किया है। एव जिसके लिये राज्य दण्ड देने की शक्ति रखता है। अपराध वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सम्बन्धित है। कानून का उल्लघन करने वाला व्यवहार ही अपराधी व्यवहार है।[17] अपराध वह एच्छिक कार्य है जो सामाजिक हितो के लिये हानिकर है। जिसमे अपराधी उद्देश्य है। जो विधिक दृष्टि से प्रतिबन्धित है। जिसके लिये कानून मे दण्ड का विधान है।[18] जो अपराध करता है वह अपराधी है किन्तु जनतत्र मे वह व्यक्ति जिसने अपराध को स्वीकार कर लिया है। तब तक अपराधी नही है। जब तक कि उसका अपराध न्यायालय द्वारा सिद्ध नही हो जाता है।[19]

अपराध के भौगोलिक सिद्धांत

अपराध सम्बन्धी सिद्धात विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अपराध का कोई एक विशिष्ट कारण नही होता बल्कि अनेक कारण एक साथ मिलकर अपराध का कारण बनते हैं। जिसमे अन्धविश्वास सामाजिक वातावरण व्यक्ति की मानसिक एव शारीरिक विशेषताये आनुवाशिकता इत्यादि जिम्मेदार होते है। अपराध के विश्लेषण हेतु व्यक्ति विशेष की भौतिक [illegible] आर्थिक राजनैतिक एव सास्कृतिक परिस्थितियॉ ही उत्तरदायी है। इन समस्त तत्वो को हम भौगोलिक परीस्थिति कहते हैं। इसी कारण इस विचारधारा को भौगोलिक साम्प्रदाय के नाम से जाना जाता है। इस सम्प्रदाय के लोग अपराधो का विश्लेषण भौगोलिक परिस्थितियो के आधार पर करते हैं। अपराधो के अध्ययन मे भौगोलिक सिद्धात का प्रचलन 18वी शताब्दी से ही हो रहा है। किन्तु 20वी

शताब्दी के प्रारम्भ मे इसकी उपयोगिता पर विशेष बल दिया जाने लगा। ऐसे अनुयायियो मे मान्टेस्क्यू[20] क्वेटलेट[21] ग्वेली के अतरिक्त डेक्सटर क्रोपोटकिम[22] एण्ड जोसेफ कॉन[23] के नाम प्रमुख है।

प्राचीन मान्यतानुसार अपराध के कारणो मे जर (धन) जोरू (औरत) जमीन (भूमि) प्रमुख होते है। सूक्ष्म रूप से विवेचन करने से स्पष्ट होता है कि तीनो ही भौगोलिक कारक है। धन आर्थिक परिस्थितियो का द्योतक है। जोरू यौन इच्छा व जलवायविक दशाओ का प्रतिनिधित्व करते है। इसमे जन–समूह की प्रवृत्ति भी उत्तरदायी है। जमीन धरातलीय स्वरूप को बताता है। इसमे भूमि का उर्वरापन धरातलीय प्रकृति सम्मिलित है। उपर्युक्त तीनो प्रमुख कारण अन्य गौड भौगोलिक तथ्यो के साथ मिश्रित होकर अपराधो की पृष्ठभूमि तैयार करते है। अत अपराधो के कारणो की व्याख्या हेतु इन तथ्यो का विश्लेषण आवश्यक है। अपराधी व्यवहार भौतिक पर्यावरण के तत्व सास्कृतिक तत्व सामाजिक तत्व आर्थिक तत्य राजनैतिक तत्वो के प्रभावो का प्रतिफल माना जा सकता है। अत अपराध भूगोल के विश्लेषण मे इनके भौतिक एव सास्कृतिक पक्षो को विशद् वर्णन आपेक्षित है। जिस प्रकार भौतिक पर्यावरण मानव के क्रिया कलापो व्यवहारो आदतो एव स्वभाव को बिना प्रभावित किये नही रहता उसी प्रकार सास्कृतिक पर्यावरण के तत्य जनसख्या जनघनत्व लिगानुपात साक्षरता कृषि अधिवास व्यवसायिक सरचना जाति एव धर्म व्यवस्था भी मानव व्यवहार पर अपना अमिट प्रभाव डालते हैं इन तथ्यो को ध्यान मे रखते हुये अपराधो पर इनके प्रभावो का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव का वर्णन किया गया है।

अपराध के सामान्य कारण

19वी शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों से ही अपराध के कारणो के प्रति विद्वानो अपराध[illegible], मनोवैज्ञानिको की तीव्र जिज्ञासा रही है। इस के सम्बन्ध मे सर्वेक्षण एव विभिन्न शोधो का सहारा लिया गया। जिसके निष्कर्ष

स्वरूप सभी ने स्वीकार किया कि अपराध किसी एक कारक या घटना का परिणाम नही बल्कि अपराध ऐसे अनेको कारणो का परिणाम है जो एक दूसरे से सबद्ध होते है। इन कारको मे व्यक्तिगत कारक मानवशास्त्रीय कारक भौतिक कारक प्राकृतिक कारक तथा सामाजिक स्तर के कारक व्यवसाय सम्बन्धी कारक जन्म स्थान शिक्षा शारीरिक बनावट प्रजाति जलवायु भूमि उर्वरता दिन रात की लम्बाई और छोटाई मौसम जलवायु भूमि उर्वरता दिन रात की लम्बाई और छोटाई मौसम जलवायु सम्बन्धी दशाये तापमान जनसख्या घनत्व जनमत लोकरीतियॉ धर्म सामाजिक आर्थिक औद्योगिक दशाये कृषि उत्पादन लोक प्रशासन रक्षा सामान्य शिक्षा सामाजिक कल्याण तथा सामाजिक एव वैधानिक कानून आदि सभी सम्बन्धी कारक सम्मिलित है। जिनके मिश्रित प्रभाववश व्यक्ति अपराधी बनता है।[24] अपराधी व्यवहार के कारणो की व्याख्या का एक उपागम इस बात को सिद्ध करने की चेष्टा करता है कि अपराधी अपने शारीरिक दोषो के आधार पर हीन भावना से ग्रस्त रहता है और उसी भावना के प्रतिपाल स्वरूप वह अपराधी व्यवहार करता है। इस शरीर विज्ञान को अपराधी व्यवहार का कारण मानते हुये[25] कपाल विज्ञान एव चेहरे की सरचना को प्रमुख कारण माना गया[26] कुछ विद्वानो ने सम्पूर्ण शरीर की बनावट को अपराध का कारण माना है। शरीर की बनावट को आधार मानने वालो ने अपराधी प्रवृत्तियो को जन्मजात माना और बताया कि उनमे सुधार नही किया जा सकता।[27] अन्य अपराधी कारको के आधार पर निम्नवत तथ्यो की विवेचना की गयी है।

भौतिक पक्ष व अपराध

धरातलीय ·ंरचना। व अपराध

भौतिक कारको मे भूमि जलवायु, अपवाह तत्र आदि सम्मिलित किये जाते हैं जिनका विवरण निम्नवत् है। खाद्यान्न मनुष्य के जीवन निर्वाह के लिये आवश्यक तत्व है एव खाद्यान्न का उत्पादन भूमि पर किया जाता है। जहॉ तक

भूमि और अपराधो के अन्र्तसम्बन्ध की बात है तो यह भूमि की प्रकृति पर निर्भर करती है। भूमि की प्रवृत के अन्तर्गत दो तथ्य महत्वपूर्ण है। प्रथम धरातलीय बनावट द्वितीय भूमि की उर्वरता प्रथम के अन्तर्गत जहॉ भूमि समतल नही है वहॉ पर अच्छी कृषि न होने के कारण खाद्यान्न की कमी होती है। जिससे भोजन की कमी के कारण अपराधिक प्रवृत्तियो मे वृद्धि होती है। उदाहरण जनपद के गगा के खादर क्षेत्र (कटरी) मे धरातल ऊबड–खाबड होने के कारण फसलो का उत्पादन नही हो पाता है जिसके कारण जनसख्या बिरल मिलती है। एव अधिवासो मे अधिक दूरी पायी जाती है। इसलिये अपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति समीपवर्ती क्षेत्रो मे अपराध करके इन्ही क्षेत्रो मे शरण लेते है। अपहरण की घटनाये भी यहॉ अधिक होती है जिन्हे स्थानिक भाषा मे पकड कहते है।

भूमि के उपजाऊपन का भी अपराध से घनिष्ठ सम्बन्ध है। उपजाऊ–भूमि मे खाद्यान्न अधिक होता है जिससे स्थानिक निवासियो को जीवकोपार्जन हेतु पर्याप्त सुविधाये मिलती है। जिससे वे लोग अपना जीवन आसानी से व्यतीत कर लेते है। दूसरी ओर अनुपाजाऊ क्षेत्रो मे निवास करने वाले लोगो को भोजन के लिये भी कठिन सघर्ष करना पडता है। अत अपराधिक कार्यों को सहारा लेते है। इस प्रकार उपजाऊ भूमि अपराधो को पनपने मे सहयता नही देती है।

भूमि की समतलत्व एव उपजाऊपन दोनो एक दूसरे के पूरक हैं। इसी प्रकारअसमान धरातल एव अनुपजाऊ भूमि एक सिक्के के दो पहलू हैं। जनपद के गगा कटरी क्षेत्र मे खाद्यान्न का उत्पादन न हो पाने के कारण पशु–पालन होता है। चरवाहे पशु के चारे हेतु या पुश चराने हेतु इसी कटरी मे जाते है। पशु–पालन मे माध्यम वर्गीय एव निम्नवर्गीय समाज के लोग होते है। इनके यहॉ का महिला वर्ग पशु चारे हेतु इन क्षेत्रो मे आता रहताहैं। जिससे यहॉ महिला सम्बन्धी अपराधो मे भी वृद्धि हुयी है।

जलवायु व अपराध

वायुमण्डलीय घटनाओ एव अपराध मे घनात्मक सह सम्बन्ध पाया जाता है आर्द्रता मे बढोत्तरी के साथ हिसात्मक घटनाये बढती है। वायु नण्डलीय दबाव की घटना हिसात्मक अपराध को बडाता है। अत्यधिक तापमान व्यक्ति को झगडे हेतु प्रेरित करता है। वर्षा—ऋतु मे अपराधो की सख्या कम हो जाती है।[28]

प्रिस पीटर क्रोपोटकिन ने तापमान व आर्द्रता के आधार पर अपराधो की भविष्यवाणी की उन्होने महीने के अपराध के औसत को 7 से गुणा कर उस महीने की औसत आर्द्रता को जोडकर उपलब्ध सख्या मे 2 का गुणा करने से अगले माह की औसत हत्या की मात्रा ज्ञात की जा सकती ऐसा माना है।[28] जापद के अनुकूल वर्षा वाले स्थानो एव वर्षों मे अपराध कम होते है क्योकि अच्छी वर्षा होने से फसलो की उपज अच्छी होती है। अत अपराध कम होते है जबकि कम वर्षा होने से फसल उत्पादन भी कम होता है। अत अकाल मे अपराध अधिक होता है।[30] तापमान का भी अपराध से धनात्मक सहसम्बन्ध पाया जाता है। जनपद के ग्रीष्म—ऋतु मे (मार्च से अगस्त) यौन—अपराधो की सख्या अधिक घटित होती है। जबकि सितम्बर से फरवरी तक इन अपराधो मे कमी देखी गयी है।

फ्रासिसी विचारक मान्टेक्यू ने जलवायु एव अपराध के सह सम्बन्ध को बताने के लिये एक प्रतिमान का निर्माण किया है। जिसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवो का जाने पर अपराधो की सख्या मे कमी होती जाती है। चित्र न देखे 5 1

अपराधो का विश्लेषण करने के लिये महीनो के अनुसार अपराधिक कलेडर का निर्माण किया गया है।[31] जलवायु मानव निवारा को प्रभावित करता है मानव के जीविकोपार्जन के लिये उद्योग कृषि के लिये फसलो का चुनाव भोजन एव वस्त्र का निर्धारण और यहाँ तक कि बीमारियो पर भी जलवायु का

प्रभाव पडता है।[32] मानव के व्यवसाय उद्योग व्यापार स्वास्थ्य शारीरिक एव मानसिक क्षमता आदि सभी पर जलवायु का प्रभाव पडता है।[33]

अपवाह तंत्र व अपराध पर प्रभाव

अपराध पर अपवाह तत्र का प्रभाव पडता है नदियो के किनारे के अधिवासो मे अधिक अपराध देखे जाते है क्योकि नदियो के समीपवर्ती भूमि का कटाव करके उबड खाबड बना देती है जिससे फसलोत्पादन कम हो जाता है और इस धरातलीय विषमता के कारण अपराधियो को छिपने मे भी सहायता मिलती है। ये हत्याएँ करने के बाद शव को नदियो मे प्रवाहित कर देते है। ऐसे वातावरण मे अपराधी आसानी से छिपे रहते है और पुलिस की पहुँच से दूर हो जाते है। अध्ययन क्षेत्र गगा प्रवाह--तत्र के अन्तर्गत आता है। इसमे रामगगा गगा बूढी गगा काली नदी ईसन नदी अरिन्द नदी आदि नदियो प्रवाहित होती है जो वर्षा के समय जलाप्लावन की स्थिति उत्पन्न करती है जिससे भूमि कटाव अत्यधिक होता है। इस विषम परिस्थितियो से प्रभावित क्षेत्रो मे राजेपुर शम्शाबाद अमृतपुर गगापार गॉवो आदि के क्षेत्रो मे आर्थिक विपन्नता उत्पन्न हो जाती है। चोरी डकैती यौन--अपराध पनपते है। कुछ अपराध सामाजिक लोक--लाज के कारण अभर कर सामने तो नही आ पाते। किन्तु पूरे जनपद मे अपराधो की वृद्धि मे और अधिक योगदान देते है।

प्राकृतिक वनस्पति के अपराध

अध्ययन क्षेत्र पर प्राकृतिक वनस्पति का प्रभाव अपराधो पर उन क्षेत्रो पर बडा है जहॉ नदियो द्वारा गहरे कटाव किये गये हैं और वहॉ जगल हो गये है। अपराधी गिरोह दिन मे इन्ही क्षेत्रो मे छिप कर समीपवर्ती क्षेत्रो मे रात्रि को अपराध करते है।

सांस्कृतिक पक्ष व अपराध

जनसंख्य और अपराध

सास्कृतिक पर्यावरण के निर्माण मे मनुष्य की भूमिका सर्वोपरि है क्योकि प्राकृतिक ससाधन के आधार पर मानव अपने क्रिया—कलापो द्वारा सास्कृतिक भू—दृश्य का निर्माण करता है।[34] यही सास्कृतिक भू—दृश्य सास्कृतिक पर्यावरण के तत्व होते है। अत स्पष्ट है कि अपराध के विश्लेषण मे जनसख्या की भूमिका महात्वपूर्ण होती है यदि समस्त परिस्थितियॉ अगर अनुकूल है तो अधिक जनसख्या वाले क्षेत्रो मे अपराधो की सख्या अधिक होती है। इसमे अपवाद भी पाये जाते है। किन्तु उनके कारण अन्य होते है उदाहरण स्वरूप काश्मीर आसाम क्षेत्रो मे जनअधिक्य न होने पर भी अपराधो कावर्चस्व है।

अध्ययन क्षेत्र मे जनसख्या घनत्व के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक जनघनत्व बढपुर विकासखण्ड मे है। सबसे कम जनघनत्व कायमगज क्षेत्र मे है। अपराधो के ऑकडो से स्पष्ट होता है कि अधिक जनसख्या वाले क्षेत्रो मे अपराध अधिक होते है क्योकि जनाधिक्य के कारण अनेक समस्याये जैसे भुखमरी बेरोजगारी खाद्य समस्या निर्धनता निम्न जीवन स्तर अपराधीय समस्याये मिलती हैं जो परोक्ष रूप से अपराधो को जन्म देती है। इस प्रकार अध्ययन क्षेत्र मे जनसख्या घनत्व एव अपराधो मे धनात्मक सह सम्बन्ध मिलता है।

आयुसंरचना एवं अपराध

क्षेत्र का आयु—पिरामिड चित्र (अध्याय तीन) के देखने से स्पष्ट होता है कि यहॉ पर आधी से अधिक जनसख्या अकार्यशील जनसख्या है और इनकी आयु भी लगभग 20 वर्ष से कम है। अपराधिक अध्ययनो से स्पष्ट होता है कि 25 वर्ष से कम उम्र वाले व्यक्ति अनेक प्रकार के अपराधो से जुडे हैं। डकैती गवन जाल—साजी बलात्कार आदि अपराध 20 से 29 वर्ष की आयु मे होते है।[35] जबकि मद्य—पान जुआ आदि 35 से 39 वर्ष की आयु मे होते है।

लिंगानुपात एव अपराध

समाज मे पुरुष स्त्री के यौनानुपात का प्रभाव अपराधो पर पडता है। जिन क्षेत्रो मे पुरुषो एव महिलाओ के मध्य लिगानुपात सम पाया जाता है वहॉ पर अपराधो की सख्या कम है। जहॉ पर लिगानुपात मे अव्यन्त असमानता मिलती है वहॉ पर महिलाओ के प्रति यौन–अपराधो की मात्रा अधिक मिलती है।[36]

अध्ययन क्षेत्र मे भी यौन–अनुपात व अपराधो मे धनात्मक सह सम्बन्ध देखा गया है। अध्ययन क्षेत्र मे अधिकाश अपराध पुरुषो द्वारा ही किया जाता है। महिलाओ द्वारा किये गये अपराधो की सख्या नगण्य है।

साक्षरता एवं अपराध

अध्ययन क्षेत्र मे साक्षरता एव अपराध मे ऋणात्मक सम्बन्ध देखने को मिलता है। अध्ययन क्षेत्र के जिन विकास खण्डो मे साक्षरता दर कम है। वहॉ पर अपराधो की सख्या अधिक है। जबकि अधिक साक्षरता दर वाले विकास खण्डो मे अपराधो की सख्या कम मिलती है। जेल के कैदियो से किये गये साक्षात्कारो के आधार पर यह स्पष्ट हुआ है कि अशिक्षित व्यक्ति अधिक अपराध करते है। जबकि शिक्षित व्यक्तियो द्वारा कम अपराध किये जाते है। (*स्रोत* – स्वय के सर्वेक्षण के आधार पर)

कार्यकारी जनसंख्या और अपराध

अध्ययन क्षेत्र के कार्यकारी जनसख्या पर दृष्टिपात करने से स्पष्ट होता है कि जिन क्षेत्र मे कार्यकारी जनसख्या कम है। वहॉ अपराधो की सख्या अधिक है। कार्यकारी जनसख्या की अधिकता वाले क्षेत्रो मे व्यक्ति अपने कार्यों मे व्यस्त रहते है। जिससे उनका झुकाव अपराधो की ओर नही होता। जबकि बेरोजगार व्यक्ति अपराधिक कार्यों मे लग जाते है। बेरोजगारी एक ऐसी

समस्या है। जिसमे व्यक्ति शारीरिक एव मानसिक दृष्टि से परिपूर्ण हाते हुये भी जीवकोपार्जन न मिलने के कारण समाज के निर्माण कार्यों मे न लगकर उसके विनाशात्मक कार्यों मे लग जाते है और अपराधी बन जाते है।

धार्मिक व्यवस्था एवं अपराध

अध्ययन क्षेत्र मे जाति व्यवस्था की (सारणी अध्याय–3) देखने से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक लोग हिन्दू–धर्म को मानने वाले है जो समस्त जनसख्या का 85 55 प्रतिशत है। फिर 4 17 प्रतिशत मुस्लिम धर्म के लोग है। इस क्षेत्र मे जहॉ मुस्लिम अधिक है वहॉ दगा अत्यधिक होते है क्योकि मुस्लिम लोग असिहष्णु होते है। राम जन्म भूमि विवाद के समय इस क्षेत्र मे भी साम्प्रादायिक घटनाये सामने आयी जो प्राय मुस्लिम बहुत क्षेत्रो मे अधिक थी। ध्यातव्य है एक ओर जहॉ प्रत्येक धर्म अपराधो को कम करने मे सहायक होते है। एव शान्तिमय जीवन व्यतीत करने की शिक्षा देते है। वही धार्मिक उन्माद रूढिवाद पाखण्ड आडम्बर कठमुल्लापन एव अधिविश्वासो के कारण धर्म की आड मे अनेक अपराध होते रहते है।

जाति व्यवस्था एवं अपराध

क्षेत्र के सामाजिक व्यवस्था मे विभिन्न जातियो को पर्याप्त समिश्रण है। इसमे मुख्यत तीन वर्ग मे विभाजित किया जा सकता है। सवर्ण वर्ग पिछडा वर्ग अनुसूचित जाति एव जनजाति। पहले सवर्ण वर्ग गभीर किस्म के अपराध करते थे। वही अब पिछडी जाति के लोग गभीर अपराध करने लगे है। सवर्णो एव पिछडे वर्ग के लोग अनुसूचित जातियो के लोगो का शोषण करते है अनुसूचित जाति की महिलाओ के प्रति यौन अत्याचार करते है। जिनके कारण विभिन्न अपराधो का जन्म होता है। क्षेत्र की विभिन्न जनजातियो बजारे कजड नट बहेलिये आदि जिनका जीवन अस्थाई एव सघर्षमय होता है। झगडा–फसाद करने मे अत्यन्त प्रवीण होते है। जिसके कारण ये अनेक अपराधो मे सलग्न रहते है।

पशु—संसाधन और अपराध

भारतीय अर्थ व्यवस्था कृषि पर आधारित है। भारत मे अधिकाश सख्या छोटे एव सीमान्त कृषको की है जो पशु (गाय बैल भैस) के द्वारा कृषि कार्य करते हैं। एव पशुपालन द्वारा दुग्ध उत्पादन मॉस उत्पादन ऊन उत्पादन आदि विभिन्न कार्य भी करते है। अध्ययन क्षेत्र मे पशु—पालन गगा के कटरी क्षेत्रो मे बहुतायत मे होता है क्योकि यहॉ पर कृषि नही की जा सकती इन क्षेत्रो मे रहने वाले लोग के मध्य पशुओ की चोरी करने से पशुचारा एकत्रित करने से या पशुओ द्वारा दूसरे की फसल चरने के कारण प्राय झगडे का कारण बनते है जो बाद मे अपराध का रूप धारण कर लेते है। अध्ययन क्षेत्र मे पशु—ससाधन से सम्बन्धित अनेक अपराध किये जाते है।

सामाजिक अपराध

सामाजिक पर्यावरण मनुष्य को अपराधी बनाने मे सहायक होते है। जनसख्या की विशेषताये जिसमे जनसख्या घनत्व जनसख्या सरचना व्यवसायिक सरचना आदि आते हैं जिसके द्वारा अपराधो की सख्या मे बहुलता एव विरलता देखी जाती है। अत्यधिक जनसख्या वाले क्षेत्रो मे अपराधो की सख्या अधिक होती है। जबकि कम जनसख्या वाले क्षेत्रो मे अपराध कम मिलते है।[37] शहरो मे जहॉ अधिक जनसख्या मिलती है वहॉ अपराध एक व्यवसाय के रूप मे पनपता है। शहरो मे अपराध की नवीन तकनीक विकसित होती रहती है। जिससे अपराधो की सख्या मे निरन्तर वृद्धि होती है।[38]

नगरीय जनसख्या एवं अपराध

नगरीय अधिवासो मे सामाजिक विषमता अधिक देखने को मिलती है। वैसे तो इनमे विभिन्न सम्प्रदायो धर्मों एव जातियो के लोग एक साथ निवास करते हैं। किन्तु उनमे [illegible] सहयोग की भावना नही होती है।[39] अध्ययन

क्षेत्र के अधिक नगरीय जनसख्या वाले क्षेत्रो मे धनधान्य की वृद्धि एव अधिक आर्थिक समृद्धि के साथ—साथ भीड—भाड कोलाहल मलिनबस्तियो का प्रादुर्भाव नैतिकता का पतन—शोषण युक्त समाज मानवीय गुणो का अभाव पर्यावरण का ह्रास आदि नकारात्मक वातावरण उपस्थित करते है जो परोक्ष रूप से अपराध की वृद्धि मे सहायक है।

अपराध के अन्य कारक

इन कारको के अतरिक्त अपराधी प्रवृत्तियो के अन्य कारणो मे राजनीति नौकरशाही मनोरजन का बदलता स्वरूप परिवारिक विघटन आर्थिक विपन्नता चारित्रिक पतन उग्रस्वभाव गृह—कलह मद्य—पान निरन्तर तनाव सयुक्त परिवारो का विघटन जीवन शैली पारिवारिक परिस्थितियाँ औद्योगिक व्यवसाय शिक्षाप्रणाली न्याय पुलिस एव दण्ड व्यवस्था है।[40]

अपराधी व्यवहार मनुष्य मे व्याप्त विशिष्ट वैयक्तिक मनोभावो जैसे अवैध पैत्रता सौतेली सतान अनाथ होने का अनुभव बुरा पडोस एव बहुमुखी बाह्य—शक्तियो के सम्मिलित प्रभाव से उत्पन्न होता है।[41]

इस प्रकार अपराध के कारको के सम्बन्ध मे विभिनन तथ्यो विवेचनो के माध्यम से स्पष्ट होता है कि अपराध मानवशास्त्रीय भौतिक तथा सामाजिक कारको के अनेक समिश्रणो का फल है।

अपराध का प्रभाव

अपराध के भिन्न—भिन्न कारणो के अनुसार ही उनका प्रभाव भी भिन्न रूप से पाया जाता है। जिस प्रकार सामाजिक [illegible]तिक भौतिक आर्थिक मानवशास्त्रीय पक्षो का प्रभाव अपराधो पर पडता है वैसे ही इन्ही अपराधो का प्रभाव समाज के प्रत्येक वर्ग व क्षेत्र पर पडता है।

अपराधो का समाज पर प्रभाव सदैव नकारात्मक रूप से ही पडा है जब मनुष्य जनबूझकर अज्ञानवश या पारिस्थिति के दबाव मे आकर ऐसा अपराधी व्यवहार करता है तो समाज की व्यवस्था मान्य नियमो तथा वाछित व्यवहार के प्रतिमानो पर न कवेल विपरीत प्रभाव पडता है वरन यह सामाजिक हितो की पूर्ति के लिये भी घातक सिद्ध होता है। इन अपराधो का प्रभाव जब समाज के किसी सगठनात्मक या व्यवस्थात्मक ढॉचे पर पडता है तो असमायोजन की अनेक समस्याये उत्पन्न हो जाती है और उनका व्यापक स्वरूप समाजो को रूग्ण बनाता है। अपराधो की समस्या मानवयी सम्बन्धो की वह समस्या है जो समाज के लिये गभीर रूप से हानिकारक सिद्ध होती है। जिसके कारण अनेक लोगो की महत्वपूर्ण इच्छाये पूरी नही हो पाती।[41] अपराध एक सामाजिक समस्या है। जो समाज मे तनाव सघर्ष एव निराशा उत्पन्न करती है। जो सामाजिक लक्ष्यो की प्राप्ति से उत्पन्न सतोष के मार्ग मे रोडा बन जाती है। अपराध के प्रभाव की व्याख्या करते हुये मुख्य तथ्य उभर कर सामने आते है इससे समाज मे सतुलन की शक्तियो मे परितर्वन होता है। सामाजिक सरचना भग हो जाती है। व्यवहार नियामक प्रतिमान लागू नही हो पाते और नियत्रण के स्वीकृत स्वरूप प्रभावपूर्ण ढग से कार्य नही कर पाते है।[42]

अपराध का प्रभाव जब वैयक्तिक विघटन के रूप मे सामने आता है तो समाज मे आत्महत्या की प्रवृत्ति अधिक हो जाती है। यह व्यक्ति के दृष्टिकोण मे होने वाले उन परिवर्तनो की आखिरी अवस्था है। जिसमे अपराधी तत्वो के भय के कारण जीवन के प्रति असीम मोह की भावना घृणा मे बदल जाती है। इसके मूल मे निराशा हताशा एव पल[illegible]ता होती है जिसके उत्पन्न होने का कारण अपराधी वयवहार ही होता है। आज अनेक अपराधी सरगने अपहरण जैसे कुकृत्यो के माध्यम से या तो धन उगाही कर रहे है या उनसे भिक्षावृत्ति अथवा उन अपहृत बच्चो को अपराधो मे लगा रहे है जिससे समाज मे भिक्षावृत्ति बाल–अपराध जैसी समस्याये बनी हुयी है। इन समस्याओ का भयानक रूप सामाजिक रूग्णता के रूप मे एव मानसिक पगुता के रूप मे उभर कर सामने आता है। मद्यपान जैसे अपराध [illegible] परिवारिक विघटन चरित्रिक पतन के रूप मे समाज पर अपना प्रभाव डालते हैं।

सन्दर्भ

1 डॉ एसपी श्रीवास्तव – सामाजिक समस्याये सामाजिक कार्य विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय 1978 पृ 170

2 धासिटन सेलिन – कल्चर कार्नाफ्लक्ट एण्ड क्राइम न्यूयार्क 1938 पृ 20–21

3 भारतीय दण्ड सहिता 1998

4 ब्रिटिश क्रिमिनल लॉ 1956

5 डॉ एसपी श्रीवास्तव वही (1)

6 हैवलक इलिश – दि क्रिमिनल लदन 1901 पृ 1–24

7 बैकरिया – स्रोत प्रश्न कुमार अप्रकाशित शोध प्रबन्ध 2000 अपराधिक विश्लेषण बदायुँ जनपद पृ 127

8 डॉ एसपी श्रीवास्तव वही (1)

9 लोम्ब्रोसो सी – दि क्रिमिनल मैन पाचवा सस्करण जीपी पुटानिस सस न्यूयार्क 1911 पृ 1–20

10 हूटन ई – क्राइम एण्ड मैन 1931 दि अमेरिकन क्रिमिनल एन एन्थ्रोपोलोजिकल स्टडी (1939) हारवर्ड यूनी प्रेस कैम्ब्रिज

11 शेल्डन डब्ल्यूएच – पैराइटीज ऑफ डेलीक्वेट यूथ द्वारपर एण्ड ब्रादर्स न्यूयार्क 1949

12 इडविन एच सदर लैण्ड एण्ड डोनाल्ड आर क्रेसी – प्रिसिपल्स ऑफ क्रिक्रमिनोलॉजी फिला डेल्फिया 1955

13 जार्ज सिमूल – क्रिमेनोलॉजी न्यूयार्क 1956 यूथ स्टडी सर्किल।

14 इनरिको फेरी – स्टडीज आन 'क्रिमिनैलिटी इन फ्रास फ्राम 1826–1878 रोम 1881

15 शेल्डन ग्लुक एण्ड इलनियर ग्लुक – अनरेबेलिग जुबेनाइल डेलिक्वेसी न्यूयार्क 1950 पृ 70

16 ब्लैकस्टोन डब्ल्यू – कॉमेन्ट्री 6–4 पृ 5

17 ई एच सदलैण्ड एण्ड डी आर क्रेसी – प्रिसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी बाम्बे 1968 पृ 4

18 एम एम लबानिया – क्रिमिनोलॉजी दिल्ली 1981–82 पृ 50

19 ई एच सदरलैण्ड एण्ड क्रेसी – प्रिसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी बाम्बे 1968 पृ 18

20 मॉण्टेस्क्यू – स्प्रिट ऑफ को टेड बाई वार्न्स एच ई एण्ड टीटर्स एन के पृ 143

21 क्वेटलेट – थर्मिक लॉ ऑफ क्राइम कोटेड बाई वार्न्स एण्ड टीटर्स इन न्यू हैराइजन्स इन क्रिमिनोलॉजी चतुर्थ सस्करण प्रिटिस हाल इगलवुड 1959

22 क्रोपोटकिन पी पी – मार्डन थ्योरीज ऑफ क्रिमिनलिटी कोटेड बाई बर्नाल्डो लिटिल ब्राउन वोस्टन 1911

23 जोसेफ कॉन – यूनीफार्म क्राइम रिपोर्ट फ्रेण्डस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टीगेशन्स न्यू एस ए इन उेसलर्स बुक रीडिग्स इन क्रिमिनोलॉजी एण्ड पेनोलॉजी कोलम्बिया यूनी प्रेस न्ययार्क 1964 पृ 22

24 इनरिको फेरी – स्टडीज ऑन [illegible] इन फ्रास फ्राम 1826 रोम 1881

25 जोहान कॉस्पर लेपाटर – [illegible] फ्रैगमेटस 1975

26 चार्ल्स काल्डवेल – इसीमेट्स ऑफ क्रेनालॉजी 1824

27 सिजारे लाब्रोसो – ए मार्डन मैन ऑफ साइस लदन 1911 पृ 18

28 ई जी वेक्सरर – वेदर इन्फ्लूएन्स मैनिलॉन, न्यूयार्क 1904

29 प्रश्न कुमार – जनपद बदायुॅ मे अपराधो का विश्लेषण अप्रकाशित शोध प्रबन्ध 2000 पृ 135

30 डी एस बघेल – क्रिमिनोलॉजी 1985 पृ 127–28

31 वही 29 पृ 132

32 एस एस विशर – जलवायु और उसके प्रभाव 1954 पृ 196

33 सी टी व्हाइट एण्ड रेनर – ह्यूमन ज्योग्राफी 1998 पृ 23–37

34 डी हॉसन– ओरीजन ऑु द एकेडेमिक ज्योग्राफी इन दि यूनाइटेड स्टेट हैम्बर्ग 1981 पृ 165–174

35 ई एच सदरलैण्ड – प्रिसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी बाम्बे 1968 पृ 108

36 वही पृ 111

37 डी एस बघेल – क्रिमिनोलॉजी 1985 पृ 127–128

38 वही 34 पृ 130

39 डॉ आर सी तिवारी – अधिवास भूगोल प्रयाग पुस्तक भवन इलाहाबाद पृ 31

40 इनरिको फेरी – क्रिमिनल सोश्योलॉजी न्यूयार्क 1966 पृ 530

41 हैसवॉन हेटिग – क्राइम काजेज एण्ड कडीशस न्यूयार्क 1947 पृ 203

42 अर्लराव एण्ड गरट्यूट जे सेल्जनिक – मेजर सोशल प्राबल्म्स न्यूयार्क 196 पृ 4

43 डब्ल्यू, बैलेज वीवर – सोशल प्राबल्म्स न्यूयार्क 1951 पृ 3

44 मेबेल ए इलिएट एण्ड फ्रासिस ई मेरिल – सोशल डिसआर्गनाइजेशन न्यूयार्क 1950 पृ 20

अध्याय—6

प्रतिदर्शी ग्रामों के संदर्भ में अपराधों का विशिष्ट अध्ययन

3 लघु क्षेत्रीय स्तर पर किये गये अध्ययन मे लोगो से साक्षात्कार द्वारा साख्यकीय ऑकडो की विश्वसनीयता का परीक्षण किया जा सकता है।

4 अपराध और अपराधियो की वर्तमान दशाओ का यथार्थ अवलोकन एव गतिविधियो से सम्बन्धित प्रत्यक्ष कारको को अधिक सामीप्य से समझा जा सकता है।

5 अपराधो के सदर्भ मे स्थानीय पर्यावरण की दशाये उत्पीडित व्यक्तियो की भूमिका अपराध की यातना झेलने के पश्चात प्रतिक्रिया की यथार्थता प्रतिदर्शी ग्रामो के अध्ययन से अधिक स्पष्ट की जा सकती है।

6 इस प्रकार के अध्ययनो के द्वारा अति सवेदनशील अपराध क्षेत्रो मे स्थानीय पर्यावरण की दशाओ के अन्तर्गत अपराधो के निवारण समझाने का प्रयत्न किया जाता है।

7 इस प्रकार का अध्ययन भविष्य मे अपराधो उन्मूलन एव पीडित पक्ष को सरक्षण देने मे प्रयुक्त किया जा सकता है।

अपराध नियत्रण मे स्थानीय पर्यावरण की दशाओ और अपराधो के अन्तर्सम्बन्धो का ज्ञान प्राप्त करना सदैव सार्थक रहता है। ऐसे विभिन्न पक्षो सयुक्त अध्ययन शोध कार्य का परिपूरक है साथ मे इसके अतिरिक्त यह जानना भी आवश्यक है। विभिन्न नगरीय और ग्रामीण पर्यावरण मे विशिष्ट अपराधिक दशाये क्यो प्रगट होती है। एव उनको किस प्रकार से व्यवस्थित और नियत्रित किया जाय जिससे अपराधो मे कमी आ सके। अपराधो के विश्लेषण मे अवस्थिति का विषय महत्वपूर्ण है। अत भूगोलवेत्ता उन स्थानिक परिस्थितियो को प्रस्तुत करने मे विशेष उत्सुक रहता हैं। जिन परिस्थितियो के कारण अपराध घटित होते है। यह विषयवस्तु परम्परागत तकनीक से अधिक व्यापक और उपयोगी है। तक्षा क्षेत्रीय स्तर पर इस प्रकार के अध्ययन का विशेष महत्व है।

शोध की दृष्टि से अपराध घटित होने की दशाओ का अध्ययन दो रूपो मे किया जा सकता है –

1 यह कि अपराधो का लक्षणो के आधार पर श्रेणीबद्ध करके उसकी गहनता का क्षेत्रीय स्तर पर आकलन किया जाय।

2 यह कि वास्तविक रूप से अपराधियो के आचरण को प्रेरणा एव विवशता प्रदान करने वाले स्थानीय पर्यावरण के पक्षो का अध्ययन किया जाय।

उपरोक्त प्रथम पक्ष व्यवहारिक और तकनीकिक पक्ष है जो अपराधो का क्षेत्रीय वितरण प्रतिरूप प्रस्तुत करता है। द्वितीय पक्ष अपराध के महत्वपूर्ण कारको के सूक्ष्म विवेचन की अपेक्षा करता है।

प्रस्तुत अध्याय मे द्वितीय पक्ष का ध्यान रखते हुये फर्रुखाबाद जनपद के अन्तर्गत अपराध और स्थानीय पर्यावरण की दशाओ की व्याख्या के लिये दो माध्यम अपनाये गये है –

1 विभिन्न क्षेत्रो मे स्थानीय पर्यावरण और अपराध की दशाये तथा सामान्य व्यक्तियो के विचार सारणी क्रमाक की प्रश्नावली।

2 अपराधी व्यक्तियो पर विचार सारणी क्रमाक की प्रश्नावली।

प्रतिदर्शी ग्राम एवं उनके चयन का आधार

उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति मे लिये जनपद के प्रतिदर्शी ग्रामो का चयन किया गया जिनके द्वारा क्षेत्रीय पर्यावरण और अपराध की दशाओ का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है। इस प्रकार के अध्ययन से अपराधियो द्वारा उत्पीडित व्यक्तियो की वस्तुस्थिति का ज्ञान तथा पर्यावरण के प्रभावो की जानकारी प्राप्त होती है।

अपराधिक व्यक्तियो पर विचार करने के उद्देश्य से जिला कारागार फतेहगढ मे विभिन्न प्रकार के अपराधो के अन्तर्गत सभी वर्गो। मे चयन किये

DISTRICT FARRUKHABAD
SAMPLE VILLAGES
N
RUDAYAN
KARANPUR
AMRITPUR
BILSADI
NARAYANPUR
0
10
20
km

RUDAYAN
PAHARPUR
RUDAYAN
BILCHAR
DISTRIC ETAH
RAIL LINE
LEVELING GANGA
BILASAD
CANAL

AMRITPUR
RAM GANGA
KARANPUR
BANARISEPUR
AMRITPUR
GANGA
BHABANIPUR
JAITPUR

NARAYANPUR
GANGA
FARRUKHABAD
NARAYANPUR
CANT
AERA
CANTER
JAIL

ARANPUR
PARTAPUR
PURRLA
KARANPUR

BILSADI
PHARPUR
MANIKPUR
BILSADI
SARIYA
ETAH DISTRICT
BILSAD

गये अपराधियो से साक्षात्कार कर अपराध की दशाओ और उन कारणो को जानने का प्रयास किया गया है। जिनमे वे अपराध करने के लिये विवश हुये।

प्रतिदर्शी गॉव का चयन करते समय बहुतात्विक पक्षे को ध्यान मे रखा गया है। जिससे स्थानीय पर्यावरण की भिन्नताओ के प्रभाव का आकलन अपराध के सदर्भ मे किया जा सके। इन ग्रामो के चयन मे अपराध को प्रभावित करने वाले विभिन्न भौतिक और सास्कृतिक पक्षो की विविधता को आधार माना गया है —

1 प्रतिदर्शी ग्राम्य अध्ययन मे मात्र पॉच गॉवो का चयन किया गया है। किन्तु मानचित्र मे इनकी स्थिति यह स्पष्ट करती है कि इन गॉवो मे पर्याप्त दूरी होने से लगभग सम्पूर्ण जनपद का प्रतिनिधित्व इनके द्वारा हो जाता है।

प्रमुख चयनित ग्राम्य

ग्राम नरायणपुर

ग्राम नरायणपुर जनपद के उत्तरी—पूर्वी भाग मे $27^{0}22$ उत्तर तथा $79^{0}36$ पूर्व पर स्थित है।[1] यह गॉव फतेहगढ एव फर्रुखाबाद जुडवा नगरो के लगभग मध्य मे स्थित है। यह गॉव जनपद मुख्यालय से 3 किमी की दूरी पर एव तहसील मुख्यालय से 4 किमी की दूरी पर स्थित है। यह गॉव फतेहगढ रेलवे स्टेशन से 2 किमी की दूरी पर स्थित है। जनपद मे किये गये नियोजन प्रणाली के अन्तर्गत यह क्षेत्र भी सम्मिलित किया गया है। इसके दक्षिणी भाग मे जेल है एव उत्तरी—पूर्वी भाग मे फतेहगढ का छावनी क्षेत्र स्थित है।

भौतिक दृष्टि से इस गॉव की जमीन प्राय समतल है। यही दोमट मिट्टी की प्रधानता है। जिसमे बलुई मिट्टी मिली हुयी है। यह मिट्टी उर्वरता की दृष्टि से मध्यम स्तर की है इस गॉव मे मुख्य रूप से गेहूँ का उत्पादन किया जाता है। दूसरे स्थान पर बाजरा उगाया जाता है। सिचाई के साधन के

रूप मे किये एव निजी नलकूपो का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। इस गॉव मे आम के बाग एव यूकेलिप्टिस के पेड बहुतायत से पाये जाते है। पशु–ससाधन के रूप मे गाय भैस एव बैल की प्रधानता है। जिन पशुओ से दूध प्राप्त किया जाता है। वह यहॉ बहुतायत से पाले जाते है एव उनका दूध फतेहगढ एव फर्रुखाबाद शहर मे बिक्री हेतु भेज दिया जाता है।

यह गॉव नगर क्षेत्र के समीप होने के कारण विकसित ग्राम है जिसमे कुल 2001 की जनगणनानुसार 583 जनसख्या निवास करती है। जिसमे 261 पुरुष एव 322 महिलाये है। गॉव मे हिन्दू–मन्दिरो एव मढियो की प्रधानता है। मस्जिद भी कही–कही देखने को मिलती है।

इस गॉव के निवासी अधिकतर हिन्दू–धर्म के अनुयायी है। इसके अतरिक्त अन्य जाति के लोग भी इस गॉव मे निवास करते हैं इस गाव मे हिन्दू–धर्म को मानने वाली कटियार (कुर्मी) जाति अधिक सख्या मे पायी जाती है।

यह जाति सम्पन्न अवस्था मे है। इसका प्रमुख व्यासाय निजी बस एव ट्रको को किराये पर चलाना है इस गॉव मे 3 पी सी ओ भी है। गॉव मे विद्युत व्यवस्थ[illegible] है। आवागमन के रूपमे लोग मो[illegible] का अधिक उपयोग करते है। मनोरजन के रूप मे प्राय लोग घरो मे टी वी रेडियो आदि का उपयोग कर रहे है। इस गॉव के लोग नगर क्षेत्र पास होने से नगर के अन्तर्गत स्थित व्यवसायो मे सलगन है। इस गॉव मे शिक्षा की व्यवस्था सतोषजनक है।

इस गॉव मे बन्दूक लाइसेस धराको की सख्या 16 है। जो सम्पन्न परिवारो मे है। अवैध हथियारो की सभावना गॉव बनी हुयी है।

अपराधिक दशाएँ

1 इस गॉव मे अधिकतर अपराध अवैध अस्त्र–शस्त्र के द्वारा किये गये है। लाइसेन्सी हथियारा का अपराधो मे कम प्रयोग किया गया है।

2 यहॉ पर अपराधियो को धनाढ्य लोगो का सरक्षण प्राप्त है।

3 यहॉ पर होली दीपावली जैसे त्यौहारो पर अपराधिक घटनाएँ अधिक घटित होती है।

4 यहॉ कृषको द्वारा अपराध कम किये गए है।

5 यहॉ पर जुआ–शराब आदि की अपराधिक घनाएँ अधिक पाई गई है।

6 यहॉ पर शिक्षित एवम् युवा–बेराजगारो का अपराधो मे अधिक योगदान रहा है।

ग्राम्य रूदायन

जनपद फर्रुखाबाद मे तहसील कायमगज मे थाना कम्पिल क्षेत्र के उत्तरी–पश्चिमी किनारे पर ग्राम रुदायन 27°36 उत्तर एव 79°12 पूर्व मे स्थित है। रुदायन रेलवे स्टोशन से 2 किमी दूर कम्पिल रोड पर स्थित है। यह गॉव जनपद एटा के निकट स्थित है। रुदायन गॉव जनपद फर्रुखाबाद के मुख्यालय से 50 किमी दूर तहसील मुख्यालय कायमगज से 20 किमी दूर एव थाना काम्पिल से 10 किमी दूर स्थित है। ग्राम से पुलिस चौकी 2 किमी दूर है। इस गॉव के उत्तरी ओर रेत के टीले एव भूड मिटटी का क्षेत्र पाया जाता है। देखे – मानयित्र न 6 2। इस गॉव की जल निकास प्राणाली व्यवस्थित है। किन्तु गॉव का उत्तरी भाग मे प्राय जल भराव की दशाये उपस्थित हो जाती है। यह जलाशयो मे कुण्डा एव सरदीप ताल पाये जाते है। जो समस्त गॉव की जल व्यवस्था की पूर्ति मे सहायक है। वर्षा ऋतु मे प्राय इस क्षेत्र के उत्तरी भाग मे जल भराव हो जाता है। इस गॉव की मिट्टी दोमट प्रधान है। उर्वरता का स्तर सतोषप्रद है इस गॉव मे उत्तरी भाग जल भराव का आर्द्र क्षेत्र है। अत यह क्षेत्र ऊसर क्षेत्र बन गया है। इस गॉव मे मुख्यरूप से गेहूँ मक्का गन्ना तम्बाकू आदि फसले उगायी जाती है। यहॉ कृषि उत्पादन का आधुनिक तरीका

अपनाया जाता है। इस गॉव की प्रति हेक्टेयर उपज सतोषप्रद है। सिचाई का मुख्य साधन निजी नलकूप है।

सिमित मात्रा मे नहरो द्वारा भी सिचाई की जाती है। गॉव मे अनेक फलो के वृक्ष है जिनमे आम अमरूद मौसम्मी नीबू, सतरा के वृक्ष है। अन्य वृक्षो मे नीम पीपल प्रमुख है। पशु ससाधन दृष्टि से गाय भेड सुअर की प्रधानता है। अधिवास की दृष्टि से यह गॉव सामान्य कोटि का है। अधिकाश मकान पक्की ईटो के बने है। घर झुरमुठो के रूप मे बनाये जाते है। यहॉ की जनसख्या सन 2001 के अनुसार 4019 है जिसमे पुरुष 1930 एव महिलाये 2089 है अत मलिाये पुरुषो की अपेक्षा अधिक हैं। इस गॉव मे हिन्दू मुसलमान दोनो जाति के लोग रहते हैं। जिनमे साम्प्रदायिक सौहार्द्र बना हुआ है। हिन्दुओ की प्रधानता है। यहॉ का मुस्लिम समुदाय सम्पन है। इस क्षेत्र के लोगो का शिक्षा का स्तर मध्यम है।

यहॉ डाकघर ग्रामीण बैक है। बाजार की सुविधा यहॉ सप्ताह मे दो दिन है। अन्य दिनो मे खरीदारी हेतु कायमगज जाना पडता है। रेलवे स्टेशन से दूरी कम होने के कारण यहॉ चिकित्सा आदि सुविधाओ मे अधिक असुविधा नही होती है। इस ग्रामवासियो को चिकित्सा सुविधा हेतु कायमगज अथवा एटा जनपद मे जाना पडता है। यहॉ के लोग व्यवसाय के रूप मे कृषिकार्यो आटा—चक्की आरा—मशीन बढईगीरी आदि कार्यों को अपनाये हुये है। विद्युत सुविधा जल सुविधा एव शिक्षा सुविधा गॉव मे उपलब्ध है। गॉव मे लाइसेसी शस्त्र धारको की सख्या 68 है। अवैध—शस्त्र—अस्त्र की प्राप्ति की सम्भावना बनी हुयी है। इस क्षेत्र मे अपराधी अधिकतर पुलिस या सेना क्षेत्र से जुडे लोग है।

अपराध की - श।यं

1. ग्राम रुदायन अपराधिक बट्टी से जुडे जनपद एटा के समीपवर्ती क्षेत्र मे होने के कारण अधिकाश अपराधी दूसरे क्षेत्रो से आकर अपराध करते हैं। सीमावर्ती गॉव होने के कारण अपराधी कुकृत्य

करने के पश्चात दूसरे जनपद मे जाकर छिप जाते है।

2 यह गॉव फर्रुखाबाद जनपद की सीमा पर ही बसा है। जिसके पास ही कटरी एव खादर क्षेत्र स्थित है जो जनपद के अपराधो मे सक्रिय भूमिका निभाते है।

3 आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण चोरी की छुटपुट घटनाये सदैव ही होती रहती है।

4 इस गॉव मे जुआ खेलना शराब पीना हरे पेड काटना किसी दूसरे के पेड या सरकारी पेड काट कर बेच या जला लेना विद्युत चोरी दूसरे की फसल की चोरी यहॉ प्रमुख अपराधी कृत्य हैं।

5 यहॉ के समपन्न परिवार आज भी शिकार के शौकीन है। उनके घरो मे हिरन एव खरगोश आदि की खालो की बनी सामग्री उपलब्ध होती है।

6 यहॉ प्राय अवैध अस्त्र–शस्त्रो की खरीद फरोख्त की घटनाये प्राप्त होती है।

7 इस जनपद मे पुलिस चौकी हो जाने से इसकी अपराधी घटनाओ मे भारी कमी आयी है।

करनपुर घाट

जनपद फर्रुखाबाद के तहसील अमृतपुर क्षेत्र मे विकासखण्ड राजेपुर एव थाना अमृतपुर मे ग्राम करनपुर घाट स्थित है। यह गॉव लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र के सेक्टर न–3 मे आता है। यह गॉव भौगोलिक दृष्टि से 29°30 उत्तर एव 82°32 पूर्व मे स्थित है। यह क्षेत्र गगा एव रामगगा दो नदियो से घिरा हुआ है। इस गॉव से मुख्य नदी गगा मात्र 800 मीटर की दूरी पर बहती है। अत गॉव के लोग प्राय स्नान हेतु गगा जाया करते हैं। इस गॉव के समीप जनपद हरदोई स्थित है। जिसकी सीमा गॉव से 6 किमी दूर है।

गॉव करनपुर घाट समतल भमि का गॉव है। यह क्षेत्र खादर—भूमि के अन्तर्गत आता है यहॉ की मिटटी दोमट मटियार प्रधान है। जिसका उर्वरता—सूचकाक उच्च—स्तर का है। अत कृषि उत्पादन की स्थित अच्छी है। यहॉ के श्रमिक—कृषक खेतो मे गेहूँ, चावल आलू, तम्बाकू एव पोस्ता की खेती करते है। कृषि उत्पादन प्रति हेक्टेयर सतोषप्रद है। यहॉ उत्तर—पूर्व की कुछ भूमि ऊसर के रूप मे बेकार पडी हुयी है। जिसे कृषि योग्य बनाने की सभावनाये है। यहॉ सिचाई मे गगा एव रामगगा नदियो का पानी उपयोग मे लाया जता है। इसके अतरिक्त सिचाई के साधन के रूप मे नलकूपो एव नहरो का उपयोग किया जाता है। पशु—ससाधन की दृष्टि से यह गॉव गाय भैस बैल घोडे सुअर एव कुक्कुट आदि जानवरो से सम्पन्न है। लोग जानवरो से प्राप्त सामग्रियो की क्रय—बिक्री कर के भी अपनी जीविका चलाते है।

2001 की जनगणना के अनुसार इस गॉव की कुल जनसख्या मात्र 363 है। जिसमे पुरुषो की सख्या 228 है एव महिलाओ की सख्या 135 है। इस गॉव की जनसख्या कृषि मे लगी हुयी है कुछ युवा वर्ग के लडके गॉव से शहर की ओर प्रस्थान कर चुके है। इस गॉव के निवासियो का रहन—सहन मध्यम—स्तर का है। फ्रिज टी वी आदि का उपयोग मात्र 18 घरो मे ही हो रहा है। शिक्षा हेतु प्राथमिक विद्यालय गॉव मे ही है अन्य उच्च—शिक्षा हेतु गॉव के लोगो को शहर आना पडता है। यहॉ सचार व्यवस्था मे तार घर एव पी सी ओ उपलब्ध है। गॉव मे छोटे—स्तर की बाजार की सुविधाये उपलब्ध है। गॉव वालो का चिकित्सा सुविधाओ हेतु राजेपुर क्षेत्र मे जाना पडता है। जो गॉव से मात्र 7 किमी दूर है। विद्युत सुविधा यहॉ सतोष जनक है।

अधिवास की दृष्टि से यह गॉव उन्नत अवस्था मे नही है। यहॉ कच्ची दीवारो पर छप्पर रखकर मकान बनाये जाते है। जिनमे दो या तीन कमरे पीछे की ओर होते हैं आगे खुली जगह मे बैठने एव पशु बाधने के लिये छप्पर पडा होता है। घर के एकदम पीछे शौच आदि की व्यवस्था पायी जाती है।

इस क्षेत्र मे लाइसेस धारको की सख्या 6 है। किन्तु हथियारो का प्रयोग अपराधो मे अधिक किया जाता है।

अपराधिक दशाऐं

1 इस गॉव मे अपराध प्राय स्थानीय लोगो द्वारा किये जाते है किन्तु वे अब गॉव मे निवास करना छोड चुके है।

2 गॉव मे अपराध चुनावो के समय बढ जाते है जिसका कारण जातीय है। अत यहॉ लोधी एव ठाकुर वर्ग के लोगो मे प्राय झगडे की स्थिति बनी रहती है।

3 अपराधी वर्गो मे प्राय 24 से 45 वर्ष के पुरुष शामिल रहते है ये प्राय बेरोजगार एव निर्धन है।

4 यहॉ राजनीति से प्रेरित अपराधो की अधिकता रहती है जो प्राय दबग लोगो द्वारा पिछडे वर्ग से प्रलोभन देकर कराये जाते है।

5 इस गॉव के समीप ही (कटरी) है जो तराई को स्थानीय भाषा मे कहते है। यहॉ सदैव से अपराधी प्रवृत्ति के लोग डेरा डाले रहते हैं। जब उन्हे अन्य स्थानो पर अपराध करने मे बाधा दिखाई देती है तो ये इसी गॉव के लोगो को धमकाकर खाना कपडा एव चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाते हैं।

6 यहॉ का समीपवर्ती जिला हरदोई है। अत इस जिले के अपराधी अपराध करके यहॉ छिप जाते हैं। एव यहॉ के अपराधी छिपने हेतु इस जनपद मे चले जाते है जिससे पुलिस प्रशासन को इन्हे पकडने मे अनेक बाधाओ का सामना करना पडता है।

ग्राम्य अमृतपुर

फर्रुखाबद जनपद के पूर्वीभाग मे सेक्टर तीन मे ग्राम अमृतपुर स्थित है। यह गॉव राजेपुर विकासखण्ड एव थाना अमृतपुर के अन्तर्गत आता है। यह $27^{0}32$ उत्तर तथा $79^{0}36$ पूर्व मे स्थित है। यह गॉव गगा एव रामगगा दोआब

मे स्थित है। इस गॉव से मुख्य नदी गगा 2 किमी एव रामगगा 6 किमी दूर है। इसके निकटवर्ती जनपद शहजहॉपुर है। जिसकी सीमा इस गॉव से 7 किमी दूर है। इस गॉव मे पुलिस चौकी स्थित है। यह गॉव अवस्थित की दृष्टि सेजनपद मुख्यालय फतेहगढ से 25 किमी दूर तहसील मुख्यालय से 26 किमी दूर स्थित है।

यह गॉव भौतिक सरचना की दृष्टि से समतल मैदान है जो दो नदियो के मध्य स्थित है। अत क्षेत्र प्रतिवर्ष बाढ–प्रभावित क्षेत्रो के अन्तर्गत रहता है। बाढ प्रभावित क्षेत्र होने के कारण यहॉ आर्थिक विकास एव कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव दिखाई देता है। यहॉ की मिटटी दोमट प्रधान है। जिसमे मटियार मिटटी का भी समिश्रण पाया जाता है जो उर्वरता की दृष्टि से मध्यम स्तर की होती है। यहॉ के बाढ ग्रसित क्षेत्रो मे ऊसर भूमि का विस्तार मिलताहै। कृषि उपजो मे मुख्यरूप से गेहूँ एव मक्का उगाया जाता है। अन्य फसलो मे रबी खरीफ एव जायद तीनो फसलो मे चावल उगाया जाता है साथ ही बाजरा भी उगाया जाता है। यहॉ सिचाई के साधन के रूप मे मुख्य रूप से निजी नलकूपो का उपयोग किया जाता है। किन्तु साथ ही कुऐ तालाबो का उपयोग भी सिचाई मे किया जाता है। पशुससाधन की दृष्टि से यह क्षेत्र गाय बैल भैस बकरा/बकरी एव घोडो आदि पशुओ को बहुतायत से पालता है।

अमृतपुर गॉव के समीप ही कटरी अमृतपुर क्षेत्र है जो पूर्णत गैर–आबाद क्षेत्र है। इसके समीप ही प्रतिदर्शी ग्राम्य अमृतपुर है। जिसमे 2001 जनगणना के अनुसार कुल जनसख्या 1339 अकित की गयी है। जिसमे कुल 738 पुरुष एव 601 महिलाये है। इस गॉव का जीवन–स्तर मध्यम–स्तर का है। लोग घरो मे भौतिक–सुविधाओ का उपयोग कर रहे है। इस गॉव के लोगो का मुख्य व्यवसाय कृषि के साथ–साथ क्रय–विक्रय भी है। पशुओ का उपयोग यातायात के रूप मे किया जाता है। गॉव मे डाकघर पी सी ओ आदि की सचार की व्यवस्थाये उपलब्ध है। गॉव मे छोटे–स्तर के बाजार स्थित है। चिकित्सा–सुविधा राजेपुर क्षेत्र मे स्थित है जो इस गॉव से मात्र 10 किमी दूर है। शिक्षण सुविधा हेतु यहॉ इटरमीडिएट–स्तर के बालक एव बालिकाओ के कालेज है। विद्युत सुविधा यहॉ सतोषजनक है।

इस गॉव का मुख्य बसाब नदी के निकट एव राजेपुर जाने वाली सडक के दोनो किनारो पर मिलता है किन्तु पश्चिम दिशा मे इसका बसाब अधिक सघन है। यहॉ कच्चे एव पक्के दोनो प्रकार के मकान पाये जाते है किन्तु कच्चे मकानो की अधिकता है।

इस क्षेत्र मे लाइसेस धारको की सख्या 100 से ऊपर है। अन्य अवैध अस्त्र–शस्त्रो की प्राप्ति की पूर्ण सम्भावना है।

अपराध की [illegible]

1 यहॉ अपराध प्राय स्थानीय लोगो के द्वारा ही किये जाते है जिसका कारण निर्धनता बिल्कुल नही वरन् आपसी रजिश है। इस गॉव मे झगडे का मुख्य कारण ईर्ष्या प्रतिस्पर्द्धा एवम प्रलोभन है।

2 अधिकतर अपराध राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति द्वारा किये जाते है।

3 अपराधियो मे अधिकाशत पुरुष वर्ग है जो कि बीस से चालीस आयु वर्ग के है। ये अपराधी अधिकतर निर्धनएव बेरोजगार है। इस गॉव मे अपराधो की बहुलता ग्रीष्म ऋतु मे पाई जाती है क्योकि इस अवधि मे कृषि कार्य कम होता है। अत अधिकाश व्यक्ति निष्क्रिय रहते है एव भयानक गर्मी के कारण गॉव सुनसान रहता है।

4 इस गॉव के लोग बाढग्रस्त क्षेत्र होने के कारण चोरी जैसी अपराधिक घटनाओ मे अधिक सक्रिय है।

5 इस गॉव मे मवेशियो की चोरी से सम्बन्धित अनेक घटनाए पाई गई हैं।

6 इस गॉव का अपराधी वर्ग अधिकतर शिक्षित एव सम्पन्न परिवारो से है जो निर्धन वर्ग को प्रलोभन देकर अपराध करवा रहा है।

7 यहॉ शारीरिक क्षति से सम्बन्धित जितने अपराध हैं वे सभी बदले की भावना से प्रेरित होकर किये गए है।

ग्राम बिलसडी

जनपद फर्रुखाबाद के तहसील कायमगज मे ग्राम बिलसडी स्थित है। यह ग्राम 28°35 उत्तर एव 80°10 पूर्व मे स्थित है। यहा गॉव रेलवे स्टोशन से मात्र 1 किमी की दूरी पर स्थित है। इस गॉव के समीप ही एटा जनपद है। यह फर्रुखाबाद मुख्यालय से 45 किमी दूर तहसील मुख्यालय कायमगज से 22 किमी दूर स्थित एव थाना कम्पिल से 13 किमी दूर स्थित है। यह गॉव लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के सेक्टर न 6 मे स्थित है। इस गॉव के उत्तरी भाग को छोडकर अन्य भागो मे जमीन समतल है।

इस गॉव मे दोमट एव रेतीली मिटटी का समिश्रण पाया जाता है। जिसका उर्वरता—स्तर सतोषप्रद है। कृषि योग्य भूमि ने यहॉ के व्यक्ति गेहूँ एव मक्का की फसल उगाते है। कही—कही अमरूद के बगीचे दिखाई देते है। जिनमे निम्न कोटि के अमरूद उगते है इसी गॉव से फर्रुखाबाद से एटा जाने वाली रेलवे लाइन (नेरो—गेज) गुजरती है। अत कृषि उत्पादो के मॉग—पूर्ति मे सहायता मिलती है। इस गॉव के उत्तर मे एक तालाब है प्राय गॉव के चरवाहा बच्चे गर्मियो मे इससे राहत पाने हेतु नहाते एव तैरते है। पास ही पुराने खण्डहरो का जमाव है जिसमे से प्राय पुराने समय के वर्तन शीशी एव अन्य छोटी सामग्रियॉ प्राप्त होती रहती है।

इस क्षेत्र मे जल—निकास व्यवस्था सही है अत जल भराव की स्थित अधिक उत्पन्न नही हो पाती है। इस गॉव मे कृषि उत्पादन मे अधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। अत प्रति हेक्टेयर उपज सतोषप्रद है। सिचाई की आवश्यकता प्राय नलकूपो एव तालाब द्वारा पूरी की जाती है। पशु ससाधन दृष्टि से यह गॉव सम्पन्न है। जिसमे प्राय बैल गाय एव भैसो को ज्यादा पाला जाता है। अन्य पशुओ का स्थान इनके बाद है। कुछ पुराने रईस लोग आज भी घोडे पाले हुये हैं।

इस गॉव मे सभी जातियो के व्यक्ति रहते हैं किन्तु हिन्दुओ मे ब्राह्मणो की अधिकता पायी जाती है। इस गॉव मे 2001 की जनगणना के अनुसार कुल 2420 जनसख्या पायी जाती है। जिसमे पुरुष 1238 है एव महिलाये 1182 है। अत इस गॉव मे लिग सतुलन बना हुआ है। लोगो का जीवन स्तर—मध्यम वर्ग स्तर का है इस गॉव मे बाजार की सुविधा है। अधिक खरीदारी हेतु कायमगज जाना पडता है।

इस गॉव मे ग्रामीण अधिवास प्राय झुरमुठो मे पाये जाते है। जिनके आस—पास कृषि क्षेत्र स्थित होते है। इनके मकान प्राय पक्की ईटो के किन्तु कच्ची जुडाई के होते है। लेन्टरो के स्थान पर खप्परैल एव फूस का छप्पर पाया जाता है। घर प्राय बडे है।

इस क्षेत्र के लोगो की शिक्षा का स्तर सतोषप्रद है। लडके एव लडकियो दानो को ही शिक्षा की सुविधाये दी जाती है। 10वी एव 12वी कक्षाओ की पढाई हेतु कायमगज आना पडता है। डाकघर एव पी सी ओ की सुविधा है। गॉव विद्युत सुविधायुक्त है। लोग व्यवसाय के रूप मे कृषि को अपनाये हुये हैं। चिकित्सा सुविधा हेतु लोग कायमगज एटा एव फर्रुखाबाद मे जाते हैं। गॉव मे आटा चक्की एव तेल—पेराई की सुविधाये उपलब्ध हैं। इस गॉव मे लाइसेसी शस्त्र धारको की सख्या 30 है। अत इतने कम शस्त्र होने पर भी इस गॉव मे सम्पत्ति के विरूद्ध अपराधो की अधिकता पायी जाती है।

अपराधों की ¯श॥य

1. गॉव बिलसडी मे अपराधो की प्रवृत्ति सम्पति के विरूद्ध अधिक पायी जाती है।
2. इस गॉव मे स्थानीय लोगो के मध्य बाहरी लोगो द्वारा भी अपराधिक गतिविधियो को चलाया जाता है।
3. जनपद एटा जो अपराध पट्टी मे स्थित है इस गॉव के समीप ही स्थित है। अत प्राय वहॉ के अपराधी तत्व यहॉ अपनी शरण स्थली बनाये रहते हैं।

4 इस गॉव मे फर्रुखाबाद से एटा जाने वाली छोटी रेलवे लाइन गुजरती है। जिससे अपराधी आसानी से गॉव मे वारदात करके भागने मे सफल हो जाते है।

5 गॉव मे इस रेलवे यातायात सुविधा के कारण यहॉ अपराधो की क्षेत्र विस्तृत हो चुका है।

6 यहॉ लूट–पाट की घटनाये अधिक होती है। जो यहॉ के लोगो की निर्धनता का परिचायक है क्योकि लोग थोडे से ही पैसे के लिये खून–खराबा करते पर उतारू हो जाते है।

7 यहॉ हत्या एव बलात्कार जैसी घटनाये लगभग नही ही होती है। जबकि अपहरण एव लूट जैसे अपराध अधिक होते है।

निष्कर्ष

अन्त मे निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि जनपद फर्रुखाबाद मे भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्यम स्तर का है। किन्तु इस जनपद मे पजीकृत अपराधो पर यदि दृष्टि डाले तो विदित होता हैं कि यहॉ प्रतिवर्ष हत्या के 118 मामले प्रकाश मे आये। दहेज हत्या के 33 मामले प्रकाश मे आये बलात्कार के 3 मामले प्रतिवर्ष की दर से प्रकश मे आये हैं। आर्थिक अपराध के दृष्टि से प्रतिवर्ष 325 अपराध की घटनाये सामने आयी हैं। किन्तु समाचार पत्र अन्य सूचना माध्यमो से प्राप्त घटनाओ एव मौखिक साक्ष्यो पर विश्वास करे तो स्पष्ट होता है कि जनपद मे प्रतिवर्ष 1100 हत्याये 3400 दहेज हत्याओ 4000 बलात्कार एव 330800 चोरी की घटनाये सामने आयी है इन बडी हुयी घटनाओ के पजीृत न होने का कारण या तो पुलिस द्वारा पजीकृत नही करने या कमजोर एव गरीब वर्ग म पुलिस भय होने के कारण या रिश्वतखोरी या दबगई के कारण होना स्पष्ट होता है।

सर्वेक्षणो द्वारा जनपद के अपराधो के सम्बन्ध में कुछ तथ्य स्पष्ट रूप से सामने आये है कि अपराधो के लये जनपद की सामाजिक आर्थिक एव

राजनीतिक परिस्थितियो से कही बढकर पुलिस की कार्य प्रणाली ज्यादा जिम्मेदार है। पुलिस का व्यवहार अपराधियो से नरम एव सभ्य व्यक्तियो से सख्त रहता है। दूसरे धनाढय वर्ग से भी पुलिस का व्यवहार नरम रहता है जबकि मध्यम वर्ग अपराधियो के विषय मे अधिक जानकारी देने मे समर्थ है किन्तु मध्यमवर्ग मे पुलिस के प्रति विश्वास मे कमी के कारण पुलिस जनपद के नागरिको का सहयोग अपराध उन्मूलन हेतु प्राप्त कर पा रही है इस प्रकार पुलिस व्यवस्था अपने उद्‌देश्य से अभी कोसो दूर है। दूसरे वे अपराधी जो बडी मुश्किल से आम नागरिक के सहयोग से पुलिस की गिरफ्त मे आते है परन्तु उन्हे तुरन्त जमानत दे देना बाइज्जत बरी कर देना आदि कारण अपराधियो का मनोबल बढाने से सहायक सिद्ध हुये है।

सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जनपद की भौगोलिकता सम्बन्धी है जिसके कारण आज भी अपराध निर्बाध रूप से पनप रहा है। फर्रुखाबाद जनपद की चारो ओर की सीमाये अन्य अपराधी जनपदो से मिली हुयी है। अत समस्त अपराधी वर्ग आपस मे एक सगठन सा बनाये हुये है जिसे तोडना पुलिस के लिये अत्यन्त दुरूह कार्य है। यातायात के साधनो ने अपराधियो के अपराध क्षेत्र का विस्तार कर दिया है। अत एक जनपद मे अपराधी का दूसरे जनपद मे प्रवेश करना पुलिस विभाग के कार्य को पेचीदा बना देता है जिससे अपराध उन्मूलन मे सफलता नही मिल पा रही है।

अत निष्कर्ष रूप से सामाजिक मानसिकता, राजनैतिक हस्तक्षेप पुलिस कार्य प्राणाली एव न्यायिक प्रक्रिय ऐसी व्यवस्थाये है जो भौगोलिक वातावरण के साथ–साथ अपराधो की पृष्ठभूमि तैयार करने मे आज भी सलग्न है।

संदर्भ

1 डिस्ट्रिक सेन्सस हैड बुक ऑफ इण्डिया

2 जनगणना कार्यालय से प्राप्त ऑकडे

3 साख्यिकीय पत्रिका जनपद फर्रुखाबाद

4 जनगणना कार्यालय मानचित्र प्रभाग फर्रुखाबाद

5 चुनाव कार्यालय जनपद फर्रुखाबाद

6 जनपदीय पुस्तकालय कचहरी फतेहगढ

अध्याय—7

अपराधों का स्थानिक विश्लेषण

फर्रुखाबाद जनपद का अपराधों का स्थानिक विश्लेषण

वर्तमान समय मे देश मे बढते हुए अपराध अच्छे मानव जीवन एव क्षेत्रीय शॉति के लिये गभीर खतरा उत्पन्न कर रहे है। पश्चात्य देशो के सास्कृतिक आक्रमण से हमारे शारीरिक और मानसिक आवश्यकताओ मे परिवर्तन हुआ है। पाश्चात्य भौतिकवादी सस्कृति मे मनुष्य का समूचाध्यान केवल अधिकाधिक धनोपार्जन तीव्र प्रतिस्पर्धा भोगविलास एव वैभवपूर्ण जीवन पर ही केन्द्रित है। मानवी मूल्यो का निरन्तर ह्रास होने लगता है।[1] फलस्वरूप अपराधो का जन्म होता है। जहॉ समाज का एक वर्ग अपनी उत्तर—जीविता के लिए अपराध करता है जबकि दूसरा वर्ग आर्थिक समृद्धि एव सामाजिक दबदबा बनाये रखने के लिये इन्हे प्रोत्साहित करता है।[2] प्रस्तुत अध्याय मे अध्ययन क्षेत्र के हिसात्मक आर्थिक एव व्यवस्था (सामाजिक एव प्रशासनिक) के विरुद्ध अपराधो का कालिक एव क्षेत्रीय विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। जनपद के हिसात्मक अपराध के अन्तर्गत बलात्कार हत्या अपहरण आर्थिक अपराधो के अन्तर्गत डकैती चोरी लूट छली विश्वासघात सम्पत्ति कब्जा एव व्यवस्था के विरुद्ध अपराधो के अन्तर्गत सामाजिक मूल्यो का हनन एव राज्य के नियमो का उल्लघन को सम्मिलित किया गया है। अध्ययन क्षेत्र के अपराधो के स्थानिक विश्लेषण के पूर्व अपराधशास्त्र के अनुसार अपराधो के वर्गीकरण पर दृष्टिपात करना आवश्यक एव तर्कसगत है। इसलिये इस अध्याय के प्रारम्भ मे अपराधो का सक्षिप्त वर्गीकरण प्रस्तुत किया जा रहा है।

अपराध वर्गीकरण के आधार

अनेक अपराधशास्त्रियो ने कुछ वर्षो मे अपराध के वैज्ञानिक विश्लेषण के लिये अपराध अपराध के प्रकार क्रिया पद्धतियो पर अध्ययन किया है। अपराधो की प्रवृत्ति मानव समाज क विभिन्न समूहो मे काल एव परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होती रहती है अत अपराध का सर्वसम्मति वर्गीकरण प्रस्तुत करना दुष्कर कार्य है। सामान्यतया प्रकृति के आधार पर अपराध का वर्गीकरण दो वर्गो मे किया जा सकता है प्रथम सामान्य अपराध एव द्वितीय जघन्य अपराध[3] उपर्युक्त विभाजन कभी–कभी भ्रामक एव अवक्रमणकारी हो जाता है क्योकि समय एव काल के अनुसार अपराध विशेष एक वर्ग से दूसरे वर्ग मे चले जाते है[4] अपराधो के वर्गीकरण का यह आधार अवैज्ञानिक है क्योकि इसमे बिना तकनीकी श्रम के यह कल्पना कर ली जाती है जघन्य अपराध भयानक होता है उसका पुर्नस्थापना सम्भव नही है। उद्देश्य के आधार पर अपराधो के चार वर्ग किये जा सकते है। प्रथम आर्थिक अपराध– इसमे अपराध करने का उद्देश्य धन की प्राप्ति होती है। (2) यौन अपराध– इसका मुख्य उद्देश्य लैगिक तुष्टि होती है। (3) राजनैतिक अपराध– इसका मुख्य उद्देश्य राजनतिक क्षेत्र मे लाभ प्राप्त करना होता है। (4) विविध अपराध इसमे अपराध के उद्देश्य मे बदले की भावना होती है।[5] अपराध परिस्थितिमूलक एव नियमित व सुव्यवस्थित भी हो सकते है। वर्ग प्रथम मे किये गये अपराध जानबूझकर नही किये जाते हैं बल्कि तत्कालीन परिस्थितियॉ उत्तरदायी होती है जबकि दूसरे प्रकार के अपराध नियमित एव पूर्व निश्चित होते[6] वर्गीकरण के ये आधार अपराधियो के सुधार मे सहायक होते है अपराध पद्धति के आधार पर आठ प्रकार के अपराध होते है हिसात्मक व्यक्तिगत अपराध सम्पत्ति सम्बन्धी आकस्मिक अपराध व्यावसायिक अपराध राजनीतिक अपराध सार्वजनिक व्यवस्था सम्बन्धी अपराध परम्परागत अपराध सगठित अपराध तथा पेशेवर अपराध।[7] अपराधी जन्मजात पागल कामुक एव आदतन भी हो सकते हैं।[8] कुछ लोग अपराधो को दो ही वर्गो मे रखते है प्रथम हिसात्मक अपराध– जिसमे बलात्कार, हत्या, अपहरण एव डकैती सम्मिति है जबकि दूसर वर्ग आर्थिक अपराध में चोरी छली, विश्वासघात

को सम्मिलित करते है।[9] अपराधो को शरीर सम्बन्धी राजनीति सम्बन्धी एव आर्थिक सम्बन्धी अपराधो मे वर्गीकृत किया जा सकता है।[10] कुछ अपराध शास्त्रियो ने साख्यिकीय आधार पर अपराधो का वर्गीकरण किया है और इनको चार प्रकारो मे विभाजित किया है प्रथम व्यक्ति विरूद्ध— इसमे हत्या मारपीट एव बलात्कार शामिल है द्वितीय सम्पत्ति विरूद्ध अपराध मे चारी लूट इत्यादि को सम्मिलित किया गया है। तीसरे वर्ग मे सार्वजनिक न्याय एव सत्ता विरूद्ध जैसे— गबन और धोखा आदि को सम्मिलित किया गया है चौथे वर्ग मे सार्वजनिक व्यवस्था सभ्यता व सदाचरण के विरूद्ध जैसे मदिरापान जुआ मादक पदार्थो का सेवन आदि को सम्मिलित किया गया है।[11]

उपर्युक्त वर्गीकरण मे समाजशास्त्री अपराधशास्त्री पुलिस न्यायाधीष का मुख्य योगदान है। भूगोल एक अन्तरानुशासिक शास्त्र के अन्तर्गत आता है अत भौगोलिक परिस्थितियो एव पर्यावरण के सन्दर्भ मे अपराधो का सम्यक अध ययन किया जा सकता है। अपराध पर्यावरण जनित होने के कारण भूगोल वेत्ताओ ने भी अब अपराधो के कारण प्रकार एव निवारण मे अपनी भूमिका तलाशनी शुरू कर दी है। एतदर्थ भौगोलिक परिस्थितियो के सदर्भ मे अपराधो के वैज्ञानिक विश्लेषण हेतु शोधार्थीयो ने ध्यान दिया है।

शोधकर्ता ने फर्रुखाबाद जनपद के कुल 13 थानो से 10 वर्षो (1991—2000 तक के) मे हुए कुल अपराधो की सख्या को एकत्रित करके भारतीय दण्ड सहिता एव विधिवेत्ताओ से परामर्श लिया है। अध्ययन क्षेत्र के सम्पूर्ण अपराधो के लगभग 175 प्रकार है जिनका अलग—अलग अध्ययन क्षेत्रीय सदर्भ मे एक दुरूह कार्य है क्योकि अपराधो की बहुलता जटिलता एव प्रवृत्तियो को एक साथ समाधोजित कर विश्लेषित करने मे साख्यिकीय विधिया भी उपयुक्त सिद्ध नही हो पा रही है। अतएव अध्ययन को वैज्ञानिक बनाने के लिये अध्ययन क्षेत्र के अपराधो को तीन मुख्य वर्गों एव 9 उपवर्गो मे विभाजित किया गया है।

(अ) व्यक्ति के विरुद्ध अपराध

इसको दो वर्गो मे बॉटा गया है प्रथम हत्या सम्बन्धी अपराध एव द्वितीय शारीरिक क्षति सम्बधी अपराध।

(ब) सम्पत्ति के विरुद्ध अपराध

इसमे 3 उपवर्ग सम्मिलित है। प्रथम—डकैती लूट राहजनी (2) चोरी (3) सम्पत्ति सम्बन्धी अन्य अपराध।

(स) व्यवस्था के विरुद्ध अपराध

इसके भी तीन उपवर्ग है प्रथम समाज सम्बन्धी अपराध एव द्वितीय राज्य सम्बन्धी अपराध एव तृतीय अन्य अपराध।

प्रशन कुमार[12] (2000) ने जनपद बदायूँ के विभिन्न प्रकार के अपराधो को दो वर्गो एव कई उपवर्गो मे सम्मिलित किया है।

(अ) सामाजिक अपराध— इसमे हत्या बलात्कार गुडागर्दी।

(ब) आर्थिक अपराध – चोरी लूट डकैती अपहरण सम्पत्ति कब्जा।

आंकलन विधि व रूपरेखा

शोधकर्त्ता ने जनपद के अपराधो को निम्न लिखित रूपो मे वर्गीकृत किया है।

1 **आर्थिक अपराध** – इसमे सम्पत्ति अपहरण सम्बन्धी अपराध सम्मिलित किये गये हैं।

2 **हिसात्मक अपराध** – इसमे शारीरिक क्षति सम्बन्धी अपराध सम्मिलित किये गये हैं।

3 व्यवस्था के विरूद्ध अपराध — इसमे सामाजिक राज्य सम्बन्धी एव अन्य अपराध सम्मिलित किये गये है।

जनपद फर्रुखाबाद के अपराधो के विश्लेषण हेतु जनपद के अपराधो को उपर्युक्त तीनो वर्गो मे अलग–अलग जोडकर विश्लेषित किया गया है फिर पुन समस्त को एक साथ जोडकर उसमे से प्रत्येक वर्ग के उपवर्ग के लिये प्रतिशत का आकलन कर विश्लेषण किया गया है।

पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त अपराध के आकडो मे आर्थिक अपराधो के अन्तर्गत डकैती लूट गृहभेदन रोडहोल्डप चोरी शस्त्र चोरी वाहन चोरी तार चोरी ट्रान्सफार्मर अन्य चोरी अपहरण फिरौती आदि को सम्मिलित किया गया है।

अपराधों के प्रकार

1 हिसात्मक अपराध मे हत्या 304 भा द स 307 भा द स 302 भा द स बलवा गभीर चोट 363/366 364 बलात्कार एव अन्य हिसात्मक अपराध सम्मिलित हैं।

2 व्यवस्था के विरूद्ध मे 109Crpc, 110 Crpc शस्त्र अधिनियम जुवा अधिनियम नारकोटिस अधिनियम विस्फोटक गैंगेस्टर अधिनियम अन्य अधिनियम सम्मिलित किये गये हैं।

3 आर्थिक अपराध इसमे अध्ययन क्षेत्र के डकैती लूट गृहभेदन रोडहोल्डप चोरीशस्त्र चोरी वाहन चोरी तार ट्रान्सफार्मर अन्य चोरी अपहरण फिरौती आदि को सम्मिलित किया गया है। इनके कालिक विश्लेषण हेतु सन् 1991 से लेकर सन् 2000 के ऑकडो को सम्मिलित किया गया है।

डकैती

जब पॉच या पॉच से अधिक व्यक्ति सयुक्त होकर लूट करते है या करने का प्रयास करते है या लूट करने मे सहायता करते हैं तब उस क्रिया को डकैती की सज्ञा दी जाती है।[13] इस प्रकार डकैती लूट का एक वृहद् रूप है। सामान्यत लूट का अपराध करने वाले व्यक्ति मे भय एव आशका की मन स्थिति बनी रहती है। जबकि डकैती मे अपराधी के दिमाग मे डर एव शका की जगह आतक पैदा करने की मनस्थिति रहती है। इसीकारण डकैती मे अपराधी सयुक्त रूप से अपराध करते हे। इसमे अपराधी शारीरिक क्षति भी पहुँचाते हैं।

सारणी 7 1

वर्ष	कुल आर्थिक अपराध	डकैती की सख्या	10 वर्ष में कुल समूह का प्रतिशत	प्रतिवर्ष कुल आर्थिक अपराध मे डकैती का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1991	559	14	19 17	2 50
1992	427	12	16 43	2 81
1993	460	6	8 21	1 3
1994	398	7	9 58	1 75
1995	274	4	5 47	1 45
1996	220	6	8 21	2 72
1997	183	5	6 84	2 73
1998	274	7	9 58	2 55
1999	267	5	6 84	1 87
2000	217	7	9 58	3 22
योग	**3279**	**73**		**2.22**

10 वर्ष

स्रोत *पुलिस अधीक्षक कार्यालय फतेहगढ 2000*

1991 से 2000 के बीच कुल आर्थिक अपराध 3279 है जिसमे डकैती की कुल सख्या 73 है इस प्रकार प्रतिवर्ष औसत डकैती की सख्या 7 3 है। सारणी 7 1 के 5वे वर्ग मे प्रतिवर्ष के आर्थिक अपराधो मे प्रतिवर्ष का प्रतिशत निकाला गया है। सबसे अधिक प्रतिशत सन 2000 मे है जो 3 22 है। और सबसे कम प्रतिशत 1993 का है जो 1993 के कुल आर्थिक अपराध का 1 3 प्रतिशत है। दस वर्ष के कुल आर्थिक अपराध मे कुल डकैती का प्रतिशत 2 22 है। इस प्रकार 1993 (1 3 प्रतिशत) 1994 (17 5 प्रतिशत) 1995 (1 45 प्रतिशत) 1999 (1 87 प्रतिशत) मे 2 22 प्रतिशत से कम है जबकि 1991 1992 1996 1997 1998 एव 2000 से 2 22 प्रतिशत से अधिक क्रमश 2 50 प्रतिशत 2 81 प्रतिशत 2 72 प्रतिशत 2 73 प्रतिशत 2 55 प्रतिशत एव 3 22 प्रतिशत है।

10 वर्षो के सम्पूर्ण डकैती मे प्रति वर्ष का प्रतिशत (सा 7 1 स्तम्भ 4) देखने से स्पष्ट होता है कि केवल 1991 एव 1992 का योग 35 प्रतिशत है जबकि 1993 से 2000 तक 8 वर्ष मे कुल 10 वर्षो का 65 प्रतिशत डकैती हुई है। डकैती का कम प्रतिशत 1995 मे दर्ज किया गया है। 1994 1998 एव 2000 मे बराबर लगभग 9 58 प्रतिशत डकैती हुई है।

सारणी 7 1 के स्तम्भ 3 को देखने से स्पष्ट होता है कि 1991 से 1993 तक डकैती की सख्या मे कमी का सकेत है किन्तु 1993 से 2000 के बीच डकैती की सख्या मे अनिश्चितता दर्ज की गयी है। अर्थात् एक वर्ष कमी एव अगले वर्ष बढोत्तरी दर्ज की गयी है। प्रतिवर्ष औसत डकैती की सख्या (7 3) से 1991 एव 1992 मे 200 प्रतिशत एव 175 प्रतिशत की वृद्धि है। शेष अन्य आठ वर्षो मे प्रतिवर्ष औसत डकैती से कम डकैती हुई है। 1991 एव 1992 के बाद डकैती की सख्या मे कमी का मुख्य कारण सडको का विकास एव इसके पूर्व डाकुओ के विरूद्ध चलाये गये अभियान के कारण डकैती की सख्या मे कमी दर्ज की गयी है। सडको के विकास के कारण अधिवासो का वसाव अपराध क्षेत्रो की ओर होने से डकैतो की सख्या धीरे–धीरे कम होती गयी है।

सारणी सख्या 7 2

वर्ष	कुल आर्थिक अपराध	लूट की सख्या	10 वर्ष में कुल समूह का प्रतिशत	प्रतिवर्ष कुल आर्थिक अपराध की स प्रतिशत
1991	559	50	16 66	8 94
1992	427	29	9 66	6 79
1993	460	31	10 33	6 73
1994	398	37	12 33	9 29
1995	274	23	7 66	8 39
1996	220	25	8 33	11 36
1997	183	18	9 6	9 83
1998	274	33	11	12 04
1999	267	27	9	10 11
2000	217	27	9	12 11
योग	**3279**	**300**		**9 14**

10 वर्ष

स्रोत पुलिस अधीक्षक कार्यालय फतेहगढ 2000 (जनपद फर्रुखाबाद)

लूट

सामान्य अर्थ मे लूट चोरी का वृहद् रूप है। चोरी और लूट मे अपराधियो की सख्या उद्देश्य प्राप्त करने के ढग मे भिन्नता मिलती है। लूट मे सापेक्षतया अपराधियो की सख्या अधिक होती है। लूट का उद्देश्य अधिक धन प्राप्त करना होता है इसी कारण इसमे अपनाये गये तरीके वृहद होते हैं। इसमे हथियारो का प्रयोग भी किया जाता है। लूट मे धन की प्राप्ति के लिये सम्बन्धित व्यक्ति को मृत्यु का भय या चोट का भय दिखाया जाता है। भूगोल वेत्ता लूट को आर्थिक विषमता का परिणाम स्वीकार करते हैं। सब प्रकार की लूट मे चोरी का उद्दापन होता है चोरी लूट कब होती है ? चोरी 'लूट" है यदि

उस चोरी को करने के लिये या उस चोरी के करने मे या उस चोरी द्वारा अभिप्राप्त सम्पत्ति को ले जाने या ले जाने का प्रयत्न करने मे अपराधी उस उद्देश्य से स्वेच्छा किसी व्यक्ति की मृत्यु या उपहति या उसका सदोष अवरोध या तत्काल उपहति का या तत्काल सदोष अवरोध का भय कारित करता है या कारित करने का प्रयत्न करता है वह लूट कहलाता है।[14]

सारणी 7 2 से फर्रुखाबाद जनपद के 10 वर्षो के लूट का प्रतिवर्ष विवरण दिया गया है। प्रतिदर्श के 10 वर्षो मे लूट की सख्या 300 है प्रतिवर्ष औसत लूट की सख्या 30 है। कुल आर्थिक अपराधो मे 10 (1991 से 2000 तक) वर्ष के कुल लूट की सख्या का प्रतिशत 9 14 है। प्रतिवर्ष के कुल आर्थिक अपराध मे सम्बन्धित वर्ष के लूट के प्रतिशत को सारणी 7 2 के पॉचवे स्तम्भ मे दिखाया गया है। इसमे सबसे अधिक प्रतिशत 2000 का है जो 12 11 प्रतिशत है। इसके बाद 1998 मे 12 05 प्रतिशत है। आर्थिक अपराध मे लूट का सबसे कम प्रतिशत 1993 का है। जो 6 73 प्रतिशत है। प्रतिदशक दस वर्ष के कुल आर्थिक अपराध मे उक्त दस वर्ष के कुल लूट का प्रतिशत 9 14 है। 1991 (8 94 प्रतिशत) 1992 (6 79 प्रतिशत) 1993 (6 73 प्रतिशत) 1995(8 39 प्रतिशत) मे 9 14 प्रतिशत से कम है। जबकि 1994(9 29 प्रतिशत) 1996(11 36 प्रतिशत) 1998(12 04 प्रतिशत) 1999(10 11) एव 2000(12 11 प्रतिशत) आर्थिक अपराध मे लूट का प्रतिशत 9 14 से अधिक है।

सारणी 7 2 के स्तम्भ चार मे 10 वर्ष के कुल लूट की सख्या मे प्रतिवर्ष की लूट की सख्या का प्रतिशत दिखाया गया है। 1991 मे सबसे अधिक लूट की घटनाए घटी हैं जो 16 66 प्रतिशत है। 1991 से 1994 के बीच (कुल चार वर्षो में) लगभग 50 प्रतिशत लूट की घटनाऐ घटी है जबकि शेष 50 प्रतिशत लूट की घटनाऐ शेष छ वर्षो मे घटी हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि आर्थिक विकास एव शिक्षा के विकास के साथ लूट की घटनाओ मे कमी दर्ज की गयी है।

सारणी 7 2 के स्तम्भ तीन एव चित्र 7 2 के देखने से स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र मे 1991 मे सबसे अधिक लूट की घटनाएँ हुई हैं। जबकि

सबस कम लूट की घटनाएँ 1997 मे हुई हैं। ग्राफ को देखने से स्पष्ट होता है। लूट की घटनाओ प्रतिवर्ष अस्थिरता देखी गयी है इसमे न तो वृद्धि दिखायी देता है और न तो ह्रास दिखायी देता है। इससे स्पष्ट है कि प्रशासनिक सुधार न होने के कारण लूट की प्रवृत्ति मे असामान्य परिवर्तन दिखायी देता है किन्तु 1999 एव 2000 मे लूट की सख्या मे समानता दिखायी देता है।

गृहभेदन

गृहभेदन मे एक साथ तीन या चार व्यक्ति गृहस्वामी के गृह के दीवार मे सुरग या छिद्र बनाकर रात्रि के समय सुरग के रास्ते घर मे प्रवेश करके सम्पत्ति या धन की चोरी करते है उसे गृहभेदन कहा जाता है। जनपद के ग्रामीण क्षेत्रो मे गृहभेदन बहुत होते है क्योकि गृहभेदन पक्के दीवार मे सम्भव नही हो पाता है इसीलिए नगरीय क्षेत्रो मे गृहभेदन नही के बराबर होते है। स्थानीय भाषा मे इसे नकब वा आडा भी कहते है।

जनपद मे 1991 से 2000 क दशकीय अन्तराल मे कुल 914 गृह भेदन की घटनाए हुई है (सारणी 7 3) जा कुल आर्थिक

सारणी 7 3

वर्ष	गृहभेदन सख्या	प्रतिवर्ष कुल गृह भेद का प्रतिशत	आर्थिक अपराधो मे गृहभेदन का प्रतिशत	कुल आर्थिक अपराध
1	2	3	4	5
1991	172	18 81	30 76	559
1992	129	14 11	30 21	427
1993	117	12 80	25 43	460
1994	105	11 48	26 38	398
1995	81	8 86	29 56	274
1996	49	5 36	22 27	220
1997	47	5 14	25 68	183
1998	60	6 56	21 89	274
1999	80	8 75	29 16	267
2000	74	8 09	34 10	217
	914		**27.87**	**3279**

अपराध का 27 87 प्रतिशत है। कुल आर्थिक अपराधो मे गृहभेदन का सबसे अधिक प्रतिशत सन 2000 मे है जो 34 10 है जबकि सबसे कम प्रतिशत 21 89 है जो सन् 1995 मे है। अध्ययन क्षेत्र 10 वर्षो के सम्पूर्ण आर्थिक अपराधो मे कुल गृहभेदन के प्रतिशत 27 87 से कम प्रतिशत 1993 (25 43 प्रतिशत) 1994(26 38 प्रतिशत) 1996(22 27 प्रतिशत) 1997(25 68 प्रतिशत) 1998(21 89 प्रतिशत) है जबकि 1991(30 76 प्रतिशत) 1992 (30 21 प्रतिशत) 1995(29 56 प्रतिशत) 1999(29 96 प्रतिशत) एव 2000 (34 10 प्रतिशत) से है जिसमे दशकीय औसत से अधिक गृहभेदन हुआ है।

सारणी 7 3 के स्तम्भ 3 का देखने से स्पष्ट होता है गृहभेदन की घटनाए 1991 से 1994 के बीच अधिक हुई है क्योकि इन चार वर्षो मे कुल 10 वर्षो को 57 प्रतिशत गृहभेदन हुआ है। शेष 43 प्रतिशत गृहभेदन शेष 6 वर्षो मे हुआ है।

अत देखने से स्पष्ट होता है। 1991 से 1997 के बीच गृहभेदन मे ह्रास हुआ है। 1998–2000 के बीच गृहभेदन की घटनाओ मे वृद्धि दर्ज की गयी है।

चोरी वाहन

जनपद फर्रुखाबाद मे सन् 1991 से 2000 के बीच कुल 150 वाहनो की चोरी हुई है। 1991 से 2000 के बीच सबसे अधिक वाहन की

सारणी 7 4

वर्ष	कुल वाहन चोरी	कुल आर्थिक अपराधो मे वाहन चोरी का प्रतिशत	वार्षिक प्रतिशत	कुल आर्थिक अपराध
1991	15	2 68	10	559
1992	6	1 40	4	427
1993	16	3 47	10 66	460
1994	18	4 52	12	398
1995	10	3 64	6 66	274
1996	14	6 36	9 33	220
1997	13	7 10	8 66	183
1998	28	10 21	18 66	274
1999	12	4 49	8	267
2000	18	8 29	12	217
योग	**150**	**4 57**		**3279**

चोरी 1998 मे हुआ है जो 10 वर्षो के कुल वाहन का 18 66 है। सबसे कम वाहन की चोरी 1992 मे 4 प्रतिशत हुई है। अत स्पष्ट होता है कि वाहन की चोरी मे न तो निरन्तर ह्रास दर्ज किया गया है और न तो निरन्तर वृद्धि ही दर्ज की गयी है। सारणी 7 4 के स्तम्भ पर दृष्टि डालने से स्पष्ट होता है कि 1991 1992 1993 1994 1995 एव 1999 मे कुल आर्थिक अपराधो मे वाहन चोरी के दशकीय प्रतिशत से कम वाहन चोरी हुई है जबकि 1996 1997 1998 एव 2000 मे यह प्रतिशत अधिक है।

चोरी तार

जनपद फरुखाबाद मे 1991–2000 के बीच के दस वर्षो मे तार की चोरी की कुल 134 घटनाएँ दर्ज की गयी है। (देखिये सारणी 7 5) जिसमे

सबसे अधिक घटनाऍ 1992 मे दर्ज की गयी है जो कुल का 17 91 प्रतिशत है। इसके बाद 1999 मे 14 17 प्रतिशत घटनाए हुई है। 1995 का 13 43 प्रतिशत घटनाए हुई है। सबसे अधिक घटनाये 1991 मे दर्ज की गयी है। जो कुल का 2 22 प्रतिशत है। अत स्पष्ट है कि तार की चोरी की घटनाओ मे न तो बृद्धि हुई है और न तो ह्रास हुआ है। 1992 मे सबसे अधिक वृद्धि दर हुई है। इसके बाद पुन 1995 एव 1999 मे तार—चोरी की घटनाओ मे वृद्धि देखी जा सकती है।

सारणी 7 5

वर्ष	कुल आर्थिक अपराध	कुल आर्थिक अपराधो मे तार चोरी की घटना का प्रतिशत	वार्षिक प्रतिशत	तार चोरी की कुल अपराध
1991	559	0 53	2 23	3
1992	427	5 62	17 91	24
1993	460	3 47	11 94	16
1994	398	2 76	8 20	11
1995	274	6 56	13 43	18
1996	220	5 45	8 95	12
1997	183	4 91	6 71	9
1998	274	3 64	7 46	10
1999	267	7 11	14 17	19
2000	217	5 52	8 95	12
योग	**3279**	**4 08**		**134**

अपहरण फिरोती

इसमे व्यक्ति/बच्चो आदि का अपहरण अर्थ प्राप्ति के लिये किया जाता है। जब कोई व्यक्ति या कई व्यक्ति किसी व्यक्ति को किसी स्थान से

ले जाने के लिये बल द्वारा विवश करता है या किन्ही प्रवचना पूर्ण उपायो द्वारा उत्प्रेरित करता है वे उसे व्यक्ति का अपहरण करते है ऐसा कहा जाता है।[15]

सारणी 7 6

वर्ष	अपहरण की घटनाएँ	आर्थिक अपराध मे अपहरण की घटना का प्रतिशत	कुल मे प्रतिवर्ष का प्रतिशत	आर्थिक अपराध
1991	12	2 14	24	559
1992	5	1 17	10	427
1993	7	1 52	14	460
1994	6	1 50	12	398
1995	3	1 09	6	274
1996	2	0 90	4	220
1997	2	0 90	4	183
1998	9	3 28	18	274
1999	4	1 49	8	267
2000	0	0	0	217
योग	**50**	**1 52**		**3279**

सारणी 7 6 से स्पष्ट है कि सबसे अधिक अपहरण की घटनाए 1991 मे घटी है। एव सन् 2000 मे अपहरण की एक भी घटना दर्ज नही हुई है। 1998 मे अपहरण की कुल 9 घटनाए घटी है जो 10 वर्षो के सम्पूर्ण अपहरण फिरौती का 18 प्रतिशत है। 1993 मे यह प्रतिशत 14 है। 1994 मे कुल का 12 प्रतिशत अपहरण फिरौती हुई है। इस प्रकार 1991 1992, 1993, 1994 एव 1998 मे कुल मिलाकर 78 प्रतिशत अपहरण फिरौती की घटनाए हुई है। शेष 22 प्रतिशत घटनाए अन्य पॉच वर्षो मे हुई है। 1998 की वृद्धि को छोडकर अपहरण फिरौती की घटनाओ मे ह्रास हुआ है।

अन्य चोरी

इसमे शेष अन्य चोरी की घटनाये को रखा गया है। सारणी 7 7 से स्पष्ट होता है।

सारणी 7 7

वर्ष	कुल आर्थिक अपराध	अन्य चोरी	आर्थिक अपराध मे अन्य चोरी का प्रतिशत	वार्षिक प्रतिशत
1991	559	286	51 16	17 6
1992	427	219	51 28	13 47
1993	460	263	57 17	16 18
1994	398	210	52 76	12 92
1995	274	132	48 17	8 12
1996	220	110	50	6 76
1997	183	83	45 35	5 10
1998	274	126	45 98	7 75
1999	267	117	43 82	7 2
2000	217	79	36 40	4 86
योग	**3279**	**1625**	**49 55**	

है कि कुल आर्थिक अपराधो का लगभग 50 प्रतिशत (49 55) भाग अन्य चोरी के घटनाओ मे आता है। आर्थिक अपराधो के प्रत्येक वर्ष मे चोरी की घटनाओ का प्रतिवर्ष प्रतिशत देखने पर स्पष्ट होता है। आर्थिक अपराधो मे अन्य चोरी का सबसे अधिक प्रतिशत 1993 मे है। जबकि 1991 एव 1992 मे आर्थिक अपराधो मे चोरी का प्रतिशत लगभग बराबर है। सबसे कम प्रतिशत 2000 मे है जो 36 40 प्रतिशत है। 1995 1997 1998 1999 मे यह प्रतिशत 50 से कम है। जबकि 1996 मे 50 प्रतिशत अन्य चोरी की घटनाए हुई है।

सारणी 7 7 के स्तम्भ पॉच को देखने से स्पष्ट होता है कि सबसे अधिक अन्य चोरी की घटनाओ का वार्षिक प्रतिशत 1991 मे आया है। 1991 से 1994 तक लगभग 60 प्रतिशत अन्य चोरी की घटनाए हुई है। अन्य मे 40 प्रतिशत घटनाए कुल 6 वर्षो मे घटी है।

सारणी 7 7 को देखने से स्पष्ट होता है कि 1993 1998 एव 1999 को छोडकर अन्य चोरी की घटनाओ के ग्राफ मे ह्रास हुआ है। 1993 1998 1999 मे वृद्धि नगण्य ही है।

अन्य आर्थिक अपराधो मे रोड हेल्डअप चोरी शस्त्र चोरी ट्रान्सफार्मर को सारणी 7 8 मे दिखाया गया है। रोडहेल्डप की घटनाए 1994 1995 1996 एव 1997 मे हुई है। शेष वर्षो मे ये घटनाऐ नही हुई हैं। चोरी शस्त्र की घटनाए 1993 1994 1995 1997 एव 1999 मे घटी है। शेष मे ये घटनाये नही घटी है। चोरी ट्रान्सफार्मर की घटनाए 1991 1992 1993 1996 1997 1998 मे घटी है शेष चार वर्षो मे ट्रान्सफार्मर की चोरी की घटनाये नही घटी है।

सारीण 7 8

रोड होल्डअप

सन्	कुल आर्थिक अपराध	योग	प्रतिशत	वार्षिक प्रतिशत
1991	559	—	—	—
1992	427	—	—	—
1993	460	—	—	—
1994	368	2	50	28 57
1995	274	5	72	28 57
1996	220	1	45	14 28
1997	183	2	1 09	28 57
1998	274	—	—	
1999	267	—	—	
2000	217	—	—	
योग	**3279**	**7**	**21**	

चोरी शस्त्र

सन्	कुल आर्थिक अपराध	योग	प्रतिशत	वार्षिक प्रतिशत
1991	559	—	—	—
1992	427	—	—	—
1993	460	1	0 21	16 66
1994	368	1	0 25	16 66
1995	274	1	0 36	16 66
1996	220	—	—	—
1997	183	1	0 54	16 66
1998	274	—	—	—
1999	267	2	0 74	33 33
2000	217	—	—	
योग	**3279**	**6**	**18**	

चोरी ट्रासफामर

सन्	कुल आर्थिक अपराध	योग	प्रतिशत	वार्षिक प्रतिशत
1991	559	7	1 25	38 88
1992	427	3	0 70	16 66
1993	460	1	0 21	5 55
1994	368	—	—	—
1995	274	—	—	—
1996	220	3	1 36	16 66
1997	183	3	1 63	16 66
1998	274	1	0 36	5 55
1999	267	2	—	—
2000	217	—	—	
योग	**3279**	**18**	**0 54**	

हिंसात्मक अपराध

अध्ययन क्षेत्र के हिसात्मक अपराध मे हत्या (302) आई पी सी 304 आई पी सी 307 बलबा गभीर चोट आई पी सी 363/366 आई पी सी 364 दहेज हत्या बलात्कार एव आई पी सी की अन्य धाराएँ सम्मिलित की गयी है। इनके विश्लेषण के लिये 10 वर्षीय ऑकडो की (1991 से 2000 तक) सहायता ली गयी है। इन दस वर्षो। मे हिसात्मक अपराधो की कुल सख्या 14574 है। इनमे 115 हत्याएँ 131 भा द स की धारा 304 के अन्तर्गत हुई हत्याएँ भा द स 307 की 1213 घटनाएँ बलवा के अन्तर्गत 739 घटनाएँ 2488 गभीर चोट की घटनाएँ 251 363/366 की घटनाएँ भा द स 364 की 214 घटनाएँ दहेज हत्या की 330 घटनाएँ बलात्कार की 123 घटनाएँ अन्य घटनाओ मे 7503 घटनाएँ शामिल है।

वर्ष के अनुसार 1991 मे सबसे अधिक हिसात्मक अपराध हुए है। सारणी 7 9 से स्पष्ट है कि 1998 से 1997 तक हिसात्मक अपराध की घटनाओ मे कमी आयी है पुन 1998 1999 एव 2000 मे हिसात्मक अपराध मे बढोत्तरी हुई है। प्रत्येक अपराधो का अलग–अलग विवरण नीचे दिया जा रहा है।

हत्या

जब समाज के एक या अनेक व्यक्तियो द्वारा एक या अनेक व्यक्तियो के किसी भी परिस्थिति मे अस्त्रो शस्त्रो शरीरिक छल–बल कपट वा जहरीले पेय पदार्थों को प्रयोग से जीवन का अन्त कर दिया जाताहै तो उसे हत्या कहते है। मानव का यह कार्य भूगोल के कल्याण परक उपागम के विपरीत कार्य के अन्तर्गत आता है इससे मानव समाज का अहित होता है समाज की शॉति भग होती है। यह सामाजिक विघटन से सम्बन्धित कार्य है। जब स्वस्थ स्मरण शक्तिवान तथा वयस्क व्यक्ति विधि विरूद्ध किसी युक्तिमान मानव प्राणी का परिशाति के अन्तर्गत कल्पित विद्वेष से वध करता है और उसकी मृत्यु वर्ष अथवा एक दिन के अदर हो जाती है तो वह हत्या का दोषी है।[16]

सारणी 7 9 मे अध्ययन क्षेत्र के हत्या भा द स 304 एव दहेज हत्या को एक साथ सम्मिलित किया गया है इन तीनो को हमने हत्या के अतर्गत ही शामिल किया है। इन सबमे सबसे अधिक घटनाएँ हत्या (आई पी सी 302) की है पुन द्वितीय स्थान पर दहेज हत्या का स्थान है एव तृतीय स्थान भा द स की धारा 304 की है।

जनपद फर्रुखाबाद मे कुल हत्याओ की सख्या 1155 है। हिसात्मक अपराध मे हत्या का प्रतिशत सबसे अधिक 1997 मे है क्योकि इस वर्ष हिसात्मक अपराध मे कमी आयी है जबकि हत्या की सख्या मे अपेक्षाकृत कम ह्रास देखा गया है। 1992 मे हिसात्मक अपराधो मे हत्या का प्रतिशत सबसे कम है किन्तु हत्या की सख्या की दृष्टि से वर्ष 1992 का स्थान एव 1991 के बाद तीसरा है। दस वर्षो के कुल हिसात्मक अपराध मे कुल हत्या के अपराध का प्रतिशत 7 92 है। वर्ष 1991 1992 1993 1999 एव 2000 मे हिसात्मक अपराध मे हत्या का प्रतिशत 7 92 से कम है जबकि शेष पॉच वर्षो 1994 1995 1996 1997 1998 मे हिसात्मक अपराध मे हत्या का प्रतिशत 7 92 से अधिक है।

हिसात्मक अपराधो के मानचित्र को देखने से स्पष्ट होता है। दस वर्षो मे अपवाद स्वरूप 1994 1998 1999 को छोडकर हत्या की कुल सख्या मे ह्रास की प्रवृत्ति है।

भा.द.सं. 304

इसके अतर्गत दस वर्षो मे कुल 131 घटनाएँ हुई है। इस प्रकार प्रतिवर्ष का औसत 13 1 होता है। सन 1991 1992 1993 1996 एव सन् 2000 मे 304 की घटनाओ की सख्या प्रतिवर्ष की औसत घटनाओ की सख्या से कम है। जबकि 1993 1995 1997 1998 एव 1999 मे औसत से अधिक घटनाएँ घटी है।

सारीण 7 9

हत्या

सन्	कुल [illegible] अपराध	योग	प्रतिशत	वार्षिक प्रतिशत
1991	1733	132	7 61	11 44
1992	1728	124	7 17	10 73
1993	1599	118	7 37	10 21
1994	1527	137	8 97	11 86
1995	1309	118	9 01	10 21
1996	1134	111	9 78	9 61
1997	928	93	10 0	8 05
1998	1411	117	8 29	10 12
1999	1445	106	7 33	9 17
2000	1346	99	7 35	8 57
योग	**14574**	**1155**	**7 92**	

धारा 304

सन्	कुल हिसात्मक अपराध	योग	प्रतिशत	वार्षिक प्रतिशत
1991	1733	17	0 40	5 34
1992	1728	10	0 57	7 63
1993	1599	16	1 00	12 21
1994	1527	12	0 78	9 16
1995	1309	16	1 22	12 21
1996	1134	9	0 79	6 87
1997	928	24	2 58	18 32
1998	1411	15	1 06	11 45
1999	1445	15	1 03	11 45
2000	1346	7	0 52	5 34
योग	**14574**	**131**	**0 89**	

दहेज हत्या

सन्	कुल हिसात्मक अपराध	योग	प्रतिशत	वार्षिक प्रतिशत
1991	1733	42	2 42	12 72
1992	1728	23	1 33	6 96
1993	1599	36	2 25	10 90
1994	1527	30	1 96	9 09
1995	1309	24	1 83	7 27
1996	1134	21	1 85	6 36
1997	928	34	3 66	10 30
1998	1411	42	2 97	12 72
1999	1445	40	2 76	12 12
2000	1346	38	2 82	11 51
योग	**14574**	**330**	**2 26**	

अत स्पष्ट होता है कि 304 की घटनाओ मे वृद्धि या ह्रास की प्रवृत्ति नही मिलती है।

जनपद के कुल हिसात्मक घटनाओ मे भा द स 304 की प्रतिवर्ष प्रतिशत नगण्य है क्योकि प्रतिवर्ष का प्रतिशत 5 प्रतिशत से भी कम है 1991 1992 1994 1996 मे एव सन् 2000 मे यह 1 प्रतिशत से कम है केवल 1997 मे यह 2 प्रतिशत से अधिक (2 55 प्रतिशत) है। जबकि 1993 1995 1998 एव 1999 मे यह 1 प्रतिशत से कुछ अधिक है।

धारा 304 मे दस वर्षो की कुल घटनाओ मे प्रतिवर्ष का प्रतिशत देखने पर स्पष्ट होता है कि 1997 मे यह 18 प्रतिशत से अधिक है जबकि 1993 एव 1995 मे यह 11 45 प्रतिशत है। इस प्रकार 1993, 1195 1997 1998 1999 मे कुल पॉच वर्षो मे कुल 65 प्रतिशत घटनाऍ घटी है। सन् 2000 मे यह प्रतिशत बहुत ही कम है।

दहेज हत्या

दहेज हत्या एक सामाजिक कलक के रूप मे माना जाता है इसमे दहेज के लालच मे पति या पति के सम्बन्धियो द्वारा महिला/पत्नी की हत्या की जाती है। 10 वर्षो की कुल दहेज हत्याओ मे प्रतिवर्ष के प्रतिशत के विवेचन सारणी 7 9 से स्पष्ट होता है कि अधिक दहेज हत्याएँ 1991 1998 एव 1999 मे हुई है। 1993 1997 एव 2000 मे 10 प्रतिशत से अधिक दहेज हत्याएँ हुई है इस प्रकार उक्त छ वर्षो मे कुल 69 प्रतिशत हत्याएँ हुई है। शेष चार वर्षो मे केवल 31 प्रतिशत दहेज हत्याएँ हुई हैं। सबसे कम दहेज हत्या 1996 मे हुयी है।

कुल हिसात्मक घटनाओ मे दहेज हत्या का औसत 2 26 प्रतिशत है। 1991 1997 1998 1999 एव 2000 मे हिसात्मक घटनाओ मे दहेजहत्या का 2 26 प्रतिशत से अधिक है। जबकि 1992 1993 1994 1995 एव 1996 मे यह प्रतिशत 2 26 से कम है। सबसे अधिक प्रतिशत 1997 मे 3 66 प्रतिशत है और सबसे कम 1992 मे 1 33 प्रतिशत है।

कुल दहेज हत्या के 10 वर्षो का औसत 33 है। 1992 1994 1995 1996 मे दहेज हत्या की सख्या 33 से कम है। जबकि 1991 1993 1997 1198 1999 एव 2000 मे 33 से अधिक दहेज हत्याएँ हुई हैं। मानचित्र से स्पष्ट है कि 1991 से 2000 के बीच दहेज हत्याओ के परिवर्तन की प्रकृति मे अन्तर है पहले यह घटनाएँ अधिक थी बीच मे कम हुई है और पुन इनमे वृद्धि दर्ज की गयी है।

बलात्कार

किसी पुरुष द्वारा किसी स्त्री के साथ स्त्री की इच्छा के विरुद्ध बल पूर्वक शारीरिक सम्बन्ध स्थापित करना बलात्कार माना जाता है। कभी–कभी ऐसे बलात्कार भय, बदनामी के कारण हत्या व आत्महत्या के रूप मे परिवर्तित

हो जाता है। मनोवैज्ञानिक बलात्कार को एक प्रकार की शारीरिक हिसा का रूप मानते है। बलात्कार एक ऐसी वीभत्स एव डरावनी प्रक्रिया है जो स्त्री को मानसिक रूप से पगु बना देती है। तार्किक दृष्टि से अवैध शरीरिक सम्बन्ध बनाना या उसकी मॉग करना गदी टिप्पणी करना अभद्र चित्र दिखाना यौन सम्बन्ध बनाने के लिये शारीरिक या मौखिक दुर्व्यव्यवहार करना आदि राभी कृत्य यौन उत्पीडन के अपराध माने जाते है। जो परोक्ष रूप से बलात्कार के सूचक है[17] जो पुरुष एतस्मिन पश्चात उपवादित दशा के सिवाय किसी स्त्री के साथ निम्नलिखित पॉच भॉति की परिस्थितियो मे से किसी परिस्थिति मे मथुन करता है वह पुरुष बालात्सग (बलात्कार) करता है यह कहा जाता है।[18]

1 उसी स्त्री की इच्छा के विरूद्ध

2 उसी स्त्री की सम्मति के बिना

3 उस स्त्री की सम्मति से जबकि उसकी सम्मति उसे मृत्यु या उपहति के भय मे डालकर अभिप्राप्त की गयी है।

4 उस स्त्री के सम्मति से जबकि वह पुरुष पहचानता है कि वह स्त्री का पति नही है और उस स्त्री ने सम्मति इसलिये दी है कि वह विश्वास करती है वह पुरुष जिससे विधि पूर्वक विवाहित है या विवाहित होने का विश्वास करती है।

5 उस स्त्री की सम्मति से या बिना सम्मति के जबकि वह सोलह वर्ष से कम आयु की है।

सारीण 7 10

सन	कुल हिसात्मक अपराध	बलात्कार की कुल सख्या	कुल हिसात्मक अपराध मे बलात्कार का प्रति	वार्षिक प्रतिशत (कुल बलात्कार मे)
1991	1733	8	0 46	11 90
1992	1728	12	0 69	11 91
1993	1599	12	0 66	10 82
1994	1527	16	1 04	9 40
1995	1309	9	0 68	9 64
1996	1134	13	1 14	8 03
1997	928	14	1 50	6 10
1998	1411	19	1 34	10 59
1999	1445	14	0 96	11 00
2000	1346	6	0 44	10 55
योग	**14574**	**123**	**0 84**	

सारणी 7 10 से स्पष्ट होता है जनपद फर्रुखाबाद मे 1991 से 2000 के बीच बलात्कार की कुल 123 घटनाएँ घटी हैं। इस प्रकार प्रतिवर्ष का औसत 12 3 घटनाएँ हैं। सन् 1994 1996 1997 1998 1999 मे क्रमश 16 13 14 19 14 बलात्कार की घटनाएँ घटी हैं जो औसत (12 3) से अधिक है जबकि सन् 1992 1993 मे लगभग औसत के बराबर है केवल तीन वर्षों सन् 1991 1995 एव 2000 में औसत से कम बलात्कार की घटनाएँ हुई है। सबसे अधिक बलात्कार की घटना 1998 मे हुई है जबकि सबसे कम बलात्कार की घटनाएँ 2000 मे हुई है।

अत स्पष्ट है कि सन् 1991 1995 एव सन् 2000 के ह्रास को छोड़कर बलात्कार की घटनाओ मे कम परिवर्तन दृष्टि गोचर होता है।

कुल हिसात्मक अपराध मे बलात्कार के प्रतिशत देखने से स्पष्ट होता है कि इसका प्रतिवर्ष प्रतिशत नगण्य है क्योकि एन् 1991 1992 1993 1995 1999 एव सन् 2000 मे यह 1 प्रतिशत से अधिक है किन्तु 2 प्रतिशत से कम है। बलात्कार का वार्षिक प्रतिशत भी 1991 1992 1993 1998 1999 एव 2000 मे 10 से अधिक है जबकि 1994 एव 1995 मे यह लगभग 10 प्रतिशत से कम है जो क्रमश 8 03 एव 6 10 प्रतिशत है। इस प्रकार बलात्कार की घटनाओ मे प्रतिवर्ष लगभग समरूपता है। (सारणी 7 10)

बलवा

बलवा या दगा ऐसा अपराध है जिसमे दगा करने वाले एक दूसरे के साथ शारीरिक बल का प्रयोग करते हुए भय और आतक का प्रदर्शन करते है तथा समाज को आशिक या पूर्णतया आर्थिक क्षति पहुँचाते है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति लोक स्थान मे लडकर लोकशान्ति मे चिन्ह डालते है तो कहा जाता है कि वे दगा करते है। दगा मनुष्य को भयभती करने के लोक अपराध का द्योतक है। दो या अधिक व्यक्तियो का लोकस्थान मे लडना जिससे प्रजा को भय पैदा हो दगा कहलाता है। प्राइवेट स्थान मे लडना दगा न होना वदन हमला होगा।[19] इस अपराध का मुख्य उद्देश्य जनता को भयभीत करना होता है। क्योकि यह लोक स्थान मे केन्द्रित होता है। दो या अधिक व्यक्तियो द्वारा झगडा पैदा करने वाली बाते या अग विक्षेप करना दगा गठित करेगा दगा या बलवा के लिये झगडे का प्रमाण होना जारूरी है और वह झगडा लोकमार्ग या सडक के करीब या किसी लोक स्थान मे हुआ हो।

सारीण 7 11

सन	कुल हिसात्मक अपराध	बलवा की कुल सख्या	कुल हिसात्मक अपराध मे बलवा का प्रति	वार्षिक प्रतिशत (कुल बलवा मे)
1991	1733	146	8 42	19 75
1992	1728	106	6 13	14 34
1993	1599	100	6 25	13 5
1994	1527	86	5 63	11 63
1995	1309	61	4 66	8 25
1996	1134	41	3 61	5 54
1997	928	29	3 12	3 92
1998	1411	49	3 47	6 63
1999	1445	67	4 63	9 06
2000	1346	54	4 01	7 03
योग	**14574**	**739**	**5 07**	

कि फर्रुखाबाद जनपद में सारणी 1 के विवेचन से स्पष्ट होता है कि फर्रुखाबाद जनपद मे कुल हिसात्मक अपराधो मे बलवा का प्रतिशत 1991 मे सबसे अधिक (8 42) प्रतिशत है उसका मुख्य कारण अयोध्या मे विवादित ढॉचे का ढहाया जाना है। सबसे कम प्रतिशत 1997 मे (3 12) है। कुल हिसात्मक अपराधो मे बलवा का प्रतिशत 1991 से 2000 के बीच कम होता गया है। केवल सन् 1999 एव सन् 2000 मे अपवाद मिलता है। इन वर्षो मे हिसात्मक अपराधो मे बलवा का प्रतिशत बढकर क्रमश 4 63 एव 4 01 हो गया है।

दंगा

दगो के वार्षिक प्रतिशत के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि दगो का सबसे अधिक प्रतिशत 1991 में हुआ है। जो कुल दगो का 19 75 प्रतिशत है

सबसे कम दगा 1997 मे हुआ है जो 3 92 प्रतिशत है। 1991 से 1994 के बीच कुल दगो की सख्या 438 है जो कुल का लगभग 59 प्रतिशत है। 1995 से 2000 के बीच कुल का केवल 41 प्रतिशत दगा हुआ है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि अध्ययन हेतु ली गयी अवधि मे दगो की सख्या मे ह्रास हुआ है।

अन्य हिंसात्मक अपराध

जनपद फर्रुखाबाद के अन्य हिसात्मक अपराधो की सख्या 1994 (46 23 प्रतिशत) एव 1997 (49 35 प्रतिशत) को छोडकर लगभग 1991 से लेकर 2000 के बीच मे अवधि मे अन्य अपराधो का हिसात्मक अपराधो मे प्रतिशत 50 प्रतिशत से अधिक रहा। (देखिये सारणी स 2)।

सारणह — 2

वर्ष	कुल हिसात्मक अपराध	अन्य अपराध	अन्य अपराधो का हिसात्मक अपराधो मे प्रतिशत	अन्य अपराधो का वार्षिक प्रतिशत
1	2	3	4	5
1991	1733	893	51 52	11 90
1992	1728	894	51 73	11 91
1993	1599	812	50 78	10 82
1994	1527	706	46 23	9 40
1995	1309	724	55 30	9 64
1996	1134	603	53 77	8 03
1997	928	458	49 35	6 10
1998	1411	795	56 34	10 59
1999	1445	826	57 16	11 00
2000	1346	792	58 84	11 55

हिसात्मक अपराधो मे अन्य अपराधो का प्रतिशत सबसे अधिक सन् 2000 मे 58 84 है। जबकि सबसे कम प्रतिशत 1994 मे है जो 46 23 प्रतिशत है। 1991 मे यह प्रतिशत 51 52 है। 1991 से 2000 तक के हिसात्मक अपराधो मे अन्य अपराधो के प्रतिशत मे क्रमश बढोत्तरी देखा जा सकता है। (देखिये सारणी 2)।

1991 से 2000 के बीच के कुल दस वर्षो मे कुल अन्य हिसात्मक अपराधो का वार्षिक प्रतिशत सबसे अधिक 1992 मे है जो 11 91 है। एव सबसे कम प्रतिशत 1997 मे है जो 6 10 प्रतिशत है। अन्य हिसात्मक अपराधो के वार्षिक प्रतिशत मे 1991 से लेकर सन 2000 तक अस्थिरता देखी गयी है न तो ह्रास देखा गया है औरतो वृद्धि हॉ 1991 से 2000 के बीच मे कमी आयी है और पुन वृद्धि दर्ज की गयी है। (सारणी–2 स्तम्भ – 5)

व्यवस्था के विरूद्ध अपराध

इसमें प्रशासनिक व्यवस्था के विरूद्ध किये गये अपराधो को सम्मिलित किया गया है।

एम.वी.एक्ट (मो. वै. अधि.)

( ) व्यवस्था के विरूद्ध अपराधो मे सबसे अधिक भाग इसी के अन्तर्गत आता है। (देखिये सारणी 3) इसमे 1991 से 2000 के बीच कुल 14102 घटनाए हुई हैं। जो व्यवस्था के विरूद्ध कुल अपराध का 40 78 प्रतिशत है।

सारणी 3

एम वी एक्ट

वर्ष	व्यवस्था के विरूद्ध अपराध	एम वी एक्ट	एम वी एक्ट का व्यवस्था के विरूद्ध अपराधो मे प्रतिशत	वार्षिक प्रतिशत
1	2	3	4	5
1991	2564	1421	55 42	10 07
1992	3425	1678	48 99	11 89
1993	4806	2783	57 90	19 73
1994	2449	878	35 85	6 22
1995	3753	1462	38 95	10 36
1996	3518	1382	39 28	9 80
1997	3189	1117	35 02	7 92
1998	3053	1259	41 23	8 92
1999	4389	1163	26 49	8 24
2000	3433	959	27 92	6 80
योग	**34579**	**14102**	**40 78**	

इसमे सबसे अधिक प्रतिशत 1993 का है जो कुल व्यवस्था के विरूद्ध किये गये अपराधो का 57 90 प्रतिशत है। इसके बाद 1991 मे 55 42 प्रतिशत एम के एक्ट का प्रतिशत है। सबसे कम 1999 का प्रतिशत है जो 26 49 प्रतिशत है। 1991 से 2000 के बीच इस एक्ट मे अपवाद स्वरूप वर्ष 1993 को छोडकर ह्रास की प्रवृत्ति मिलती है। जबकि प्रतिवर्ष सामान्य वृद्धि एव ह्रास की प्रवृत्ति पायी जाती है।

प्रतिवर्ष प्रतिशत मे सबसे अधिक अस्थिरता देखी गयी है इस प्रकार इसमे न तो वृद्धि की प्रवृत्ति है और न तो ह्रास की प्रवृत्ति है।

25 अरेस्ट एक्ट

इसमे 10 वर्षो मे घटी कुल घटनाओ की सख्या 5985 है जो कुल व्यवस्था के विरूद्ध अपराध का 7 30 प्रतिशत है। (देखिये सारणी 4) इसमे सबसे अधिक घटनाये 1996 मे घटी है। जिसकी सख्या 793 है। इस एक्ट

सारणी 4

25 अरेस्ट एक्ट

वर्ष	व्यवस्था के विरूद्ध कुल अपराध	25 अरेस्ट एक्ट योग	25 अरेस्ट एक्ट का व्यवस्था के विरूद्ध अपराधो मे प्रतिशत	वार्षिक प्रतिशत
1	2	3	4	5
1991	2564	432	16 84	7 21
1992	3425	549	16 02	9 17
1993	4806	562	11 69	9 39
1994	2449	651	25 58	10 87
1995	3753	726	19 34	12 13
1996	3518	793	22 54	13 24
1997	3189	703	22 04	11 74
1998	3053	559	18 30	9 34
1999	4389	515	11 73	8 60
2000	3433	495	14 41	8 27
योग	**34579**	**5985**	**17 30**	

की सबसे कम घटनाए 1991 मे 432 मे घटी हैं। इसमे 1991 से 2000 के बीच के समय घटनाओ मे पहले तो वृद्धि देखी गयी है किन्तु पुन ह्रास देखा गया है। सबसे अधिक वृद्धि 1996 मे है इसके बाद पुन ह्रास हुआ है।

व्यवस्था के विरूद्ध अपराधो मे अरेस्ट एक्ट के प्रतिशत का विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि इसका सबसे अधिक प्रतिशत 1994 मे 25 58 है इसके बाद व्यवस्था के विरूद्ध हुए अपराधो मे गिरावट है। सबसे कम सन 1993 का है जो 11 69 प्रतिशत है। अरेस्ट एक्ट की व्यवस्था के विरूद्ध अपराधो मे प्रतिशत से स्पष्ट है कि इसमे न तो अधिक वृद्धि है और न ही अधिक ह्रास है बल्कि अस्थिरता की प्रवृत्ति दिखायी देती है।

वार्षिक प्रतिशत मे सबसे अधिक प्रतिशत सन् 1996 का है जो 13 24 प्रतिशत है जबकि सबसे कम प्रतिशत 1991 का है जो 7 21 प्रतिशत है। सन 2000 मे यह प्रतिशत 8 27 है। 1994 से 1998 के बीच के प्रतिशत का कुल योग लगभग 57 [illegible] है शेष पॉच वर्षो मे कुल 43 प्रतिशत घटनाये इस एक्ट के अन्तर्गत घटी हैं।

60 3 [illegible] एक्ट

इसमे 10 वर्षो मे कुल 2495 घटनाऍ घटी है सबसे अधिक 329 सन 1997 मे घटी हैं और सबसे कम 1991 मे 4 96 प्रतिशत है। जिसकी वास्तविक सख्या 124 है। इसमे 1991 से 2000 के बीच के वर्षो मे वृद्धि दर्ज की गयी है जबकि बाद के वर्षों मे ह्यस देखी गयी है। (देखिये सारणी 5)

सारणी 5

60 अबकारी एक्ट

वर्ष	व्यवस्था के विरूद्ध कुल अपराध	60 आबकारी व्यवस्था के विरूद्ध कुल अपराध मे प्रतिशत	कुल सख्या	वार्षिक प्रतिशत
1	2	3	4	5
1991	2564	4 83	124	4 96
1992	3425	7 64	262	10 50
1993	4806	5 76	277	11 10
1994	2449	10 00	245	9 81
1995	3753	7 08	266	10 66
1996	3518	8 92	314	12 58
1997	3189	10 31	329	13 18
1998	3053	6 78	207	8 29
1999	4389	3 35	235	9 41
2000	3433	6 89	236	9 45
योग	**34579**	**7 21**	**2495**	

व्यवस्था के विरूद्ध कुल अपराधो मे 60 आबकारी के प्रतिशत के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि सबसे अधिक 1997 मे 10 31 है एव सबसे कम प्रतिशत 1999 3 35 है यह [illegible] कम इसलिये है क्योकि सन् 1999 मे व्यवस्था के विरूद्ध अपराधो मे अधिक वृद्धि देखी गयी है। (देखिये सारणी 5) व्यवस्था के विरूद्ध अन्य सभी अपराधो मे अलग–अलग विश्लेषण न कर यहॉ इतना ही कहना आवश्यक है कि इनका व्यवस्था के विरूद्ध कुल अपराधो मे प्रतिशत नगण्य है।

अपराधों का स्थानिक विश्लेषण

अन्तर्गत जनपद के समस्त थानो के अपराधो का विश्लेषण किया गया है जैसा कि पूर्व के अध्यायो से स्पष्ट हो गया है भौगोलिक पर्यावरण का मानव के रहन सहन शारीरिक बनावट विकास चिन्तन एव क्रियाकलापो पर प्रभाव पडता है यह प्रभाव वृहद्स्तर से लेकर लघु स्तर तक देखा जा सकता है। जनपद फर्रुखाबाद मे धरातलीय बनावट ग्रामीण नगरीय जनसख्या का प्रतिशत क्षेत्रीय जातिगत सरचना आर्थिक विषमता शिक्षा इत्यादि का अपराधो के स्थानिक वितरण पर स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। इसीकारण प्रत्येक अपराधो मे क्षेत्रीय विभिन्नता देखा जाता है। अपराधो के क्षेत्रीय विश्लेषण हेतु जनपद के समस्त अपराधो को तीन वर्गो मे विभाजित किया गया है प्रथम आर्थिक अपराध द्वितीय हिसात्मक अपराध और तृतीय व्यवस्था के विरूद्ध अपराध हैं। प्रत्येक वर्ग के अपराधो के क्षेत्रीय विश्लेषण हेतु निम्नलिखित प्रक्रियाये अपनायी गयी हैं।

1 प्रत्येक अपराधो के 10 वर्षो का थानानुसार योग।

2 प्रत्येक अपराधो के थानानुसार योग कर समस्त थानो का महायोग ज्ञात करना।

3 प्रत्येक वर्ग अपराध के कुलयोग मे समस्त थानो मे भाग देकर प्रत्येक वर्ग के अपराधो का एक थाने का औसत ज्ञात करना।

4 प्रत्येक थान के कुल अपराधो से पुन प्रामाणिक विचलन ज्ञात करना।

5 क्षेत्रीय विश्लेषण हेतु वर्ग विभाजन के लिये सीमाओ के निर्धारण हेतु माध्य, माध्य + 1 प्रामाणिक विचलन माध्य + 2×प्रामाणिक विचलन एव माध्य – 2× प्रामाणिक विचलन का सहारा लिया गया है।

6 वर्गों के लिये निम्न विधि अपनायी गयी है।

N
DISTRICT FARRUKHABAD
ECONOMICAL CRIMES
1991 -2000
No of Economical Crimes
674 - 887
462 - 674
250 - 462
37 - 250
Mean = 249 5
S D = 212 47
10 0 10
km

अति उच्च – माध्य + 1 प्रामाणिक विचल – मा + 2× प्रा वि

उच्च – माध्य से – माध्य + 1×प्रा वि

मध्यम – माध्य – 1 प्रामाणिक वि – माध्य

निम्न – माध्य – 2×प्रा वि – माध्य – 2×प्रा वि

7 इन वर्गो मे आने वाले थानो का कोरोप्लेथ विधि से मानचित्रण एव विश्लेषण

जनपद में कुल आर्थिक अपराध

फर्रुखाबाद जनपद के कुल आर्थिक अपराधो के [illegible] हेतु दस वर्षो (1991–2000) के मध्य के कुल अपराधो का थानानुसार विश्लेषण किया गया है। देखिये मानचित्र (7) इसमे सर्वप्रथम जनपद कुल थानो के सम्पूर्ण अपराधो का प्रति थानानुसार औसत अपराध की गणना की गयी है। इसके लिये निम्न सूत्र का प्रयोग किया गया है। $\Sigma\frac{X}{N}$ यहॉ पर ΣX सम्पूर्ण थानो के कुल 10 वर्षो के अपराधो का योग है। 'N' थानो की कुल सख्या है। इस प्रकार एक थाने का कुल अपराध की सख्या निकाली गयी पुन प्रामाणिक विचलन ज्ञातकर वर्ग बनाये गये है। प्रामाणिक विचलन हेतु $\sqrt{\frac{\Sigma d^2}{N}}$ सूत्र का प्रयोग किया गया है। यहॉ $\frac{\Sigma d^2}{N}$ माध्य से प्रत्येक थानो के 10 वर्षो के कुछ अपराधो से विचलन ज्ञातकर, पुन उसका वर्ग कर जोड दिया गया है तथा उसमे थानो की सख्या (N) से पुन भाग देकर उसका वर्गमूल ज्ञात किया गया है। पुन इसे चार वर्गों मे विभाजित करने हेतु वर्ग सीमाओ के निर्धरण हेतु निम्नलिखित विधि का सहारा लिया–

Mean - 2S D =

Mean - 1 S D =

Mean + 1 S D =

Mean + 2 S P =

फर्रुखाबाद जनपद के आर्थिक अपराध हेतु चार वर्ग बनाये गये है। जिसमे कम से अधिक अपराधो को विश्लेषित किया गया है।

प्रथम वर्ग मे — इस मे अति निम्न आर्थिक अपराध वाले थाने सम्मिलित किये गये है। इसमे थाना जहानागज कमालगज मउदरवाजा राजेपुर अमृतपुर शम्शाबाद एव नवाबगज अमृतपुर कम्पिल थाने सम्मिलित है यहॉ पर आर्थिक अपराध औसत से कम है। इन थानो मे ग्रामीण जनसख्या का अनुपात अधिक है। ये कृषि प्रधान क्षेत्र है। अच्छी कृषि होने के कारण यहॉ के लोगो का भरण—पोषण आसानी से हो जाता है। जनसख्या विरल होने से भी आर्थिक अपराध कम हो जाते है।

द्वितीय वर्ग मे — इस वर्ग के अन्तर्गत मोहम्मदाबद एव कायम गज थाने सम्मिलित है इस वर्ग औसत से अधिक आर्थिक अपराध होते हैं। इसमे 10 वर्षों मे (1991—2000) कुल आर्थिक अपराधो की सख्या 249 से 461 के बीच मिलती है। इस मोहम्मदाबाद थाने मे मुस्लिम जनसख्या का प्रतिशत अधिक है। इसमे शिया सम्प्रदाय के लोग की सख्या सुन्नी सम्प्रदाय के लोगो से अधिक है। धामिकि सरचना इस क्षेत्र मे अधिक आर्थिक अपराध को बढावा देते है। कायमगज थाने मे पठानो की बहुलता है। बीडी बनाना इनका मुख्य व्यवसाय है। इस व्यवसाय का प्रभाव आर्थिक अपराध पर पडता है।

तृतीय वर्ग मे— इसमे एक मात्र फतेहगढ थाना सम्मिलित है। इसमे नगरीय जनसख्या का प्रतिशत अधिक है। इसका कारण इस क्षेत्र मे आर्थिक अपराधो की सख्या (1991—2000 के बीच) 461—674 के बीच मिलती है जो उच्च आर्थिक अपराधो का सूचक है क्योकि यहॉ पर आर्थिक अपराध माध्य से अधिक है। इसका स्पष्ट कारण नगरीय क्षेत्र एव द्वितीय तथा तृतीयक कार्यो की प्रधानता है।

N
DISTRICT FARRUKHABAD
VIOLENT CRIMES
1991 - 2000
> 1134
692 - 1134
442 - 692
192 - 442
Mean = 992 46
S.D = 442 14
10 0 10
km

चतुर्थ अति उच्च — इसमे थाना फर्रुखाबाद सम्मिलित है। यह इस जनपद का मुख्य व्यावसायिक केन्द्र है। इसमे दस वर्षो (1991—2000) के बीच कुल 830 आर्थिक अपराध हुए है। इस थाने मे क्षेत्र की सबसे अधिक नगरीय जनसख्या मिलती है नगरीय क्षेत्र अधिक आर्थिक अपराध के केन्द्र है। क्योकि नगरीय क्षेत्रो पर मानवीय मूल्यो का ह्रास होता है।[20] तथा आर्थिक कार्यो की प्रधानता होती है।

हिसात्मक अपराध — इसमे जनपद के 13 थानो के 10 वर्षो (1991—2000) के बीच के कुल हिसात्मक अपराधो के आधार पर विश्लेषण किया गया है। इसके लिये सर्वप्रथम माध्य की गणना की गयी है। माध्य 992 46 है और प्रामाणिक विचलन 442 14 है। माध्य एव प्रामाणिक विचलन की सहायता से जनपद फर्रुखाबाद के हिसात्मक अपराध को चार वर्गो मे बॉटा गया है।

प्रथम वर्ग (माध्य — 2 प्रा वि से माध्य — 1 प्रा वि)— इसमे केवल एक थाना अमृतपुर आता है। यहॉ पर ब्राह्मण जनसख्या की बहुलता है। ग्रामीण जनसख्या की बहुलता है कृषि प्रधान क्षेत्र है। इस कारण यहॉ पर भरण पोषण की सरलता से हो जाता है और हिसात्मक अपराध नगण्य है।

द्वितीय वर्ग (माध्य — 1 प्रा वि. से माध्यमतम)— इसमे मात्र एक थाना जहानगज आता है। इस क्षेत्र मे औसत से कम हिसात्मक अपराध किन्तु माध्य—1 प्रा वि से अधिक हिसात्मक अपराध होते हैं। इसमे ग्रामीण जनसख्या अधिक मिलती है। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। जनसख्या विरल है इस कारण इस क्षेत्र मे हिसात्मक अपराध कम होते है।

तृतीय वर्ग — (माध्य से माध्य + 1 प्रा वि)— इसमे फर्रुखाबाद मऊदरवाजा, नवाबगज मेरापुर शम्साबाद कमालगज राजेपुर कम्पिल थाना क्षेत्र आते हैं। नगरीय जनसख्या की बहुलता है मुस्लिम जनसख्या का प्रतिशत अधिक मिलता है जनसख्या घनत्व अधिक मिलता है अत यहॉ पर हिसात्मक अपराध अधिक मिलता है। इन क्षेत्रों में औसत से अधिक [illegible] अपराध होते है।

N
DISTRICT FARRUKHABAD
CRIME AGAINST SYSTEM
1991 - 2000
4467 & Above
2606 - 4467
765 - 2606
Mean = 2606 07
S D = 1841 92
10
0
10
km

चतुर्थ वर्ग (माध्य + 1 प्रा वि – माध्य + 2 प्रा वि) – इसमे जिले के 3 थाने आते है। इस वर्ग मे मऊदरवाजा मोहम्दाबाद कायमगज थाने आते है। तीनो थाने मुस्लिम एव अनुसूचित जाति (खटिक चमार एव कोरी) प्रधान क्षेत्र है जातीय सरचना का हिसात्मक अपराध पर स्पष्ट प्रभाव मिलता है। इन क्षेत्रो मे नगरीय जनसख्या की अधिकता एव जनसख्या घनत्व की अधिक होने से हिसात्मक अपराध अधिकता मिलते है। ये क्षेत्र अति उच्च वर्ग के हिसात्मक अपराधो का प्रतिनिधित्व करते है।

व्यवस्था के विरु - अपराध

इसमे चयनित 10 वर्षो (1991–2000) के थानानुसार व्यवस्था के विरूद्ध अपराधो का योग ज्ञात करके प्रत्येक थाने का औसत एव प्रामाणिक विचलन ज्ञात किया गया है। पुन माध्य एव प्रा वि का प्रयोग कर तीन वर्गो मे विभाजित किया गया है। माध्य 2606 07 है और प्रा वि 18 41 92 है। प्रथम वर्ग के अन्तर्गत माध्य–1 प्रा वि से माध्य द्वितीय वर्ग मे माध्य से माध्य + 1 प्रा वि एव तीसरे वर्ग मे माध्य + 1 प्रा वि से माध्य + 2 प्रा वि मानने वाले जिले सम्मिलित किये गये उनका विवरण निम्नलिखित है।

प्रथम वर्ग (765–2606) – इसमे जहानगज नवाबगज मेरापुर राजेपुर अमृतपुर, शमसाबाद एव कायमगज थाने सम्मिलित किये गये हैं। इन थानो मे साक्षरता दर निम्न है। व्यवस्था सम्बन्धी नियमो की जानकारी न होने के कारण इन थानो के लोग अनजाने मे अपराध करते है चूँकि ग्रामीण लोग स्वभावतया नगरीय लोगो से कम चालाक होते है अत यह जानबूझकर अपराध नही करते हैं अत यहॉ पर व्यवस्था के विरूद्ध अपराध कम मिलते हैं। [illegible] यहॉ से अपराधो की सख्या औसत से कम है।

द्वितीय वर्ग (2606 – 4467) – इसमे फतेहगढ मऊदरवाजा मोहम्मदाबाद, कमालगज, और कम्पिल थाने सम्मिलित हैं। [illegible] मऊदरवाजा मोहम्मदाबाद एव [illegible]लगज थानो मे नगरीय जनसख्या अधिक पायी जाती है।

जनसख्या घनत्व भी अधिक पाया जाता है। इस कारण इन क्षेत्रो मे साक्षर जनसख्या अधिक है। अत अधिक जनसख्या घनत्व के कारण यहॉ अपराध व्यवस्था के विरूद्ध अधिक मिलता है। कम्पिल थाने की सीमा बदायूॅ एव एटा जनपद की सीमा से मिलता है। चूॅकि इन जनपदो मे अपराध का स्तर अधिक है अत कम्पिल थाने मे अधिक अपराध मिलते है।

तृतीय वर्ग (4467 एव ऊपर) — इसमे फर्रुखाबाद जनपद आता है। यह क्षेत्र इस जनपद का केन्द्र है। घनी जनसख्या राजनीतिक वातावरण नगरीय परिवेश आर्थिक प्रतिस्पर्धा के कारण इस थाने मे सबसे अधिक अपराध होते है।

जनपद में अपराधों का संकेन्द्रण

जनपद के समस्त अपराधो के सकेन्द्रण मानचित्र निर्माण के लिये निम्न प्रक्रियाये अपनायी गयी है—

1 प्रत्येक अपराध का थानानुसार योग ज्ञात करके माध्य की गणना की गयी है।

2 पुन सब थानो के प्रत्येक अपराध हेतु प्रामाणिक विचलन ज्ञात किया गया है।

3 प्रत्येक अपराध का प्रामाणिक स्कोर ज्ञात किया गया है।

Z Scere = X-X/

यहॉ X = माध्य

= प्रामाणिक विचलन

4 समस्त अपराध के प्रामाणिक स्कोर को एक साथ जोडा गया है।

5 प्रामाणिक स्कोर के योग का क्रमाकन किया गया है।

6 क्रमसूचक मापक पर प्राप्त समस्त थानो के लिये मध्यिका एव चतुर्थक विचलन ज्ञात कर चार वर्गों मे विभाजित किया गया है।

N
DISTRICT FARRUKHABAD
CONCENTRATION OF CRIMES
1991 - 2000
Z Score
Very High +1 22 to +8 03
High -1 34 to +1 22
Medium -214 to -134
Low -6 5 to -214
Median = -134
Quartile = -189
Quartile = +1 425
10 0 10
km

7 अन्त मे चारो वर्गो के लिये करोप्लेथ विधि का प्रयोग कर मानचित्र बनाया गया है। (देखिये मानचित्र 7) चारो वर्गो का विवरण निम्नलिखित है।

1. प्रथम वर्ग (निम्नस्त)

इसमे राजेपुर जहानगज एव अमृतपुर थाने आते है। इनका प्रामाणिक स्कोर स्कोर क्रमश – 6 5 –2 14 –2 78 है। ये ग्रामीण क्षेत्र है। अमृत थानो मे सवर्ण बहुल जनसख्या है इसलिये यहाँ पर अपराध का स्तर कम है। राजेपुर कटरी क्षेत्र मे अपराधियो की शरण स्थली है यहाँ पर डकैती की अधिकता है। जनसख्या विरल होने से अन्य अपराध कम होते है इसलिए यह थाना कम अपराध क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। जहानगज ग्रामीण क्षेत्र है सवर्ण जातियो की अधिकता है। विरल जनसख्या है अत कुल अपराध कम होते हैं।

2. द्वितीय वर्ग (मध्यम स्तर) (–2 13 – 1 34)

इसमे शम्शाबाद नवाबगज मेरापुर एव कम्पिल थाने आते है। इन थानो का प्रामाणिक स्कोर क्रमश 1 34–1 51 –1 85 एव –1 55 है। मेरापुर मे थाना ब्राह्मण जातियो की अधिकता है शिक्षा का स्तर ऊँचा है ग्रामीण जनसख्या है अत यहाँ पर अपराध का केन्द्रीकरण कम है। कम्पिल थाने मे बौद्ध एव जैन तीर्थ मिलते है। बौद्ध एव जैन धर्म अनुयायी अहिसा को परम धर्म मानते है अत ये लोग अपराध कम करते है जिससे यहाँ पर अपराध का सकेन्द्रण कम है। नवाबगज एव शम्शाबाद मे मुस्लिम जनसख्या की अधिकता है। अत इन थानो मे उपर्युक्त दोनो थानो से अधिक अपराध सकेन्द्रण है।

तृतीय वर्ग (उच्च स्तर) (–1.34 से 1.22)

इसमे कमालगज कायमगज एव मऊदरवाजा थाने आते है। इन थानो के क्षेत्रो मे नगरीय जनसख्या की अधिकता है। जनसख्या अधिक होने से यहाँ पर अपराध का सकेन्द्रण अधिक है। कमालगज कायमगज एव मऊदरवाजा थानो का प्रामाणिक स्कोर क्रमश –0 34 + 1 22 एव – 0 44 है

चतुर्थ वर्ग (अति उच्च स्तर) (1.22 से 8.03)

इसमे नगरीय क्षेत्र के फतेहगढ फर्रुखाबाद एव मोहम्मदाबाद थाने आते है। इनका प्रामाणिक स्कोर क्रमश + 3 42 + 8 03 एव + 1 63 है। इसमें फर्रुखाबाद नगर इस जनपद का मुख्यालय है। जनसख्या की अधिकता है नगरीकरण के प्रभाव के कारण यहाँ पर सबसे अधिक अपराध का सकेन्द्रण मिलता है। दूसरे स्थान पर फतेहगढ नगर आता है। फर्रुखाबाद जनपद का दूसरा वर्ग महत्त्वपूर्ण नगर है यहाँ पर इस जनपद की कई प्रशासनिक इकाइयाँ हैं जनसख्या की अधिकता एव नगरीय परिवेश के कारण इस थाने मे अपराध का सकेन्द्रण अधिक है तीसरा क्षेत्र मोहम्मदाबाद थाने के अन्तर्गत आता है मोहम्मदाबाद इस जनपद का तृतीय बडा नगरीय केन्द्र है। इस नगर मे मुस्लिम जनसख्या अधिक है अत [illegible] अधिक है। जनघनत्व भी अधिक है

अत इसलिय यहॉ अपराधो का सकेन्द्रण अधिक है।

जनपद फर्रुखाबाद मे मौसम का अपराध पर प्रभाव

मौसम का अपराध पर प्रभाव ज्ञात करने के लिये थानानुसार अपराधो का मासिक ऑकडे एकत्रित किये गये है। मौसम अपराध पर प्रभाव देखने के लिए मासिक ऑकडो के विश्लेषण हेतु काई वर्ग परीक्षण का सहारा लिया गया है।

काई वर्ग परीक्षण अप्रचलिक साख्यिकीय परीक्षण है इसमे नामिक मापन मापक वाले ऑकडो के बारबारता का परीक्षण किया जाता है। प्रस्तुत अध्ययन मे प्रत्येक महीने (पुन उसे ऋतु के अनुसार चार भागो मे बॉटा गया है।) मे विविध अपराधो की सख्या (बारबारता) की तुलना कर यह ज्ञात किया गया है कि कया मौसम का प्रभाव अपराधो पर पडा है अथवा नही । इस हेतु मैंने दो सकल्पनाएँ बनायी है प्रथम शून्य सकल्पना – इसमे मौसम का प्रभाव अपराधो पर नही पडा है। यह माना गया है दूसरी सकल्पना – विकल्प सकल्पना मानी गयी है – इसमे मौसम का प्रभाव अपराधो पर पडा है यह माना गया है।

परीक्षण करने हेतु अलग–अलग अपराधो हेतु अलग–अलग काई वर्ग का सगणन किया गया है जिनका विवरण निम्नवत है –

सारणी–1

अपराध	काई वर्ग का [illegible] मान
अपराध	38
लूट	535
गृहभेदन	28
हत्या	0
योग आई पी सी	0
योग चोरी	516
बलवा	398
गभीर चोट	933

उक्त सभी काई वर्ग के सगणित मान का क्रातिका मान ($\alpha = 05$ एव $df = 3\pi r$) से तुलना करने पर स्पष्ट होता है कि उक्त समस्त मान क्रान्तिक मान से कम है अत स्पष्ट होता है शून्य परिकल्पना स्वीकृत हुई है अत इससे निष्कर्ष निकलाता है कि मौसम का प्रभाव अपराधो की सख्या पर नही पडा है। अत फर्रुखाबाद जनपद मे यह सिद्धात लागू नही होता है कि अपराध मौसम (या महीने) के अनुसार कम या अधिक होते रहते है। अत इस जनपद मे अपराध का स्वरूप जनपद के स्थायी कारक जैसे जनसख्या घनत्व साक्षरता दर, जातिगत [illegible]रचना, [illegible]यक सरचना धार्मिक सरचना से प्रभावित दिखायी पड़ते हैं। अपराधो की सख्या मे मासिक परिवर्तन एक [illegible] कार्य है और यह अन्तर भी महत्व हीन है।

संदर्भ

1 तिवारी रामचन्द्र 1999 — अधिवास भूगोल प्रयाग पुस्तक भवन इलाहाबाद पृ 320

2 वही 1 पृ 321

3 सदरलैण्ड ई एच क्रेशी डॉ आर 1965 — प्रिन्सपुल ऑव क्रिमिनोलोजी द टाइम्स ऑफ इण्डिया प्रेस बाम्बे पृ 16—17

4 टैपन पाल डल्ब्यू 1949 — ज्यूबिनाइल डेलीकेवन्सी मैकग्रानहिस बुक कम्पनी न्यार्क पृ 19

5 डब्ल्यू, ए बोगर 1916 — क्रिमिनेलिटी एण्ड इकोनोमिक कडीशन्स वोस्टन पृ 536—537

6 लैमर्ट एडविन एम 1953 — सोशल प्रॉब्लम्स मैक्ग्रेनीहेल न्यूयार्क पृ 141—149

7 क्लिनार्ड एण्ड क्वीने 1967 — क्रिमिलन बिहेवियर सिस्टम्स ए टाइपोलोजी हॉल्ट शीनिहार एण्ड विन्स न्यूयार्क पृ 14—18

8 [illegible]

9 दत्त ए के और वेणुगोपाल जी 1983 — स्पैसियल पैटर्न ऑव क्राइम एमग इण्डियन सीरीज जियोफोरम भाग—1 स 2 पृ 2237233

10 अहमद नसरीन और वकी मोहम्मद अब्दुल 1988 — अरबन क्राइम इन बाग्लादेश ओरियन्टल ज्याग्रफर भाग—32 पृ 65—72

11 प्रश्न कुमार, 2000 — पृ 91 (अप्रकाशित शोध प्रबन्ध)

12 प्रश्न कुमार 2000 — जनपद बदायूँ के अपराधो का भौगोलिक विश्लेषण (अप्रकाशित शोध प्रबन्ध) रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय पृ 93

13 निगम रामचन्द्र 1986 – दण्ड विधि (भा इ स के विनिर्दिष्ट अपराध) विधि साहित्य प्रकाशन पृ 31

14 वही 13 पृ 266

15 वही 13

16 वही 13 पृ 31

17 प्रश्न कुमार 2000 – पृ 98

18 निगम रामचन्द्र 1986 – दण्ड विधि विधि साहित्य प्रकाशन पृ 249–250

19 वही 18 पृ 489

20 तिवारी रामचन्द्र 1997 – अधिवास भूगोल प्रयाग पुस्तक भवन पृ 20

अध्याय—4

अपराध नियंत्रण योजना व क्षेत्रीय विकास नियोजन

अध्याय—8

अपराध नियन्त्रण योजना एवं विकास नियोजन प्रारूप

अपराधो की रोक—थाम हेतु सुझावो एव विकास के नियोजन प्रारूप की आवश्यकता को देखते हुये। इस अध्याय मे शोध के निष्कर्षो समस्याओ को ध्यान मे रखते हुये अपराधो की रोक—थाम एव जनपद के विकास हेतु नियोजित प्रारूप का वर्णन किया गया है।

अध्ययन से प्राप्त महत्वपूर्ण निष्कर्ष

जनपद फर्रुखाबाद मे थाना स्तर पर प्राप्त तथ्यो के आधार पर निम्नाकित निष्कर्ष प्राप्त हुये है —

1 थाना क्षेत्र मऊदरवाजा फर्रुखाबाद नवाबगज की छोडकर शेष 10 थाना क्षेत्रो की सीमाये अन्य पडोसी जनपदो से जुडी है। इन सीमावर्ती जनपदो मे मैनपुरी एटा बदॉयू शहजहॉपुर हरदोई कन्नौज सम्मिलित है। ये समस्त जनपद उत्तर—प्रदेश की अपराध पट्‌टी मे सयुक्त किये गये है क्योकि ये सभी अपराधी जनपद है। अत थाने की क्षेत्रीय सीमा और अवस्थित का प्रभाव अपराधो पर निश्चित रूप से देखा गया है।

2 नदियों के प्रवाह तथा क्षेत्रीय विभिन्नता ने भी अपराधी गतिविधियो को और अधिक सक्रियता प्रदान की है। इसी कारण से इस जनपद मे जो स्थान मानवीय रहन—सहन हेतु व्यर्थ एव दुरूह है उन स्थानो को अपराधियो ने अपनी गतिविधियो के अड्डे बना लिये है। जनपद के कटरी क्षेत्र जो राजेपुर अमृतपुर एव

शम्शाबाद थाना क्षेत्र मे पडता है अपराधियो का स्थाई निवास बन चुका है।

3 जनपद मे फर्रुखाबाद एव फतेहगढ थाना क्षेत्रो को छोडकर सामान्यत वृहत आकार वाले थाना क्षेत्रो मे अपराध की गहनता उच्च है।

4 जनपद मे साक्षरता का प्रतिशत देखने पर स्पष्ट होता है कि जिन थाना क्षेत्रो मे साक्षरता काप्रतिशत अधिक है। उनमे अपराधो की गहनता भी अधिक है। जनपद के थाना मोहम्दाबाद मे जनपद की सर्वाधिक साक्षरता पायी जाती है। इसी जनपद मे अपराधो की भी सर्वाधिक गहनता पायी जाती है।

5 जनपद के जनसख्या घनत्व को देखने से स्पष्ट होता है कि अधिक जनघनत्व अधिक समस्याओ एव अपराधो को जन्म देता है। जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्र सामान्यत इस पक्ष को प्रभावित करते हैं। जनपद के फर्रुखाबाद फतेहगढ मऊदरबाजा मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्रो मे जन—घनत्व अधिक है। इन भागो मे अपराध गहनता भी अतिउच्च से उच्च पाई जाती है।

6 थाना क्षेत्र फतेहगढ फर्रुखाबाद मऊदरवाजा मोहम्दाबाद मे मिट्टी की उर्वरता का स्तर उच्च नही है किन्तु इन सभी भागो मे अपराधो की गहनता उच्च पायी गयी है।

7 फर्रुखाबाद जनपद के अपराधो के मूल कारणो मे क्षेत्रीय निर्धनता कम बल्कि सम्पन्नता अधिक उत्तरदायी है। जनपद के थाना क्षेत्र फतेहगढ फर्रुखाबाद मऊदरवाजा क्षेत्रो मे बेरोजगारो की सख्या कम है लोग सम्पन्न है किन्तु अपराधो की गहनता पायी गयी है।

8 परिवहन विकास की दशाये पुलिस प्रशासन एव अपराधी वर्ग दोनो को प्रभावित करती है। फर्रुखाबाद जनपद मे थाना फतेहगढ—

फर्रुखाबाद मोहम्मदाबाद मे परिवहन विकास और अपराध गहनता मे अनुकूल सम्बन्ध है। ये क्षेत्र अपराधी को अपराध कर भागने मे परिवहन की सुविधा देते है।

9 इसके विपरीत जनपद मे परिवहन की अविकसित दशा भी जहॉ पुलिस प्रशासन के आगे बाधा बनी हुयी है। वही अपराधी वर्ग हेतु वरदान है। जनपद के राजेपुर अमृतपुर शम्शाबाद मेरापुर थाना क्षेत्रो मे पविहन का विकास प्राय नही है। ऊसर कटरी क्षेत्र होने से धरातल विषम है अत इस क्षेत्र को अपराधियो ने अपनी शरणस्थली बना लिया है।

10 जनपद के थाना क्षेत्र फर्रुखाबाद फतेहगढ मोहम्मदाबाद कमालगज मऊदरवाजा कायमगज मे बाजार सुविधा सतोषजनक है। इन्ही क्षेत्रो मे अपराधो की गहनता भी अतिउच्च से उच्च स्तरीय है। इसका कारण अपराधियो द्वारा व्यापारियो तथा उपभोक्ताओ के प्रति राहजनी लूट चोरी आदि की घटनाओ की प्रधानता है।

11 प्रतिदर्शी गॉवो के अध्ययन से यह तथ्य प्रकाश मे है कि इन ग्रामीण अचलो मे छीना—झपटी लूट राहजनी चोरी जेबकतरी आदि अपराधिक घटनाये बाजार की सुविधा वाले दिन अधिक घटती हैं।

12 प्रतिदर्शी ग्रामो के अध्ययन द्वारा स्पष्ट होता है कि अपराधी अध्कितर उसी गृह से सम्बन्धित है जहॉ पहले भी कोई घर का सदस्य अपराधो मे लिप्त रहा है।

13 जनपद के जिन थाना क्षेत्रो मे कृषि का विकास अधिक हुआ है। उन क्षेत्रो मे अपराध की गहनता पायी गयी है।

14 प्रतिदर्शी ग्रामो के अध्ययन द्वारा स्पष्ट रूप से यह तथ्य सामने

आया है कि अपहरण की घटनाये अधिकतर फिरौती के कारण हुयी है। जिनमे रजिश नाम मात्र का कारण रही है।

15 क्षेत्री अध्ययन द्वारा स्पष्ट है कि जनपद मे चुनावी समय मे अपराधो की अधिक आवृत्ति रही है। इस समय के अधिकतर अपराध राजनैतिक रहे है।

स्थानीय समस्यायें

जनपद के विकास एव अपराध नियत्रण हेतु यह आवश्यक है कि यहॉ की समस्याओ को समझा जाये जनपद की समस्याओ का पता लगाने के लिये कैदियो के साक्षात्कार एडवोकेट के साक्षत्कार नगरनिवासियो के साक्षात्कार न्यायाधीषो के साक्षात्कार पुलिस विभाग के अधिकारियो के साक्षात्कार एव विभिन्न प्रश्नावलियो को माध्यम बनाया गया है। जिससे इस ज्वलत समस्या के आधार पर अपराधो की वृद्धि के सदर्भ मे जनपद की प्रमुख समस्याये निम्नवत है –

1 यह सम्पूर्ण जनपद अपराध समस्या ग्रस्त है। लेकिन इसके उ प एव पश्चिमी भाग अपराधी जनपद मैनपुरी एव एटा से मिले है जो सदैव असुरक्षित रहते हैं। यहॉ कोई प्राकृतिक सीमा या कृत्रिम सीमा नही है। अत पडोसी जनपद के अपराधी भयमुक्त होकर फर्रुखाबाद जनपद मे आकर अपराध करते रहते है।

2 इस जनपद की सीमाये महानगर कानपुर आगरा के समीप है। अत अपराधिक [illegible]यो का क्षेत्र वृहत–आकार धारण कर लेता है। फर्रुखाबाद जनपद के अपराधो की घटनाओ मे लिप्त व्यक्ति प्राय आगरा या कानुपर मे पकडे जाते है।

3 फर्रुखाबाद जनपद का उ पू एव पूर्वी भाग उच्चावच की दृष्टि से विषम है। यहॉ नदियो के किनारे जन शून्य है। यहॉ का बीहड

DISTRICT FARRUKHABAD

SPATIAL PLANNING FOR POLICE STATIONS

क्षेत्र एव कटरी क्षेत्र विषम है जहॉ आसानी से पहुँचना दुष्कर है ये क्षेत्र अपराधियो की शरण स्थली बने हुये है।

4 जनपद की उ पू सीमा गगा व रामगगा नदियो के द्वारा निर्मित है जहॉ का क्षेत्र ऊसर होने से जनशून्य है इन्ही क्षेत्रो मे नावो द्वारा अवैध वस्तुओ का व्यापार होता है।

5 जनपद फर्रुखाबाद का उ पू भाग परिवहन मार्गो। की दृष्टि से पर्याप्त पिछडा हुआ है। अत इन क्षेत्रो मे पुलिस सक्रिय कम ही हो पाती है। इस बात का अपराधी वर्ग सदैव से अनुचित लाभ उठा रहा है।

6 इस जनपद मे जघन्य अपराधो मे वृद्धि प्राय ग्रीष्म ऋतु मे पायी गयी है। जिसमे अधिकतर अपराध व्यक्ति के विरूद्ध हुये है।

7 जनपद मे पुलिस चौकियो की सख्या सतोषजनक नही है एव थाना मुख्यालय सुदूर आन्तरिक क्षेत्रो से अत्यन्त दूरी पर है। अत ऐसे क्षेत्रो मे अपराध मे वृद्धि हुयी है।

8 इस जनपद मे थाना क्षेत्रो की सीमाओ मे पर्याप्त विकृति पायी गयी है। इससे ग्रामवासी शीघ्र निर्णय ही नही ले पाते कि किस थाने मे जाकर अपराधी की सूचना देना है।

9 इस जनपद मे थाना मुख्यालय की स्थिति अपनी ही सीमा के अन्तर्गत नदी पार के क्षेत्रो मे बरसात एव शीत मे अपना नियत्रण रखने मे असमर्थ हो जाती है। जैसे – कम्पिल थाना मे बूढी गगा के कारण राजेपुर मे रामगगा के कारण नियत्रण सभव नही हो पाता। अत इस समय इन क्षेत्रो मे अपराधो को पनपने का अवसर प्राप्त होता है।

10 मानचित्र 8 1 को देखने से स्पष्ट होता है कि पुलिस केन्द्रो की सख्या कम है। इन केन्द्रो को अधिक बडे क्षेत्र का नियत्रण

सभालना पडता है जो इन की क्षमता के बाहर है अत समस्त जनपद मे 9 स्थान ऐसे प्राप्त हुये है जहॉ पुलिस का प्रभाव कम होने से अपराध की समस्या बनी हुयी है।

11 सर्वेक्षण द्वारा ज्ञात हुआ है कि सीधे गरीब एव प्रभावहीन व्यक्तियो की पुलिस रिपोर्ट ही दर्ज नही करती है। जिससे वे न्याय से वचित रह जाते है। साथ ही अपराधी वर्ग द्वारा बार—बार पीडित किये जाते है।

12 ग्रामीण क्षेत्रो मे रिर्पोट लिखते समय काफी हेराफेरी की जाती है। जैसे राहजनी लूट डकैती आदि गभीर अपराधो को साधारण वर्ग के अपराधो मे बदलकर लिखा जाता है।

13 सर्वेक्षण द्वारा ज्ञात हुआ है कि जनपद मे जितना आतक अपराधियो का है उतना ही आतक खाकी वर्दी का भी व्याप्त है। कुछ पुलिस कर्मी अपनी स्थिति का अनुचित लाभ उठाते है अत पुलिस एव जनता के मध्य सम्बन्ध अच्छे नही है। इसका अपराधी वर्ग लाभ उठा रहा है।

14 जनपद के सर्वेक्षण द्वारा यह भी ज्ञात हुआ है कि कर्मठ ईमानदार एव कर्तव्यपरायण पुलिसजनो को भी जनता का सहयोग प्राप्त न होने से अपराधो मे वृद्धि देखी गयी है।

15 जनपद की ग्रामीण जनता दबग अपराधियो के प्रभाव मे आकर उनको धन देकर शरण देकर भोजन आदि देकर सहायता करती रहती है। इससे पुलिस प्रशासन को अधिक बाधाओ का समाना करना पडता है।

अपराधों की रोकथाम एवं क्षेत्रीय विकास नियोजन

अपराध निरोधक क्रियायो से तात्पर्य राजकीय सस्थाओ सामाजिक सगठनो धार्मिक सगठनों, आर्थिक सगठनो न्यायिक सगठनो द्वारा किये गये

उन सभी प्रयत्नो से है जिनका उद्देश्य अपराधिता को पूर्ण रूप से समाप्त करना है। वर्तमान मे अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक व्यवस्था की विषम परिस्थितियो ने समाज को न केवल विभाजित किया है। अपितु समाज के नैतिक मूल्यो का ह्रास भी किया है। अत जनपद मे अपराधो की रोकथाम हेतु दण्ड और उपचार की इस प्रकार व्यवस्था करना जिससे अपराधी व अपराधो को प्रोत्साहित करने वाले दोनो को ही सुधारा जा सके। इस अपराध निरोधक कार्यक्रम के अन्तर्गत हमे उन समस्याओ को हल करना पडेगा जो अपराधो को जन्म देती है।[1] इसके अन्तर्गत निम्नाकित प्रयत्न सम्मिलित किये गये है–

- घटित अपराधो की जॉच–पडताल अपराधी की खोज तथा उसके अपराधी होने मे दोष का साक्ष्य प्रस्तुतीकरण।
- भविष्य मे होने वाले तथा वर्तमान मे पाये जाने वाले अपराधो एव अपराधियो को नियत्रित करना।
- उन अपराधो की खोजबीन जिनको करने की तैयारी की जा रही है या जिनके करने के इरादे बनाये जा रहे है।
- उन कारको का नियत्रण तथा उन दशाओ का सुधार जिनके दबाव मे आकर व्यक्ति अपराध करता है।

आज समाज व्यक्तिवाद भोगवाद जातिवाद, अर्थवाद आतकवाद और निरकुशवाद की ज्वाला मे जल रहा है। इसी का परिणाम है कि समाज अपराधो की एक प्रयोगशाला बन चुका है।[2]

अपराध नियत्रण के सफल कार्यक्रम हेतु सामान्यत दो विधियॉ प्रयोग में लायी गयी हैं, पहली – 'उपचारात्मक विधि' यह विधि उन व्यक्त्यिो के सुधार एव चिकित्सा से सम्बन्धित है जो दुबारा अपराध करते है। दूसरी "निरोधात्मक विधि' यह विधि उन व्यक्तियो को रोकने से सम्बन्धित है जो पहली बार अपराध करने की सभावना रखते है। ये दोनो ही विधियॉ अपराधो की रोक–थाम का उद्देश्य रखती है।[3] आज समाज मे सामूहिक

भावना का विलोप हो रहा है। कोई भी किसी की चिन्ता नही करता। अपने अधिकारो के लिये कर्तव्यो को पूर्णरूपेण भूल जाने की स्थिति मे व्यक्ति अकेला पडता जा रहा है। इसी का परिणाम है कि अपराधो मे वृद्धि हो रही है। यदि हमे अपराधो को रोकना है। समाज को भयमुक्त रखना है। तो हमे व्यक्तिवाद की भावना का परित्याग करके सघवाद को बढावा देना होना क्योकि सघ की शक्ति अपराधो को नियत्रित करती है। इसके लिये विभिन्न प्रकार की सस्थाये महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

सामाजिक संस्थाओ की भूमिका

जनपद फर्रुखाबद मे अपराधिक कृत्यो के परिणाम स्वरूप सामाजिक स्थायित्व का खतरा बढता जा रहा है। सामाजिक स्थायित्व के बने रहने तथा सामाजिक व्यवस्था के सुचारू रूप से चलते रहने के लिये समाज मे एक निश्चित नियमित एव सुव्यवस्थित सरचना का होना अनिवार्य है। अत इस व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करने मे सामाजिक सस्थाये अहम् भूमिका निभा सकती है। जनपद मे अनेक सामाजिक कारको के कारण भी अपराधो मे वृद्धि हुयी है। जिसमे प्रमुख रूप से जनसख्या की तीव्र गति से वृद्धि धर्म तथा चाल, चलन, पारिवारिक परिस्थितियो व्यवसाय शिक्षा प्रणाली, मद्यपान बाल श्रम, देह व्यापार, स्वेतवस्त्रापराध आदि प्रमुख कारण है।[5] अपराध वास्तव मे मानवशास्त्रीय भौतिक एव सामाजिक कारको के अनेक समिश्रणो का प्रतिफल है। जिसमे प्रमुख रूप से धर्म, प्रजाति शहर देश जुआ वेश्यावृत्ति तथा अनुपयुक्त आर्थिक दशाओ को रखा गया है।[6] सामाजिक सस्थाएँ कुछ निश्चित उद्देश्यो को प्राप्त करने का आमूर्त साधन होती है। अत ये विभिन्न परिस्थितियो मे व्यक्ति का मार्गदर्शन करती है। अपराधो के नियत्रण मे इन समाजिक सस्थाओं का विशेष योगदान है। जनपद फर्रुखाबाद मे इन सस्थाओं के रूप में अनेक क्लब सरकारी एव गैर सरकारी नेहरू युवा केन्द्र समाज कल्याण विभाग नारी निकेतन, बाल सुधार गृह उ।ग।नब।डो आदि

सामाजिक सस्थाये कार्यरत है। इन्ही सस्थाओ के माध्यम से लोग सुशिक्षित एव सुसकृत बनकर अच्छे आचरण एव व्यवहार से अपराधिक प्रवृत्तियो के व्यक्तियो पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। ये आचरण दुष्प्रवृत्तियो मे परितर्वन लाने मे अहम भूमिका अदा करते है। इन्ही सामाजिक सस्थाओ के द्वारा अपराध नियत्रण मे महत्वपूर्ण योगदान के लिये आगर्वन व निमकॉफ ने कहा कि सामाजिक सस्थाये कुछ आधारभूत मानवीय आवश्यकताओ की सतुष्टि के लिये सगठित स्थायी प्राणालियो को कहते है। ये स्थाये चूकि सामाजिक होती है। व्यक्ति के कार्यों को सरल बनाती है। उनका मार्ग दर्शन करती है। इनका उद्देश्य उनकी आवश्यकताओ की पूर्ति करना मानव व्यवहार पर नियत्रण रखना, भाई–चारे को बढाव देना को महात्व देकर व्यावहारिक रूप से अपराधो पर नियत्रण करने हेतु प्रयासरत रहती है।[7] इन सामाजिक सस्थाओ द्वारा मानव मे मूल्यो गिरावट को रोका जा सकता है। अनेक पारिवारिक झगडो को शान्तपूर्वक ढग से निपटाया जा सकता है। इससे परिवारिक भरतना सीमित होगी एकाकीपन अपराध को बढावा देता है। अत सयुक्त परिवारसे अपराधो मे सक्रियता पर अकुश रहेगा अनाथालयो को चलाकर भी सामाजिक सस्थाये मानवीय विकास को नयी दिशाये दे सकती है। क्योकि अनाथ होने का निरन्तर मान भी अपराधो को जन्म देता है।[8] किन्तु वर्तमान में कुछ सामाजिक सस्थाये ऐसी है जो अपनी जिम्मेदारियो को तो सफलतापूर्वक नहीं निभा रही है बल्कि असमाजिकतत्व के कुकत्यो मे उन्हे सहयेाग प्रदान कर रही है। कुछ सस्थाये पूर्णत निष्क्रिय हो चुकी है अत ऐसी मृत्प्राय सामाजिक सस्थाओ का पुन जागृत करने की आवश्यकता है। जिससे वे समाज मे व्याप्त बुराइयो दहेज समस्या बालविवाह भ्रूण हत्या पर्यावरण सुरक्षा, वेश्यावृत्ति भिक्षावृत्ति मद्यपान चारित्रिक पतन सास्कृतिक पतन, बाल श्रम, श्वेतवस्त्र–अपराध जैसी बुराइयो को समाज से निकाल सके एव मनुष्य को स्वस्थ्य चिन्तन एव शुद्ध वातावरण दे सके जिससे मानव अपराधिक प्रवृत्तियों की ओर उन्मुख ही न हो सके।

आर्थिक संस्थाओ की भूमिका

गरीबी समस्त अविकसित एव विकासशील क्षेत्रो की एक ऐसी प्रमुख सामाजिक समस्या है जिसे अन्य सामाजिक समस्याओ (अपराध बाल अपराध भिक्षावृत्ति वेश्यावृत्ति आदि) की जननी माना जाता है।[9] अत गरीबी उन्मूलन के द्वारा ही इन अपराधो की बढती प्रवृत्तियो पर अकुश लगाया जा सकता है। गरीबी एक अवधारणा है। जिसमे अकिचन व्यक्ति वह है जिसके पास जीवन निर्वाह के लिये न्यूनतम साधन भी नही है।[10] आर्थिक सस्थाये इस क्षेत्र मे अहम भूमिका निभा सकती है। जनपद फर्रुखाबाद मे राष्ट्रीकृत बैक ग्रामीण विकास बैंक भूमि सुधार बैक दुग्ध समितियॉ पजीकृत चिटफण्ड कृषि ऋण सहकारी समितियॉ प्राइवेट फाइनेस कम्पनियॉ जैसी आर्थिक सस्थाये कार्यरत है। जो गरीबी उन्मूलन मे अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। किन्तु आज ये अपने उद्देश्य से भटक कर आर्थिक–विषमता को रोकने के बजाय बढावा दे रही है। ऐसी सस्थाये वास्तविक जरूरतमन्दो को धन देने मे या तो असफल रहती है या इतनाकम धन देती है कि इनकी आवश्यकता पूरी ही नही हो पाती साथ ही ये ऋण के बोझ से दब भी जाती है। इसके अलावा सम्पन्न व्यक्ति इन गरीबो के नाम पर ऋण लेकर अपने कारोबार को बढाते रहते हैं। ये व्यक्तियो को सब्सिडी के प्रलोभन के कारण भी ऋण लेकर उसका अन्यथा उपयोग करते देखे गये हैं। अत जब ये ऋण के जाल मे उलझते हैं तो अवैध तरीको द्वारा उससे निकलने का प्रयास करते है। अत अपराधो की वृद्धि होती है।

जनपद में व्यवसायिक बैंक एव राष्ट्रीयकृत बैंक की 29 ग्रामीण बैंक शाखायें 45, सहकारी बैंक शाखाये 10,[11] होने के बाद भी जनपद मे आर्थिक विषमता के कारण होने वाले अपराधो पर नियत्रण अभी नही हो सकता है। क्योंकि आर्थिक प्रगति के समस्त लाभ उन लोगो को मिल रहे है जो पहले ही अमीर है।[12] अत आर्थिक विषमता बढी है। जिसके कारण अपराधो मे भी वृद्धि हुयी है। अत आर्थिक नियोजन के द्वारा जनपद फर्रुखाबाद मे सामाजिक

समस्याओ का निराकरण किया जाना सभव है। जनपद फर्रुखाबाद मे आर्थिक–नियोजन के अन्तर्गत कृषि के पिछडेपन को दूर किया जाना आवश्यक है क्योकि जनपद फर्रुखाबाद की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। अत यहॉ की समृद्धि हेतु कृषि की दशा सुधारने की आवश्यकता है जिसमे पैदावार की वृद्धि के उपाय कृषि भूमि का पूरा–पूरा सदुपयोग करना नवीन सिचाई साधन फर्टिलाइजर कृषियत्र एव बीजो की व्यवस्था करना छोटे जातो के आकार को बढाना भूमिहीन खेतिहारो की दशा मे सुधार आदि किये जाने की आवश्यकता है।

फर्रुखाबाद जनपद मे लघु उद्योगो की दशा निरन्तर खराब हो रही है जिसे सुधारने की आवश्यकता है। यहॉ का छपाई उद्योग नमकीन दालमोठ उद्योग रेवडी एव बेकरी उद्योग जारदोजी का काम प्रमुख है। अत इन्हे ऋण सहायता के द्वारा पुन समृद्धि किया जाना आवश्यक है क्योकि इस कार्य मे लगे श्रमिक बेरोगार होकर अपराधो की भी उन्मुख हो रहा है।

जनपद ने योजनाबद्ध आर्थिक प्रगति के कार्यक्रमो को सार्वजनिक रूप से प्रचारित करना चाहिये एव उसमे पारदर्शिता लानी चाहिए। इन योजनाओ को लाभ उन्ही लोगो को मिलना चाहये जो व्यक्ति आर्थिक तगी का शिकार है। लेकिन पचवर्षीय योजनाओ के बाद आर्थिक शक्ति का सचय उन्ही लोगो ने किया है। जिनके पास पहले से ही आर्थिक शक्ति मौजूद थी।[13]

अत जनपद में अपराधिक पुनरावृत्ति को रोकने हेतु आर्थिक योजनाओ के द्वारा निम्न कार्य किये जाने आपेक्षित है –

1 गरीबी के समस्त जटिल तथा अन्तनिर्भर कारणो की पहल करना तथा उसके प्रभावो को ठीक से स्पष्ट करना।

2 आर्थिक प्रगति को बढाने हेतु कृषि एव औद्योगिक उत्पादो को बढ़ावा देना।

3 आर्थिक प्रगति हेतु सामाजिक–आर्थिक लाभो के वितरण की उचित एव न्यायपूर्ण व्यवस्था करना।

4 ऐसे कार्यक्रमो का आयोजन करना जिससे लोग अपनी गरीबी के बारे मे जागृत होकर उससे मुक्ति हेतु प्रयत्नशील हो सके।

5 गरीबो को आर्थिक–सामाजिक विकास की योजनाओ के कार्यान्वयन मे अर्थपूर्ण ढग से शामिल करना।

6 सरकारी योजनाओ मे गरीबी हटाने का दृढ राजनैतिक निश्चय किया जाना।

अत आर्थिक सस्थाओ द्वारा गरीबी बेरोजगारी कृषि एव लघु उद्योगो की दशा सुधारना आदि कार्यक्रमो के माध्यम से अपराध नियत्रण किया जा सकता है।

प्रशासनिक संस्थाओं की भूमिका

यदि हम अपराध की घटनाओ को कम करना चाहते है तो सबसे पहले हमे समुदाय के सामाजिक–आर्थिक राजनैतिक एव सास्कृतिक जीवन की व्यवस्था मे मूलभूत परिवर्तन करना पडेगा क्योकि अपराध बिगडी हुयी सामाजिक दशाओ का फल है। और अपराधी वही व्यक्ति है जिसको समाज ने ऐसे अवसर प्रदान कर रखे हैं जिससे वह अपराध की प्रेरणा सरलता से प्रात कर लेता है।[14] अत इस समस्या के निराकरण मे प्रशासनिक भूमिका अपना विशेष महत्व रखती है। जिसके अन्तर्गत यह प्रशासन निम्नलिखित उपाय कर सकती है।

- जनपद के सीमावर्ती थाना क्षेत्र जो अपराधी जनपदो से सयुक्त होने के कारण अपराधो मे अधिक सक्रिय हो गये है। अत इन सीमावर्ती थाना क्षेत्रो मे खुफिया पुलिस द्वारा निगरानी अव्यन्त आवश्यक है।

- जनपद की उत्तर एव उ–पू सीमा नदियो बीहड एव कटरी क्षेत्रो द्वारा निर्धारित होने से यह क्षेत्र निवास के अयोग्य है अत अपराधी वर्ग यहॉ पनप रहा है अत इस क्षेत्र मे गस्त आकस्मिक छापा एव पुलिस चौकी बनाये जाने की आवश्यकता है।

- जनपद के कम्पिल थाना वाले क्षेत्रो मे एव उत्तर–पश्चिम वाले क्षेत्रो मे परिवहन विकास अत्यन्त पिछडा हुआ है। अत इन क्षेत्रो मे परिवहन की योजनाये क्रियान्वित की जाये जिससे मौके बारदार का तुरन्त मुआयना किया जा सके।

- जनपद मे जनसख्या की तीव्र वृद्धि दर अपराधो का मूल कारण है। अत उन्हे प्रलोभन देकर बदलने की अपेक्षा प्रशासनिक स्तर पर जनसख्या वृद्धि की समस्याओ से लोगो को अवगत कराया जाना चाहिए।

- जनपद मे विद्युत आपूर्ति जलापूर्ति आवास सविधा एव चिकित्सा सुविधाओ मे वृद्धि करने की आवश्यकता है। जिसके अभाव मे अपराधी वर्ग को मनमानी करने की छूट मिलती है।

- बाजार केन्द्रो की दूरी बहुत अधिक होने से भी वापस आते समय लूट, राहजनी आदि होने की सम्भावना रहती है। अत बाजार केन्द्र प्रत्येक 6 किमी की दूरी पर होना चाहिये जिससे ग्रामीण व्यक्ति अपनी आवश्यकताओ की पूर्ति सुरक्षित रूप से कर सके।

- कम–आयु वर्ग द्वारा किये गये अपराधो पर गभीर रूप से विचार करते हुये उन्हे सुधारवादी एव आवश्यक हो तो दण्डात्मक कार्यवाही द्वारा सुधार जाना चाहिए अत इसके लिये जनपद मे बाल–सुधार गृह की पर्याप्त सुविधा होनी चाहिये।

- प्राप्त ऑंकडो से स्पष्ट होता है कि शिक्षा की वृद्धि के साथ अपराधो में भी वृद्धि हुयी है। शिक्षण सस्थाओ मे भी पर्याप्त

अनुशासन हीनता शिक्षा स्तर मे गिरावट नकल की प्रवृत्ति के कारण अपराधो मे वृद्धि हो रही है। अत इन सस्थाओ के सम्बन्धित अधिकारियो जैसे – जिला विद्यालय निरीक्षक प्राचार्यों प्राध्यापको को अपना दायित्व ईमानदारी से पूरा करने की आवश्यकता है।

- जनपद मे मादक द्रव्य बिक्री के केन्द्रो पर पूर्ण प्रतिबन्ध सभव नही है किन्तु प्रशासन द्वारा 18 साल के कम उम्र के व्यक्ति को इन मादक द्रव्य को देने पर पूर्णत प्रतिबध कर देना चाहिये। जिससे ये इन वस्तुओ के आदी न पड जाये इस नीति से और भावी नागरिकता की नस्ल खराब होने से बच सकेगी।

- जनपद मे सर्वाधिक अपराध पिछडी जातियो द्वारा हो रहे है इसके नियत्रण हेतु इस वर्ग की जातियो मे जवीन–स्तर को सुधारना धार्मिक सामाजिक एव शैक्षिक स्तर को ऊँचा उठाना आपेक्षित है।

- सरकार की शस्त्र लाइसेस नीति न्यायपूर्ण नही है। सर्वेक्षण से इस बात की पुष्टि होती है कि शस्त्र लाइसेसे अधिकतर उन व्यक्तियो को दिया गया है इसकी आवश्यकता नही है या मात्र प्रदर्शन हेतु उन्होने इसे प्राप्त किया है। अत इस प्रदर्शन की [illegible] हेतु लाइसेसी शास्त्रो की होढ जनपद मे बढी है जिससे हिसक अपराधो मे वृद्धि हुयी है अत लाइसेस नीति को पारदर्शी एव दोषमुक्त किये जाने की आवश्यकता है। अत जिन लाइसेस धारको के शस्त्रो का प्रयोग अपराधो मे होने की पुष्टि हो उनके लाइसेस पूर्णत निरस्त करने की व्यवस्था होनी चाहिये।

- जनपद में पुलिस व्यवस्था जनसख्या के अनुपात मे बहुत कम है। अत अपराधों के नियत्रण हेतु सिपाहियो होमगार्डस की सख्या मे अधिक वृद्धि की आवश्यकता है। जिससे अपराधी वर्ग को अधिक नियत्रण मे रखा जा सके।

- जनपद मे कारागार की व्यवस्था सतोष जनक नही है। यहॉ कैदियो के परिजनो एव छूटे हुये कैदियो से किये गये साक्षात्कार के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि भोजन का स्तर अत्यन्त निम्न है साथ ही खाना भी पेट भर नही दिया जाता आवास क्षेत्रो मे सफाई की व्यवस्था निम्नस्तर की है। जो अधिकारियो द्वारा किये जाने वाले भ्रष्टाचार का प्रतीत है।

- जनपद के कारागार मे अधिकतर कैदियो द्वारा अनुशासन हीनता के कार्य सामने आते रहे है। उनके द्वारा भागे जाने के कृत्य भी सामने आये है अत इन अपराधियो द्वारा ऐसे कृत्यो के लिए अधिक कडी दण्डात्मक कार्यवाही एव सुधारवादी दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

न्यायिक संस्थाओं की भूमिका

कानून सामाजिक नियत्रण का एक अनौपचारिक साधन है तथा समाज की सम्पूर्ण नियत्रण व्यवस्था को एक मुख्य भाग है। अत अपराधो के रोक—थाम हेतु न्यायिक सख्याओ की अहम भूमिका है।

वर्तमानमे अपराधो के बदलते स्वरूप के कारण जॉच प्रक्रिया एव कानून व्यवस्था अप्रासागिक हो चुके हैं। अत अपराधो के नियत्रण हेतु दण्ड सहिता एव अपराध सहिता को भी बदलते परिवेश के अनुरूप परिवर्तित किया जाना चाहिए।

कुछ न्यायालयो मे इतने अधिक मामले होते है जिन्हे निपटाने मे [illegible] को अनेक दिक्कतो का सामना करना पडता है। साथ ही छोटे एवप्रथम स्तर के न्यायालय सामान्य अपराध ही नही बल्कि गभीर अपराध के मामले भी [illegible] हैं। अत इन समस्याओ का निराकरण किया जाना चाहिए जिससे अपराधों को शीघ्र व सही रूप से रोका जा सके।

उस समाज मे अपराध बढता है। जहॉ पर लोगो मे कानून के प्रति आस्था और विश्वास मे कमी आ जाती है ऐसा तब होता है जब साधारण व्यक्ति उच्च वर्ग के व्यक्ति को कानून तोडते देखता है। वह उसका पकडे जाने पर सरलता से छूट जाना देखता है। अत न्यायिक व्यवस्था को न्याय पारदर्शिता के माध्यम से जन साधारण मे न्या के प्रति आस्था और विश्वास को बनाये रखना होगा जिससे अपराधो का नियत्रण सभव हो सकेगा।

जब समाज के व्यक्ति यह स्वीकार कर लेते है कि उन्हे न्यायालय मे न्याय नही मिलेगा क्योकि कानून पालन कराने वाले भ्रष्ट है। अत कानून की निष्पक्षता को वे स्वीकार नही करते है। इससे सामाजिक विघटन की स्थिति उत्पन्न होकर अपराधो मे वृद्धि करती है। अत कानून की निष्पक्षता मे सभी को विश्वास करवाना कानूनविज्ञ व न्यायाधीषो का प्रथम कर्तव्य है। न्याय मिलने की प्रक्रिया का लम्बी होना भी समाज मे अपराधो को जन्म देती है। अत न्यायिक कार्य द्रुत गति से करने को प्राथमिकता देनी चाहिये।

ईमानदार न्यायाधीशो को समय–समय पर सम्मानित करना चाहिये जिससे समाज मे एव ईमानदारी के प्रति जागृति कासचार होगा। अत इन चारित्रक गुणो की चेतना के साथ ही अपराधो वर्ग मे भय–व्याप्त होगा।

यद्यपि दण्ड की आधुनिक अवधारणा अपराधी सुधार के दर्शन पर आधारित है। किन्तु फिर भी अपराध की वृद्धि को रोकने के लिए आवश्यक है कि दण्ड मे कानूनो की कठोरता बनी रहे जिससे अपराध करने के इच्छुक को यह आभास होता रहे कि अपराध से उन्हे लाभ की अपेक्षा हानि की अधिक सभावना है। दण्ड विधि के भयात्मक होने से अपराध करने मे लोग डरेगे। स्वय सर्वोच्च न्यायालय मे न्यायपालिकाओ को कहा है कि अपराधियो के बारे मे गभीर रूप से विचार करना चाहिये और देखना चाहिये कि ऊँचे ओहदो पर विद्यमान व्यक्ति देश के कानून का मजाक न उडा सके।

- न्यायालयो द्वारा अपराधो के लिये निर्धरित दण्ड एव जुर्माने की राशि को बढाये जाने की आवश्यकता है।

- कानूनी दॉव–पेच को कम एव सरल किया जाना चाहिए जिससे सामान्य व्यक्ति सही माने मे लाभ उठा सके।
- न्यायधीशो को न्यायालय की गभीरता एव पवित्रता पर अधिक बल देना चाहिये।
- न्यायालयो एव अधिवक्ताओ को अपराधी की जॉच करने वाले केन्द्रो के परामर्श पर विशेष ध्यान देना चाहिये और अपराधी वर्ग के अनुसार उसे दण्ड या उपचार की व्यवस्था देनी चाहिये।
- न्यायालयो को सामान्य अपराधी के लिये सुधारवादी सस्थाओ पर अधिक ध्यान देना चाहिये।
- जॉच कार्यवाही मे आवश्यक गवाहो को पेश किया जाते समये जो गवाह टूट जाते हैं या बदल जाते है उनके विरूद्ध कार्यवाही की जानी चाहिये।
- अच्छे और ईमानदान न्यायाधीश के विरूद्ध कुछ अधिवक्ता सदैव से आतक मचाये रहते हैं अत ऐसे अधिवक्ताओ के लिये आचार सहिता का निर्धारण किया जाना चाहिये।
- अपराधो के सदर्भ मे अधिवक्ताओ द्वारा प्राय कई गवाह प्रस्तुत किये जाते हैं। कुछ व्यक्ति प्रोफेशनल गवाह बन कर हर मामलो मे [illegible] लेते हैं। अत गवाहो की फोटो पता, एव सम्पत्ति के कागज आदि का विवरण न्यायालयो मे सुरक्षित रखना चाहिये ऐसा करने से झूठे मुकद्मे बाजी पर रोक लगेगी और न्यायालय मुकदमो के अतरिक्त भार से बच कर अन्य कामो को और सुचारू ढग से कर सकेगे।

धार्मिक व यौगिक संस्थाओ की भूमिका

जनपद फर्रुखाबाद मे अनेक धार्मिक सस्थाये कार्यरत है। अपराधी वर्ग की जीवन–दिशा परिवर्तित करने मे ये सस्थाये महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। जिनमे प्रमुख – राधा–माधव सघ ब्रह्मकुमारी सस्था श्रीराम चन्द्र मिशन चिद्लिसानद भाई मिशन राधा स्वामी पथ गायत्री परिवार आदि सस्थाये जनपद मे अपनी भूमिका निभा रही है। किन्तु साथ ही धर्म के साथ साथ योग एव आसनो द्वारा भी व्यक्ति के चित्त को परिवर्तित किया जाना चाहिए जिसके लिये निम्न सुझाव आपेक्षित है –

- योग शब्द प्रसगाधीन अनेक अर्थो मे पाया जाता है अत उसकासाकेतिक अर्थ उचित नही। योग शब्द मे अनेक मतभेद है जैसे – अष्टायोग, हठयोग राजयोग भक्तियोग ध्यानयोग प्रेमयोग साख्ययोग सन्यासयोग समाधियोग क्रियायोग इत्यादि शतश नाम है किन्तु योग शब्द त्याग मात्र मे पर्यवसित है। इन योगो द्वारा रोगी के अनुसार उपचार किया जाना चाहिये जैसे कि दवा का बीमारी के अनुसार सेवन कराया जाता है। जिससे व्यक्ति एहिक पदार्थो का पाकर भी निर्लिप्त रहे। आज भौतिक पदार्थो के प्रति बढी हुयी आसक्ति ही समस्त अपराधो की जननी बनी हुयी है।

- योग मे मनुष्य चार प्रकार के माने गये है कर्म प्रधान भक्ति प्रधान योग प्रदधान, बुद्धि प्रधान (दार्शनिक) अत उनकी प्रकृति के अनुकूल मार्ग भी चार है जिसके द्वारा वे अपना उत्थान कर सकते हैं। 'कर्मयोग' से [illegible], मलनाश एव हस्तकौशल प्राप्त किया जाता है। 'राजयोग' से मन की स्थिरता एकाग्रता निष्पन्न होती है। 'भक्ति योग' से भ्रम विक्षेप दूर होता है एव हृदय–पक्ष का विकास होता है 'ज्ञान योग' से अज्ञान का आवरण हटता है

इच्छा एव बुद्धि का विकास होता है। एव आत्मसुष्टि की भावना पनपती है।[15]

- इस प्रकार अपराधी जो प्राय मद बुद्धि एव मनोविकृति के होते हैं उनका योग द्वारा सुधार किया जाना सम्भव है। भारत की पहली भारतीय पुलिस सेवा की महिला अधिकारी श्रीमती किरण बेदी ने इन योगो द्वारा उपचार को कारागारो मे प्रयोगो के तौर पर लागू किया और उसके सकारात्मक परिणम देखे गये है।

- इसी प्रकार आसन नियमो आदि के द्वारा भी मनुष्य की जीवन शैली मे परिवर्तित किये जाने की सभावनाये है। क्योकि जीवन–शैली व्यक्तित्व को इगित करती है।[16] अत शीर्षासन द्वारा एकाग्रता मृयूरासन द्वारा उदरविकास से मुक्ति एव कफ का नाश 'सिद्धासन' द्वारा दृष्टि की पवित्रता 'सिहसान' द्वारा मद बुद्धिता का नाश, 'सर्वागासन द्वारा समतस्त शरीरिक एव मानसिक विकारो से मुक्ति, मुक्तासन द्वारा नाडियो की बलिष्ठता आदि उपलब्धियॉ प्राप्त की जा सकती है।[17]

- मनुष्य के सुधार हेतु अथर्ववेद मे मान्यता है कि सभी व्यक्तित्व कफ पित्त, वायु प्रधान हो सकते है। जिस व्यक्तित्व मे जिस पदार्थ की प्रधानाता है वह लोग उसी प्रकार की प्रवृत्ति के हो जाते हैं। किन्तु व्यक्तित्व मे इन तीनो का सन्तुलन होना ही मनुष्य को सही अर्थों मे मनुष्य बनाता है।[18] गीता मे भी मानव को सतो–गुणी रजोगुणी एव तमोगुणी व्यक्तित्व मे विभाजित कर उनके प्रकृति के अनुसार यौगिक निदान की सम्भावनाये प्रस्तुत की गयी है।

- जनपद फर्रुखाबाद कृषि प्रधान क्षेत्र है अत ग्रामीण जनता की अधिकता है जो धर्म एव शास्त्रो मे अथाह विश्वास एव आस्था रखती है। अत इस माध्यम से उनकी अपराधिक वृत्तियो का उपशमन किया जाना अधिक सरल होगा।

शान्ति व्यवस्था एव विकास नियोजन प्रारूप

वर्तमान समाज जहाँ एक ओर सामाजिक आर्थिक वैज्ञानिक एव तकनीकी उपलब्धियो की ओर अग्रसर है वही दूसरी ओर गरीबी ईर्ष्या द्वेष अशिक्षा कुपोषण और अपराधिक प्रवृत्तियो से भी ग्रस्त है। परिणामस्वरूप समाज की अशान्ति और अस्थिरता विकास लक्ष्यो की प्राप्ति मे सबसे बडी बाधा बन रही है। अज्ञानता अशिक्षा रूढिवादिता से ग्रस्त समाज मे लोगो का जीवन स्तर निम्नकोटि का होता है जो कि कलह मानसिक तनाव सौहार्द्र की भावना की कमी तथा निम्न जीवन मूल्यो को स्थापित कर लोगो मे असामान्य मानसिक विकृतियो को बढा रही है। समाज के विकास की पूर्वापेक्षा के रूप मे जहाँ शान्ति की आवश्यकता है वही विकास शान्ति की स्थापना करता है। लेकिन बढती हुई जनसख्या घटते हुये ससाधन और अनियन्त्रित औद्योगिक विकास ने पर्यावरण एव विकास के कारण के साथ ही समाज को अपराधो की शरणस्थली भी बना दिया है। अत समाज मे शान्ति एव विकास की स्थापना हेतु सामाजिक समस्याओ के निवारण के लिए निम्न सुझाव प्रस्तुत है।

जातिवाद पर नियंत्रण

समाज में जातिवाद की विषवेल अत्यन्त बढ चुकी है। प्रत्येक व्यक्ति अपने को दूसरे से श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहता है। इससे जाति टकरवा की स्थिति उत्पन्न होकर सामाजिक व्यवस्था [illegible] है। अत यह समाज विरोधी दृष्टिकोण है। अत [illegible] की समस्या के समाधान हेतु निम्न प्रयास किये जा सकते हैं —

1- अन्तर्जातीय विवाहो को प्रोत्साहन दिया जाये ।

2- नाम के साथ जातिसूचक शब्द के लिखने पर रोक लगाई जाये ।

3- समाज मे ऊँच-नीच की भावना समाप्त की जाये ।

4- जातिवाद के दोषो को प्रकट करके उनके विरूद्ध जनमत जगाया जाय तथा व्यापक प्रचार एव प्रसार किया जाये ।

5- सविधान मे जातिवाद फैलाने वालो के लिए दण्ड व्यवस्था निर्धारित की जाये ।

3- **साम्प्रदायिकता पर नियन्त्रण**

साम्प्रदायिकता का जहर समाज की जडो को खोखला कर रहा है । साम्प्रदायिकता ने देश की राष्ट्रीय एकता को गहरा आघात पहुँचाया है, तथा यह सामाजिक विकास मे बाधक सिद्ध हो रही है । साम्प्रदायिकता के कारण ही अनेक स्थानो पर अशान्ति अव्यवस्था तथा कलह का वातावरण बना रहता है कुछ निहित स्वार्थी तत्व तथा राजनेता साम्प्रदायिकता को हवा देकर रक्तपात कराते है । उदाहरणार्थ- जनपद मे कई ऐसे हिन्दू और मुस्लिम सगठन है जो आए दिन मन्दिर और मस्जिद के नाम पर साम्प्रदायिकता का वातावरण पैदा करते है जिससे आपसी झगडे होते रहते है और निर्दोष लोग मारे जाते है । वर्ष 1992 का रामजन्म भूमि एव बावरी मस्जिद का साम्प्रदायिक दगा इस बात का ज्वलन्त उदाहरण है जिसने जनपद ही नही अपितु प्रदेश एव देश के अनेक जगहो मे साम्प्रदायिकता का जो विषैला बीज रोपा उसके परिणामस्वरूप कई निरपराध एव निर्दोष व्यक्ति मारे गये । अत सामाजिक विकास हेतु समाज मे फैली साम्प्रदायिकता को मिटाना होगा । इसे दूर करने के लिए निम्न सुझाव प्रस्तुत है -

1- [illegible] की भावना भडकाने वाले सगठनो तथा राजनीतिक दलो पर रोक लगायी जाये ।

2- समाज मे एकता का वातावरण बनाया जाये ।

3- साम्प्रदायिकता के विरूद्ध प्रबल जनमत का निर्माण किया जाये ।

4- नागरिको मे "सर्व-धर्म-समभाव" की भावना जागृत की जाये जिससे वे साम्प्रदायिकता की भावना से ऊपर उठ सके ।

5- शिक्षा का प्रसार किया जाये जिससे लोगो का दृष्टिकोण व्यापक हो ।

6- राष्ट्रीय त्यौहार सामूहिक रूप से मनाये जाये, जिसमे सभी सम्प्रदायो के व्यक्ति भाग ले ।

7– साम्प्रदायिकता फैलाने वालो के लिए अधिनियम बनाकर इसे दण्डनीय अपराध घोषित किया जाये ।

8– रेडियो तथा दूरदर्शन के माध्यम से राष्ट्रीय एकता एव धर्म निरपेक्षता के कार्यक्रम प्रसारित किये जाये ।

4– अन्धविश्वास पर नियन्त्रण

अन्धविश्वास सामाजिक विकास मे एक बहुत बडी बाधा है । बहुत से लोग आज भी अपनी गरीबी बेरोजगारी, शोषण तथा अत्याचार के लिए अपने भाग्य को दोषी मानते है । उनका यह विश्वास है कि पूर्व जन्म मे हमने बुरे कर्म किये है जिनका फल हमे इस जन्म मे मिल रहा है । वे यह जानने का प्रयास नही करते है कि इन बुराइयो की जड क्या है और इन बुराइयो को दूर करने के लिए क्या प्रयत्न करने चाहिए । अन्धविश्वास से आशय उस कार्य से है जिस पर बिना किसी वैज्ञानिक आधार के ऑख बन्द कर विश्वास कर लिया जाता है । सन्तान न होने पर जादू टोने कराना, नरबलि देना, पशुबलि देना, पूजा के नाम पर एकान्त मे ओझाओ द्वारा अपना यौन शोषण करवाना, इन्ही अन्धविश्वास के उदाहरण है जो अपराधो की श्रेणी मे आते है । अन्धविश्वास के कारण व्यक्तियो मे अकर्मण्यता आ जाती है और वह अपने कर्तव्य को भूल जाते है । अन्धविश्वासो से समाज को मुक्ति दिलाने के लिए निम्न उपाय किये जा सकते है –

1– शिक्षा, विज्ञान और तकनीकी का विकास किया जाये ।

2– औद्योगीकरण तथा यन्त्रीकरण पर बल दिया जाये ।

3– परम्परागत दूषित रूढ़ियो और प्रथाओ के विरूद्ध जनमत तैयार किया जाये ।

4– प्राचीन [illegible] के विरूद्ध रेडियो, दूरदर्शन तथा समाचार पत्रो के माध्यमो से व्यापक प्रचार किया जाये ।

5– जनता मे अन्धविश्वासो के प्रति अरूचि उत्पन्न की जाये और जनता मे नये क्रान्तिकारी तथा वैज्ञानिक विचार उत्पन्न किये जाये ।

6– समाज मे अन्धविश्वासो को दूर करने के लिए व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए जिससे सामाजिक बुराइयो पर रोक लग सके ।

5- बेरोजगारी पर नियन्त्रण

बेरोजगारी की समस्या तीव्रगति से बढ़ती हुई जनसख्या एव सीमित ससाधनो के सन्दर्भ मे एक असाध्य रोग बनती जा रही है जो आर्थिक सामाजिक विकास मे दीवार बनकर खडी है तथा अपराधो को जन्म देने मे सर्वोपरि है । अत बेरोजगारी की समस्या के निदान हेतु निम्नाकित सुझाव दिये जा सकते है –

1- बेकार शिक्षितो को अपने उद्योग–धन्धे स्थापित करने के लिए आसान शर्तो पर ऋण दिये जाये ।
2- लघु एव कुटीर उद्योगो का सुनियोजित ढग से विकास किया जाये ।
3- उद्योगो का सुनियोजित रूप से विस्तार किया जाये और स्वत उद्योग धन्धो को स्थापित करने को प्रोत्साहन दिया जाये ।
4- उच्च्य शिक्षा प्राप्त कर रहे शिक्षार्थियो मे श्रम की भावना विकसित की जाये ।
5- औद्योगिक व तकनीकी शिक्षा का विस्तार किया जाये ।
6- रोजगार सम्बन्धी योजनाओ को अधिक प्रभावशाली बनाया जाये ।

6- पुलिस व्यवस्था सम्बन्धी सुझाव

पुलिस को खाकी वर्दी इसलिए दी जाती है कि वह जनता की सुरक्षा करे, झगडो का निबटारा करे अपराधियो पर अकुश लगाये तथा निष्ठापूर्वक ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य का पालन करे । लेकिन यदि वही पुलिस खाकी वर्दी पहनकर जनता का उत्पीडन करे, झगड़े फसाद कराये, अपराधियो को शह देकर लोगो को असुरक्षा के माहौल मे धकेल दे और बेईमानी पर उतरकर अपने कर्तव्य मार्ग से विमुख हो जाये एव हिटलरशाही पर उतरकर आम जनता पर अपना भय जमाने लगे तो यह लोकतत्र के लिए बडे शर्म की बात है । पुलिस महकमा ही ऐसा है जहॉं समस्या सुलझने के बजाय दोगुनी हो जाती है । लोगो को उत्पीडित करना, अपराधिक घटनाओ की रिपोर्ट न लिखना, समस्या सुनने के बजाय पीडित को दुत्कार कर भगा देना निर्दोषो को अभियुक्त घोषित कर देना, जनता के साथ मारपीट व गाली–गलौच करना, हफ्ता वसूलना, भ्रष्टाचार व असुरक्षा फैलाना, विदेशी सैलानियो को बेवजह परेशान करना, पुलिस की हिटलरशाही के आम उदाहरण है । ऐसी घटनाये आये दिन घटती रहती है जो पुलिस महकमे की निष्पक्ष व कर्तव्यनिष्ठ कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान लगाती है । अत पुलिस द्वारा अपराध नियन्त्रित करने हेतु निम्नाकित सुझाव दिये जा सकते है –

1- पुलिस एव जनता के मध्य उत्पन्न वैचारिक दूरी अथवा आम जनता का खाकी वर्दी के प्रति भय एव पुलिस का आतक अनेक नये अपराधियो को जन्म देता है । अत इस समस्या के निराकरण हेतु आवश्यक है कि क्षेत्रीय जनता के मध्य विभिन्न प्रमुख स्थानो पर सार्वजनिक सभाये आयोजित की जाये ताकि जनता और पुलिस के बीच विचारो का आदान-प्रदान हो सके । साथ ही साथ पुलिस जनो को समय-समय पर व्यवहारिक प्रशिक्षण एव निर्देश मिलते रहने की आवश्यकता है ।

2 - जनपद मे जनसख्या के अनुसार पुलिस बल की कमी है अत अपराधो पर नियन्त्रण हेतु सिपाहियो की सख्या मे वृद्धि की आवश्यकता है ।

3- पुलिस को जनता का अपेक्षित सहयोग नही मिल पाता है कुछ अत्यन्त महत्वपूर्ण घटनाओ मे जबकि पुलिस द्वारा कुख्यात अपराधियो की घेराबन्दी की जाती है तब जनता उनको छुपा लेती है । इस प्रकार की अथवा सामान्य स्थितियो मे भी जनता के सहयोग के बिना पुलिस अपराधो को नियन्त्रित नही कर सकती । इस निराकरण हेतु अपराधी तत्वो को छुपाने वाले व्यक्तियो अथवा उससे सम्बन्धित जनो को दण्डित करना आवश्यक है ।

4- पुलिस को राजनैतिक हस्तक्षेप सहन नही करना चाहिए इसलिए उन्हे अच्छी जगहो अच्छे थानो के लालच मे चाटुकारिता की प्रवृत्ति को त्यागना होगा और जहाँ कही भी स्थानान्तरण हो उसके लिए तैयार रहना चाहिये ।

5- प्राय यह देखा गया है कि अपराधो मे सीमा विवाद हो जाता है ऐसी स्थिति मे दोनो थानो की जिम्मेदारी निर्धारित की जानी चाहिए ।

6- प्राय यह देखा गया है कि पुलिस के व्यवहार से कुपित कोई भी सज्जन व्यक्ति थानो मे जाने से कतराता है । अत पुलिस को सहयोग प्राप्त करने के लिए समाज के सभ्रान्त और बुद्धिजीवी व्यक्तियो के साथ विशेष रूप से सद्व्यवहार करना चाहिए और उनके विचारो को अपराध नियन्त्रण मे अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली मे प्रमुख स्थान दिया जाना चाहिए ।

7- पुलिस को झूठे मुकद्मे दायर करने की परम्परा का परित्याग करना चाहिए । अपराधियो के साथ सख्ती से पेश आना चाहिए लेकिन अमानवीय व्यवहार नही करना चाहिए ।

8- अपराधियो को श्रेणीबद्ध करके अपराध को जनमानस तक पहुँचाना चाहिए । साथ ही साथ पुलिस की सहायता करने वालो के नाम एव पते गुप्त रखे जाने चाहिए ।

9- प्राय रात्रि के गश्त के समय पुलिसकर्मी शराब पीकर सो जाते है और वारदाते होती रहती है । ऐसी अवस्था मे अधिकारियो को पेट्रोलिग करना चाहिए ।

10- रात्रि मे सुरक्षा के दृष्टिकोण से कानवाय की व्यवस्था है लेकिन पुलिस बिना वजह वाहनो को घन्टो रोके रखती है और उनसे अवैध वसूली करती है । ऐसी दशा मे बडे अधिकारियो को निगरानी रखनी चाहिए और ऐसे मामलो मे जनता के बीच यदि कोई शिकायत करता है तो तथ्यो के आधार पर सम्बन्धित पुलिस कर्मचारी को दण्डित किया जाना चाहिए ।

11- प्राय यह देखा गया है कि बिना ड्यूटी के पुलिसकर्मी अपनी खाकी वर्दी पहनकर वाहनो पर बिना पैसे की यात्रा करते है । वाहन चालको से अवैध वसूली करते है । अत ड्यूटी के बाद पुलिस कर्मियो को खाकी वर्दी पहनने की इजाजत नही दी जानी चाहिए ।

12- यह आम शिकायत है कि अपराधो के अल्पीकरण हेत पुलिस अपराधो को पजीकृत नही करती । परिणामस्वरूप अपराधो को छिपाने से अपराधो मे बढोत्तरी होती है । अत छोटे से छोटे अपराध को पजीकृत किया जाना चाहिए ।

13- पुलिस को बिना छानबीन किये किसी व्यक्ति को अभियुक्त घोषित नही करना चाहिए ।

14- जिन लोगो पर अपराध का आरोप लगाया जाता है उनकी सुरक्षा का पूरा इन्तजाम किया जाना चाहिए ।

15- पुलिस को कानून द्वारा बनाये गये नियमो को भग नही करना चाहिए ।

16- पुलिस को 'अपराधी को छोडो नही शरीफ को छेडो नही' का सिद्धान्त अपनाना चाहिए ।

17- पुलिस कर्मियो को चुस्त दुरूस्त रखने के लिए सेना के सैनिको की भॉति शारीरिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिये ताकि वे शारीरिक रूप से सक्षम होकर अपराधियो को पकडने मे सफल हो सके क्योकि प्राय यह देखा और सुना जाता है कि अपराधी पुलिस के चगुल से भाग गया या पुलिस अपराधी को पकडने मे असफल रही ।

18- ईमानदार एव कर्तव्यनिष्ठ पुलिस कर्मियो को भ्रष्ट नेताओ या किसी सामाजिक, साम्प्रदायिक या जातीय और राजनैतिक सगठन के दबाव मे आकर स्थानान्तरित या दण्डित नही किया जाना चाहिए बल्कि उसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ।

7- न्यायिक व्यवस्था सम्बन्धी सुझाव

न्याय का अपराध से घनिष्ठ सम्बन्ध माना जाता है ।

न्यायालय मे जज अभियोक्ता, जूरी वकील एक प्रकार की नाटकीय भूमिका अदा करते है । इन्हे इसीलिए न्यायालय के नाटक करने वाले अभिनेता माना जाता है । लेकिन आजकल न्याय न्यायधीशो द्वारा धन के बदले मे मिलता है । अगर धन है तो न्याय उनके पक्ष मे होगा । अगर धन नही है तो न्याय विपक्ष की तरफ चला जाता है जिससे न्याय पक्षपातपूर्ण होता है । न्यायालय अपराधी के दृष्टिकोण तथा प्रवृत्तियो को ज्यो का त्यो रखने, उसे बिगाड सकने अथवा सुधार देने मे किसी भी प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करके एक औपचारिक नियन्त्रण साधन बनते है । अत न्यायिक व्यवस्था द्वारा अपराध कम करने हेतु निम्नाकित सुझाव दिये जा सकते है –

1– न्यायधीशो को न्यायालय की गम्भीरता तथा पवित्रता पर अधिक बल देना चाहिए ।

2– न्याय प्रक्रिया मे विलम्ब होने से अपराधी तत्वो का मनोबल ऊँचा होता है । अतएव अपराध सख्या के अनुपात मे आवश्यक न्यायधीशो की नियुक्ति की जाये । शीघ्र न्याय (वर्ष के अन्दर) तथा न्याय की अवधि तक अपराधी की जमानत पर लगे प्रतिबन्ध से निश्चित ही अपराधो पर नियन्त्रण लग सकेगा ।

3– न्यायालयो द्वारा वास्तविक तथा निश्चित नियमो के अधीन समानतापूर्ण तथा औचित्यपूर्ण न्याय प्रदान करना चाहिये ।

4– कानून के सामने सभी को समानता प्रदान की गई है अर्थात् लिग, सामाजिक, वर्ग, धर्म प्रजाति इत्यादि के आधार पर न्याय मे भेदभाव नही करना चाहिए ।

5– निर्भीक तथा कुशल और भ्रष्टाचार से मुक्त न्यायालय सगठित अपराधो को काफी सीमा तक कम कर सकते है ।

6– न्यायालयो तथा अभियोक्ताओ को अपराधी की जॉच करने वाले केन्द्रो के परामर्श पर विशेष ध्यान देना चाहिए और अपराधियो को दण्डित करने की अपेक्षा उनके उपचार पर बल देना चाहिए ।

7– अपराधियो को दिये जाने वाले दण्ड को न्यायालयो के द्वारा यथासम्भव टालना नही चाहिए ।

8– न्यायालयो को अपराधी की सुधारवादी सस्थाओ पर अधिक ध्यान देना चाहिए ।

9– जॉच कार्यवाही मे आवश्यक गवाहो को ही पेश किया जाना चाहिए । किसी कारण जो गवाह टूट जाते है या बदल जाते है उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए ।

10– प्राय यह देखा गया है कि अधिवक्ता वर्ग अपने काले कोट का दुरूपयोग करता है । आये दिन किसी के मकान पर कब्जा करने किसी की सम्पत्ति पर कब्जा करने और किसी व्यक्तिगत रजिश के कारण पुलिस पर दबाव बनाकर परेशान करने की प्रवृत्ति तथा न्यायाधीशो के निर्णयो को प्रभावित करने के लिए सामूहिक दबाव, सरकारी ऋणो की वसूली न करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियो पर दबाव और उनके खिलाफ झूठी रिपोर्ट न्यायालय मे लिखाने जैसे कृत्य करते है । परिणामस्वरूप कई जगहो पर इन अधिवक्ताओ के आतक के कारण न्यायाधीश अपनी नियुक्ति होने पर भी अमुक स्थान पर जाने से कतराते है । अत अधिवक्ताओ के लिए आचार सहिता का निर्धारण किया जाना चाहिए और उनकी कार्यप्रणाली की समीक्षा की जानी चाहिए ।

11– अपराधो के सन्दर्भ मे अधिवक्ताओ द्वारा प्राय फर्जी गवाह प्रस्तुत किये जाते है । कुछ लोग प्रोफेशनल गवाह बनकर हर मामलो मे दलाली लेते है । अत गवाहो की फोटो उनका पता उनकी सम्पत्ति के कागज आदि का विवरण न्यायालय मे सुरक्षित रखा जाना चाहिये और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एक गवाह केवल एक ही मामले मे गवाही दे सकता है । ऐसा होने पर झूठे मुकदमे दायर करने या कराने की प्रवृत्ति पर रोक लग सकेगी ।

8– कारागार व्यवस्था सम्बन्धी सुझाव

कारागार जो कि अपराधी की स्वतन्त्रता को समाप्त कर देता है अपने आप मे स्वय एक दण्ड है । लेकिन आजकल कारागार कुछ कैदियो का घर बन गया है । कारागार मे कुछ अपराधियो को राजनीतिक आश्रय प्राप्त होने के कारण जेलर तथा सिपाहियो की मिलीभगत से वह सामान मुहैया कराया जाता है जिनका कारागार मे आने पर पाबन्दी होती है । वही दूसरी ओर जो अपराधी आर्थिक रूप से कमजोर होते है उनसे ज्यादा कार्य लिया जाता है । अत कारागार जहॉ बडे अपराधियो के लिए ऐशगाह होते है वही मध्यम और निम्न श्रेणी के अपराधियो के लिए कष्टदायक हो जाते है । अत कारागार व्यवस्था सम्बन्धी 'हेतु निम्नाकित सुझाव दिये जा सकते है –

1– कैदियो की दिन प्रतिदिन की दशाओ जैसे भोजन, वस्त्र तथा लेटने, सोने इत्यादि के लिए बिस्तरो इत्यादि मे सुधार किया जाना चाहिये ।

2- कारागारो मे कैदियो के इलाज या उपचार के लिए डाक्टरो तथा दवाइयो इत्यादि का प्रबन्ध होना चाहिये ।

3- कारागार मे गम्भीर अपराधियो वाले कैदियो के लिए एकान्तवास या बिल्कुल पृथक्करण का जीवन व्यतीत करने की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए ।

4- कारागार मे कैदियो को आवश्यकतानुसार मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, शैक्षिक तथा तकनीकी योग्यताये प्रदान की जानी चाहिए ।

5- कारागार मे सभी कैदियो को समान समझा जाना चाहिये ।

6- बाल तथा किशोर कैदियो की शिक्षा की भी आवश्यक तथा उचित व्यवस्था की जानी चाहिए ।

7- कारागार मे सामान्य कैदियो को पृथक-पृथक नही रखा जाना चाहिए, क्योकि उन्हे एक साथ रहने देने से उनमे भाई-चारे की भावना जागृत होगी ।

8- कारागार मे कैदियो से परिश्रम लेने का उद्देश्य सुधारवादी होना चाहिए ।

9- कैदियो को कठोर तथा शारीरिक कष्ट देने वाली प्राचीन विधियो जैसे कोडे लगाना बाल खीचना इत्यादि जैसी सजा नही दी जानी चाहिए ।

10- कारागार मे कैदियो के सरक्षण हेतु सुयोग्य, प्रशिक्षित तथा अनुभवी अधिकारियो की नियुक्ति की जानी चाहिए । इस हेतु पुलिस तथा सेना विभागो के प्रशासन से सम्बन्धित अधिकारियो को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।

9- **अन्य सुझाव**

1- जनपद मे सर्वाधिक अपराध पिछडे वर्ग की जातियो द्वारा किये जाते है इनके नियन्त्रण हेतु इस वर्ग की जातियो के आर्थिक, सामाजिक एव शैक्षिक स्तर का गहन सर्वेक्षण करके इस सम्बन्ध मे प्रभावी कदम उठाये जाने चाहिए ।

2- मादक द्रव्यो की बिक्री से सरकार को पर्याप्त राजस्व की प्राप्ति होती है । अत इनकी समाप्ति का सुझाव व्यर्थ है किन्तु इनके विक्रय स्थलो की बढती सख्या मे होने वाली अप्रत्याशित वृद्धि को समाप्त करके इनकी बिक्री कुछ निश्चित केन्द्रो पर हो और इनका उपभोग करने वालो पर टैक्स लगना चाहिए एव खुलेआम दुकानो के समीप इनके उपभोग पर रोक लगानी चाहिए ।

3 विद्युत आपूर्ति, कमी एव उसके समय मे अनियमिततायें अक्षम एव भ्रष्ट अधिकारियो के कुकृत्य है । विद्युत आपूर्ति ठीक होनी चाहिए जिससे अपराधी तत्व अप्रत्याशित अन्धेरे का लाभ नही उठा सके ।

4– शिक्षा मे वृद्धि के साथ अपराधो मे वृद्धि एक आश्चर्य है किन्त जनपद मे इस सत्यता से स्पष्ट होता है कि शिक्षण सस्थाओ मे पर्याप्त अनुशासनहीनता, शिक्षा के स्तर मे गिरावट एव नकल जैसे अपराधो की प्रवृत्ति मे हुई अत्यधिक वृद्धि से युवा पीढी का ज्ञान सकुचित हो जाने से अपराधो मे निरन्तर वृद्धि हो रही है । अत सम्बन्धित अधिकारियो जैसे जिला विद्यालय निरीक्षक, प्राचार्यो प्राध्यापको एव अध्यापको के दायित्व को अनिवार्य रूप से पूरा कराने की आवश्यकता है । आवश्यकता पडने पर सम्बन्धित छात्रो को पुलिस प्रशासन की कार्यवाही मे देकर अनुशासनहीनता पर अकुश लगाना चाहिए ।

5 - जिन क्षेत्रो मे लाइसेस धारको की सख्या अधिक है उन क्षेत्रो मे अपराध अधिक होते है । अत एक बार समस्त लाइसेस शस्त्र धारको की आर्थिक सामाजिक एव स्थानीय परिस्थितियो का गहन सर्वेक्षण करके आवश्यकतानुसार अनावश्यक लाइसेस निरस्त कर देने चाहिए ।

6– गम्भीर अपराधो का प्रारम्भ 18 से 30 वर्ष की आयु वर्ग के व्यक्तियो द्वारा किया जाता है । अत इस आयु वर्ग के लोग चाहे शिक्षित हो या अशिक्षित हो को रोजगार सम्बन्धी सुविधा एव उनकी गतिविधियो पर प्रौढ वर्ग द्वारा पूर्ण चौकसी तथा उनके अपराधी कृत्यो पर दण्ड की व्यवस्था की जानी चाहिए । ताकि वे अपने जीवन के प्रारम्भ से ही एक अच्छे नागरिक का जीवन जी सके ।

7– जिन क्षेत्रो मे जघन्य अपराध होते है उस क्षेत्र मे वरिष्ठ कर्मठ एव ईमानदार अधिकारियो की नियुक्ति की जानी चाहिए जिससे अपराध नियन्त्रित हो सके ।

8– प्राय नाटको तथा सिनेमाओ मे अपराध करने की नई–नई तकनीको को दिखाया जाता है जिससे अपराधी उनको देखकर उसी तरह से अपराध करने की कोशिश करते है । प्रशासन को इस तरह के नाटको तथा सिनेमाओ मे दिखाये जाने वाले दृश्यो पर रोक लगानी चाहिए जिससे अपराध नियन्त्रित हो सके ।

9– प्राय यौन अपराध (छेडखानी, अश्लील बाते बलात्कार, शारीरिक सम्पर्क इत्यादि) अधिकतर कम उम्र के लोगो द्वारा की जाती है । अत यौन अपराधो के शारीरिक कुप्रभावो को देखते हुए

शिक्षण सस्थाओ मे यौन शिक्षा अनिवार्य कर देना चाहिए ।

10-- अपराधियो का सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए यदि वह बार-बार अपराध करता है और अपने को सुधारने मे किसी भी प्रकार का नैतिक साहस नही जुटा पाता ।

---

1 रमले क्लार्क – क्राइम इन अमेरिका पूर्वोल्लिखित पृ 5–7

2 प्रश्न कुमार – जनपद बदॉयु मे अपराधो का भौगोलिक अध्ययन 2000 अप्रकाशित शोध प्रबन्ध पृ 177

3 डॉ एस पी श्रीवास्तव – भारतीय सामाजिक समस्याये समाजकार्य विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय 1978 पृ 57

4 हालकाट पार्सस – दि पोजीशन ऑफ सोशियोलाजिकल थ्योरी अमेरिकन सोशियोलॉजिकल रिव्यू, 13 156–174 अप्रैल 1948

5 इनरिको फेरी – क्रिमिनल सोश्योलॉजी न्यूयार्क 1866 पृ 530

6 गुस्टाव ऐश्फेन वर्ग – क्राइम एण्ड इट्स रिप्रशेन बोस्टन 1913

7 आर्गवर्न एण्ड निमकॉफ – सोसल थॉट एकेस स्टडी ऑ यू पी

8 हैस वॉन हेडिग – क्राइम काजेज एण्ड कन्डीशस न्यूयार्क 1947 पृ 25

9 डॉ एसपी श्रीवास्तव – भारतीय सामाजिक समस्याये समाजकार्य विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय पृ 336

10 योगेश अटल – रोल ऑफ बैलेज एण्ड इस्टीच्यूशेस इन चैलेज ऑफ पावर्टी इन इण्डिया (इड) ए जे फोनसेका नई दिल्ली 1971 पृ 72

11 साख्यिकीय पत्रिका जनपद फर्रुखाबाद 1996

12 के एम पाणिकर – हिन्दु सोसायिटी ऐट क्रास रोडस बम्बई 1955 पृ 83

13 रिपोर्ट ऑफ दि कमेटी ऑन डिस्ट्रब्यूशन ऑफ इनकम एण्ड लेवेल्स ऑफ लिविग पृ 43

14 फैक टेटनबाम – क्राइम एण्ड दि कम्युनिटी न्यूयार्क 1957 पृ 25

15 स्वामी शिवानदजी – योग की भूमिका 1935 गीता प्रेस गोरखपुर

16 एडलर – पर्सनालिटी ड्वेलपमट 1957 पृ 64

17 स्वामी श्री कृष्णानदजी – यौगिक आयाम गीता प्रेस गोरखपुर 1938

18 अथर्ववेद मण्डल – 7 पृ 364–400

निष्कर्ष

अन्त मे निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि जनपद फर्रुखाबाद मे भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्यम स्तर का है। किन्तु इस जनपद मे पजीकृत अपराधो पर यदि दृष्टि डाले तो विदित होता है कि यहॉ प्रतिवर्ष हत्या के 118 मामले प्रकाश मे आये। दहेज हत्या के 33 मामले प्रकाश मे आये बलात्कार के 3 मामले प्रतिवर्ष की दर से प्रकश मे आये हैं। आर्थिक अपराध के दृष्टि से प्रतिवर्ष 325 अपराध की घटनाये सामने आयी हैं। किन्तु समाचार पत्र अन्य सूचना माध्यमो से प्राप्त घटनाओ एव मौखिक साक्ष्यो पर विश्वास करे तो स्पष्ट होता है कि जनपद मे प्रतिवर्ष 1100 हत्याये 3400 दहेज हत्याओ 4000 बलात्कार एव 330800 चोरी की घटनाये सामने आयी है इन बडी हुयी घटनाओ के पजीृत न होने का कारण या तो पुलिस द्वारापजीकृत नही करने या कमजोर एव गरीब वर्ग म पुलिस भय होने के कारण या रिश्वतखोरी। या दबगई के कारण होना स्पष्ट होता है।

सर्वेक्षणो द्वारा जनपद के अपराधो के सम्बन्ध मे कुछ तथ्य स्पष्ट रूप से सामने आये है कि अपराधो के लये जनपद की सामाजिक आर्थिक एव राजनीतिक परिस्थितियो से कही बढकर पुलिस की कार्य प्रणाली ज्यादा जिम्मेदार है। पुलिस का व्यवहार अपराधियो से नरम एव सभ्य व्यक्तियो से सख्त रहता है। दूसरे धनाढय वर्ग से भी पुलिस का व्यवहार नरम रहता है जबकि मध्यम वर्ग अपराधियो के विषय मे अधिक जानकारी देने मे समर्थ है किन्तु मध्यमवर्ग मे पुलिस के प्रति विश्वास मे कमी के कारण पुलिस जनपद के नागरिको का सहयोग अपराध उन्मूलन हेतु प्राप्त कर पा रही है इस प्रकार पुलिस व्यवस्था अपने उद्‌देश्य से अभी कोसो दूर है। दूसरे वे अपराधी जो बडी

मुश्किल से आम नागरिक के सहयोग से पुलिस की गिरफ्त मे आते हैं परन्तु उन्हे तुरन्त जमानत दे देना बाइज्जत बरी कर देना आदि कारण अपराधियो का मनोबल बढाने से सहायक सिद्ध हुये है।

सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जनपद की भौगोलिकता सम्बन्धी है जिसके कारण आज भी अपराध निर्बाध रूप से पनप रहा है। फर्रुखाबाद जनपद की चारो ओर की सीमाये अन्य अपराधी जनपदो से मिली हुयी है। अत समस्त अपराधी वर्ग आपस मे एक सगठन सा बनाये हुये है जिसे तोडना पुलिस के लिये अत्यन्त दुरूह कार्य है। यातायात के साधनो ने अपराधियो के अपराध क्षेत्र का विस्तार कर दिया है। अत एक जनपद मे अपराधी का दूसरे जनपद मे प्रवेश करना पुलिस विभाग के कार्य को पेचीदा बना देता है जिससे अपराध उन्मूलन मे सफलता नही मिल पा रही है।

अत निष्कर्ष रूप से सामाजिक मानसिकता राजनैतिक हस्तक्षेप पुलिस कार्य प्राणाली एव न्यायिक प्रक्रिय ऐसी व्यवस्थाये है जो भौगोलिक वातावरण के साथ–साथ अपराधो की पृष्ठभूमि तैयार करने मे आज भी सलग्न है।

परिशिष्ट - 1

(1) पुलिस अधिकारी का पद (2) थाना (3) सर्किल (4) जनपद

(5) आप मुरादाबाद मे निम्नलिखित परिस्थितियो मे अपराध के लिए कौन सी परिस्थितिया को उत्तरदायी मानते है ?

(अ) भौगोलिक (ब) सामाजिक (स) आर्थिक (द) राजनैतिक

(6) आपकी दृष्टि मे भौगोलिक परिस्थितियो के अन्तर्गत निम्नलिखित कौन सी परिस्थितियाँ अपराधो को सर्वाधिक और क्यो प्रभावित करती है ?

(अ) शीत ऋतु (व) ग्रीष्म ऋतु (स) वर्षा ऋतु (द) उपजाऊ मिटिटयो के मैदान

(य) ऊसर बजर तथा कटरी क्षेत्र (र) जल प्रवाह (ल) वनस्पति सघन क्षेत्र

(व) पशु प्रधान क्षेत्र (स) अन्य

(7) आपकी दृष्टि मे निम्न मे से अपराधो के लिए सर्वाधिक पृष्ठभूमि कहाँ तैयार होती है ?

(अ) लघु ग्रामो मे (ब) बडे ग्रामो मे (स) कस्बा क्षेत्र मे (द) शहरी क्षेत्र मे

(8) अपराध की दृष्टि मे कौन सा भौगोलिक कारण अपराधो को अधिक प्रेरित करता है ?

(अ) सघन जनसख्या (व) विरल जनसख्या (स) लिगानुपात की असमानता (1) पुरूषो का अधिक होना (2) स्त्रियो का अधिक होना (द) जातीय समीकरण (य) धार्मिद उन्माद

(र) आर्थिक विषमता (ल) शिक्षा (व) बेरोजगारी (स) सस्कृति

(9) निम्नाकित स्थानो मे किस प्रकार के अपराध अधिक होते है ?

(अ) बाजार केन्द्र (ब) सिनेमा स्थानो के पास (स) मादक द्रव्यो के ठेको पर (द) निश्चित वार्षिक मेलो मे (य) अपराध उजाले मे अधिक होते है या अधेरे मे

(10) आपकी दृष्टि मे पुलिस विभाग अपराधो को रोकने मे सक्षम है या नही ?

(11) प्रथम दृष्टया आप अपराधी को किस रूप मे लेते है ?

(1) निर्दोष है (2) दोषी है (3) कुछ भी हो सकता है

(12) प्राय थानो मे गरीबो की प्राथमिक रिपोर्ट नही लिखी जाती है इससे आप सहमत है ?

(13) अपराधियो एव पुलिस का घनिष्ठ सम्बन्ध होता है क्या आप इससे सहमत है ?

4) क्या आप अपराधो को छुपाने पर विश्वास रखते है ? हॉं/नही

5) पुलिस का जनता मे आतक/भय रहता है विशेषकर भोले एव भले व्यक्तियो के मस्तिष्क मे ऐसा क्यो ?

.6) आप अपराधो के लिए किसे जिम्मेदार समझते है ?

(1) राजनेताओ को (2) आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न लोगो को (3) पुलिस को

17) अपराधियो को बचाने मे आप सबसे अधिक किसे प्राथमिकता देते है ?

(1) राजनैतिक दबाव को (2) रिश्वत को (3) ईमानदारी को

18) कभी–कभी आप निर्दाष को फसा देते है क्यो ?

(1) रिश्वत के कारण (2) राजनैतिक दबाव के कारण (3) उच्च अधिकारी के कहने पर (4) भय के कारण

19) क्या आप रिश्वत लते है यदि हॉ तो क्यो ?

(1) वेतन कम होने के कारण (2) आर्थिक स्थिति मजबूत करने के कारण (3) अपने उच्च अधिकारियो को पैसा देने के कारण (4) राजनेताओ को खुश करने के कारण ताकि पदोन्नति हो सके ।

(20) यदि आपको रिश्वत दी जाये तो किसे पसन्द करेगे ?

(1) धन (2) औरत (3) अल्कोहल

(21) यदि अपराधी आपके सामने हे तो सबसे पहले आप क्या करते हे ?

(1) उसकी वास्तविकता जानते है (2) उससे पैसा लेना चाहते हे (3) सर्वप्रथम उसको अपराधी जानकर उसे अनसुना करते है ।

(22) आप अपराधो के लिए पुलिस विभाग को जिम्मेदार मानते है – (1) हॉ (2) नही

(23) यदि हॉ तो पुलिस मे किस प्रकार के अपराध अधिक होते है ?

(1) आर्थिक (2) शारीरिक (3) ईर्ष्या (4) कोई नही

(24) यदि आप अपराध कम करना चाहते हे तो निम्न मे किसे प्राथमिकता देगे ?

(1) जनता से मानवीय व्यवहार को (2) बुद्धिजीवियो की सलाह को (3) उच्च अधिकारियो की सलाह को

(26) पुलिस विभाग मे अनुशासनहीनता क्यो है ?

(1) आरक्षण के कारण (2) जातिवाद के कारण (3) राजनैतिक पहुँच के कारण

(4) स्वाभिमान मे खतरे के कारण

(27) पुलिस को समाज का रक्षक कहा जाता है । क्या आप इससे सहमत है ?

(28) पुलिस ही समाज मे घटित अपराधों की जिम्मेदार है । क्या आप इस बात से सहमत है ?

(29) कैदी प्राय पुलिस की हिरासत से भाग जाते है । इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते है ?

(1) पुलिस की लापरवाही को (2) पुलिस के लालच को (3) कैदियो की पहुँच को

(4) कैदियो का अपेक्षाकृत ज्यादा फुर्तीला होने को

(30) आप प्रत्यक थाने/चौकी मे जनता दरबार के पक्षधर है कि नही ?

(31) क्या आप इस बात से सहमत है कि पुलिस को अपराधो और अपराधियो की पूर्व सूचना होती है ?

(32) पुलिस कुख्यात अपराधियो से डरती है ऐसा क्यो ?

साहस की कमी/अस्त्र शस्त्रो की कमी/ऊपरी दबाव के कारण

(33) क्या आपकी दृष्टि मे कानून प्रिय और अच्छे नागरिको की अलग पहचान है या नही ?

(34) प्राय सभ्य एव कानून प्रिय लोग पुलिस वालो को पसन्द नही करते है क्यो ?

(35) क्या यह सत्य है कि पुलिस की सज्ञान मे अपराध होते रहते है एव पुलिस मौन रहती है ?

(36) सफेदपोश अपराधियो के सम्बन्ध मे आपका क्या विचार है इनमे किस वर्ग के लोग अधिक आते है ?

नेता/पूँजीपति/अधिकारी/अध्यापक/पुलिस/अन्य

(37) टॉप टेन या टॉप फाइव की विचारधारा से क्या आप सहमत है ?

(38) क्या गुण्डे कथित अपराधी सदिग्ध अपराधियो के नाम पुलिस की काली सूची (ब्लैक लिस्ट) मे अकन से ही अपराध नियन्त्रण सम्भव है ?

(39) थानो की सयुक्त सीमापर घटन वाले अपराधियो के बारे मे आपके क्या विचार है ?

(40) कितनी आबादी पर थाना अथवा चौकी होनी चाहिए ?

(41) क्या कभी आपने आत्मग्लानि अनुभव की है ?

(43) अपराध नियन्त्रण के सन्दर्भ मे आपके क्या विचार है ?

(44) यदि आपको प्रदेश/जिला का पुलिस प्रमुख बना दिया जाये तो आप अपराधो को नियन्त्रित करने के लिए क्या करेगे ?

(45) क्या साक्षात्कार मे आपका नाम व पद प्रकाशित करवाया जाये ?

हॉ/नही

यदि हॉ तो कृपया अपना पूर्ण विवरण देने की कृपा करे ।

परिशिष्ट – 2

अपराधो के सम्बन्ध मे न्यायाधीशो से साक्षात्कार की प्रश्नावली

1– मुकदमे मे न्याय इतना विलम्ब से क्यो होता है ?

(1) न्यायालयो की कमी (2) कानूनी प्रक्रिया (3) न्यायाधीशो की मानसिकता

2 - क्या विलम्बित न्याय से वादी के मस्तिष्क मे कानून के प्रति अनास्था होती है ? हाँ/नही

3– आपकी दृष्टि मे मुकदमो का निर्णय शत–प्रतिशत सही होता है अथवा नही ?

4– आप अपना निर्णय देने मे देरी करते है अथवा नही ?

5– शीघ्र निर्णय के लिए आपके क्या विचार है ?

6– आपकी दृष्टि मे लगभग कितने प्रतिशत गलत मुकदमे छूट जाते है ?

7– मुकदमे मे छूट जाने पर क्या दोषी व्यक्ति का मनोबल ऊँचा नही होता ?

8– क्या आप मुकदमा छोडने के लिए विवश किए जाते है ? हाँ/नही

9– यदि विवश किए जाते है तो कैसा दबाव पडता है ?

(1) राजनैतिक (2) आर्थिक (3) भय

10– आप मुकदमे मे लिखाये गये वादी एव प्रतिवादी मे दोषी और निर्दोष को किस प्रकार पहचानते है ?

11– क्या आप एक ही मुकदमे मे लिप्त अपराधियो को अलग–अलग प्रकार की सजा देते है ? यदि हाँ तो उसका आधार क्या है ?

12– क्या आप अपराधियो को दण्ड देने मे अपने कर्म व धर्म का निर्वाह सही प्रकार से कर पाते है यदि हाँ तो फिर अपराध दिन–पतिदिन क्यो बढ रहे है ?

13 - अपराध नियन्त्रण मे आपके क्या प्रमुख विचार है ?

परिशिष्ट – 3

अपराधो के सम्बन्ध मे वकीलो से साक्षात्कार की प्रश्नावली

1- शिक्षा एम0कॉम0 एम0ए0 एल0एल0बी0 वकालत करने की अवधि 5-4-99

2- आपकी दृश्टि मे अपराध क्या है ?

प्रत्येक मनुष्य द्वारा किया गया अपराध अपराध माना जाता है । चाहे वह मनुष्य के प्रति हो या जीव जन्तु के पति हो अपराध ही माना जायेगा ।

3- आपकी दृष्टि मे कानून क्या है ?

कानून व्यक्तियो को गलत कार्य करने से रोकता है ।

4- आपकी दृष्टि मे सामान्य नागरिक न्यायिक समस्याओ को किस रूप मे लेता है ?

सही/गलत

5- आप वकालत करते समय किन बातो का ध्यान रखते है ?

(1) अपराधी को सजा दिलाने के लिए (2) निर्दोष को बचाने के लिए (3) पैसे के लिए

6- आपकी दृष्टि मे अध्यादेश (एक्ट) किस प्रकार प्रभावी किये जाते है ?

गजट होने के तत्काल बाद लागू होते है ।

7 क्या पुलिस द्वारा लगाई गई मुकदमे मे धाराये उचित होती है ? हाँ/नही

हाँ

8- यदि पुलिस रिपोर्ट नही लिखती है तो उसे आप कैसे लिखते है ?

पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियो के आदेश से लिखाते है या अदालत के आदेश से ।

9- आपकी दृष्टि मे गवाही का मूल्य क्या है ?

साक्ष्यिक मूल्य गवाही ही है ।

10- क्या प्रत्यक्ष केस मे आप गवाहो को अनिवार्य समझते है ?

प्रत्येक केस मे अनिवार्य ।

11 - मौके के गवाह द्वारा गवाही देने पर केस क्यो छूट जाता है ?

सन्देह का लाभ पाते हुए अभियुक्त छूट जाते है ।

12- आप मुकदमे को लम्बा क्यो खीचते है ?

अपने व्यवसाय को चलाने के लिए

13- सामान्य नागरिक न्यायालयो से क्यो डरते है ?

कानून का ज्ञान न होना एवम् समय पैसा बर्बाद करना नही चाहते ।

14- यदि गवाही झूठी है तो वादी अथवा गवाह को क्या सजा मिल सकती है ?

धारा 182 सी आर पी सी के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है ।

15- मुकदमा लेने से पहले आप समझ लेते है कि अमुक व्यक्ति दोषी है तब भी उसे छुडाने का पूर्ण प्रयास करते है क्यो ?

अपने व्यापार के प्रति कर्मठता

16- वर्तमान कानून बदलती हुई सामाजिक–आर्थिक परिस्थितियो के अनुकूल है अथवा नही ?

अनुकूल है

17- क्या वर्तमान कानूनो मे सुधार की आवश्यकता है यदि हाँ तो कैसे ?

वर्तमान मे सुधार की अत्यन्त आवश्यकता है । सशोधन के जरिये ही हो सकता है ।

18- यदि वादी पक्ष वकील है फिर भी उसे न्याय नही मिल पाता तब आपको कैसा लगता है ?

वकील होने का अर्थ यह नही कि उसे उसके प्रत्येक वादी पक्ष वकील होने के कारण उसके पक्ष मे न्याय ही मिले ।

19 जिस प्रकार एक डाक्टर चाहता है कि बीमारियाँ बढे ताकि उसे पैसा मिलता रहे । क्या आप भी चाहते है कि समाज मे अपराध बढे ?

बीमारियाँ व अपराध अलग–अलग पहलू है । हम नही चाहते कि अपराध बढे ।

20- यदि आप अपराधो के बढने के खिलाफ है तो उनके नियन्त्रण मे आप क्या सुझाव देना चाहेगे ?

(1) शिक्षा का होना ।

(2) स्वास्थ्य सेवाओ का होना ।

(3) मनोरंजन के पर्याप्त साधन ।

(4) सरकार द्वारा कठोर कानून का लागू होना ।

परिशिष्ट – 4

अपराधी (कैदी) से साक्षात्कार की प्रश्नावली जिला जेल

(1) नाम उम्र जाति

(2) पता गॉव/मो0 पोस्ट थाना जनपद

(3) शिक्षण (1) शिक्षित (2) अशिक्षित (3) स्तर

(4) व्यवसाय

(5) परिवार मे अन्य सदस्यो का विवरण

(6) (1) शाकाहारी (2) मासाहारी (3) मादक द्रव्य

(7) अपराध की परिस्थितियॉ

(8) (1) किस धारा मे सजा पाई (2) उसका विवरण

(9) कैद का समय कितना शेष रहा

(10) क्या आप अपराध मे शामिल थे

(11) क्या इससे पहले जेल हुई ? कितनी बार कितनी

(12) दोबारा अपराध न करने के लिए सरकार से क्या सुविधा चाहेगे ?

(1) जमीन (2) नौकरी (3) कुछ भी नही

(13) यहॉ से जाने के बाद क्या करेगे ?

(1) शान्तिपूर्वक व्यतीत करेगे (2) व्यवसाय करेगे (3) कृषि करेगे (4) अपराध करेगे

(14) आपके क्या विचार है ?

(1) कानून के प्रति (2) सरकार के प्रति (3) पुलिस के प्रति (4) जेल अधिकारी के प्रति

(5) कैदी साथियो के प्रति (6) अपने परिचितो के प्रति

(15) ईश्वर के प्रति विश्वास रखत है ?

(1) हॉ (2) नही (3) कुछ कुछ

(16) यहॉ से जाने के बाद वादी के प्रति विचार

(1) सहिष्णुता (2) बदला (3) कुछ भी नही

(17) वादी का नाम उम्र जाति

(18) पता ग्राम/मो0 पोस्ट थाना जनपद

(19) वादी की शैक्षिक स्थिति

(1) शिक्षित (2) अशिक्षित (3) यदि शिक्षित तो उसका स्तर

(20) वादी का मौलिक व्यवसाय

(21) क्या वादी आपसे सम्पन्न है ? (1) हॉ (2) नही

(22) वादी तथा आपके मध्य सम्बन्ध (1) जाति (2) रिश्तेदारी

(23) वादी के किस कारण से अपराध के लिए विवश हुए ?

(1) शोषण (2) मानहानि (3) अचानक

(24) आपके साथ कौन लोग अपराध मे शामिल है ?

(1) पिता/भाई/बहिन (2) गॉव या मौहल्ले के दवग लोग (3) मित्र (4) अन्य कुख्यात अपराधी

(25) क्या आपको किसी ने अपराध के लिए प्रेरित किया ?

(1) पुलिस (2) राजनेता (3) बाहुबली (4) अन्य

(26) आपके दृष्टिकोण मे अपराध को कौन बढावा देता है ?

(1) समाज (2) पुलिस (3) राजनेता

(27) आपको किसने सरक्षण दिया ?

(1) नेता (2) पुलिस (3) सम्पन्न व्यक्ति (4) किसी ने नही

(28) आपके दृष्टि मे पुलिस की भूमिका ?

(1) ईमानदार एव कर्तव्यनिष्ठ (2) घूसखोर एव लापरवाह (3) कुछ ईमानदार एव कुछ कर्तव्यनिष्ठ

(29) जेल मे आपको निर्धारित सुविधाये मिलती है ?

(1) हॉ (2) नही

(30) यदि नही तो आप अपनी मनपसन्द की चीजे कहॉ से मगाते है ?

(1) जेल कर्मचारियो से (2) रिश्तेदारो से

परिशिष्ट – 5

जनपद 'फर्रुखाबाद मे पुलिस द्वारा अपराधो के लिए आई0पी0सी0 के अन्तर्गत धाराओ/शब्दो के प्रयोग का क्रमवार विवरण

धारा (दफा) सख्या	अपराध
109	अपराधो के लिए उकसाना/मदद करना
110	उकसाने के अतिरिक्त भी कार्य करना
120	षडयन्त्र रचना
129	सरकारी कर्मचारी द्वारा जान -बूझकर कैदी को छुडाने का प्रयास
143	अवैध भीड एकत्रित करना
153	जानबूझकर बलवे को उत्तेजित करना
160	दो या दो से अधिक व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान पर शान्ति भग करना
161	सरकारी कर्मचारी द्वारा अवैध ढग से धन वर्जित करना
170	नकली सरकारी कर्मचारी बनकर सरकारी कार्य करना
121	चुनाव मे जुर्म
182	किसी सरकारी कर्मचारी को झूठी सूचना देना
186	सरकारी कर्मचारी के कार्य मे बाधा पहुँचाना
188	सरकारी कर्मचारी द्वारा विविध आदेशो का उल्लघन
193	जानबूझकर झूठी गवाही/प्रमाण न्याययिक
197	झूठे प्रमाण पत्रो पर अपने हस्ताक्षर करना/देना जो सबूत मे ग्राह्य है
198	झूठे प्रमाण पत्र सत्य की भाँति जानबूझकर प्रयोग करना
201	सबूत को नष्ट करना/जलाना/फाडना
202	उपरोक्त मे सजा
211	झूठे आरोप लगाना चोट पहुँचाने के लिए
216	अपराधी/डकैतो को सहयोग/शरण देना
218	सरकारी कर्मचारी द्वारा गलत रिकार्ड तैयार करना
223	सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने (कैदी) अभिरक्षा से भगा देना
224	किसी अपराधी को अभिरक्षा से छुडाना/बाधा पहुँचाना
225	अपराधी व्यक्ति जो कि वैधानिक अभिरक्षा मे है को छुडाना अथवा प्रतिरोध
272	खाद्य पदार्थ मे हानिकारक पदार्थ मिलाना हारिकारक पदार्थ को खाद्य पदार्थ मे मिलान के लिए कहना/बेचना

279	किसी वाहन को जानबूझकर सार्वजनिक स्थान पर तेजी से चलाना जिससे मानव को खतरा हो
280	पानी के वाहन को तेजी से चलाना/खतरा
281	क्षतिग्रस्त/अधिक भार लेकर पानी के वाहन द्वारा मानव जीवन को खतरा
286	विस्फोटक पदार्थ को बिना सुरक्षा के ले जाना जिससे मानव जीवन को खतरा
289	पालतू पशु को लापरवाही से रखना जिससे खतरा
294	सार्वजनिक स्थान पर गन्दे/भद्दे/अश्लील शब्दो का प्रयोग गाना आदि
295	किसी पूजा/धार्मिक स्थान को नष्ट करना/नुकसान जिससे धर्म का अपमान हो
299	ऐसा कृत्य जिससे किसी की मृत्यु हो जावे
302	मृत्यु के लिए सजा
304	मृत्यु हो जाये किन्तु जान से मारने का उद्देश्य न था
306	ऐसी परिस्थिति बनाना/हतोत्साहित करना जिससे व्यक्ति आत्महत्या कर ले
307	जान से मारने का इरादा
308	खतरनाक हथियार का प्रयोग जिससे गभीर चोट आ जावे जिससे मृत्यु हो सकती है
309	आत्महत्या का प्रयास
317	गर्भवती स्त्री को तग करना/अत्याचार
318	किसी बच्चे की लाश को छुपाना/फैकना/गाढना जिससे उसके जन्म का पता न चले
323	साधारण चोट झगडे से पहुँचाना
324	गम्भीर हथियार द्वारा साधारण चोट
325	साधारण हथियार द्वारा गम्भीर चोट
326	खतरनाक हथियार से गम्भीर चोट
328	जहरीला पदार्थ/जहर खिलाना चोट पहुँचाना
332	सरकारी कर्मचारी को मारपीट कर/चोट देकर सरकारी कार्यो मे बाधा पहुँचाना
336	ऐसा कृत्य करना जिससे व्यक्ति/मानव जीवन को खतरा हो
337	उपरोक्त कार्य से साधारण चोट
338	उपरोक्त कार्य से गम्भीर चोट
341	अवैध रूप से जबरदस्ती रोकना

342	अवैध रूप से जबरदस्ती बन्द कर लेना
343	अवैध रूप से जबरदस्ती 309 दिन तक बन्द रखना
344	अवैध रूप से जबरदस्ती 10 दिन या अधिक दिन तक बन्द रखना
352	मारने के लिए दौडना/अपराधी बनकर प्रयोग
353	सरकारी कर्मचारी को सरकारी कार्य करने मे आक्रमण/बल का प्रयोग जिससे सरकारी कार्य मे बाधा
354	किसी औरत को बेइज्जत करने के लिए आक्रमण/बल का प्रयोग
356	चोरी के समय आक्रमण/बल का प्रयोग
357	अवैध रूप से बन्द करने के लिए आक्रमण/बल प्रयोग
363	विधिपूर्ण सरक्षता मे से किसी नाबालिग का अपहरण
364	किसी व्यक्ति को जान से मारने के लिए अपहरण
365	किसी व्यक्ति का अपहरण/छुपाना/बन्द करना
366	किसी औरत की शादी/सहवास के लिए इच्छा विरूद्ध अपहरण
368	अपहरित व्यक्ति को छुपाना/बन्द करना
374	किसी व्यक्ति की इच्छा के विरूद्ध श्रम करवाना
376	बलात्कार
377	समलैगिक सहवास
379	चोरी
380	घर मे चोरी
382	चोरी के उद्देश्य से पहले से ही चोट पहुँचाने की तैयारी द्वारा/ धमकाकर वस्तु/पैसा लेना
383	डरा/धमकाकर वस्तु/पैसा लेना
384	डरा/धमकाकर वस्तु/सजा
385	चोट पहुँचाने का भय दिखाकर वस्तु/पैसा लेना
387	मृत्यु का भय दिखाकर/गभीर चोट का भय दिखाकर वस्तु/पैसा लेना
392	राहजनी चार व्यक्ति मिलकर
394	राहजनी के समय चोट पहुँचाना चार व्यक्ति मिलकर
395	डकैती पॉच व्यक्ति मिलकर
396	डकैती के वक्त किसी व्यक्ति को मार देना
397	डकैती के वक्त खतरनाक हथियारो का प्रयोग
398	राहजनी/डकैतो मे खतरनाक हथियारो का प्रयोग
399	डकैती की तैयारी
400	किसी गैग का सचालन/सदस्य
401	चोरी के गैग मे सजा
402	5 या अधिक डकैती की योजना/एकत्रित होना

406	अमानत मे खयानत/न्यास भग
408	प्राइवेट नौकर द्वारा न्यास गैग/अमानत मे खयानत
409	रारकारी कर्मचारी द्वारा न्यास भग/अमानत मे खयानत
411	जानबूझकर डकैती का माल रखना
419	ठगना/धोखाधडी/छलकर
420	ठगना/धोखाधडी/छलकर/सजा
427	50 रूपये या अधिक का नुकसान
428	किसी पक्षी/जानवर को मार देना कीमत 10 रूपया
429	किसी पक्षी/जानवर को मार देना कीमत 50 रूपया
430	सिचाई के साधन मे नुकसान/गलत मोड/खीची
435	विस्फोटक पदार्थ से आग लगाना जिससे 100 रूपये तक का नुकसान हो
436	किसी के घर मे आग लगाना
404	मृत्यु/चोट का भय दिखाकर सम्पत्ति का नुकसान पहुँचाना
441	किसी व्यक्ति की सम्पत्ति/स्थान मे अनाधिकार प्रवेश करना
447	अनाधिकार जगह पर कब्जा की सजा
448	अनाधिकार रूप से किसी के घर मे घुसना
452	अनाधिकार घर मे घुसना चोट के उद्देश्य से
456	अनाधिकार घर मे घुसना जुर्म/ताला तोडना रात्रि मे
457	उपरोक्त की सजा
461	किसी बन्द सामान/बॉक्स आदि को तोडकर सामान निकालना
464	झूठे अभिलेख तैयार करना
467	झूठे अभिलेख बनाना/फर्जी बैनामा/गलत गोदनामा
468	धोखा देने के लिए जालसाज अभिलेख का प्रयोग
489	किसी सम्पत्ति का चिन्ह/निशान मिटाना जिससे दूसरे की दृष्टि न पहुँचे
491	विधि द्वारा बाधा होने पर भी अक्षम व्यक्ति की आवश्यकताओ की पूर्ति न करना
494	एक पति/पत्नी होते हुए दूसरी शादी करना
497	एक पति/पत्नी से सहवास
498	दूसरे पति/पत्नी को सजा
503	किसी अधिकारी के विरूद्ध हानि के उद्देश्य से झूठे प्रकाशन
506	जानमाल की धमकी देना
509	ऐसे हावभाव जिससे किसी औरत की बेइज्जती
511	जुर्म का प्रयास

उपर्युक्त समस्त शब्दो तथा धाराओ के अन्तर्गत अपराधो का वर्गीकरण

क्रमाक	अपराध वर्ग	धाराये एव प्रयुक्त शब्द
1–	व्यक्ति के विरूद्ध अपराध	299, 302, 304 306, 307 308 309, 318, 364 396 211 282 313 317 323, 324 325 326 328 332 336 337, 338, 341 342, 343 344 352 353, 354 356 357 363 365 366 376, 377 452
2–	सम्पत्ति के विरूद्ध अपराध	लूट गैग, डकैती, राहजनी – 382, 383, 387, 392, 394 397 398 399 400, 401 402 नकवजनी, चोरी माल पशु साइकिल तार ट्रासफार्मर प्राइवेट ट्यूबवैल सरकारी ट्यूबवैल मूर्ति फसल 379 308 456 457, 461 109 110 406, 408 409 411 412 419, 420, 427 428, 429 435 436 440 441, 447, 448, 479 489
3 -	व्यवस्था के विरूद्ध अपराध	मुठभेड, चोरी बिजली – 129 170 171 182 186 188 193 197 198 201 202, 216, 218 223 224 225, 261 264 267 268 आबकारी एक्ट अफीम विदेशी पासपोर्ट, पुलिस, होमगार्ड रेलवे, डी0आई0आर0 सीमा जगल मोटर, कोल्ड स्टोरेज, जगली पशु पक्षी, बिजली पचायतराज जमीदारी, गौवध ट्रेड तथा मार्क टेलीग्राफ, प्रेस परिषद, भार – मानक, बलवा – 160, 161, 272, 273 279, 280 281 286, 289, 294 295 368, 374, 430 494 497 498, एक्ट जुआ, आवश्यक खाद्य पदार्थ, विस्फोटक पदार्थ सिनेमा, यू0पी0 गुण्डा, छुआछूत, बधुआ मजदूरी, दहेज दस्यु प्रभावित, भ्रष्टाचार निराकरण – 109, 110, 120 143, 153 277, 448, 505 506, शस्त्र अधिनियम

परिशिष्ट क्रमांक 6-1

जनपद फर्रुखाबाद प्रतिदर्शी गाँव के अध्ययन की प्रश्नावली

प्रश्नावली

1- गाँव की स्थिति:-

(1) भौगोलिक स्थिति--

(2) जनपद मुख्यालय से दूरी--

(3) तहसील मुख्यालय से दूरी--

(4) थाने की दूरी--

(5) अन्य जनपद की सीमा से गाँव की दूरी--

(6) गाँव से नदी या तालाब की दूरी या नहर की दूरी जलाशयों का उपयोग

2- विभिन्न सेवाओं साधनों की स्थिति:-

(1) निकटतम रेलवे स्टेशन का नाम व दूरी--

(2) निकटतम बस स्टेशन का नाम व दूरी--

(3) निकटतम बाजार केन्द्र का नाम और दूरी--

(4) निकटतम अस्पताल की दूरी--

(5) निकटतम हाई स्कूल/इण्टर कालेज की दूरी--

(6) निकटतम डाकघर और उसकी दूरी--

(7) निकटतम बैंक शाखा और उसकी दूरी--

(8) निकटतम कस्बे का नाम और दूरी--

(9) परिवहन का प्रमुख साधन एवं उसकी आवृत्ति स्तर संतोषजनक कष्टप्रद--

(10) मनोरंजन के साधन--

(11) उद्योग धन्धे और उनमें कार्यरत् जनसंख्या--

(2) गाँव विद्युतीकृत है या नहीं एवं विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था संतोषजनक /असंतोषजनक--

3- धरातल तथा जल प्रवाह:-

(1) गाँव का क्षेत्रफल--

(2) भूमि समतल है या असमतल--

(3) जल निकास व्यवस्थित है या नहीं--

(4) गाँव बाढ़ से प्रभावित है--

(5) कितना क्षेत्र और कितनी खेती प्रभावित है--

4- मिट्टियाँ:-

(1) मिट्टी की किस्म (प्रकार)--

(2) उर्वरता का स्तर--

(3) ऊसर प्रभावित भूमि है या नहीं--

(4) भूक्षरण की समस्या कटाव या शुष्कता या पोषक तत्व की कमी ---
----

5- वनस्पति:-

(1) वन और बाग है या नहीं--

(2) वृक्षों की उपयोगिता किस रूप में--

6- पशु संसाधन:-

(1) पशुओं के प्रकार--

(2) कुल संख्या--

(3) उपयोग--

7 - जनसंख्या :-

(1) कुल जनसंख्या पारम ---

(2) लिंग अनुपात --

(3) आयु के अनुसार जनसंख्या --

(4) गांव में किस धर्म के लोग प्रधानतः है सामान्य/अपराधी ---------
----

(5) जाति के अनुसार वर्गीकरण किन किन जाति के लोग प्रधानतः सामान्य/ अपराधी --

( ) व्यावसायिक संरचना गांव के अधिकांश परिवारों की आय का साधन मात्र कृषि या कृषि के अलावा अन्य कोई ------------------------

(7) साक्षरता प्रतिशत एवं स्तर (सुविधा) किस स्तर की -------------
------------------ --------------------

प्राइमरी

जू0हाई स्कूल

हाई स्कूल

बी0ए0

अन्य प्रशिक्षण सुविधा

8 - अधिवास -

(1) प्रतिरूप-सघन या विरल रेखीय, वृत्ताकार -------------------

(2) बस्ती नदी किनारे/नहर किनारे/रे0 लाईन किनारे/ तालाब के किनारे/ सड़क किनारे/पहाड़ी ढलान पर/ टीले पर स्थित है -------------------

(3) मकानों का प्रकार

कच्चे	प्रतिशत में
पक्के	प्रतिशत में
मिश्रित	प्रतिशत में

9- कृषि विवरण:-

(1) सामान्य भूमि उपयोग--------------------------------

(2) कृषि भूमि उपयोग--------------------------------

(3) फसलों के प्रकार- (अ) रबी के अन्तर्गत

(प्रमुख फसलें) (ब) खरीफ के अन्तर्गत

(स) जायद के अन्तर्गत

----

(4) मुख्य फसलों की प्रति हे0 औसत उपज--------------------------------

(5) कृषि स्तर प्रयुक्त उपकरण खाद-बीज आदि--------------------------------

(6) सिंचाई के साधन-नहर, कुएं, नलकूप, तालाब, पंम्पसेट आदि--------

----

10- अपराध सम्बन्धी विवरण:-

(1) लाइसेंस धारकों की संख्या--------------------------------

(2) लाइसेंस की किस्म--------------------------------

(3) अवैध अस्त्र शस्त्रों की प्राप्ति की संभावना है या नहीं------------

(4) 1986 में अपराधों की संख्या--------------------------------

(5) धाराओं के अनुसार अपराध--------------------------------

(6) अपराधी परिवार का कोई व्यक्ति-पुलिस, नेता, सरकारी अधिकारी, वकील आदि है--------------------------------

11- अपराधियों की किस्म:-

(1) सामान्यतः आयु--------------------------------

(2) लिंग के अनुसार--------------------------------

(3) शैक्षिक स्तर के अनुसार--------------------------------

(4) जाति/धर्म के अनुसार--------------------------------

§5§ अपराधों की अनुपात प्रधानता------------------------------------

§6§ अपराधी परिवार आकार में बड़ा है या छोटा------------------------

12- अपराधों के प्रमुख:-

§1§ आर्थिक अभाव/आधिक्य--

§2§ राजनैतिक---

§3§ सामाजिक--

§4§ पारिवारिक--

§5§ ईर्ष्या द्वेष--

13- अपराधियों का संरक्षण:-

§1§ नेताओं द्वारा---

§2§ धनाढ्य लोगों द्वारा--

§3§ अराजक तत्वों द्वारा--

§4§ पुलिस द्वारा---

§4§ निर्धन व्यक्तियों के द्वारा --------------------------------

14- अपराधियों का निवास क्या दूसरे गांव में है या गांव के ही हैं या दूसरे जनपद के हैं--- --

15- अपराधी परिवार की स्थिति:-

§1§ आर्थिक, सम्पन्नता/निर्धन/मध्यम----------------------------

§2§ सामाजिक/असामाजिक-------------------------------------

§3§ शैक्षिक, शिक्षित/अशिक्षित-----------------------------------

§4§ पारिवारिक शान्ति/अशान्ति----------------------------------

ठठठठठ

परिशिष्ट क्रमांक 6-2

बंदियों से साक्षात्कार की प्रश्नावली जिला/केन्द्रीय कारागार फतेहगढ़

1- नाम ---------- उम्र ---------- जाति ----------

2- पता गांव/मो0 ---------- पोस्ट ---------- थाना ---------- जनपद ----------

3- शिक्षा ----------

4- किस धारा में सजा पाई ---------- विवरण ----------

5- कैद का समय ---------- कितना शेष रहा ----------

6- अपराध की परिस्थितियाँ ----------

7- व्यवसाय ----------

8- विवरण ----------

9- परिवार में अन्य सदस्यों का विवरण ----------

10- क्या आप अपराध में शामिल थे ----------

11 शाकाहारी/मांसाहारी ---------- मादक द्रव्य ----------

12- क्या इससे पहले जेल हुई ---------- कितने बार ---------- कितनी ----------

13- यहाँ से जाने के बाद वादी के प्रति विचार ----------

14- क्या सुविधायें मिले कि दुबारा अपराध न करें ----------

15- भविष्य की योजना ----------

16- विचार कानून के प्रति ---------- सरकार ---------- पुलिस ----------

जेल अधिकारी ---------- न्याय ---------- अन्य ----------

17- ईश्वर के प्रति विश्वास ----------

18- वादी का नाम ---------- उम्र ---------- जाति ----------

19- पता ग्राम/मो0 ---------- पोस्ट ---------- थाना ---------- जनपद ----------

20- शिक्षा ----------

21- व्यवसाय ----------

22- क्या आपसे सम्पर्क है ----------

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1– आर्य सत्य प्रकाश — अपराधशास्त्र एव दण्डशास्त्र, प्रकाश बुक डिपो बडा बाजार बरेली 1996

2– वफन — नेचुरल हिस्ट्री ऑफ मैन 1749

3 - वार्नफील्ड एडवर्स सी0 — दि अनहेविनली सिटी रीविजिटेड वोस्टन लिटिल ब्राउन 1974

4 - वेलेन्टाइन वेटीलाऊ — हसलिग एण्ड अदर हार्ट वर्क न्यूयार्क फ्री प्रेस 1978

5– बी0एस0 ठाकुर — बिलारी तहसील – ए स्टडी इन माइक्रो लेविल प्लानिग अनपब्लिस्ड पी0एच0डी0 थीसिज (रू0वि0वि0 बरेली) 1985

6– ब्रियान बी0टी0 — द ज्योग्राफी ऑफ सोइल लन्दन 1969

7– विशर एस0एस0 — क्लासिक इनफमूयेन्सेज इन टेलर ज्योग्राफी इन टवेन्टीयथ सेन्चुरी 1954

8– ब्लाश वाइडिल डी0ला0 — प्रिसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी 1923

9– व्हाइट सी0एल0 एव रेनर जी0टी0 — ज्योग्राफी एण्ड इन्ट्रोडक्शन टू ह्यूमन ज्योग्राफी

10– बी0बी0एस0 भदोरिया — रूरल डवलपमैन्ट स्ट्रेटजी एण्ड पर्सपेक्टिव अनमोल पब्लिकेशन, दिल्ली 1986

11– वार्न्स एव टीटर्स — न्यूहोरीजन्स इन क्रिमिनालोजी प्रिंटिस हाल इगलीवुड 1959

12– विलियम एफ0 आगवर्न — 'फैक्टर्स इन द वैरियेशन ऑफ क्राइम एमाग सिटीज जनरल ऑफ द अमेरिकन स्टेटिकल एसोसिएशन मार्च 1935

13– काल्डवेल राबर्ट जी0 — क्रिमिनोलोजी, द रोनाल्ड प्रेस कम्प0 न्यूयार्क 1956

14– क्लोवार्ड रिचर्ड ए0 ओहलिन लायड ई0 — डेलीक्वेन्सी एण्ड आर्पचुनिटी ए थ्योरी ऑफ डेलीक्वेण्ट गैन्स, दि फ्री प्रेस, ग्लेन्को न्यूयार्क 1960 सैण्ड टैपन्स आर्टिकल हू इज क्रिमिनल इन अमेरिकन सोसियोलोजिकल रिविव फरवरी 1967 वैल्यूम 12

15- विलनार्ड मार्शल बी0 — सोसियोलोजी ऑफ डेविएण्ट विहेवियर होल्ट रीनहार्ट एण्ड विन्सहन न्यूयार्क 1968

16- कास्टिल मैनुअल — दि अरबन क्वेस्चन कैम्ब्रिज मास एमाइटी प्रेस 1977

17 - विलनार्ड मार्शल बी0 एण्ड क्वीने रिचर्ड — क्रिमिनल विहेवियर सिस्टम्स - ए टाइपलोजी होल्ट रीनिहार्ट एण्ड विन्सटन इनर न्यूयार्क 1967

18 - डिगोलिन्स — प्रॉब्लम दि ज्योग्राफी ह्यूमन 1952

19- डिमोलिन्स ई0 — लेस ग्रेन्डस स्टडिस पिवीपल इसैडिज्योग्राफी सोसियल, कामोण्टी इन रूट्स सीलटाइप, वैल्यूम 2 1901

20- डी0एस0 बघेल — अपराधशास्त्र विवेक प्रकाशन 7 यू0ए0 जवाहर नगर दिल्ली

21- डेकेस्टर ई0जी0 — हेदर इनफ्लुएस मैकमिलन कम्पनी न्यूयार्क 1904

22- डेनियल ग्लेजर एण्ड कैन्ट राइस — क्राइम एण्ड इकॉनोमिक कन्डीशन इन ड्रैसलरर्स बुक, 1964

23- ई0 दुर्खीम — स्यूसाइड अनु0 जे0ए0 स्पैल्डिग एव जार्ज सिम्पसन दि फ्री प्रेस ग्लेको इलीनायस 1951

24 इलियट एव मैरिल — सोशल डिसआर्गनाइजेशन 1950

25- फ्लोरियम जिनाकी — कोटेड बाई टैपन इन क्राइम, जस्टिस एण्ड करेक्शन इन अमेरिकन सोसियोलोजिकल रिविव फरवरी 1967 वैल्यूम 12

26- गेरोफेलो आर0 — क्रिमिनोलोजी, लिटिल ब्राउन, वोस्टन, 1914

27- गोडार्ड एच0एच0 — ह्यूमन एफीसिएन्सी एण्ड लेविल्स ऑफ इण्टेलीजेश प्रिसटन यूनिवर्सिटी प्रेस प्रिस्टन 1920

28- हेकरबाल — अपराधशास्त्र एव दण्डशास्त्र (आर्य) प्रकाश बुड डिपो बरेली, 1996 मे उद्धृत

29- हूटन ई0ए0 — दि अमेरिकन क्रिमिनल एन एन्थ्रोपोलोजिकल स्टडी हारवर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस कैम्ब्रिज 1939

30- होलसेल हैग — दि कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया वैल्यूम 3 दिल्ली 1958

31- हटिगन ई0 — सिविलाइजेशन एण्ड क्लाइमेट, 1924

32 जी टी टिवार्था – द केस फॉर पापुलेशन ज्योग्राफी 1953 वॉलूम–43 पृ 71–97

33 हीरालाल – जनसख्या भूगोल 1985 पृ 128

34 मदाम गर्नियर – 1870 सस्करण वाराणसी पृ 128

35 वी पी पडा – जनसख्या भूगोल 1991 पृ 13

36 साख्यिकीय पत्रिका जनपद फर्रुखाबाद 1996–97

37 सेन्सस ऑफ इण्डिया 2001 भारत सरकार गृहमत्रालय जनगणना प्रभाग

38 जनगणना कार्यालय जनपद फर्रुखाबाद

39 अर्थ एव सख्याधिकारी जनपद फर्रुखाबाद

40 एस चन्द्रशेखर – भारत की जनसख्या मेरठ 1968 पृ 3

41 स्टेटिकल बुलेटन ऑफ फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक 1991 पृ 30

42 जे बाल्डनिब एण्ड बॉटम – दि अरबन क्रमिनल 1976 पृ 28

43 यूनाइटेड नेशन्स 1968 पृ 3

44 मल्टी लेम्गुअल डेमोग्राफिक डिक्शनरी

45 ई डब्ल्यू जिम्मर मैन – वर्ल्ड रिसोर्सेज एण्ड इण्डस्ट्रीज

56 आर सी तिवारी एव बी एन सिह – कृषि भूगोल 2001 प्रयग पुस्तक भवन पृ 3

47 वही 2 पृ 1

48 आर पी मिश्रा – डिफ्यूज ऑफ एग्रीकल्चर इन्नोवेशन्स ए थ्योरिटिकल एण्ड [illegible]ल स्टडी यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर 1968 पृ 3

49 प्रो आर सी तिवारी एव डॉ बी एन सिह – कृषि भूगोल 2001 प्रयाग पुस्तक भवन पृ 75

50 जे फाक्समैन – सेन्टर ऑफ लैण्डयूज, 1962 पृ 76

51 सी बैनजेटी – ज्योग्राफी जनरल्स 1972 पृ 134

52 रॉयल कमीशन – एनीमल लाइफ 1982 पृ 17

53 वी पी ए भदौरिया एव ए सी दुआ – रूरल डबलपमेट स्ट्रेटेजी

एण्डपर्सपैक्टिव अनमोल पब्लिकेशन दिल्ली 1986 पृ 184—85

54 पुलिस कार्यालय रिकार्ड

55 फर्रुखाबाद गजेटियर

56 अर्थ एव साख्याधिकारी जिला फर्रुखाबाद

57 फतेहगढ कैम्प हिन्दी अनुवाद डॉ हाटा एण्ड सोनी

58 साख्यिकीय पत्रिका जनपद फर्रुखाबाद

59 जनगणना कार्यालय जनपद फर्रुखाबाद

60 डॉ एस पी श्रीवास्तव — सामाजिक समस्याये सामाजिक कार्य विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय 1978 पृ 170

61 धासिटन सेलिन — कल्चर कार्नाफ्लक्ट एण्ड क्राइम न्यूयार्क 1 9 3 8 पृ 20—21

62 भारतीय दण्ड सहिता 1998

63 ब्रिटिश क्रिमिनल लॉ 1956

64 डॉ एस पी श्रीवास्तव वही (1)

65 हैवलक इलिश — दि क्रिमिनल लदन 1901 पृ 1—24

66 बैकरिया — स्रोत प्रश्न कुमार अप्रकाशित शोध प्रबन्ध 2000 अपराधिक विश्लेषण बदायुँ जनपद पृ 127

67 डॉ एस पी श्रीवास्तव वही (1)

68 लोम्ब्रोसो सी — दि क्रिमिनल मैन पाचवा सस्करण जी पी पुटानिस सस न्यूयार्क 1911 पृ 1—20

69 हूटन ई — क्राइम एण्ड मैन 1931 दि अमेरिकन क्रिमिनल एन एन्थ्रोपोलोजिकल स्टडी (1939) हारवर्ड यूनी प्रेस कैम्ब्रिज

70 शेल्डन डब्ल्यू एच — पैराइटीज ऑफ डेलीक्वेट यूथ द्वारपर एण्ड ब्रादर्स न्यूयार्क 1949

71 इडविन एच सदर लैण्ड एण्ड डोनाल्ड आर क्रेसी — प्रिसिपल्स ऑफ क्रिक्रमिनोलॉजा फिला डेल्फिया 1955

72 जार्ज सिमूल – क्रिमेनोलॉजी न्यूयार्क 1956 यूथ स्टडी सर्किल।

73 इनरिको फेरी – स्टडीज आन क्रिमिनैलिटी इन फ्रास फ्राम 1826–1878 रोम 1881

74 शेल्डन ग्लुक एण्ड इलनियर ग्लुक – अनरेबेलिग जुबेनाइल डेलिक्वेसी न्यूयार्क 1950 पृ 70

75 ब्लैकस्टोन डब्ल्यू – कॉमेन्ट्री 6–4 पृ 5

76 ई एच सदलैण्ड एण्ड डी आर क्रेसी – प्रिसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी बाम्बे 1968 पृ 4

77 एम एम लबानिया – क्रिमिनोलॉजी दिल्ली 1981–82 पृ 50

78 ई एच सदरलैण्ड एण्ड क्रेसी – प्रिसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी बाम्बे 1968 पृ 18

79 मॉण्टेस्क्यू – स्प्रिट ऑफ को टेड बाई वार्न्स एच ई एण्ड टीटर्स एन के पृ 143

80 क्वेटलेट – थर्मिक लॉ ऑफ क्राइम कोटेड बाई वार्न्स एण्ड टीटर्स इन न्यू हैराइजन्स इन क्रिमिनोलॉजी चतुर्थ सस्करण प्रिटिस हाल इगलवुड 1959

81 क्रोपोटकिन पी पी – मार्डन थ्योरीज ऑफ क्रिमिनलिटी कोटेड बाई बर्नाल्डो लिटिल ब्राउन वोस्टन 1911

82 जोसेफ कॉन – यूनीफार्म क्राइम रिपोर्ट फ्रेण्डस ब्यूरो ऑफ -न्वेस्टीगेशन्स न्यू एस ए इन उेसलर्स बुक रीडिग्स इन क्रिमिनोलॉजी एण्ड पेनोलॉजी कोलम्बिया यूनी प्रेस न्ययार्क 1964 पृ 22

83 इनरिको फेरी – स्टडीज ऑन क्रिमिनैलिटी इन फ्रास फ्राम 1826 रोम 1881

84 जोहान कॉस्पर लेपाटर – फि[illegible]मकल फ्रैगमेट्स 1975

85 चार्ल्स काल्डवेल – इसीमेट्स ऑफ क्रेनालॉजी 1824

86 सिजारे लाब्रोसो – ए मार्डन मैन ऑफ साइस लदन 1911, पृ 18

87 ई जी वेक्सरर – वेदर इन्फ्लूएन्स मैनिलॉन न्यूयार्क 1904

88 प्रश्न कुमार – जनपद बदायुँ मे अपराधो का विश्लेषण अप्रकाशित शोध प्रबन्ध 2000 पृ 135

89 डी एस बघेल – क्रिमिनोलॉजी 1985 पृ 127–28

90 वही 29 पृ 132

91 एस एस विशर – जलवायु और उसके प्रभाव 1954 पृ 196

92 सी टी व्हाइट एण्ड रेनर – ह्यूमन ज्योग्राफी 1998 पृ 23–37

93 डी हॉसन– ओरीजन ऑु द एकेडेमिक ज्योग्राफी इन दि यूनाइटेड स्टेट हैम्बर्ग 1981 पृ 165–174

94 ई एच सदरलैण्ड – प्रिसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी बाम्बे 1968 पृ 108

95 वही पृ 111

96 डी एस बघेल – क्रिमिनोलॉजी 1985 पृ 127–128

97 वही 34 पृ 130

98 डॉ आर सी तिवारी – अधिवास भूगोल प्रयाग पुस्तक भवन इलाहाबाद पृ 31

99 ¯नरिको फेरी – क्रिमिनल सोश्योलॉजी न्यूयार्क 1966 पृ 530

100 हैंसवॉन हेटिग – क्राइम काजेज एण्ड कडीशस न्यूयार्क 1947 पृ 203

101 अर्लराव एण्ड गरटयूट जे सेल्जनिक – मेजर सोशल प्राबल्म्स न्यूयार्क 196, पृ 4

102 डब्ल्यू, बैलेज वीवर – सोशल प्राबल्म्स न्यूयार्क 1951 पृ 3

103 मेबेल ए इलिएट एण्ड फ्रासिस ई मेरिल – सोशल डिसआर्गनाइजेशन, न्यूयार्क, 1950 पृ 20

104 डिस्ट्रक सेन्सस हैड् बुक ऑफ इण्डिया

105 जनगणना कार्यालय से प्राप्त ऑकडे

106 सांख्यिकीय पत्रिका जनपद फर्रुखाबाद

107 जनगणना कार्यालय मानचित्र प्रभाग फर्रुखाबाद

108 चुनाव कार्यालय जनपद फर्रुखाबाद

109 जनपदीय पुस्तकालय कचहरी फतेहगढ

110 तिवारी रामचन्द्र 1999 – अधिवास भूगोल प्रयाग पुस्तक भवन इलाहाबाद पृ 320

111 वही 1 पृ 321

112 सदरलैण्ड ई एच क्रेशी डॉ आर 1965 – प्रिन्सपुल ऑव क्रिमिनोलोजी द टाइम्स ऑफ इण्डिया प्रेस बाम्बे पृ 16–17

113 टैपन पाल डल्ब्यू 1949 – ज्यूबिनाइल डेलीकेवन्सी मैकग्रानहिस बुक कम्पनी न्यार्क पृ 19

114 डब्ल्यू, ए बोगर, 1916 – क्रिमिनेलिटी एण्ड इकोनोमिक कडीशन्स वोस्टन पृ 536–537

115 लैंमर्ट एडविन एम 1953 – सोशल प्रॉब्लम्स मैक्ग्रेनीहेल न्यूयार्क पृ 141–149

116 क्लिनार्ड, एण्ड क्वीने 1967 – क्रिमिलन बिहेवियर सिस्टम्स ए टाइपोलोजी हॉल्ट शीनिहार एण्ड विन्स न्यूयार्क पृ 14–18

117 लोम्ब्रोसो

118 दत्त ए के और वेणुगोपाल जी 1983 – स्पैसियल पैटर्न ऑव क्राइम एमग इण्डियन सीरीज जियोफोरम भाग–1 स 2 पृ 2237233

119 अहमद नसरीन और वकी मोहम्मद अब्दुल 1988 – अरबन क्राइम इन बाग्लादेश ओरियन्टल ज्याग्रफर भाग–32 पृ 65–72

120 प्रश्न कुमार, 2000 – पृ 91 (अप्रकाशित शोध प्रबन्ध)